(29)

क्रम-संख्या—89

रजिस्ट्रेशन नं०—एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०—91/2008—10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 फरवरी, 2008

फाल्गुन 8, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 433/79-वि-1—08-1(क)-1-2008

लखनऊ, 27 फरवरी, 2008

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 पर दिनांक 26 फरवरी, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए मूल्य संवर्धित कराधान प्रणाली प्रारम्भ करने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

## अध्याय - एक

## प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 जनवरी, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं

2-इस अधिनियम में, जब तक कोई बात किसी सन्दर्भ में या विषय के विरूद्ध न हो :

(क) **"अपील सुनने वाला प्राधिकारी"** का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसे धारा 55 के अधीन अपील की जा सकेगी ;

(ख) **"कर निर्धारक प्राधिकारी"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो --

(एक) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त और तैनात किया गया हो; या

(दो) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो और कमिश्नर द्वारा तैनात किया गया हो; या

(तीन) कमिश्नर द्वारा नियुक्त और तैनात किया गया हो और इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी के समस्त या किसी कृत्य को सम्पादित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी सशक्त किया गया हो ;

(ग) **"कर निर्धारण वर्ष"** का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होकर बारह मास की अवधि से है ;

(घ) **"बोर्ड"** का तात्पर्य धारा 78 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य कर बोर्ड से है;

(ङ) **"कारबार"** में माल खरीदने या बेचने के कारबार के सम्बन्ध में, निम्नलिखित सम्मिलित है:-

(एक) कोई व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण के स्वरूप का कोई प्रोद्यम या समुत्थान चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जाय या नहीं और ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से कोई लाभ प्रोद्भूत् हो या नहीं ;

(दो) किसी संकर्म संविदा का निष्पादन या किसी प्रयोजन के लिये किसी माल का उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो या नहीं) ;

(तीन) संयंत्र, मशीनरी, कच्चा माल, प्रसंस्करण करने का सामान, पैक करने का सामान, खाली डिब्बे, उपभोज्य स्टोर, उत्सर्जित पदार्थ या उपोत्पाद या इसी प्रकार का कोई अन्य माल या कोई अनुप्रयोज्य या अप्रयुज्यमान या व्यर्थ मशीन

या उसके किसी हिस्से या सहायक सामान या कोई उत्सर्जित पदार्थ या छीजन या उनमें से कोई भी चीज खरीदने, बेचने या सम्भरण करने का कोई संव्यवहार या किसी भी प्रकार का कोई अन्य संव्यवहार, जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या संस्थान, संकर्म संविदा या पट्टे से अनुषंगी हो या उससे सम्बद्ध हो या उससे जुड़ी हो या उसके परिणाम स्वरूप हों,

किन्तु इसके अन्तर्गत केवल सेवा या वृत्ति की प्रकृति का कोई ऐसा कार्य-कलाप नहीं है, जिसमें माल का खरीदना या बेचना अन्तर्विष्ट न हो ;

(च) "पूँजी माल" का तात्पर्य व्यवहारी द्वारा विक्रय के लिये किसी माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त किसी संयंत्र, मशीन, मशीनरी, उपस्करों, यंत्रों, औजारों, साधनों या विद्युत व्यवस्थापन से है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(एक) ऐसे संयंत्र, मशीन, मशीनरी, उपस्कर, साधित्र, उपकरण, साधन या विद्युत व्यवस्थापन के घटक, अतिरिक्त पुर्जे और ऐसे उपसाधन ;

(दो) माउल्ड और डाइज़ ;

(तीन) भण्डारण टंकी ;

(चार) प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर ;

(पाँच) दुर्गलनीय और दुर्गलनीय सामग्रियाँ ;

(छः) ट्यूब और पाइप और उसकी फिटिंग ;

(सात) प्रयोगशाला उपस्कर, उपकरण और उपसाधन ;

(आठ) कारखाना परिसर के भीतर माल उठाने या उसका संचालन करने हेतु मशीनरी, लोडर एवं उपस्कर, या

(नौ) उसके द्वारा विक्रय के लिए माल के विनिर्माण में प्रयुक्त जेनरेटर और ब्वायलर किन्तु इस अधिनियम की धारा 13 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है :–

(एक) वातानुकूलन इकाइयाँ या वातानुकूलक, प्रशीतक, वायुशीतलक, पंखे और वात संचारक यदि विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित न हों;

(दो) वाणिज्यिक यानों तथा दुपहिया या तिपहिया वाहनों सहित कोई स्वचालित वाहन और पुर्जे, घटक एवं उपसाधन तथा उनकी मरम्मत और अनुरक्षण ;

(तीन) कारबार में क्रय किये गए और लेखा रखे गए किन्तु कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उपयोग किए गए माल ;

(चार) माल या यात्रियों या दोनों के परिवहन के लिए प्रयुक्त यान ;

(पाँच) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त पूँजी माल, और

(छः) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कैप्टिव विद्युत संयंत्र तथा उनके मरम्मत और अनुरक्षण हेतु उनके पुर्जे, घटक तथा उपसाधन ;

(छ) **"कमिश्नर"** का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा वाणिज्य कर कमिश्नर के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत विशेष कमिश्नर वाणिज्य कर, अपर कमिश्नर वाणिज्य कर और संयुक्त कमिश्नर वाणिज्य कर सम्मिलित है ;

(ज) **"व्यवहारी"** का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो उत्तर प्रदेश में (चाहे नियमित रूप से या अन्यथा) नकद या आस्थगित संदाय या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल के क्रय विक्रय, सम्भरण या वितरण का कारबार करता है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :-

(एक) कोई स्थानीय प्राधिकारी, निगमित निकाय, कम्पनी, सहकारी समिति या अन्य समिति, क्लब, फर्म, अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब या व्यक्तियों का अन्य संघ (एसोसिएशन), जो ऐसा कारबार करता है ;

(दो) कारिंदा, दलाल, आढ़ती, कमीशन अभिकर्ता, प्रत्यापक अभिकर्ता, या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय जो ऊपर वर्णित प्रकार का हो या न हो और जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का कारबार करता है ;

(तीन) कोई नीलामकर्ता प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का विक्रय या नीलाम करने का कारबार करता है और चाहे इच्छुक क्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा स्वीकार किया जाय या मालिक द्वारा या मालिक के नामाकिती द्वारा ;

(चार) कोई सरकार जो, चाहे कारबार के दौरान या अन्यथा नकद या आस्थगित संदाय या कमीशन पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा माल का क्रय-विक्रय, सम्भरण या वितरण करती है ;

(पाँच) कोई भी व्यक्ति जो राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यवहारी के अभिकर्ता के रूप में राज्य के भीतर कार्य करता है और जो राज्य में माल का क्रय-विक्रय, सम्भरण या वितरण करता है या ऐसे व्यवहारी की ओर से निम्नलिखित रूप में कार्य करता है:-

(क) वाणिज्य अभिकर्ता, जैसा कि माल विक्रय अधिनियम-1930 में यथा परिभाषित है, या

(ख) माल या माल से सम्बन्धित हक के दस्तावेजों का प्रबन्ध करने के लिए अभिकर्ता, या

(ग) माल के विक्रय मूल्य का संग्रहण या संदाय करने के लिए अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या संदाय के लिए प्रतिभू ;

(छह) किसी फर्म या कम्पनी का या अन्य निगमित निकाय का मुख्य कार्यालय, मुख्यालय चाहे वह राज्य के बाहर स्थित हो और उसकी कोई शाखा या कार्यालय राज्य में हो ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से माल का क्रय या विक्रय, सम्भरण या वितरण करना ;

(सात) कोई व्यक्ति जो सकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण का कारबार करता है ;

(आठ) कोई व्यक्ति जो नकद या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण का कारबार करता है ;

(नौ) रेल आधान, संविदाकार, परिवाहक या कोई अन्य वाहक या माल का अग्रेषण अभिकर्ता, जिसमें शीत भण्डारण का स्वामी सम्मिलित है जो पारेषक या परेषिती का पूर्ण पता प्रकट करने में विफल हो या यदि पारेषक परेषिती का प्रकट नाम और पता मिथ्या, कूटरचित या असत्यापनीय हो ;

(दस) गोदाम या भण्डारागार का स्वामी या उसका प्रभारी व्यक्ति, जो वाणिज्यिक माल भण्डारित करता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति, जो निगमित निकाय न हों, को, जो ऐसी कृषि या बागवानी उपज का, जिसे उसने स्वयं उत्पन्न किया हो, या किसी ऐसी भूमि में उत्पन्न किया हो, जिसमें उसका चाहे स्वामी, भोग-बन्धकदार, अभिधारी, पट्टेदार या अन्य रूप में कोई हित हो, विक्रय करता है या जो अपने द्वारा पाले गये कुक्कुट या पशुओं से कुक्कुटादि या दुग्ध उत्पाद का विक्रय करता है, ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यवहार करता है, ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यवहारी नहीं समझा जायगा ;

(झ) "घोषित माल" का तात्पर्य केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा-14 के अधीन अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के घोषित माल से है ;

(ञ) "दस्तावेज" का तात्पर्य किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उन साधनों में से एक से अधिक के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित विषय से है जिन्हें इस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से प्रयोग करने की चेष्टा हो या उसे प्रयोग किया जा सके जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(एक) ऐसा इलेक्ट्रानिक दस्तावेज जिसमें आंकड़े, अभिलेख या जनित्र आंकड़े किसी इलेक्ट्रानिक प्रारूप में स्टोर की गयी, प्राप्त की गयी या प्रेषित प्रतिबिम्ब या ध्वनि या सूक्ष्म फिल्म या कम्प्यूटर जनित्र माइक्रो फीक सम्मिलित है ; और

(दो) ऐसे अन्य दस्तावेज जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(ट) "पूर्ववर्ती अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 (उ0प्र0 ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948) से है ;

(ठ) "छूट प्राप्त माल" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची-एक के स्तम्भ-2 में उल्लिखित या वर्णित किसी माल से है ;

(ड) "माल" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार या वर्ग की चल सम्पत्ति से है और इसके अन्तर्गत किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त समस्त सामग्री, वस्तुएं और पदार्थ और उगती हुई फसलें, घास, वृक्ष और ऐसी वस्तुयें भी हैं जो पृथ्वी से संलग्न हों या पृथ्वी से स्थायी रूप से संलग्न किसी वस्तु से बंधी हों, और जिन्हें बिक्री की संविदा के अधीन पृथक करने का अनुबन्ध हो, किन्तु इसके अन्तर्गत अनुयोज्य दावा, स्टाक, शेयर या प्रतिभूति सम्मिलित नहीं है ;

(ढ) किसी माल के सम्बन्ध में "आयात" का तात्पर्य राज्य के बाहर स्थित किसी ऐसे स्थान से राज्य के भीतर किसी स्थान पर माल लाने या प्राप्त करने से है जहां राज्य के बाहर ऐसे स्थान से ऐसे माल की यात्रा प्रारम्भ होती है और राज्य के भीतर किसी स्थान पर समाप्त होती है ;

(ण) **"आयातकर्ता"** का तात्पर्य ऐसे व्यवहारी से है जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य में कोई माल लाता है या प्राप्त करता है और ऐसे व्यवहारी में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(एक) जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर लाये गये या प्राप्त किये गये किसी माल का प्रथम विक्रय करता है, या

(दो) जो राज्य के बाहर किसी स्थान से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से राज्य के भीतर कोई माल प्राप्त करता है, या

(तीन) जिसकी ओर से कोई माल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर प्राप्त किये जाते हैं;

(त) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने राज्य के भीतर से कोई माल क्रय किया हो, के सम्बन्ध में **"इनपुट कर"** का तात्पर्य ऐसी समपूर्ण कर धनराशि से है, जो:-

(एक) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा, ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में ऐसे माल के रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी को संदत्त या संदेय हो, और

(दो) जहाँ ऐसा क्रयकर्ता व्यवहारी ऐसे माल के, क्रय के आवर्त पर इस अधिनियम के अधीन कर संदाय करने का दायी हो, वहाँ ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में स्वयं क्रयकर्ता व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार को सीधे संदत्त हो ;

(थ) "पट्टा" का तात्पर्य स्वामित्व के अन्तरण के बिना नगद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी अनुबन्ध या प्रबन्ध या जिसके अन्तर्गत किसी प्रयोजन के लिए किसी माल के प्रयोग के अधिकार का अन्तरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाय, (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) से है और इसमें उप-पट्टा सम्मिलित है, किन्तु इसमें भाड़ा क्रय या किश्तों द्वारा संदाय की किसी प्रणाली पर कोई अन्तरण सम्मिलित नहीं है ;

(द) **"पट्टेदार"** का तात्पर्य किसी व्यक्ति, जिसको पट्टा के अधीन किसी प्रयोजन के लिए माल के प्रयोग का अधिकार अन्तरित किया जाय, से है ;

(ध) "पट्टाकर्ता" का तात्पर्य किसी व्यक्ति, जिसके लिए किसी माल के प्रयोग का अधिकार किसी प्रयोजन के लिए अन्तरित किया जाय, से है ;

(न) **"विनिर्माण"** का तात्पर्य किसी माल का उत्पादन करने, बनाने, खनन, संग्रहण, निष्कर्षण, मिश्रण बनाना, मथना, परिवर्तन, अलंकृत, परिसज्जित करने या अन्यथा प्रसंस्करण, शोधन, या अनुकूलित करने से है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा विनिर्माण या विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है जैसी निर्धारित की जाए ;

(प) इस अधिनियम की अनुसूची-चार के स्तम्भ-2 में उल्लिखित या वर्णित किसी माल के सम्बन्ध में **"विनिर्माता"** का तात्पर्य किसी ऐसे व्यवहारी से है जो राज्य के भीतर किसी नये वाणिज्यिक वस्तु के विनिर्माण के पश्चात, विनिर्माण के किसी प्रक्रिया के अनुप्रयोग द्वारा राज्य के भीतर ऐसी नई वाणिज्यिक वस्तु का सीधे या अन्यथा प्रथम विक्रय करता है जिसमें ऐसा कोई विक्रय करने वाला अधिकर्ता सम्मिलित है जो ऐसे व्यक्ति, जिसने इसे विनिर्मित किया हो, की ओर से ऐसी नयी वस्तु का विक्रय करता है;

(फ) **"गैर मूल्य संवर्धित माल"** का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची-चार के स्तम्भ-2 में उल्लिखित या वर्णित किसी भी माल से है;

(ब) **"जाँच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी"** किसी जाँच चौकी या नाका पर तैनात कर निर्धारक प्राधिकारी की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी सम्मिलित है ;

(भ) **"कारबार का स्थान"** का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ कोई व्यवहारी कारबार करता है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(एक) कोई दुकान, भण्डारागार, गोदाम या अन्य स्थान जहाँ कोई व्यवहारी अपने माल का भण्डारण करता है ;

(दो) कोई स्थान जहाँ कोई व्यवहारी माल का उत्पादन या विनिर्माण करता है;

(तीन) कोई स्थान जहाँ कोई व्यवहारी अपनी लेखा बही और दस्तावेज रखता है;

(चार) कोई स्थान जहाँ कोई व्यवहारी सकर्म संविदा निष्पादित करता है या जहाँ माल के उपयोग के अधिकार का प्रयोग किया जाता है ;

(पाँच) ऐसे व्यवहारी के मामले में जो किसी अभिकर्ता (चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाय) के माध्यम से कारबार करता है, ऐसे अभिकर्ता के कारबार का स्थान ;

(म) **"क्रय-मूल्य"** का तात्पर्य यथा निर्धारित ऐसी अवधि के भीतर ऐसे विक्रेता को वापस किए गए किसी माल के सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा क्रेता को, यदि कोई धनराशि लौटायी गयी हो, उस धनराशि से कटौती करने के पश्चात, उसके द्वारा या उसके माध्यम से, किये गये किसी माल के क्रय के प्रतिफल स्वरूप, किसी विक्रेता को किसी क्रेता द्वारा संदेय धनराशि से है ;

**स्पष्टीकरण :** क्रय कीमत के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है :-

(1) माल के क्रेता को विक्रेता द्वारा प्रभारित आवक भाड़ा की लागत या उसके संस्थापन की लागत का प्रतिनिधित्व करने वाली धनराशि, यदि ऐसी धनराशि विक्रेता द्वारा जारी किये गये विक्रय बीजक या कर बीजक में पृथक से दर्शायी गयी हो ;

(2) कर की धनराशि, यदि ऐसी धनराशि विक्रय बीजक या कर बीजक में पृथक से दर्शायी गयी हो ;

(य) **"रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी"** का तात्पर्य धारा 17 या 18 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से है ।

(क क) **" रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी"** का तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के निर्गमन, निलम्बन, निरस्तीकरण या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित या किसी अन्य मामले को व्यवहृत करने हेतु सशक्त किया गया है और इसमें कर निर्धारक प्राधिकारी सम्मिलित है ।

(क ख) **"पुन: विक्रय"** का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी माल को उसी रूप और दशा में जिसमें ऐसे माल को ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रय किया गया हो, विक्रय करने से है ।

(क ग) **"विक्रय"** का तात्पर्य, उसके व्याकरणिक विभेद और सजातीय पदों सहित किसी माल में सम्पत्ति का अन्तरण (बन्धक, दृष्टिबन्धक, प्रभार या गिरवी से भिन्न रूप में) एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को करने से है जो नकद या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया जाय और इसमें निम्नलिखित भी है :-

(एक) नकद, आस्थगित संदाय, या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में सम्पत्ति की संविदा के अनुसरण से भिन्न रूप में अन्तरण ;

(दो) किसी सकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल में सम्पत्ति का अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) ;

(तीन) अवक्रय या किश्तों द्वारा संदाय की किसी अन्य प्रणाली पर माल का परिदान करना ;

(चार) नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी प्रयोजन से उपयोग करने के अधिकारी का अन्तरण (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) ;

(पाँच) नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा (चाहे वह निगमित हो या न हो) उसके किसी सदस्य को माल की आपूर्ति ;

(छह) सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रीति से, चाहे कोई भी हो, माल की आपूर्ति, जो मानव उपयोग के लिए खाद्य या कोई अन्य पदार्थ या पेय हो, (चाहे मादक हों या न हों) जहाँ ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो,

और उपर्युक्त उपखंड (एक) से उपखंड-(छह) के अधीन किसी माल के ऐसे परिदान, अन्तरण या आपूर्ति को परिदान, अन्तरण या आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा उन मालों का विक्रय और उस व्यक्ति द्वारा उन मालों का क्रय माना जायेगा जिसे ऐसा परिदान, अन्तरण या आपूर्ति की गयी है ;

(क घ) **"विक्रय मूल्य"** का तात्पर्य किसी माल के विक्रय के लिये प्रतिफल के रूप में किसी व्यवहारी को संदेय धनराशि से है जो व्यापार में सामान्य रूप से प्रचलित व्यवहार के अनुसार नकद छूट के रूप में किसी अनुज्ञात धनराशि को घटाकर के, उसमें ऐसी धनराशि को सम्मिलित करके आये जो माल के सम्बन्ध में ऐसे माल के परिदान के समय या उसके पूर्व व्यवहारी द्वारा की गयी किसी बात के लिये प्रभारित की गयी है, उन दशाओं के सिवाय जिसमें जोखिम भाड़ा या परिदान का खर्चा या संस्थापन का खर्च अलग से प्रभारित किया जाता है ;

**स्पष्टीकरण :-**

(एक) ऐसे मामले में किसी व्यवहारी द्वारा किसी संदेय शुल्क की कोई धनराशि किसी अवधि के लिए आस्थगित की गयी हो या ऐसे मामले में जिसमें किसी शुल्क के संदेय का बिन्दु परिवर्तित कर दिया गया है तो ऐसे शुल्क की धनराशि को विक्रय कीमत का भाग समझा जायगा ;

(दो) पैकिंग सामग्री मूल्य को, जिसमें किसी माल को पैक किया जाय, बेचे गये माल की विक्रय कीमत का भाग समझा जायगा ;

(तीन) किसी सकर्म संविदा के निष्पादन में सम्मिलित माल में सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो) माल का विक्रय मूल्य श्रम और सेवाओं की ओर उपगत वास्तविक धनराशि, श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित लाभ की धनराशि, और ऐसे सकर्म संविदा के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी या लिये जाने योग्य कुल धनराशि से यथा निर्धारित ऐसी अन्य धनराशियों के योग को कटौती करने के पश्चात अवधारित की जाएगा ;

(चार) माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण के सम्बन्ध में किसी प्रयोजन के लिए किसी माल के विक्रय मूल्य का तात्पर्य (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या हो या न हो) माल के प्रयोग के अधिकार के ऐसे अन्तरण के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी या लिये जाने योग्य मूल्यवान प्रतिफल से है किन्तु इसके अन्तर्गत संविदा के भंग के लिए किसी शास्ति के रूप में या प्रतिकर या नुकसानों के रूप में संदेय कोई धनराशि सम्मिलित नहीं है ;

(क ङ) **"अनुसूची"** का तात्पर्य इस अधिनियम से अनुलग्न किसी अनुसूची से है ;

(क च) **"व्यवस्थापन आयोग"** का तात्पर्य धारा 62 के अधीन गठित आयोग से है;

(क छ) **"कर"** का तात्पर्य समाचार पत्रों के सिवाय, माल के विक्रय अथवा क्रय पर इस अधिनियम के अन्तर्गत उदग्रहणीय कर से है तथा निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार विक्रय आवर्त पर देय वास्तविक कर की राशि के स्थान पर संदेय, यथास्थिति, कर या एक मुश्त धनराशि

(ख) विपरीत इनपुट कर क्रेडिट की धनराशि।

(क ज) **"कराधेय व्यवहारी"** का तात्पर्य ऐसे व्यवहारी से है जो उक्त धारा की उपधारा (5) के उपबन्धों के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार कर कर भुगतान का दायी है ;

(क झ) **"कराधेय माल"** का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची-एक के स्तम्भ-2 में उल्लिखित या वर्णित माल के सिवाय किसी माल से है ;

(क ञ) **"कर बीजक"** का तात्पर्य छूट प्राप्त माल और गैर वैट माल के सिवाय किसी माल के विक्रय के संबंध में धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (दो), (तीन), (चार) और (पाँच) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत क्रेता व्यवहारी या व्यक्ति या निकाय विहित प्रपत्र या रीति से जारी किए गये बिल या नकद मेमो से है ;

(क ट) **"कर अवधि"** का तात्पर्य ऐसी अवधि से है जिसके लिए कोई व्यवहारी धारा 24 के अधीन कर आवर्त विवरणी या कर जमा करने का दायी होगा और जहाँ कोई व्यवहारी किसी कर अवधि के दौरान अपना कारबार या तो प्रारम्भ करता है या समाप्त कर देता है वहाँ ऐसी कर अवधि में ऐसी कर अवधि का भाग सम्मिलित होता है जिसके दौरान व्यापारी का कारबार चल रहा हो ;

(क ठ) **"कर विवरणी"** का तात्पर्य इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन विहित या प्रदान किये जाने के लिए अपेक्षित किसी आवर्त और कर विवरणी से है ;

(क ड) **"क्रय का कराधेय आवर्त"** का तात्पर्य क्रय के सकल आवर्त से ऐसी धनराशि, जैसी विहित की जाय, की कटौती करने के पश्चात प्राप्त आवर्त से है ;

(क ढ) **"विक्रय का कराधेय आवर्त"** का तात्पर्य विक्रय के सकल आवर्त से ऐसी धनराशि, जैसी विहित की जाय, की कटौती करने पश्चात प्राप्त आवर्त से है;

(क ण) **"अधिकरण"** का तात्पर्य धारा 57 के अधीन गठित अधिकरण से है ;

(क त) **"क्रय का आवर्त"** का तात्पर्य उसके सजातीय पदों के साथ किसी व्यवहारी द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अन्य व्यवहारी के माध्यम से चाहे अपने स्वयं के लेखे में या किसी अन्य के लेखे में क्रय किये गये माल के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय क्रय मूल्य की धनराशि के योग से ऐसी अवधि के भीतर, जैसी निर्धारित की जाय, ऐसे विक्रेता को वापस किये गये किसी माल के सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा वापस की गयी धनराशि की कटौती के पश्चात, यदि कोई हो, से है ;

(क थ) **"विक्रय का आवर्त"** का तात्पर्य किसी व्यवहारी द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अन्य माध्यम से चाहे अपने स्वयं के लेखे से या किसी अन्य लेखे से विक्रय स्वरूप बेचे गये, सम्भरित किये गये या वितरित किये माल के विक्रय मूल्य की धनराशि के योग से है ;

(क द) **"यान"** का तात्पर्य माल की ढुलाई के लिए प्रयुक्त परिवहन के ऐसे किसी प्रकार के तरीके से, जिसमें माल की ढुलाई के लिए निर्मित या अनुकूलित मोटर यान या अन्य कोई मोटर यान, जो इस प्राकर निर्मित या अनुकूलित न हो जब उसे मात्र माल की ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाय, या जिसमें यात्री वाहन के अतिरिक्त पहिया वाले प्रत्येक वाहन और ऐसी खीचने या ठेलने वाली गाड़ी सम्मिलित है, जिसमें पशुचालित गाड़ी, पशु, ट्रेलर, ट्राली, साईकिल, रिक्शा वाहन भी है और परिवहन के ऐसे अन्य तरीके से है जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो;

(क ध) **"जलयान"** के अन्तर्गत कोई माल, जहाज, छोटी नौका, रैफ्ट, टिम्बर, बांस या तैरती हुई सामग्री जिसे किसी भी प्रकार से चलाया जाय ;

(क न) **"वेबसाइट"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के वर्ल्डवाइड वेब से है जिसमें "व्यापार कर एन आई सी आई एन" प्रक्षेत्र और "एच टी०टी०पी० व्यापार कर एन आई सी आई एन" पता है अथवा ऐसे अन्य वेबसाईट से है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ;

(क प) **"सकर्म संविदा"** के अन्तर्गत नकद आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के भवन निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण, ढांचा परिनिर्माण संस्थापन, ठीक-ठीक करना, सज्जीकरण सुधार उपान्तरण, मरम्मत या चालू करने के लिए निष्पादित करने हेतु कोई अनुबंध भी है।

# अध्याय - दो

## कर का भार, उदग्रहण और दर

कर का भार, उदग्रहण और दर

3- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यवहारी कराधेय माल के, यथा स्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के उतने कर योग्य आवर्त पर, प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए, इस अधिनियम के अधीन ऐसी दरों पर और विक्रय या क्रय के ऐसे बिन्दु पर, जैसा धारा-4 या धारा(5) के अधीन उपबन्धित है, कर के भुगतान करने का दायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कर का उदग्रहण, प्रत्येक व्यापारी से ऐसे विक्रयों और क्रयों पर किया और प्रमाणित किया जायेगा, जो ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात हो, जिसको व्यापारी, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान का दायी हो।

(2) जहाँ कोई व्यवहारी किसी कर निर्धारण वर्ष के भाग में कारबार करता है, तो वह, इस अधिनियम में निहित अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कराधेय माल के, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के कराधेय आवर्त पर, ऐसी दरों पर और विक्रय या क्रय के ऐसे बिन्दु पर, कर के भुगतान का दायी होगा जो धारा-4 या धारा-5 के अधीन उपबंधित है, जहाँ ऐसे विक्रय या क्रय उक्त अवधि के दौरान हों जिसमें वह उपधारा (3) या उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान के लिए दायी है।

(3) स्तम्भ (1) में उल्लिखित क्रम संख्या के सामने स्तम्भ (2) में उल्लिखित वर्ग के व्यवहारी, यथास्थिति, विक्रयों या क्रयों पर, दोनों पर कर का भुगतान करने के दायी होंगे, जहाँ माल के ऐसे विक्रय या क्रय उनके द्वारा नीचे सारिणी की उसी क्रम संख्या के सामने स्तम्भ (3) में उल्लिखित दिनांक को या उसके पश्चात किये जाएं।

**सारिणी**

| क्रमांक | व्यवहारियों का वर्ग | | दिनांक |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) |
| 1. | (एक) | व्यवहारी जिनका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इस अधिनियम के अधीन, दिनांक 1 जनवरी, 2008 से प्रभावी है। | 1 जनवरी, 2008 |
| | (दो) | व्यवहारी जिनका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन निर्गत है और 1 जनवरी, 2008 से विधि मान्य है। | |
| | (तीन) | व्यवहारी, जो 1 जनवरी, 2008 को प्रारम्भिक स्टॉक में कोई आयातित कराधेय माल धारण करते है। | |
| | (चार) | व्यवहारी, जो 1 जनवरी, 2008 को प्रारंभिक स्टॉक में कोई कराधेय माल रखते है जहाँ ऐसे मालों का विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकेजिंग किसी आयातित माल का प्रयोग या उपभोग करके की गयी है। | |
| | (पाँच) | व्यवहारी, जो 1 जनवरी, 2008 को प्रारंभिक स्टॉक में कोई कराधेय माल रखते है जहाँ ऐसे मालों का विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकेजिंग किसी ऐसे खरीदे गये माल का प्रयोग या उपभोग करके की गयी हो जिसका क्रय पूर्ववर्ती अधिनियम या उसके अधीन बनायी गई नियमावली के अधीन विहित घोषणा के किसी प्रपत्र या प्रमाण-पत्र को विक्रेता व्यापारी को देने के बाद किया गया हो। | |

| (1) | | (2) | (3) |
|---|---|---|---|
| | (छह) | व्यवहारी, जो 1 जनवरी, 2008 को प्रारम्भिक स्टॉक में कोई माल रखते है जहाँ ऐसे माल का क्रय पूर्ववर्ती अधिनियम या तद्धीन बनायी गई नियमावली के अधीन विहित घोषणा के किसी प्रपत्र या प्रमाण-पत्र विक्रेता व्यवहारी को देने के बाद किया गया हो ; | |
| | (सात) | व्यवहारी, जिन्होंने, इस अधिनियम के प्रारम्भ के कर निर्धारण वर्ष में, राज्य के भीतर से किसी माल के क्रय के एक मात्र कारबार या राज्य के भीतर किसी माल के विक्रय के एक मात्र कारबार या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, को 1 जनवरी, 2008 से पूर्व किसी दिनांक को प्रारम्भ किया हो; और<br>(क) जिसका, सभी मालों के ऐसे क्रय के आवर्त और ऐसे विक्रय के आवर्त का कुल योग, जैसा कि नीचे परिभाषित है, इस अधिनियम के प्रारम्भ के कर निर्धारण वर्ष के दौरान, ऐसे कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार के प्रथम दिन से, 1 जनवरी, 2008 को या उसके पूर्व, उपधारा (4) में यथा व्यवस्थित कराधेय मात्रा से अधिक हुआ है ; और<br>(ख) जिन्होंने खण्ड (क) में यथा उल्लिखित आवर्तों के अपने कुल योग के पूर्व अपने कारबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया है और उपधारा (4) में यथा व्यवस्थित कराधेय मात्रा को पार कर दिया है ; | |
| | (आठ) | व्यवहारी, जो इस अधिनियम के अधीन प्रथम कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व कर निर्धारण वर्ष के दौरान, किसी माल के, यथास्थिति, राज्य के भीतर से किसी माल के क्रय या राज्य के भीतर किसी माल के विक्रय या दोनों के एक मात्र कारबार को चला रहे है और ऐसे पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष के दौरान, नीचे यथा परिभाषित सभी मालों के ऐसे क्रय के आवर्त और ऐसे विक्रय के आवर्त का कुल योग उपधारा (4) में यथा व्यवस्थित कराधेय मात्रा से अधिक हो गया था ; | |
| | (नौ) | व्यवहारी, जिन्होंने इस अधिनियम के प्रारम्भ के वर्ष में 1 जनवरी, 2008 के पूर्व, ---<br>(क) किसी कराधेय माल का अन्तर्राज्यीय विक्रय किया है ; या<br>(ख) भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान विक्रय किया है; या<br>(ग) विक्रय के कारण के सिवाय राज्य के बाहर किसी कराधेय माल को पारेषित किया है और ऐसे मालों के विक्रय के बिना दूसरे राज्य में भेजा जाता है ; या<br>(घ) राज्य के बाहर किसी स्थान से किसी कराधेय माल को लाये है या प्राप्त किया है ; | |
| 2. | | व्यवहारी, जो किसी अन्य प्रकार के कारबार के साथ या उसके बिना 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात किसी कराधेय माल का आयात करते है। | दिनांक जिसको व्यवहारी प्रथम बार कराधेय माल प्राप्त करता है। |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 3. | व्यवहारी जो 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करते है | दिनांक जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रभावी है। |
| 4. | व्यवहारी जो किसी अन्य प्रकार के कारबार के साथ या उसके बिना, 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी कराधेय माल का विक्रय करते है। | दिनांक जिसको व्यवहारी अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी कराधेय माल के प्रथम विक्रय को करता है। |
| 5. | व्यवहारी, जो किसी अन्य प्रकार के कारबार के साथ या उसके बिना, 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात, किसी कराधेय माल का भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान विक्रय करता है या किसी छूट प्राप्त माल का ऐसा विक्रय करता है जहाँ ऐसे छूट प्राप्त माल के विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकेजिंग में किसी कराधेय माल का प्रयोग, उपभोग का उपयोग हुआ है। | दिनांक जिसको व्यवहारी माल के निर्यात के दौरान माल का प्रथम विक्रय करता है। |
| 6. | व्यवहारी, जो विक्रय के कारण के सिवाय, राज्य के बाहर किसी स्थान पर, 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात किसी अन्य प्रकार के कारबार के साथ या उसके बिना किसी कराधेय माल को पारेषित करते है और ऐसे माल को बिना विक्रय के अन्य राज्य को सुपुर्द किया जाता है। | दिनांक जिसको व्यवहारी राज्य के बाहर किसी कराधेय माल को प्रथम बार पारेषित करता है। |
| 7. | व्यवहारी, जो 1 जनवरी, 2008 के पूर्व किसी दिनांक से, किसी माल का, यथास्थिति, राज्य के भीतर से क्रय या राज्य के भीतर विक्रय या दोनों का एक मात्र कारबार चला रहे है या व्यवहारी जो 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात प्रारम्भ करते है, और<br>(एक) जिनका किसी कर निर्धारण वर्ष में, जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ का कर निर्धारण वर्ष सम्मिलित है, ऐसे कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार के प्रथम दिन से, सभी मालों के ऐसे क्रय का आवर्त और ऐसे विक्रय के आवर्त का योग। जनवरी, 2008 के पश्चात किसी दिनांक को इस धारा की उपधारा (4) में यथा उपबन्धित कराधेय मात्रा से अधिक होता है, और<br>(दो) जो खण्ड (क) में यथा उल्लिखित आवर्तों के अपने योग को इस धारा की उपधारा (4) में यथा व्यवस्थित कराधेय मात्रा से अधिक होने से पूर्व अपने कारबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही करते है | दिनांक, जिसको राज्य के भीतर से व्यवहारी के सभी मालों के क्रय के आवर्तों और राज्य के भीतर विक्रय के आवर्त या दोनों का योग, जैसी भी स्थिति हो, जैसा कि नीचे परिभाषित है, किसी कर निर्धारण वर्ष में प्रथम बार कराधेय मात्रा से अधिक होते है। |

| (1) | | (2) | (3) |
|---|---|---|---|
| 8. | | माल का परिवहनकर्ता या कोई अन्य संवाहक या अग्रसारण अभिकर्ता या रेल डिब्बा ठेकेदार जहाँ ऐसा परिवहनकर्ता, संवाहक या अग्रसारण अभिकर्ता या रेल डिब्बा ठेकेदार उत्तर प्रदेश में किसी माल के संबंध में परेषती या परेषक का नाम व पता उद्घाटित करने में विफल हो जाए या यदि परेषक या परेषिती का उद्घाटित नाम और पता मिथ्या, छलपूर्ण या पुष्टनीय न हो या बीजक चालान, परिवहन पावती या परेषण टीप या ऐसी प्रकृति का दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे, जो उसके कब्जे या उसके अभिरक्षा में पाये जाये या उसके वाहन में ले जाये जायें ; या गोदाम या शीत भण्डारगृह या भांडागार का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ऐसे गोदाम, शीतभंडारगृह या भांडारगार में भण्डारित किसी कराधेय माल के स्वामी का नाम और पता उद्घाटित करने में विफल रहे। | प्रथम दिनांक जिसको कोई कराधेय माल कब्जा या अभिरक्षा में पाया जाये। |
| 9. | | व्यवहारी जो ऊपर क्रम संख्या-1 से 8 तक के सामने उल्लिखित किसी वर्ग में नहीं आते है और धारा-18 के अधीन स्वेच्छा से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करते है। | दिनांक जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रभावी है। |

प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी, जो, यथास्थिति, छूट प्राप्त माल के क्रय या विक्रय या दोनों में एक मात्र रूप से व्यापार करता है, इस अधिनियम के अधीन कर का दायी नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण-(1)** इस उपधारा और उपधारा (5) के प्रयोजन के लिए पद "राज्य के भीतर से सभी मालों के क्रय आवर्त और राज्य के भीतर विक्रय के आवर्त या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, का योग" का तात्पर्य निम्नलिखित के आवर्त के योग से है :-

क-सभी कराधेय मालों का क्रय जहाँ ऐसे क्रय व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों से भिन्न व्यक्तियों से राज्य के भीतर किये जाये ; और

ख-खण्ड (क) में सम्मिलित माल के सिवाय सभी मालों का विक्रय जहाँ ऐसे विक्रय व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर किये जाये।

**स्पष्टीकरण- (2)** जहाँ व्यवहारी ऊपर दी गयी सारिणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित एक श्रेणी से अधिक के अन्तर्गत आता है तो वह ऊपर निर्दिष्ट सारिणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित सभी दिनांक में से पूर्वतम दिनांक से कर के भुगतान के लिए दायी होगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कराधेय मात्रा 5 लाख रूपये होगी।

(5) प्रत्येक व्यवहारी जो एक बार कर के भुगतान के लिए दायी हो गया है इस प्रकार दायी बना रहेगा जब तक वह अपने कारबार को विच्छेदित कर दे ;

(6) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित का अवधारण विहित रीति से किया जायेगा ;

(क) माल के विक्रय का आवर्त

(एक) संविदा सकर्म के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त जिसमें माल में सम्पत्ति का अन्तरण हो ; या

(दो) किसी माल के प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण के मामले में

(ख) विक्रय के कराधेय आवर्त, और

(ग) क्रय का कराधेय आवर्त।

(7) जहाँ संविदा सकर्म के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल में सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में, ठेकेदार उचित लेखों का अनुरक्षण न कर या उसके द्वारा अनुरक्षित लेखे कर अवधारण अधिकारी को विश्वास योग्य प्रतीत न हो और श्रम और अन्य सेवाओं के प्रभारों के प्रति उपगत यथार्थ धनराशि और श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित लाभ उपधारा (6) के खण्ड (क) के उप खण्ड-(एक) के अधीन माल के विक्रय के आवर्त का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चेय न हों, श्रम और अन्य सेवाओं के ऐसे प्रभारों और ऐसे लाभों का अवधारण संविदा सकर्म के मूल्य में से ऐसे प्रतिशत की कटौती के आधार पर किया जा सकता है, जैसा कि विहित किया जाये और संविदा सकर्म के विभिन्न प्रकारों के लिए विभिन्न प्रतिशत विहित किये जा सकते हैं।

(8) कर की धनराशि, जिसके लिए व्यवहारी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन भुगतान करने के लिए दायी है, का भुगतान विहित रीति से किया जायेगा।

(9) इस अधिनियम में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किन्हीं मालों का किसी पैकेजिंग सामग्री के साथ विक्रय या क्रय किया जाये, पैकिंग सामग्री का विक्रय या क्रय, इस तथ्य के होते हुए भी, कि ऐसे माल और ऐसी पैकिंग सामग्री के विक्रय या क्रय की संविदा, यथास्थिति, मालों के विक्रय या क्रय के मूल्य से पृथक किये गए है और पैकिंग सामग्री को पृथक से प्रदर्शित किया गया है,

(क) ऐसी पैकिंग सामग्री के साथ विक्रय या क्रय किये गये माल के विक्रय या क्रय पर प्रयोज्य दर पर इस अधिनियम के अधीन कर का दायी ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कर का दायी नहीं यदि व्यवहारी के ऐसे माल का विक्रय या क्रय कर से छूट प्राप्त है।

(10) जहाँ कर की देनदारी है और, यथास्थिति, किसी माल के विक्रय के किसी आवर्त या क्रय के किसी आवर्त या दोनों पर अपने स्वामी की ओर से कमीशन एजेन्ट द्वारा इस प्रकार भुगतान कर दिया गया है तो स्वामी ऐसे आवर्त के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने का दायी नहीं होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, किसी फर्म या व्यक्तियों के संघ का विघटन या हिन्दू अविभक्त परिवार का विभाजन या व्यवसायी द्वारा अपने कारबार के अन्तरण के कारबार की समाप्ति या विच्छेदन समझा जायेगा।

विक्रय के आवर्त पर कर का उद्ग्रहण

4-(1) इस अधिनियम के अधीन माल के विक्रय पर देय कर का उदग्रहण किया जायेगा और विक्रय के कराधेय आवर्त पर निम्न प्रकार भुगतान किया जायेगा ---

(क) अनुसूची दो के स्तम्भ 2 में नामित या वर्णित माल, विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर और चार प्रतिशत की दर पर,

(ख) अनुसूची तीन के स्तम्भ 2 में नामित या वर्णित माल, विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर और एक प्रतिशत की दर पर,

(ग) अनुसूची चार के स्तम्भ 2 में नामित या वर्णित माल, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विक्रय के बिन्दु पर और ऐसे माल के सामने अनुसूची के स्तम्भ 4 में उल्लिखित कर की दर पर,

(घ) अनुसूची पाँच के स्तम्भ 2 में नामित या वर्णित माल, विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर और साढ़े बारह प्रतिशत की दर पर,

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूची (4) के स्तम्भ 2 में उल्लिखित माल के सम्बन्ध में, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विभिन्न मालों या मालों के वर्ग के संबंध में कर की विभिन्न दरें घोषित कर सकती है, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

प्रतिबन्ध यह और भी कि अनुसूची (दो) के स्तम्भ 2 में उल्लिखित या वर्णित वस्त्र अ
चीनी, खाण्डसारी चीनी के सिवाय, के विक्रय के आवर्त पर ऐसे दिनांक से और ऐसी दर पर व
का दायी होगा जो चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित द
जायेगी।

(2) किसी अनुसूची की किसी प्रविष्ट के सम्बन्ध में, ऐसी अनुसूची के नीचे दिया गय
अर्थ या स्पष्टीकरण का, यदि कोई हो, ऐसी अनुसूची की ऐसी प्रविष्टि का भाग समझा जायेगा।

(3) जहाँ किसी माल का बिक्रेता व्यवहारी, माल के क्रेता से कर बीजक, विक्रय
बीजक, कैशमेमो या बिल पर पृथक से ऐसे माल के विक्रय के आवर्त पर उसके द्वारा देय कर
की धनराशि का संग्रह करने का हकदार नहीं है तो ऐसे विक्रय के आवर्त पर उसके द्वारा देय
कर की धनराशि की गणना निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके की जायेगी—

$$\text{देय कर की धनराशि} = \frac{\text{कर की दर} \times \text{विक्रय मूल्यों का योग}}{100 + \text{कर की दर}}$$

(4) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी अनुसूची की किसी प्रविष्टि को
संशोधित कर सकती है, किसी अनुसूची में किसी नई प्रविष्टि की वृद्धि कर सकती है और इसी
प्रकार किसी अनुसूची की किसी प्रविष्टि का लोप कर सकती है।

(5) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किये जाने के पश्चात
यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के सामने प्रस्तुत की जायेगी जब उसका सत्र
14 दिन से अन्यून कुल अवधि के लिए चल रहा हो, तो चाहे एक सत्र में हो या एक से अधिक
उत्तरवर्ती सत्रों में हो, और जब तक कोई पश्चातवर्ती दिनांक नियत न किया जाये, तो
विधानमण्डल के दोनों सदनों द्वारा ऐसे उपान्तरों या निष्प्रभावीकरण के अधीन रहते हुए, जिसके
लिए उक्त अवधि के दौरान सदन सहमत हुए हों, तथापि, कोई ऐसा उपान्तर या निष्प्रभावीकरण
पूर्व में पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, सिवाय
उसके कि कर या शास्ति का कोई अधिरोपण, निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह उक्त उपान्तर या
निष्प्रभावीकरण के अधीन होगा।

क्रय के आवर्त पर कर का उद्ग्रहण

5-(1) प्रत्येक व्यवहारी जो कारबार के दौरान किसी कराधेय माल का क्रय करता है—

(एक) रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति से गैर-वैट माल से भिन्न या

(दो) गैर-वैट माल, जिसके पूर्ववर्ती विक्रय या क्रय पर या तो पूर्व अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर के उद्ग्रहण की हानि नहीं हुई हो,

यथास्थिति, गैर-वैट माल या गैर वैट माल के क्रय के आवर्त या दोनों के सिवाय ऐसे कराधेय माल के क्रय के आवर्त पर कर का भुगतान करने का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (एक) या खण्ड (दो) में निर्दिष्ट कराधेय माल के क्रय के आवर्त पर कर का उद्ग्रहण उसी दर से किया जायेगा जिससे धारा-4 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे माल के विक्रय के आवर्त पर कर का दायी है।

करदायित्व का समाधान

6-(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के होते हुए भी, लेकिन इस धारा के अन्य उपबन्धों और राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए, कर निर्धारण अधिकारी विक्रय के उसके आवर्त पर या तो एक मुश्त या कर के स्थान पर सहमत दर पर समाधान राशि स्वीकार करने के लिए सहमत हो सकता है जो व्यवहारी द्वारा ऐसे माल के या माल के वर्ग के सम्बन्ध में और ऐसी अवधि के लिए जिस पर सहमति हुई हो, देय हो सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यवहारी जो राज्य के भीतर माल के पुन: विक्रय का एक मात्र कारबार राज्य के भीतर से उसके क्रय के पश्चात करता है और किसी कर निर्धारण वर्ष में जिसका ऐसे माल के विक्रय का आवर्त पचास लाख रुपये से न तो अधिक होने की सम्भावना है और न ही ऐसे कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में उसका ऐसा आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक हुआ है, तो राज्य सरकार ऐसे माल के विक्रय पर दर प्रतिशत अधिसूचित कर सकती है। विभिन्न मालों के लिए विभिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह और भी है कि कर की दर में कोई परिवर्तन, जो ऐसी सहमति के दिनांक के पश्चात प्रवृत हो सकता है, एकमुश्त या कर निर्धारण की अवधि के उस भाग के संबंध में, जबकि परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, सहमत दर में समनुपाती परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप होगा

(2) कोई व्यवहारी, जो इस धारा के अधीन एक मुश्त भुगतान का विकल्प लेता है ऐसे माल के विक्रय के सम्बन्ध में धारा 13 के अधीन इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा करने का हकदार नहीं होगा जो माल उस अवधि के दौरान, उसके द्वारा पुन: विक्रय किये जाते है जिसमें वह, यथास्थिति, कर के भुगतान या एक मुश्त का इस धारा के अधीन या माल के क्रय के संबंध में दायी है, जिसका प्रयोग, उपभोग या उपयोग माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में हुआ हो जो माल उसके द्वारा ऐसी अवधि के दौरान विक्रय किये जाते है और जहाँ व्यवहारी ने किसी ऐसे माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा किया है तो वह परिवर्तित माना जायेगा और व्यवहारी धारा-14 के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा।

(3) कोई व्यवहारी, जो इस धारा के अधीन, यथास्थिति, कर के भुगतान का एकमुश्त का विकल्प लेता है किसी कर बीजक को जारी नहीं करेगा और कर के रूप में या भिन्न नाम या संज्ञा दे कर माल के क्रेता से कोई धनराशि नहीं वसूलेगा।

(4) कोई व्यवहारी जो किसी व्यवहारी से किसी माल का क्रय करता है और जिसने इस धारा के अधीन, यथास्थिति, कर के भुगतान का एकमुश्त धनराशि का विकल्प लिया है, ऐसे व्यवहारी से क्रय किये गये माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

कतिपय विक्रयों और क्रयों पर कर का उदग्रहण न किया जाना

7-इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित के आवर्त पर किसी कर का उद्ग्रहण और भुगतान नहीं किया जायेगा —

(क) विक्रय या क्रय जहाँ ऐसे विक्रय या क्रय निम्न स्थितियों में हो —

(एक) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान ; या

(दो) राज्य के बाहर; या

(तीन) भारत की सीमा से बाहर निर्यात या सीमा के अन्दर आयात के दौरान,

(ख) अनुसूची एक के स्तम्भ 2 में नामित या वर्णित किसी माल का क्रय या विक्रय ; या

(ग) ऐसा विक्रय या क्रय, या ऐसे माल का विक्रय या क्रय व्यवहारियों के ऐसे वर्ग द्वारा, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ग) के अधीन अधिसूचना जारी करते समय, राज्य सरकार ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों को अधिरोपित कर सकती है जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाय :

**स्पष्टीकरण** :- इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 और 5 क्रमशः इस निर्धारण पर प्रवृत्त होगी कि क्या किसी का विशिष्ट विक्रय या क्रय खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) (दो) और (तीन) में से किसी के अधीन आता है या नहीं।

कर बीजक और विक्रय बीजक का छलपूर्ण निर्गमन और प्राप्ति पर दायित्व

8-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए और धारा-54 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहाँ यह पाया जाए कि किसी व्यक्ति ने ऐसे बीजक में प्रदर्शित माल के यथार्थ विक्रय के बिना कर बीजक या विक्रय बीजक निर्गमित किया है तो बिक्रेता व्यवहारी और क्रेता व्यवहारी जिसने ऐसा बीजक प्राप्त किया है संयुक्त रूप से और पृथक रूप से, ऐसे बीजक में प्रभारित की गयी प्रदर्शित कर की धनराशि के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिए दायी होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

फर्म, व्यक्तियों के संघ और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का दायित्व

9-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहाँ व्यवहारी, फर्म या व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है:-

(क) ऐसी फर्म का संघ और प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी फर्म का भागीदार या ऐसे संघ का सदस्य या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य है, संयुक्त रूप से, और पृथक रूप से, निर्धारित कर और अधिरोपित शास्ति का इस अधिनियम के अधीन देय किसी धनराशि के भुगतान करने का दायी होगा जो ऐसी फर्म या संघ या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा देय है ; और

(ख) जहाँ ऐसी फर्म या संघ या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ने अपना कारबार विघटित कर दिया है,—

(एक) इस अधिनियम के अधीन ऐसी फर्म या संघ या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को कारबार के ऐसे विघटन के दिनांक तक देय शास्ति सहित, कर निर्धारित तथा अवधारित किया जायेगा मानो ऐसा कोई विघटन हुआ ही न हो ; और

(दो) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार के इस प्रकार विघटन के समय उक्त फर्म का साझीदार अथवा उक्त संघ या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य था, इस प्रकार विघटन के होने पर भी, उक्त फर्म या संघ या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा निर्धारित कर तथा आरोपित शास्ति का पृथक-पृथक तथा संयुक्त रूप से देनदार होगा, चाहे ऐसा कर निर्धारण या शास्ति आरोपण ऐसे विघटन के पूर्व अथवा पश्चात किया जाए, तथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानों प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अथवा साझीदार स्वयं ही व्यवहारी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसा मालूम हो कि फर्म या संघ के संगठन में परिवर्तन हुआ है तो पुनः संगठित फर्म या संघ तथा उस फर्म या संघ के साझीदार या सदस्य संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक, शास्ति सहित, यदि कोई हो, ऐसे कर के देनदार होंगे जो पुनः संगठन के पहले के किसी अवधि के लिए उक्त फर्म या संघ द्वारा देय हो।

(2) जहाँ किसी व्यवहारी के कारबार के स्वामित्व का, जो कर का दायी हो, अन्तरण हो जाय तो अन्तरणकर्ता और अन्तरिती संयुक्त रूप से और पृथक रूप से कर का भुगतान करने के दायी होंगे, जिसमें ऐसे कारबार के सम्बन्ध में ऐसे अन्तरण के समय तक देय शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित है चाहे कर निर्धारण या शास्ति ऐसे अन्तरण के पूर्व या पश्चात किया जाय या अधिरोपित की जाय।

(3) जहाँ कर, जिसमें शास्ति सम्मिलित है, यदि कोई हो, उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन पुनः संगठित फर्म या संघ से या उपधारा (2) के अधीन अन्तरिती से वसूल किया जाय तो ऐसी फर्म या संघ या अन्तरिती उस व्यक्ति से उसे वसूल करने का हकदार होगा, जो मूल रूप से कर के भुगतान करने का दायी था।

मृत व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा

10- (1) यदि किसी व्यवहारी की मृत्यु हो जाय, तो उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ व्यवहारी समझा जायेगा और उक्त मृत व्यवहारी के कारबार के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध इस पर लागू होंगे :-

प्रतिबन्ध यह है कि —

(क) मृतक के किसी दायित्व के सम्बन्ध में उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि केवल मृतक की प्राप्त परिसम्पत्तियों तक देनदार होगा;

(ख) कोई भी कार्यवाही जिसके अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही भी है, उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस पर वह व्यवहारी की मृत्यु के समय लम्बित थी,

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी ऐसे व्यवहारी पर, जो भागीदारी फर्म हो और जिसके किसी भागीदार की मृत्यु के फलस्वरूप वह विघटित हो जाए, यथाआवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

नाबालिग या असमर्थ व्यक्ति के मामले में कर दायित्व

11-यदि किसी नाबालिग या किसी असमर्थ व्यक्ति की ओर से तथा उसके लाभ के लिए कोई संरक्षक, न्यासी या एजेन्ट पर, जो भी हो, उसी प्रकार और उसी सीमा तक कर लगाया जायेगा तथा उससे वसूल किया जायेगा जैसा कि ऐसे नाबालिग या असमर्थ व्यक्ति पर निर्धारित किया जाता तथा उससे वसूल किया जाता, यदि वह बालिग व समर्थ होता और यदि वह अपना कारबार स्वयं करता होता और ऐसी दशा में इस अधिनियम के सब उपबंध और उनके अधीन बने नियम लागू होंगे।

प्रतिपाल्य अधिकरण के मामले में दायित्व

12-यदि किसी कारबार का स्वामी ऐसा व्यक्ति है, जिसकी सम्पत्ति या उसका कोई भाग प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, राजकीय न्यासी, रिसीवर या व्यवस्थापक (जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है चाहे उसकी उपाधि कुछ भी हो, जो व्यवहारी की ओर से यथार्थ में उसके व्यापार का प्रबन्ध करता हो) जो व्यवहारी द्वारा या किसी न्यायालय की आज्ञा से नियुक्त किया गया हो, तो कर ऐसे प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, राजकीय न्यासी, रिसीवर या व्यवस्थापक पर उसी प्रकार लगाया जायेगा जैसा कि वह उस व्यवहारी पर लगाया जाता या उससे लिया जाता, यदि वह अपना कारबार स्वयं करता होता और उस दशा में, इस अधिनियम के सब उपबंध और उसके अधीन बनाये नियम उसी प्रकार लागू होंगे।

इनपुट टैक्स क्रेडिट

13- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित खण्डों में निर्दिष्ट और विधि मान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यवहारियों को, राज्य के भीतर से क्रय किये गये कराधेय माल के सम्बन्ध में और इन खण्डों में उल्लिखित, इनमें दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, और ऐसी अन्य शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन जो विहित किये जायं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में सुसंगत खण्ड द्वारा उपबन्धित तक या अधीन धनराशि का क्रेडिट अनुमन्य किया जायेगा :-

(क) स्तम्भ (2) में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, गैर वैट माल, पूँजी माल और केपटिव विद्युत संयन्त्र के सिवाय सभी कराधेय माल के सम्बन्ध में कर के भुगतान के दायी प्रत्येक व्यवहारी को, जहाँ ऐसे कराधेय माल का क्रय इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनाँक को या उसके पश्चात किया जाय,

नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में दी गई सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में धनराशि का क्रेडिट अनुमन्य होगा :-

## सारणी

| क्रम संख्या | शर्तें | इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की सीमा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1- | यदि क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया जाय-<br>(एक) राज्य के अन्दर, या<br>(दो) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, या<br>(तीन) भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान | इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि |
| 2- | यदि क्रय किये गये माल का प्रयोग निम्नलिखित के विनिर्माण में किया जाय-<br>(एक)गैर-वैट माल के सिवाय कोई माल और जहाँ ऐसे विनिर्मित माल भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान विक्रय किये जाएं,— या<br>(दो) गैर-वैट माल के सिवाय कोई कराधेय माल और जहाँ ऐसे विनिर्मित माल या तो राज्य के अन्दर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय किया जाय :- | इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि |
| 3- | यदि क्रय किये गये माल—<br>(एक) विक्रय के परिणाम से भिन्न राज्य के बाहर अन्तरित या परेषित किये जायें ; या<br>(दो) गैर-वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में प्रयोग किये जायें और ऐसे विनिर्मित माल को, विक्रय के परिणाम से भिन्न, राज्य के बाहर अन्तरित या परेषित किया जाय। | क्रय मूल्य के इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 की उपधारा(1) के अधीन विहित दर से अधिक है, जिस पर व्यवहारी ने या तो रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी या राज्य सरकार को कर का भुगतान किया है। |

(ख) इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्येक व्यवहारी को अनुमन्य होगा, यदि वह ऐसे दिनाँक को या उसके पश्चात जिसको व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी होता है, क्रय किये गये पूँजी माल के सम्बन्ध में कर के भुगतान का दायी हो यदि ऐसे माल का प्रयोग निम्नलिखित के विनिर्माण में किया जाना हो -

(ख-1) गैर-वैट माल के सिवाय कराधेय माल और जहाँ ऐसे विनिर्मित माल का -

(एक) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा के बाहर माल का निर्यात करने के दौरान राज्य के भीतर विक्रय किया जाये ; या

(दो) विक्रय के परिणाम से भिन्न राज्य के बाहर अन्तरित या परेषित किया जाय ;

(ख-2) गैर-वैट माल के सिवाय छूट प्राप्त माल हों और जहाँ ऐसे विनिर्मित माल का विक्रय भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान किया जाए।

(ग) खण्ड (क) के अधीन सारिणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यवहारी को जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनाँक को कर का भुगतान करने का दायी है, गैर-वैट माल, पूँजी माल और केपटिव विद्युत संयत्र के सिवाय सभी कराधेय मालों के सम्बन्ध में, जहाँ ऐसे मालों का क्रय 1 जनवरी, 2008 को समाप्त होने वाली छह मास की अवधि के भीतर किया गया हो और जहाँ ऐसे माल :-

(एक) 1 जनवरी, 2008 को उसी रूप में और दशा में जिसमें वे क्रय किये गये थे, प्रारम्भिक स्टाक में धृत हों ; या

(दो) तैयार या अर्ध तैयार माल (गैर-वैट माल के सिवाय कराधेय माल के विनिर्माण की प्रक्रिया में) या गैर-वैट माल के सिवाय तैयार कराधेय माल, और ऐसे तैयार या अर्द्ध तैयार माल 1 जनवरी, 2008 को प्रारम्भिक स्टाक में धृत हों ; और

(तीन) पूर्व अधिनियम के अधीन कर के उदग्रहण की हानि उठाई हो,

उक्त सारिणी की सुसंगत प्रविष्टि के सामने स्तम्भ (3) में यथा व्यवस्थित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में इनपुट टैक्स की आंशिक या पूर्ण धनराशि का क्रेडिट अनुमन्य होगा और इस प्रयोजन के लिये इनपुट टैक्स की धनराशि की संगणना विहित रीति से की जायेगी।

(घ) खण्ड (क) के अधीन सारिणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यवहारी को, जो गैर-वैट माल, पूँजी माल और कैप्टिव विद्युत संयंत्र के सिवाय सभी कराधेय मालों के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 2008 के पश्चात किसी दिनाँक को कर का भुगतान करने का दायी होता है, जहाँ ऐसे कराधेय मालों का क्रय, 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात लेकिन उस दिनाँक से पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली छह मास की अवधि के भीतर, जब ऐसा व्यवहारी कर के भुगतान का दायी हो गया है, किया गया हो और, —

(एक) ऐसे दिनाँक को जब व्यवहारी कर के भुगतान का दायी हो गया है, उसी रूप और दशा में, जिसमें वे क्रय किये गये थे, प्रारम्भिक स्टाक में धृत हो;

(दो) गैर-वैट माल के सिवाय, अर्द्ध तैयार माल (गैर-वैट माल के सिवाय कराधेय माल के विनिर्माण की प्रक्रिया में) या तैयार कराधेय माल के विनिर्माण में प्रयोग किये गये हों और ऐसे अर्द्ध तैयार या तैयार माल ऐसे दिनाँक को प्रारम्भिक स्टाक में धृत हो जब व्यवहारी कर के भुगतान का दायी हो गया है ; या

(तीन) क्रेता व्यवहारी के नाम और पते वाला विक्रय बीजक प्राप्त करने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से क्रय किया गया है,

उक्त सारणी की सुसंगत प्रविष्टि के सामने स्तम्भ-3 में यथा व्यवस्थित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में इनपुट टैक्स की आंशिक या पूर्ण धनराशि का क्रेडिट अनुमन्य होगा और इस प्रयोजन के लिये इनपुट टैक्स की धनराशि की संगणना विहित रीति से की जायेगी।

(ङ) प्रत्येक व्यवहारी के, जो गैर-वैट माल, पूँजी माल और केपटिव विद्युत संयंत्र के सिवाय सभी कराधेय माल के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने का दायी है और जो धारा-6 के उपबन्धों के अधीन कर के भुगतान का या एक मुश्त का विकल्प लेता है जो माल ऐसी अवधि के अन्त में स्टाक में धृत हों, जिसके दौरान धारा-6 के उपबन्ध प्रयोज्य रहते हैं, ऊपर खण्ड (क) से (घ) तक के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति, इनपुट टैक्स की पूर्ण या आंशिक धनराशि का या डीम्ड इनपुट टैक्स का क्रेडिट अनुमन्य किया जायेगा, जो भी प्रयोज्य हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि राज्य सरकार धारा 4 की उपधारा (1) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना में निर्दिष्ट चीनी या वस्त्र के विक्रय के सम्बन्ध में कर की दर और कर का बिन्दु विहित करने वाली अधिसूचना जारी न करे, तब तक, उक्त माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिये क्रय किये गये माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई सुविधा, उपर्युक्त किसी भी खण्ड के अधीन अनुमन्य नहीं होगी

**स्पष्टीकरण :-** इस उपधारा के प्रयोजन के लिये,—

(क) खण्ड (क) के अधीन सारिणी की क्रम संख्या 1 के सामने प्रविष्टि में संविदा संकर्म के निष्पादन में अन्तर्गस्त माल में (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति का अन्तरण सम्मिलित है ;

(ख) किसी माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिये अपेक्षित माल में केपटिव विद्युत संयन्त्र, या केपटिव विद्युत संयन्त्र के पुर्जे, संघटक और सहायक सामग्री या केपटिव विद्युत संयन्त्र को चलाने या अनुरक्षण करने के लिये अपेक्षित कोई अन्य माल सम्मिलित नही है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सभी कराधेय माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की पूर्ण या आंशिक धनराशि का क्रेडिट, विकासकर्ता, सह विकासकर्ता और विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में प्राधिकृत कार्यों के लिये स्थापित इकाइयों के लिये ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमन्य किया जा सकता है जिन्हे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय।

**स्पष्टीकरण :-** इस उपधारा के प्रयोजन के लिये शब्द "सह विकासकर्ता" या "विकासकर्ता" और पद "विशेष आर्थिक परिक्षेत्र" या "प्राधिकृत कार्य" के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, 2005 में समनुदेशित है।

(3) जहाँ क्रय किये गये माल का प्रयोग या निस्तारण उपधारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये आंशिक रूप से हो, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा और अनुमन्यता उसी सीमा के अनुपात में होगी जिसमें वे ऐसे खण्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग या निस्तारित किये जाते है।

(4) इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाई गयी नियमावली के किसी उपबन्ध में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी माल के क्रय के सम्बन्ध में जिसके विषय में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा अनुमन्य है, इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट का अस्थाई रूप से उस दिनाँक को दावा किया जा सकता है जिसको ऐसे माल से सम्बन्धित कर बीजक व्यवहारी को प्राप्त हो और जहाँ व्यवहारी स्वयं किसी माल के क्रय के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिये ऐसे दिनाँक को दायी है, जिसको देय कर की धनराशि उसके द्वारा देय कर के खाते में व्यवहारी द्वारा जमा कर दी जाती है।

(5) जहाँ किसी व्यवहारी ने उपधारा (4) के अधीन किसी माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है लेकिन ऐसा माल, या ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित माल, या ऐसे माल का प्रयोग या उपभोग करके पैकिंग किये गये माल को राज्य के बाहर परेषित किये जाते है या ऐसी रीति से निस्तारित या अपने पास से हटाये जाते है जिसके लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा अनुमन्य नहीं है या ऐसी सुविधा इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि के लिए अनुमन्य है, तो इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि के अन्तर की धनराशि इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि में से, जिसका दावा पहले ही व्यवहारी द्वारा अनुरक्षित इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखे में ऐसी धनराशि घटा कर किया गया था, कटौती कर ली जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि घटाने के पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि के अन्तर की धनराशि व्यवहारी द्वारा अनुरक्षित इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखे में उस दिनाँक को जमा की जायेगी जिसको --

(एक) माल, जिसके सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि के क्रेडिट का दावा किया गया था ; या

(दो) ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित माल जिसके सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि के क्रेडिट का दावा किया गया था ; या

(तीन) जहाँ उस माल का, जिसके सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि के क्रेडिट का दावा किया गया था प्रयोग या उपभोग ऐसे माल की पैकिंग में किया जाए और ऐसे पैकिंग किए गए माल को राज्य के बाहर परेषित किया जाय ; या व्यवहारी द्वारा ऐसी रीति से निस्तारित या अपने पास से हटाया जाए जिसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा अनुमन्य नहीं है या ऐसी सुविधा इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि के लिए अनुमन्य है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ व्यवहारी अपना कारबार समाप्त करे, इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि, जिसका उपधारा(4) के अधीन दावा किया गया था, निम्न के सम्बन्ध में, -

(एक) व्यवहारी द्वारा धृत माल उसी रूप और दशा में हो जिसमें उन्हें क्रय किया गया था ; या

(दो) माल, जिनका प्रयोग व्यवहारी द्वारा धृत किसी माल के विनिर्माण में किया गया था, (चाहे अर्द्ध विनिर्मित या विनिर्मित अवस्था में हो) ;

(तीन) माल, जिनका प्रयोग या उपभोग व्यवहारी द्वारा धृत किसी माल के पैकिंग में किया गया है ;

उस दिन के अन्तिम स्टाक में, जिस दिन उसने अपना कारबार समाप्त किया, उस कर अवधि की कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिये विहित कर अवधि की समाप्ति के पूर्व, जिसमें कारबार समाप्त किया जाता है, व्यवहारी द्वारा अनुरक्षित इनपुट टैक्स क्रेडिट के खाते में जमा किया जायेगा।

(7) सिवाय इसके कि जहाँ -

(क) क्रय किये गये माल ; या

(ख) विनिर्मित माल, जिनका विनिर्माण क्रय किये गये माल का प्रयोग करके किया जाता है ; या

(ग) पैक किये गये माल, जिन्हें क्रय किये गये माल का प्रयोग करके या उनका उपभोग करके पैक किया जाता है

भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान बेचे जाने हों, उपधारा 4, के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा इनपुट टैक्स की किसी धनराशि के जमा का दावा नहीं किया जाएगा और किसी माल के क्रय के सम्बन्ध में किसी व्यवहारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहाँ ---

(एक) धारा 7 के खण्ड(ग) के अधीन व्यवहारी द्वारा ऐसे माल का विक्रय किया जाना कर के भुगतान से मुक्त हो; या

(दो) ऐसे माल का उपयोग या उपभोग किसी माल के विनिर्माण या पैकिंग में किया जाना हो और व्यवहारी द्वारा ऐसे विनिर्मित या पैक किये गये माल का विक्रय धारा 7 के या तो खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन कर संदाय से मुक्त हो।

(8) किसी कर अवधि और किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की संगणना विहित रीति से की जाएगी और ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाय, उसका दावा किया जाएगा और उसे अनुज्ञात किया जाएगा।

(9) जहाँ राज्य के भीतर से क्रय किये गये किसी माल का विक्रय किसी मालिक द्वारा किसी विक्रयकर्ता अभिकर्ता के माध्यम से किया जाता है या जहाँ किन्ही माल का क्रय किसी मालिक की ओर से किसी क्रयकर्ता अभिकर्ता द्वारा किया जाता है वहाँ ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा मालिक द्वारा उस रीति से, जैसा कि विहित किया जाय, किया जाएगा और उसे अनुज्ञा होगी।

(10) व्यवहारी, जो इस धारा के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करता है, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट और माल की सूची के सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसे अभिलेख अनुरक्षित करेगा और ऐसे विवरण प्रदान करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(11) जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी व्यवहारी द्वारा प्रदान किये गये किसी विवरण में दर्शायी गयी इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि असत्य है या विश्वास के योग्य नहीं है, वहाँ ऐसे व्यवहारी को सुनवायी का युक्ति-युक्त अवसर दिये जाने के पश्चात और ऐसी जाँच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् वह लिखित रूप में आदेश करके, यथास्थिति, इनपुट टैक्स की धनराशि या इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का अवधारण कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ मामला धारा 24 के अधीन जमा की गयी किसी कर विवरणी या इस अध्यादेश की किसी धारा के अधीन किन्हीं निर्धारण कार्यवाहियों से सम्बन्धित है वहाँ कार्यवाहियाँ सुसंगत धाराओं के उपबंधों के अनुसार पूर्ण की जाएगी।

**स्पष्टीकरण** : (1) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ---

(एक) किसी माल के विनिर्माण में प्रयोग हेतु माल के अन्तर्गत ऐसे माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग, उपभोग या उपयोग हेतु अपेक्षित माल या ऐसे विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल के पैकिंग में प्रयोग के लिए अपेक्षित माल सम्मिलित है।

(दो) किसी माल के विनिर्माण के अन्तर्गत ऐसे माल का प्रसंस्करण और ऐसे विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल की पैकिंग सम्मिलित है ; और

(तीन) जहाँ किसी कराधेय माल के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान कोई छूट प्राप्त माल उपोत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पादित किये जाय वहाँ यह समझा जाएगा कि क्रय किये गये माल का उपयोग कराधेय माल के विनिर्माण में किया गया है। स्पष्ट रूप से, जहाँ किसी छूट प्राप्त माल के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान किन्हीं कराधेय माल का उत्पादन, उपोत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में किया जाता है वहाँ यह समझा जाएगा कि क्रय किये गये माल का उपयोग छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में किया गया है।

उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट

14-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप, राज्य सरकार ऐसी परिस्थितियाँ और माल विहित कर सकती है जिनमें ऐसे माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का न तो दावा किया जायेगा और न तो उसे अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) जहाँ किसी माल के सम्बन्ध में किसी व्यवहारी ने पहले ही इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के विरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया हो या किसी माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिथ्या दावा किया हो, वहाँ उस सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रसुविधा, जो अनुमन्य न हो, उत्क्रमित रहेगी और उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि को उस कर अवधि में व्यवहारी द्वारा पहले ही दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि से कटौती कर ली जाएगी, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट घटित हुआ है :

प्रतिबंध यह है कि जहाँ उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट को जन्म देने वाली घटना, ऐसी कर अवधि, जिसमें ऐसी स्थिति हुई हो, के लिए कर विवरणी को प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात की जानकारी व्यवहारी को होती है वहाँ व्यवहारी को स्थिति का संज्ञान होने के पश्चात ऐसी कर अवधि, जिसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो, की कर विवरणी जमा करने के लिए अनुवर्ती पिछले दिनांक को प्रारम्भ होने वाली और ऐसे दिनांक, जिस दिनांक को धनराशि जमा की गयी हो, को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रति वर्ष पन्द्रह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि का, तीस दिन के भीतर भुगतान करने के लिए व्यवहारी दायी होगा।

संदेय कर की शुद्ध धनराशि और कर दायित्व से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का निरूपण

15-(1) किसी कर अवधि के लिए, संदेय कर की शुद्ध धनराशि की संगणना निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग करते हुए की जाएगी :-

किसी अवधि के लिए संदेय कर की शुद्ध धनराशि = ऐसी अवधि के लिए संदेय कर की सकल धनराशि - उक्त अवधि के लिए अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की सकल धनराशि

जहाँ,—

(क) उक्त अवधि के लिए संदेय कर की सकल धनराशि निम्नलिखित धनराशियों का योग हो :-

(एक) कर अवधि के दौरान किये गये माल के विक्रय के आवर्त पर संदेय कर ;

(दो) कर अवधि के दौरान किये गये माल के क्रय के आवर्त पर संदेय कर ;

(तीन) धारा 6 के उपबंधों के अधीन संदेय, यथास्थिति, उक्त अवधि के दौरान किये गये विक्रय के आवर्त पर कर या उक्त अवधि के दौरान देय होने वाली एकमुश्त धनराशि की किश्त ;

(चार) संदेय कर की कोई अन्य धनराशि ; और

(ख) उक्त अवधि के लिए अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की सकल धनराशि निम्नलिखित धनराशियों का योग हो -

(एक) उक्त अवधि के दौरान किये गये माल के क्रय के सम्बन्ध में दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट में से उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट, यदि कोई हो, की धनराशि को घटाएं ;

(दो) ठीक पूर्ववर्ती कर अवधि से अग्रेनीत इनपुट टैक्स क्रेडिट ;

(तीन) ऐसे दिनांक को, जिस से व्यवहारी कर संदाय करने के लिए दायी हो गया हो, प्रारम्भिक स्टाक में धृत माल के सम्बन्ध में या पूँजी माल के क्रय के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई किश्त ;

(चार) जिस दिनांक से ऐसे व्यवहारी के सम्बन्ध में जिसने इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर या एकमुश्त धनराशि का भुगतान करने के लिए विकल्प लिया हो, धारा 6 के उपबंध लागू होने से प्रविरत हो जाते हैं और व्यवहारी अपना कारबार जारी रखता है, ऐसे दिनांक को प्रारम्भिक स्टाक में धृत माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट :

प्रतिबंध यह है कि जहाँ किसी व्यवहारी को धारा 42 के अधीन कर भुगतान के लिए अधिस्थगन अनुज्ञात किया गया हो वहाँ उक्त अवधि के लिए संदेय कर की सकल धनराशि में ऐसी धनराशि सम्मिलित नहीं होगी जिसके सम्बन्ध में अधिस्थगन की सुविधा लागू हो, उस धनराशि का भुगतान, व्यवहारी द्वारा, धारा 42 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से किया जाएगा।

(2) यदि किसी कर अवधि के लिए, उपधारा (1) के अधीन अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की सकल धनराशि, उस उपधारा के अधीन संदेय कर की सकल धनराशि की अन्तरात्मक धनराशि और ऐसी कर अवधि के लिए कर के निमित्त व्यवहारी द्वारा संदत्त कर की धनराशि के योग से अधिक होती है तो व्यवहारी द्वारा अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की अतिशय धनराशि का समायोजन केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन समवर्ती कर अवधि की कर विवरणी में संदेय कर की धनराशि के विरुद्ध किया जाएगा और जहाँ ऐसी अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की सकल धनराशि नकारात्मक अंक में हो वहाँ, व्यवहारी, उपधारा (1) के अधीन संदेय कर की शुद्ध धनराशि की संगणना के दौरान ऐसी धनराशि व्यवहारी द्वारा संदेय कर की सकल धनराशि में जोड़ दी जाएगी।

<u>स्पष्टीकरण</u> :इस उपधारा के प्रयोजनार्थ पद "ऐसी कर अवधि के कर के निमित्त व्यवहारी द्वारा संदत्त कर की धनराशि का योग" का तात्पर्य निम्नलिखित धनराशि के योग से है :

(क) व्यवहारी द्वारा ऐसी कर अवधि के कर के निमित्त जमा कर ;

(ख) माल के किसी विक्रय के सम्बन्ध में धारा 34 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती किया गया कर, जहाँ ऐसा विक्रय ऐसी कर अवधि के दौरान किया जाय ; और

(ग) ऐसी कर अवधि के कर के निमित्त समायोजित प्रति संदाय :

प्रतिबंध यह है कि खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन धनराशि को ऐसी कर अवधि के कर के निमित्त व्यवहारी द्वारा संदत्त कर की धनराशि के योग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि व्यवहारी तत्सम्बन्ध में ऐसी कर अवधि की कर विवरणी सहित पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर देता है।

(3) उपधारा (2) में यथा उपबंधित समायोजन के पश्चात बची हुई इनपुट टैक्स क्रेडिट की अतिशय धनराशि को अग्रनीत किया जाएगा और अगली कर अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि में जोड़ दी जाएगी :

प्रतिबंध यह है कि ऐसे किसी व्यवहारी के सम्बन्ध में जिसका मुख्य कारबार धारा-41 के उपबंध के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान माल विक्रय करना है, कर निर्धारक प्राधिकारी, व्यवहारी के आवेदन करने पर, निर्यात के साक्ष्य के साथ, व्यवहारी द्वारा कर विवरणी के प्रस्तुतिकरण हेतु विहित अन्तिम दिनांक से या कर विवरणी के प्रस्तुतिकरण के दिनांक, जो भी बाद में हो, से तीस दिन के भीतर ऐसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत किये जाने के पश्चात किसी कर अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अतिशय धनराशि की औपबंधिक प्रति संदाय की अनुज्ञा देगा।

(4) जहाँ व्यवहारी ने किसी निर्धारण वर्ष की सम्पूर्ण कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत कर दी है और यदि अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई अधिक धनराशि अन्तिम कर अवधि की विवरणी के अनुसार अभी भी विद्यमान है, अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी अधिक धनराशि धारा 40 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे निर्धारण वर्ष की अन्तिम कर अवधि की विवरणी के प्रस्तुतीकरण के लिए विहित या अनुमन्य अन्तिम दिनांक के पश्चात तीस दिन के भीतर व्यवहारी को वापस की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारण वर्ष के, जिसमें व्यवहारी कर के संदाय के लिए दायी हो गया है, अन्तिम दिनांक को अतिशेष में बचे अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक धनराशि, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अगले निर्धारण वर्ष की प्रथम कर विवरणी में अग्रनीत की जायेगी और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष की अन्तिम कर अवधि की कर विवरणी के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी अधिक धनराशि को व्यवहारी को ऐसे पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की अन्तिम कर अवधि की विवरणी के प्रस्तुतीकरण के लिए विहित या अनुमन्य अन्तिम दिनांक के पश्चात् तीस दिन के भीतर वापस की जायेगी।

(5) उपधारा (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई व्यवहारी कारबार का विघटन कर दे तो उस निर्धारण वर्ष की अन्तिम कर अवधि से सम्बन्धित, जिसके दौरान कारबार विघटित किया गया है, अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी अधिक धनराशि की वापसी ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण आदेश के पारित होने के दिनांक के पश्चात तीस दिन के भीतर अनुमन्य की जायेगी।

(6) जहाँ किसी निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के लिए कर विवरणी निर्धारण वर्ष की अन्तिम कर अवधि की कर विवरणी के प्रस्तुतीकरण के लिए विहित या अनुमन्य अन्तिम दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गयी हो, अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए, धारा 40 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में निर्धारण आदेश पारित करने के पश्चात नब्बे दिन की अवधि के भीतर व्यवहारी को वापस की जायेगी।

(7) उपधारा (3) और उपधारा (4) में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी निर्धारण वर्ष की अन्तिम कर अवधि की कर विवरणी में छूट गयी अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी अधिक धनराशि को व्यवहारी के विकल्प पर अनुवर्ती निर्धारण वर्ष की प्रथम कर अवधि की कर विवरणी के लिए अग्रनीत किया जा सकता है।

साबित करने का भार

16-ऐसे करनिर्धारण कार्यवाहियों में जहाँ कोई तथ्य विशेषत: निर्धारिती के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा, और विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, जो मामले को अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों सहित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में किसी धनराशि के किन्हीं दावा के अधीन किसी भी अपवाद छूट या मुक्ति के अन्तर्गत लाती हो, उसी पर होगा और निर्धारण प्राधिकारी ऐसी परिस्थितियों के अभाव को उपधारण करेगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

## अध्याय - तीन
## रजिस्ट्रीकरण, प्रतिभूति और लेखों का रखरखाव

व्यवहारियों का रजिस्ट्रीकरण

17-(1) इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी विहित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

(2) उपधारा (3), (4) और (5) के अधीन यथा उपबन्धित के सिवाय, कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, ऐसे दिनांक से 30 दिन के भीतर, जब ऐसा व्यवहारी इस प्रकार दायी हो, विहित प्रपत्र और रीति में एक सौ रुपये रजिस्ट्रीकरण फीस जमा करने के सबूत के साथ प्रस्तुत करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यवहारी, जो, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, विहित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य दायित्व के बिना बिलम्ब की अवधि के लिए प्रति माह या उसके भाग के लिए एक सौ रुपया प्रति माह की दर से, विलम्ब फीस को जमा करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(3) प्रत्येक व्यवहारी, जो 1 जनवरी, 2008 के पूर्व पूर्ववर्ती अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रखता है और 1 जनवरी, 2008 से इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी हो, 1 जनवरी, 2008 से रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी माना जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ व्यवहारी से पूर्ववर्ती अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए किसी फीस के भुगतान की अपेक्षा की गयी हो, यदि उसका भुगतान न किया गया हो तो वहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तब तक विधि मान्य नहीं माना जायेगा जब तक कि ऐसा व्यवहारी 1 जनवरी, 2008 से 30 दिन की अवधि के भीतर एक सौ रुपये की विलम्ब फीस के साथ नवीनीकरण फीस जमा न कर दे।

(4) किसी ऐसे व्यवहारी के मामले में, जो 1 जनवरी, 2008 से इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी हो और जिसका पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने का आवेदन 1 जनवरी, 2008 को लम्बित हो, तो ऐसे व्यवहारी को 1 जनवरी, 2008 से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी माना जायेगा, यदि --

(एक) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है ; और

(दो) व्यवहारी ने पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन देय नवीनीकरण फीस और इस अधिनियम के अधीन देय विलम्ब फीस, यदि कोई हो, पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन इसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर जमा कर दिया हो।

(5) प्रत्येक व्यवहारी जो पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रखता हो उसे, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष यथाविहित प्रपत्र में 1 जनवरी, 2008 से या पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के दिनांक से, जो भी पश्चातवर्ती हो, 60 दिन के भीतर इस अधिनियम के अधीन उक्त प्रमाण पत्र की विधिमान्यता से सम्बन्धित उक्त प्राधिकारी के आवश्यक पृष्ठांकन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(6) (क) कोई भी परिवाहक, वाहक या परिवहन अभिकर्ता या रेलवे आधान संविदाकार रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से यथाविहित रीति से रजिस्ट्रीकरण कराये बिना राज्य में कराधेय माल से सम्बन्धित अपने परिवहन कारबार का संचालन नहीं करेगा।

(ख) कोई परिवाहक या वाहक या परिवहन अभिकर्ता का रेलवे आधान संविदाकार, जो राज्य में कराधेय माल से सम्बन्धित परिवहन कारबार का पहले से संचालन कर रहा हो, 1 जनवरी, 2008 से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए यथाविहित रीति से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(ग) यदि कोई परिवाहक या वाहक या परिवहन अभिकर्ता या रेलवे आधान संविदाकार इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के उल्लंघन में कराधेय माल को ले जाता है या उसका परिवहन करता है तो उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उसका रजिस्ट्रीकरण यथा विहित अवधि के लिए निरस्त किया या स्थगित रखा जा सकेगा।

(घ) प्रत्येक परिवाहक या वाहक या परिवहन अभिकर्ता या रेलवे आधान संविदाकार, जो अपने परिवहन कारबार का संचालन कर रहा हो, ऐसा अभिलेख रखेगा जैसा विहित किया जाय।

(ङ) परिवाहक या वाहक या परिवहन अभिकर्ता या रेलवे आधान संविदाकार द्वारा किसी भी कराधेय माल का परिदान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विहित अपेक्षाओं का अनुपालन न किया गया हो।

(7) जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि --

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी होने से सम्बन्धित आवेदन पत्र व्यवस्थित है;

(ख) प्रस्तुत सूचनाएं सही और पूर्ण है ;

(ग) अपेक्षित फीस जमा कर दी गयी है और प्रतिभूति, जहाँ आवश्यकता है, जमा कर दी गयी है,

वहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, ऐसी जाँच, जैसी आवश्यक हो, करने के पश्चात् व्यवहारी को रजिस्ट्रीकरण करवाने देगा और विहित प्रपत्र और विहित समय में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(8) यदि व्यवहारी, जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन किया हो, इस धारा में उल्लिखित किसी शर्त को पूरा नहीं करता हो या किसी अन्य कारबार के संबंध में रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन या पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन किन्हीं देयों के भुगतान में व्यतिक्रमी हो, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा आवेदन को अस्वीकृत कर देगा।

(9) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन जारी और इस अधिनियम के अधीन धारित विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र यथाविहित दिनांक से विधिमान्य होगा।

(10) उपधारा (9) के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र कारबार के बन्द होने के दिनांक तक प्रवृत्त रहेगा।

(11) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात उस दिनांक से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर सकता है-

(क) जिस दिनांक को कर के भुगतान के लिए व्यवहारी का दायित्व समाप्त हो गया हो ; या

(ख) जिस दिनांक को व्यवहारी ने कारबार बन्द कर दिया हो ; या

(ग) जिस दिनांक को रद्दकरण का आदेश हुआ हो, जहाँ-

(एक) व्यवहारी को कपटपूर्वक या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने के द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ हो ; या

(दो) व्यवहारी, यथास्थिति, प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहा हो ; या

(तीन) व्यवहारी ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के विरुद्ध किसी व्यक्ति को स्वयं द्वारा प्राप्त कोई निर्धारित घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र अन्तरित कर दिया हो ; या

(चार) व्यवहारी ने अपने नाम से कारबार जारी रखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञात कर दिया हो ; या

(पाँच) व्यवहारी ने किसी व्यवहारी को, माल का वास्तविक विक्रय किये बिना, कोई कर बीजक जारी कर दिया हो ; या

(छः) जहाँ कोई परिवाहक या वाहक या परिवहन अभिकर्ता या रेलवे आधान संविदकार विवरणी को फाइल करने में विफल रहता हो या इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के उल्लंघन में अन्यथा कार्य करता हो ;

(सात) कोई व्यक्ति धारा 43 के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करता हो ;

(आठ) जहाँ कोई व्यवहारी कर, शास्ति या अन्य देयों के देय होने के दिनांक से तीन माह के भीतर उक्त कर शास्ति या अन्य देयों का भुगतान करने में विफल हो गया हो ;

(नौ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र किसी अन्य पर्याप्त कारण से निरस्त कर दिया गया हो।

(12) उपधारा (11) के अधीन रद्दकरण कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि व्यवहारी उपधारा (11) के अधीन रद्दकरण की कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान, राजस्व की क्षति करने में सफल होगा, वहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण उसके लिए कारण समनुदेशित करने के पश्चात ऐसी अवधि तक के लिए जिसके दौरान कार्यवाहियाँ लम्बित हो, लिखित आदेश पारित करके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र स्थगित रख सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यवहारी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समाधान के लिए पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध कराकर संतुष्ट कर दे कि राजस्व क्षति, यदि कोई हो, राजस्व क्षति की पूर्ति उसके द्वारा की जायेगी, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के निलम्बन को प्रतिसंहृत कर सकता है।

(13) उपधारा (12) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के निलम्बन की अवधि में व्यवहारी को गैर रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी माना जायेगा।

(14) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, प्रदान की गयी या अन्यथा प्राप्त की गयी किसी सूचना पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच, जैसा वह उचित समझे, के पश्चात किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में समय-समय पर संशोधन कर सकता है, जो प्रभावी होगा ---

(क) संशोधन की आवश्यकता की घटना के दिनांक से जहाँ नाम, स्वामित्व या कारबार के स्थान में परिवर्तन या कारबार के नये स्थान के खोले जाने की स्थिति में धारा 75 के अधीन निर्धारित समय के भीतर उस निमित्त सूचना उपलब्ध करायी गयी हो या नकारी गयी हो;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में किसी माल या माल के वर्ग के विवरण में किसी परिवर्धन या उपान्तरण की स्थिति में संशोधन की आवश्यकता की घटना के दिनांक से यदि उस निमित्त सूचना धारा 75 के अधीन निर्धारित समय के भीतर प्रदान की गयी हो और, यथास्थिति, किसी अन्य स्थिति में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसे परिवर्तन या उपान्तरण के लिए अनुरोध प्राप्त करने के दिनांक से ;

(ग) किसी माल या माल के वर्ग को हटाये जाने की स्थिति में हटाये जाने के आदेश के दिनांक से :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी कारबार के स्वामित्व में किसी परिवर्तन के फलस्वरूप किसी व्यवहारी के कर के भुगतान का दायित्व समाप्त हो जाता है, तो वहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का संशोधन उस दिनांक से प्रभावी हो जायेगा, जिस दिनांक को धारा 75 के अधीन ऐसे परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना दी गयी हो।

स्पष्टीकरण (एक) इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के किसी संशोधन का किसी कर या शास्ति के लिए किसी देयता का इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण (दो) संदेहों के निवारण के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी ---

(क) अपने कारबार के नाम में कोई परिवर्तन करता है ; या

(ख) फर्म है और उसके विघटन के बिना फर्म के गठन में परिवर्तन है ; या

(ग) न्यास या न्यासी है और उसके न्यासियों में परिवर्तन है ; या

(घ) प्रतिपाल्य का अभिभावक है और अभिभावक में परिवर्तन होता है ; या

(ङ) अविभाजित हिन्दू परिवार है और ऐसे परिवार का कारबार भागीदारी के रूप में सभी या किन्हीं समंशियों के साथ साझेदारी कारबार में परिवर्तित हो जाता है तो केवल उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण से, यथास्थिति, व्यवहारी या फर्म जिसके गठन में परिवर्तन हो गया है या नये न्यासियों या नये अभिभावक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे साझेदारी कारबार के भागीदार रजिस्ट्रीकरण के नये प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें, और धारा 75 द्वारा अपेक्षित रीति में दी गयी सूचना के आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को संशोधित कर दिया जायेगा।

(15) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा स्वयं न तो निरस्त किया जायेगा न तो संशोधित किया जायेगा जब तक व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये।

स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण

**18**-(1) 1 जनवरी, 2008 को कोई व्यवहारी, जो अन्यथा कर का भुगतान करने का दायी नहीं है और यदि ऐसा व्यवहारी कारबार करना चाहता हो या कारबार करने का इरादा रखता हो, 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात किसी भी समय धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन विहित प्रपत्र में और रीति से उक्त उपधारा के अधीन विहित शुल्क जमा किये जाने के सबूत के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) प्रत्येक अन्य व्यवहारी जिसने 1 जनवरी, 2008 के ठीक पूर्व पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो किन्तु इस अधिनियम के अधीन वह कर का भुगतान करने का अन्यथा दायी न हो, इस अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी समझा जायेगा, किन्तु उसने 1 जनवरी, 2008 से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी बने रहने के अपने इरादे के सम्बन्ध में धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन विहित प्रपत्र में सूचित कर दिया होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी व्यवहारी के लिए पूर्ववर्ती अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए किसी शुल्क का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, यदि उसका भुगतान न किया गया हो, तो वहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि उक्त व्यवहारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर एक सौ रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कर देता है।

(3) कोई व्यवहारी, जिसे 1 जनवरी, 2008 के पश्चात पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया हो और जहाँ उक्त व्यवहारी 1 जनवरी, 2008 से इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का अन्यथा दायी न हो, रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी समझा जायेगा, यदि उक्त व्यवहारी, नवीनीकरण फीस और विलम्ब फीस, यदि कोई हो, जमा करने के पश्चात, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या कर निर्धारण प्राधिकारी को उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर विहित प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को स्वैच्छिक रूप से रखने के अपने इरादे के सम्बन्ध में सूचित कर दें।

(4) धारा 17 की उपधारा (5) और (7) से (14) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस धारा के अधीन जारी या प्राप्त किये गये प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर लागू होंगे।

राजस्व के हित में प्रतिभूति

**19**-(1) जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो,

(क) इस अधिनियम के अधीन देय या संदेय कोई कर, शास्ति या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिए ; या

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्धारित प्रपत्रों की समुचित अभिरक्षा या प्रयोग के लिए ; या

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या, यथास्थिति, उसको प्रभावी बने रहने के लिए, एक शर्त के रूप में :

वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे प्रमाण पत्र की, यथास्थिति, स्वीकृति या किसी भी समय जब ऐसा प्रमाण पत्र प्रवृत्त हो, निर्देश दे सकता है कि व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित रीति से और ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसी प्रतिभूति या यदि व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति ने ऐसी प्रतिभूति पहले ही दे दी हो को किसी प्रकार की ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देगा जैसा उपर्युक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन किन्ही उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उपलब्ध करायी गयी विधिमान्य प्रतिभूति या अतिरिक्त विधिमान्य प्रतिभूति इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए विधिमान्य समझी जायेगी, यदि व्यवहारी, यथास्थिति, अपने कर निर्धारण प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को उचित अंकित मूल्य और मूल्य वर्ग के स्टाम्प पेपर पर प्रतिभूति से दायित्व के साथ ऐसी प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति को प्रभावी बनाये रखने के अपने इरादे के सम्बन्ध में सूचित कर दे।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा किसी व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति से उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति देने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दिया गया हो और प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति की धनराशि उस कर निर्धारण वर्ष के लिये जिसमें ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाय, ऐसे प्राधिकारी के अनुमान से व्यवहारी के आवर्त पर देय कर से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी कमिश्नर, सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी माल के सम्बन्ध में लिखित सामान्य आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से, जिसे इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किसी प्रपत्र की आवश्यकता हो, उतनी धनराशि की नगद प्रतिभूति, जितनी ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा की जायेगी।

(4) यदि किसी व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन दी गयी प्रतिभूति बन्ध पत्र के रूप में हो और किसी प्रतिभू की मृत्यु हो जाय या वह दिवालिया हो जाय, तो व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति उपर्युक्त किसी घटना होने के 30 दिन के भीतर उसकी सूचना, यथास्थिति, धारा 17 या धारा 18 के अधीन प्रमाण पत्र स्वीकृत करने वाले या उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रपत्र जारी करने वाले निर्धारक प्राधिकारी को देगा, और ऐसी घटना होने के साठ दिन के भीतर बन्ध पत्र की धनराशि के लिए नया बन्ध पत्र देगा अथवा निर्धारित रीति से अन्य प्रतिभूति देगा।

(5) कर निर्धारण प्राधिकारी आदेश द्वारा और समुचित तथा पर्याप्त कारण से किसी व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा दी गयी सम्पूर्ण प्रतिभूति अथवा उसके किसी भाग को ---

(क) व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा देय किसी कर या शास्ति की धनराशि अथवा अन्य धनराशि को वसूल करने के लिए ; या

(ख) यदि यह पाया जाय कि व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति ने उपधारा (1) में अभिदिष्ट किन्हीं प्रपत्रों का दुरुपयोग किया है अथवा उन्हें समुचित अभिरक्षा में नहीं रखा है, जब्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा।

(6) यदि उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के कारण किसी व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा दी गयी प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाये तो वह इसकी पूर्ति ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर जैसा कि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाय, करेगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी ऐसे व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति को, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश या उपधारा (4) या उपधारा (6) के उपबन्धों का पालन न किया हो जब तक व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे आदेश या ऐसे उपबन्धों का पालन न करे --

(क) प्रमाण-पत्र जारी करने से इन्कार कर सकता है, या

(ख) पहले से जारी किये गये किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को निलम्बित कर सकता है, या

(ग) उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट किन्हीं प्रपत्रों को जारी करने से इन्कार कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(8) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर, इस धारा के अधीन अथवा किसी अन्य धारा के अधीन व्यवहारी या सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा प्रतिभूति उन्मोचित करने अथवा कोई धनराशि या उसका भाग लौटाने का, यदि उसकी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता न हो, आदेश दे सकता है।

(9) इस धारा के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध धारा 55 के अधीन अपील की जा सकती है।

(10) कोई व्यक्ति जो अपीलीय अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध हो, अपने पर आदेश तामील किये जाने के 90 दिन के भीतर, किन्तु प्रतिभूति देने के पश्चात् अधिकरण के समक्ष धारा 57 के अधीन अपील दाखिल कर सकता है।

(11) इस धारा के उपबन्ध, ऐसी प्रतिभूति के सम्बन्ध में, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश द्वारा देने की अपेक्षा की गयी हो, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

करदाता पहचान संख्या का उद्धृत किया जाना

20-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर उसे आवंटित करदाता पहचान संख्या को, किये जाने वाले सभी पत्र व्यवहार, विवरण और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी, दी जाने वाली सूचना और उसके द्वारा जारी किये जाने वाले दस्तावेजों पर और कोषागार चालान की प्रत्येक प्रति पर जब वह इस अधिनियम के अधीन कर की धनराशि, फीस या कोई अन्य देय जमा कर रहा हो, उद्धृत करेगा।

(2) किसी कराधेय माल का विक्रय करते समय यदि ऐसे माल का क्रेता मांग करे तो विक्रेता व्यवहारी अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिखायेगा।

(3) किसी कराधेय माल का क्रय करते समय प्रत्येक क्रेता व्यवहारी विक्रेता व्यवहारी को अपना नाम, पता और करदाता पहचान संख्या देगा और विक्रेता व्यवहारी, यथास्थिति, उसके द्वारा जारी कर बीजक, विक्रय बीजक, परिवहन मेमो, चालान या अन्तरण बीजक पर उन विवरणों का उल्लेख करेगा।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी उसे जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या कर्मचारी के समक्ष, जब कभी भी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रत्येक व्यवहारी जिसके पास आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन आवंटित स्थायी खाता संख्या हो, आवर्त और कर की वार्षिक विवरणी पर ऐसी संख्या का उल्लेख करेगा और इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा जब भी मांग की जाये, ऐसी संख्या को प्रस्तुत करेगा।

व्यवहारी द्वारा रखे जाने वाले लेखे और दस्तावेज

21-(1) प्रत्येक कराधेय व्यवहारी विक्रय और क्रय किये गये माल के मूल्य को प्रदर्शित सत्य और ठीक लेखे को रखेगा और घोषित करेगा और यदि सामान्य स्थिति में ऐसे बोधगम्य रूप में उसे प्रदर्शित न करें तो वह सत्य और ठीक लेखे को ऐसे रूप में रखेगा जैसा इस निमित्त विहित किया जाय।

(2) इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने का दायी विनिर्माता अन्य उपधाराओं में निर्दिष्ट लेखों के अलावा विनिर्माण में प्रयुक्त या खपत हुए माल के सम्बन्ध में और उत्पादन के प्रत्येक प्रक्रम पर प्राप्त उत्पादों के सम्बन्ध में स्टाक बही को पोषित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि विनिर्माताओं के किसी वर्ग जिनके आवर्त का कुल योग किसी निर्धारित वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक न हो, कमिश्नर और किसी अन्य मामले में राज्य सरकार ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें कमिश्नर या राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करने के लिए उपयुक्त समझे, इस धारा की अपेक्षाओं से छूट दे सकती है।

(3) इस धारा के अधीन पोषित किये जाने के लिए अपेक्षित लेखा, दस्तावेज और स्टाक बही, व्यवहारी द्वारा ऐसी अवधि के लिए जैसी विहित की जाये, संरक्षित किये जायेंगे।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जो तद्धीन बनायी गयी नियमावली में विनिर्दिष्ट किसी माल या माल के वर्ग को या ऐसे अन्य माल या माल के वर्ग को, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, ऐसी मात्रा, माप या मूल्य, जिसे अधिसूचित किया जाये, किसी व्यवहारी को चाहे विक्रय से या अन्यथा पारेषित या परिदत्त करे माल के क्रेता या पारेषिती को विहित रीति में और उस निर्धारक प्राधिकारी से प्राप्त विहित प्रपत्र में, जिसकी ऐसे क्षेत्र के ऊपर अधिकारिता हो, जिसमें ऐसे व्यवहारी का मुख्य कारबार स्थान स्थित हो, एक परिवहन मेमो जारी करेगा।

(5) उपधारा (4) में यथा उपबंधित के सिवाय कर का भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी किसी कराधेय माल को किसी अन्य व्यवहारी को, चाहे विक्रय के परिणामस्वरूप या अन्यथा पारेषण या परिदत्त करते समय माल के क्रेता या पारेषिती को एक पठनीय चालान या विहित रीति में अन्तरण बीजक, जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ हों, जो विहित की जाये, जारी करेगा।

(6) जहाँ कोई माल सड़क द्वारा परिवहन किया जाये, यथास्थिति, उपधारा (4) में निर्दिष्ट परिवहन मेमो, या उपधारा (5) में निर्दिष्ट चालान या अन्तरण बीजक की मूल प्रति, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, माल की यात्रा के दौरान माल के साथ रहेगी।

(7) पारेषिती को सौंपने के लिए माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति, यथास्थिति, परिवहन मेमो, चालान या अन्तरण बीजक में विहित सुसंगत स्तम्भों में विशिष्टियाँ भरेगा और माल के साथ पारेषिती व्यवहारी को ऐसा परिवहन मेमो, चालान या अन्तरण बीजक सौंपेगा।

(8) प्रत्येक व्यवहारी जो अपने निर्धारक प्राधिकारी से या अन्य किसी व्यक्ति से इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन कोई घोषणा प्रपत्र या प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, वह उनका प्रयोग विहित रीति से करेगा और सभी प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्रों या प्रमाण पत्रों, उन घोषणा पत्रों या प्रमाण पत्रों सहित जो अन्य व्यक्तियों से प्राप्त किये है, का लेखा विहित रूप में रखेगा।

(9) इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन विहित घोषणा प्रपत्र या प्रमाण पत्र को, इस अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई व्यवहारी किसी व्यक्ति को न तो अन्तरित करेगा और न कोई व्यक्ति उसे प्राप्त करेगा।

(10) जहाँ कोई व्यवहारी कराधेय माल का निम्नलिखित तरीकों में से एक से अधिक तरीकों से व्ययन करता है :-

(एक) राज्य के भीतर माल का विक्रय करता है ; या

(दो) राज्य के भीतर विक्रय के लिए अन्य व्यवहारियों को पारेषित करता है ; या

(तीन) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का विक्रय करता है ; या

(चार) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र में आयात के दौरान माल का विक्रय करता है ; या

(पाँच) विक्रय के परिणाम से भिन्न राज्य के बाहर माल का पारेषण करता है । यथासम्भव प्रत्येक ऐसे प्रयोजन के लिए माल के क्रय, विक्रय, रसीद और प्रेषण का पृथक-पृथक लेखा रखेगा ।

(11) धारा-13 के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाला व्यवहारी इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की कर अवधिवार संगणना के संबंध में पंजिका रखेगा ।

(12) किसी कम्प्यूटर में बहियों, लेखाओं और दस्तावेजों को अनुरक्षित या रखने वाला व्यवहारी ऐसी समस्त बहियों, लेखाओं और दस्तावेजों की दिन-प्रतिदिन की मुद्रित प्रति भी अनुरक्षित रखेगा ।

(13) कर का भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी स्टाक में रखे गये समस्त माल की, जैसा नीचे उल्लिखित है, उनके क्रय मूल्य के साथ एक सूची निम्नलिखित दिनांक को तैयार करेगा :-

(क) उस दिनांक को जब व्यवहारी कर का भुगतान करने का दायी हो जाता है, प्रारम्भिक रहतिया में रखे गये माल,

(ख) प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष के अंतिम दिनांक को अंतिम रहतिया में रखे गये माल,

(ग) कारोबार के बन्द होने के दिनांक को अन्तिम रहतिया में रखे गये माल,

(घ) ऐसे व्यवहारी के मामले में जिसने धारा 6 के अधीन कर का भुगतान करने या एकमुश्त का विकल्प दिया है उस दिनांक को जब से धारा 6 के उपबन्ध लागू नहीं होते है, प्रारम्भिक रहतिया में रखे गये माल :

प्रतिबन्ध यह है कि विनिर्माता पूर्वोक्त दिनांक को स्टाक में रखे गये किसी विनिर्मित या अर्धविनिर्मित माल के विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकेज में उपर्युक्त या उपभुक्त माल की उनके क्रय मूल्य सहित एक सूची भी तैयार करेगा ।

(14) जहाँ किन्हीं माल के विक्रय के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत क्रेता व्यवहारी को जारी किये गये किसी कर बीजक में कर के रूप में प्रदर्शित धनराशि इस अधिनियम के अधीन ऐसे विक्रय पर देय कर की धनराशि से अधिक हो जाय, वहाँ ऐसा विक्रेता व्यवहारी ऐसे क्रेता व्यवहारी को कर बीजक के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कर के रूप में वसूल की गयी अधिक धनराशि का जमा पत्र प्रदान करेगा और क्रेता व्यवहारी विक्रेता व्यवहारी को ऐसी धनराशि का नामे नोट प्रदान करेगा जिसमें ऐसे अपेक्षित विवरण संलग्न होंगे जैसा विहित किये जायें ।

(15) जहाँ किन्हीं माल के विक्रय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय कर की धनराशि रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत क्रेता व्यवहारी को जारी किये गये कर बीजक में कर के रूप में प्रदर्शित धनराशि से अधिक हो जाय, वहाँ ऐसा विक्रेता व्यवहारी कर बीजक जारी होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर उक्त क्रेता व्यवहारी को कर की धनराशि का नामे नोट प्रदान करेगा और क्रेता व्यवहारी रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी को एक जमा पत्र प्रदान करेगा जिसमें ऐसे अपेक्षित विवरण संलग्न होंगे जैसा विहित किये जायें ।

(16) क्रेता द्वारा वापस किये गये या अस्वीकृत किये गये माल के सम्बन्ध में विक्रेता व्यवहारी द्वारा क्रेता व्यवहारी को एक जमा पत्र जारी किया जायेगा और क्रेता व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी को नामे नोट जारी किया जायेगा जिसमें ऐसे अपेक्षित विवरण संलग्न होंगे जैसा विहित किये जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष में बेचे गये किसी माल को उत्तरवर्ती वर्ष में विक्रय के दिनांक से छह माह के भीतर वापस कर दिया जाय या अस्वीकृत कर दिया जाय, वहाँ वापस किये गये या अस्वीकृत किये गये माल के विक्रय मूल्य की धनराशि और ऐसे माल से सम्बन्धित कर की धनराशि को जिसे क्रेता व्यवहारी से विक्रेता व्यवहारी द्वारा वसूला गया है, उस कर निर्धारण वर्ष में, जिसमें माल को वापस किया गया या लौटाया गया है, यथा स्थिति, विक्रय के आवर्त या क्रय के आवर्त के साथ समायोजित कर दिया जायेगा।

(17) यदि किसी विशेष कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में किसी व्यवहारी का, यथास्थिति, क्रय या विक्रय या दोनों का सकल आवर्त एक करोड़ रुपये से अधिक हो जाय तो ऐसा व्यवहारी अपने लेखा का उक्त कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर सत्यापन और लेखा परीक्षण करायेगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट विहित प्रपत्र में प्राप्त करेगा जिसमें ऐसे विवरण संलग्न होंगे जैसा विहित किये जायं। ऐसे रिपोर्ट की एक सत्य प्रतिलिपि उक्त व्यवहारी द्वारा कर निर्धारक प्राधिकारी को यथाविहित अवधि के भीतर प्रदान की जायेगी।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" का तात्पर्य,

(एक) चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1940 के अर्थान्तर्गत किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट से है और उसके अन्तर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबन्धों के द्वारा ऐसे व्यक्ति भी है जो कंपनियों के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किये जाने के लिए हकदार है ;

(दो) लागत और संकर्म एकाउन्टेंट अधिनियम, 1959 के अर्थान्तर्गत किसी लागत एकाउन्टेंट से है ;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी से है।

(18) यदि कोई व्यवहारी, जो उपधारा (1) के अधीन अपने लेखा की लेखा परीक्षा कराने का दायी है, ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति विहित समय के भीतर उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो कर निर्धारण अधिकारी उक्त व्यवहारी को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर देय कर के अतिरिक्त शास्ति के रूप में अवधारित ऐसे रकम जो दस हजार रुपये से अनधिक होगी, अधिरोपित करेगा।

व्यापारी द्वारा जारी किया जाने वाला कर बीजक, विक्रय बीजक और क्रय बीजक

22-(1) नीचे उल्लिखित परिस्थितियों में सभी कराधेय माल, वैट से मुक्त माल को छोड़कर, के सम्बन्ध में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, ऐसे व्यवहारी को छोड़कर जो धारा 6 के अधीन कर या एक मुश्त के भुगतान का विकल्प देता हो और जहाँ ऐसा व्यवहारी किसी ऐसे माल के विक्रय पर कर का भुगतान करने का दायी हो, उक्त माल के विक्रय के समय क्रेता को विहित प्रपत्र में और रीति में एक कर बीजक जारी करेगा। जिसमें ऐसे विवरण संलग्न होंगे जो विहित किये जायं और ऐसे कर बीजक पर उसके द्वारा देय कर की धनराशि पृथक रूप से प्रभारित की जायेगी, जहाँ ऐसे माल का विक्रय निम्नलिखित को किया जाता है -

(एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को ; या

(दो) किसी विदेशी राजनयिक मिशन या भारत के वाणिज्यिक दूतावास के किसी पदधारी या कार्मिक को ; या

(तीन) संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य समान अन्तर्राष्ट्रीय निकाय को किसी ऐसे सम्मेलन के अधीन, जिसका भारत एक पक्षकार हो या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेषाधिकार का अधिकार हो ; या

(चार) किसी मिशन, संयुक्त राष्ट्र, संघ या खण्ड (दो) या खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय के किसी वाणिज्यिक दूतावास सम्बन्धी या राजनयिक अभिकर्ता को ; या

(पाँच) प्राधिकृत अभियान में प्रयोग या उपभोग के लिए किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के किसी विकासक या सहविकासक को :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार विभिन्न वर्ग के व्यवहारियों या भिन्न-भिन्न मालों या माल के वर्गों या भिन्न-भिन्न मालों या माल के वर्गों के लिए कर बीजक के भिन्न-भिन्न प्रपत्र निर्धारित कर सकती है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ राज्य सरकार के कर बीजक का प्रारूप विहित न की हो, वहाँ विक्रेता व्यवहारी, ऐसे मामलों में जो ऊपर विनिर्दिष्ट हैं, विहित रीति से कर बीजक जारी करेगा और उसमें माल का क्रय करने वाले व्यक्ति के नाम और पूरा पता एवं करदाता पहचान संख्या, यदि कोई हों, के साथ ऐसे विवरण होंगे जो विहित किये जायं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल का विक्रय करने वाला व्यवहारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर बीजक को तीन प्रतियों में तैयार करेगा जिन पर मूल प्रति, द्वितीय प्रति और कार्यालय प्रति अंकित किया गया होगा और वह मूल प्रति व द्वितीय प्रति के रूप में अंकित प्रतियों को माल का क्रय करने वाले व्यक्ति को प्रदान करेगा। द्वितीय प्रति के रूप में अंकित कर बीजक की प्रति ऐसे माल के परिवहन के दौरान माल के साथ होगी।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो

(क) वैट से युक्त माल के विक्रय पर कर के भुगतान का दायी हो, और जो क्रेता से कर वसूल करता हो ऐसे माल का विक्रय करते समय क्रेता को विहित प्रपत्र में एक विक्रय बीजक जारी करेगा जिसमें ऐसे विवरण होंगे जो विहित किये जायं और ऐसे विक्रय बीजक पर कर की धनराशि पृथक रूप से प्रभारित करेगा, या

(ख) वैट से मुक्त माल को छोड़ कर, कराधेय माल के विक्रय पर कर के भुगतान का दायी हो, और जो ऐसे माल का विक्रय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी को करता हो, ऐसे माल का विक्रय ऐसे व्यवहारी को करते समय क्रेता व्यवहारी का नाम, पूरा पता और यथाविहित ऐसे अन्य विवरण का उल्लेख करने के उपरान्त एक विक्रय बीजक जारी करेगा।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कराधेय व्यवहारी, सभी माल के विक्रय के सम्बन्ध मे, जहाँ—

(एक) एकल विक्रय का विक्रय मूल्य इस निमित्त विहित धनराशि से अधिक हो, या

(दो) माल का क्रेता कैश मेमो या बिल की मांग करता हो ; या

(तीन) किसी माल के विक्रय के सम्बन्ध में कोई बिल या कैश मेमो जारी करने के लिए कोई अन्य विधि विहित करता हो ; या

(चार) विक्रेता व्यवहारी चलन के रूप में स्वयं द्वारा किये गये विक्रय के रूप में कोई बिल या कैश मेमो जारी करता हो,

क्रेता को विहित रीति से एक कैश मेमो या बिल जारी करेगा जिसमें ऐसे विवरण होंगे जो विहित किये जायं।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यवहारी, यथास्थिति, प्रत्येक क्रय बीजक या विक्रय बीजक पर पृथक रूप से कर की धनराशि प्रभारित करेगा।

(6) विक्रेता व्यवहारी द्वारा तैयार किये गये, यथास्थिति, कर बीजक, विक्रय बीजक, कैश मेमो या बिल की कार्यालय प्रति और क्रेता व्यवहारी द्वारा प्राप्त की गयी, यथास्थिति, कर बीजक, विक्रय बीजक, कैशमेमो या बिल की प्रतियाँ उनके द्वारा धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन विहित अवधि तक सुरक्षित रखी जायेंगी।

(7) प्रत्येक व्यवहारी किसी व्यवहारी से किसी माल को क्रय करते समय विक्रेता व्यवहारी को अपना नाम, पता और करदाता पहचान संख्या, यदि कोई हो, देगा।

(8) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी क्रेता को माल का विक्रय करने वाला व्यवहारी ऐसे क्रेता को तब तक कर बीजक जारी नहीं करेगा जब तक कि क्रेता अपना नाम, पूरा पता और करदाता पहचान संख्या न उपलब्ध करा दे।

(9) जहाँ कर का भुगतान करने का दायी कोई व्यवहारी किसी करार्धेय माल का क्रय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से करता हो और ऐसे माल का विक्रय करने वाला व्यक्ति कैश मेमो या बिल जारी नहीं करता है तो वहाँ क्रेता व्यवहारी माल का विक्रय करने वाले व्यक्ति को ऐसे क्रय के सम्बन्ध में विहित रीति से एक क्रय बीजक जारी करेगा जिसमें ऐसे विवरण होंगे जो विहित किये जायं और वह माल का विक्रय करने वाला व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेगा।

(10) उपधारा (9) में निर्दिष्ट क्रेता व्यवहारी क्रय बीजक को दो प्रतियों में तैयार करेगा जिन पर मूल प्रति और कार्यालय प्रति अंकित किया गया होगा। क्रेता व्यवहारी ऐसे क्रय बीजक की मूल प्रति को माल का विक्रय करने वाले व्यक्ति को प्रदान करेगा और ऐसे क्रय बीजक की कार्यालय प्रति को धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन विहित अवधि तक सुरक्षित रखेगा।

माल के विक्रय या क्रय पर कर की वसूली

23-(1) धारा 22 में यथाउपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति, किसी माल के किसी विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में कर के नाम से या किसी अन्य नाम और रूप में कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा।

(2) जहाँ, -

(एक) यथास्थिति, कर बीजक या विक्रय बीजक में प्रभारित कर की धनराशि संदेय कर की धनराशि से अधिक हो, या

(दो) किसी विक्रय के सम्बन्ध में संदेय कर की धनराशि, यथास्थिति, किसी कर बीजक या विक्रय बीजक में प्रभारित कर की धनराशि से अधिक हो, या

(तीन) किसी माल के सम्बन्ध में विक्रय व्यवहारी द्वारा किसी क्रय करने वाले व्यवहारी को कर बीजक या विक्रय बीजक जारी किया गया हो लेकिन ऐसे क्रय करने वाले व्यवहारी द्वारा ऐसा माल या ऐसे माल के कुछ भाग को लौटा दिया गया हो या अस्वीकृत कर दिया गया हो, तो धारा 21 की उपधारा (14), (15) और (16) के उपबंधों के अनुसरण में, प्रत्येक मामलों में अन्तर्निहित कर की धनराशि का क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जारी किया जाएगा।

(3) धारा 34 में यथाउपबन्धित के सिवाय कोई व्यक्ति माल बेचने वाले किसी व्यक्ति को संदेय धनराशि से कर के रूप में कोई धनराशि कटौती नहीं करेगा।

## अध्याय - चार

## कर का निर्धारण, भुगतान, वसूली और संग्रहण

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLIENTS

कर विवरण का प्रस्तुतीकरण

24-(1) प्रत्येक कराधेय व्यवहारी, जिसमें ऐसा व्यवहारी सम्मिलित है, जिससे कर की किसी धनराशि की धारा 34 के अधीन स्रोत पर कटौती की गयी हो, ऐसी कर अवधि के लिए और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जाय, अपना स्वःनिर्धारित आवर्त और कर की विवरणी ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से सत्यापित करेगा जैसा कि निर्धारित किया जाय, प्रस्तुत करेगा, किन्तु कर निर्धारक प्राधिकारी अपने विवेक से और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी व्यवहारी या व्यवहारियों के किसी वर्ग द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने के दिनांक को बढ़ा सकता है :

प्रतिबंध यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले व्यवहारी सहित कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी कर विवरणी के साथ निम्नलिखित की एक सूची ऐसे विवरणों को सम्मिलित कर के जैसा निर्धारित किया जाय, भी प्रस्तुत करेगा :

(एक) रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से क्रय किये गये माल की सूची, जिसके सम्बन्ध में व्यवहारी ने कर बीजक प्राप्त किया है ;

(दो) रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को विक्रय किये गये माल की सूची जिसके सम्बन्ध में व्यवहारी ने कर बीजक जारी किया है ; और

(तीन) व्यवहारियों को किये गये माल का विक्रय जिनकों ऐसे व्यवहारी के नाम से विक्रय बीजक जारी किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर विवरणी दाखिल करने के पूर्व व्यवहारी, इस अधिनियम के अधीन कर अवधि के दौरान माल के क्रेताओं से अधिक वसूल की गई धनराशि, यदि कोई हो, के साथ ऐसी कर विवरणी में दर्शायी गयी संदेय कर की धनराशि विहित रीति से जमा करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति या व्यवहारी जिस पर धारा 34 के उपबंध लागू होते हों, व्यवहारियों जिनसे कर की किसी धनराशि की कटौती की गयी हो, के संबंध में ऐसा विवरण-पत्र ऐसे समय के भीतर, जैसा निर्धारित किया जाय, दाखिल करेगा।

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन व्यवहारी के आवेदन पर विवरणी दाखिल करने का दिनांक बढ़ाये जाने के फलस्वरूप उपधारा (2) के अधीन कर का जमा किया जाना आस्थगित हो जाता है, वहाँ विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक के तत्काल अनुवर्ती दिनांक से ऐसी धनराशि के जमा किये जाने की तिथि तक सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

(5) यदि किसी व्यवहारी को अपने द्वारा दाखिल किसी विवरणी में कोई चूक या अन्य त्रुटि मिलती हो तो वह अगली विवरणी दाखिल कर सकता है। यदि संशोधित विवरणी, मूल विवरणी में दर्शायी गयी धनराशि की अपेक्षा देय होने वाला कर अधिक प्रदर्शित करती है तो व्यवहारी देय कर के अन्तर और उपधारा (4) के अधीन इस अन्तर पर संदेय ब्याज की धनराशि पृथक-पृथक जमा करेगा मानो, व्यवहारी के आवेदन पर मूल विवरणी दाखिल करने के दिनांक तक बढ़ा दिया गया हो और यदि संशोधित विवरणी मूल विवरणी में दर्शायी गयी धनराशि से अपेक्षाकृत देय होने वाले कर की धनराशि कम दर्शाती हो तो व्यवहारी अनुवर्ती कर अवधियों के लिए देय कर के प्रति अधिक धनराशि को समायोजित कर सकता है।

(6) यदि किसी व्यवहारी द्वारा विक्रय किया गया माल क्रेता द्वारा उसे विक्रय के दिनांक से छः मास के भीतर लौटा दिया जाता है और विक्रय व्यवहारी का उस वर्ष का कर निर्धारण, जिससे ऐसा विक्रय सम्बन्धित है, अभी किया जाना हो तो विक्रय व्यवहारी और जहाँ किसी व्यवहारी द्वारा क्रय किया गया माल विक्रेता को, क्रय के दिनांक से छः माह के भीतर लौटा दिया जाता है और क्रय व्यवहारी का उस वर्ष का कर निर्धारण, जिससे ऐसा क्रय सम्बन्धित है, अभी किया जाना है तो क्रेता व्यवहारी, ऐसे माह, जिसमें ऐसा माल लौटाया गया हो, की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर, ऐसी कर अवधि जिसके दौरान, यथास्थिति, ऐसा विक्रय या क्रय किया गया हो, के लिए केवल संशोधित विवरणी उस प्रयोजन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(7) कर भुगतान के लिए ऐसा दायी व्यवहारी जिसने किसी आंशिक निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार किया हो सहित प्रत्येक व्यवहारी, यथास्थिति, ऐसे निर्धारण वर्ष या ऐसे आंशिक निर्धारण वर्ष के लिए आवर्त और कर की वार्षिक विवरणी, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रपत्र और रीति में, जैसा कि निर्धारित किया जाये, प्रस्तुत करेगा :

प्रतिबंध यह है कि समुचित मामलों में, व्यवहारी के आवेदन पर कर निर्धारक प्राधिकारी वार्षिक विवरण दाखिल करने हेतु निर्धारित समय के नब्बे दिन से अधिक नहीं होगी।

(8) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर धारा-34 के उपबन्ध लागू होते है प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे व्यवहारी के संबंध में जिससे कर की धनराशि की कटौती की गयी है, ऐसे ब्योरे ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर दाखिल करेगा जैसा निर्धारित किया जाय।

(9) किसी भी माल को किसी सार्वजनिक मोटर सेवा वाहन द्वारा या किसी अन्य जलयान द्वारा परिवहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक फारवर्डिंग एजेन्ट, उस क्षेत्र के कर निर्धारक प्राधिकारी को, जहाँ से माल भेजा जा रहा है, उसके द्वारा परिवहन किये गये या भेजे गये सभी माल की ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा जैसी विहित की जाय। सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी को यह शक्ति होगी कि प्रस्तुत की गयी विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित करने के उद्देश्य से ऐसे परिवाहक या अभिकर्ता के कब्जे में लेखा-बहियों या अन्य अभिलेखों को मंगा सकेगा और उनकी जाँच कर सकेगा, और परिवाहक और अभिकर्ता, इस प्रकार मंगाये जाने पर लेखा-बहियों या अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

किसी कर अवधि के लिए कर का निर्धारण

25-(1) जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के संबंध में :

(एक) किसी व्यवहारी ने कर की विवरणी को निर्धारित समय के भीतर या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा बढ़ाये गये समय के भीतर दाखिल न की हो या यदि विवरणी को ऐसे कर, जिसे ऐसी विवरण में देय प्रदर्शित किया गया हो, बिना जमा किये हुए दाखिल किया हो, या

(दो) कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा विवरणी के प्रारम्भिक परीक्षण से यह प्रकट होता हो कि विवरणी में प्रदर्शित संगणना दोषपूर्ण है या दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि या प्रदर्शित देय कर की धनराशि गलत है ; या

(तीन) कर निर्धारक अधिकारी के पास अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर कर निर्धारक अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहारी द्वारा प्रकटित विक्रय या क्रय या दोनों का आवर्त विश्वसनीय नहीं है, वहाँ कर निर्धारक अधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात जो वह उचित समझे, और व्यवहारी को सुनवायी का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात, -

(एक) जहाँ व्यवहारी ने कर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या यदि कर विवरणी प्रस्तुत की गयी है तो कर निर्धारक प्राधिकारी की राय हो कि ऐसी विवरणी में प्रदर्शित आवर्त विश्वसनीय नहीं है तो वह अपनी सर्वोत्तम बुद्धि विवेक के अनुसार आवर्त, देय कर की धनराशि और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य, धनराशि का अवधारण ; या

(दो) किसी अन्य मामले में कर की देय धनराशि और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि का अवधारण ;

ऐसी कर अवधि के लिए करनिर्धारण का अनन्तिम आदेश पारित करके कर सकता है।

(2) व्यवहारी द्वारा आवर्त और कर की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात और जहाँ व्यवहारी द्वारा ऐसी वार्षिक विवरणी करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या बढ़ाये गये समय के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, वहाँ ऐसे समय की समाप्ति के पश्चात किसी कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण का कोई अनन्तिम आदेश नहीं दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निर्धारित कर की धनराशि, जो व्यवहारी द्वारा जमा की गयी कर की धनराशि से अधिक हो, का भुगतान व्यवहारी द्वारा विहित रीति से कर निर्धारण और माँग की नोटिस की उस पर तामीली के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण

26-इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए कर का भुगतान करने के लिए दायी प्रत्येक व्यवहारी के सम्बन्ध में, व्यवहारी द्वारा देय कर का और व्यवहारी को अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का निर्धारण किया जाएगा :

प्रतिबंध यह है कि जहाँ व्यवहारी ने कर निर्धारण वर्ष के किसी भाग के दौरान कारबार किया हो वहाँ ऐसा कर निर्धारण, कर निर्धारण वर्ष के ऐसे भाग के लिए किया जाएगा

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि ऐसे व्यक्ति के मामले में -

(एक) जिसने राज्य से होकर माल के अभिवहन के लिए, प्राधिकार प्राप्त किया है और ऐसी उपधारणा हो कि ऐसा माल राज्य के भीतर ही विक्रय किया गया है, और -

(दो) जो रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी है और राज्य के बाहर से कोई कर योग्य माल लाता है,

कर निर्धारक प्राधिकारी, यथास्थिति, व्यवहारी द्वारा माल के अभिवहन या माल की प्राप्ति के लिए प्रत्येक ऐसे प्राधिकार के लिए पृथक-पृथक निर्धारण कर सकता है।

स्व कर निर्धारण

27-(1) धारा-28 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसे व्यवहारी, जिसने वार्षिक विवरणी विहित प्रपत्र और रीति में दाखिल कर दी है, के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसका स्व कर निर्धारण कर की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जो, यथास्थिति, प्रकटित क्रय या विक्रय या दोनों के आवर्त पर स्वीकृत रूप से देय हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जिसे ऐसी विवरणी में अनुमन्य प्रदर्शित किया गया है।

(2) इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए :-

(क) धारा-24 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी आवर्त और कर की वार्षिक विवरणी को कर निर्धारण आदेश समझा जाएगा और ऐसी विवरणी में प्रकटित तथ्यों या उल्लिखित अंकों को ऐसे कर निर्धारण आदेश का भाग समझा जाएगा, और

(ख) कर निर्धारण वर्ष, जिसमें वार्षिक विवरणी दाखिल करने का निर्धारित दिनांक पड़ता है, के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिनांक को ऐसे कर निर्धारण आदेश का दिनांक समझा जाएगा।

अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात कर का निर्धारण

28-(1) निम्नलिखित प्रकार के मामलों या व्यवहारियों में कर निर्धारण प्राधिकारी व्यवहारी द्वारा अपने कारबार के संबंध में रखे गये बहियों, लेखों और दस्तावेजों और अन्य सुसंगत अभिलेखों के विस्तृत परीक्षण के पश्चात, यदि कोई हो, और उपधारा (9) के अध्यधीन ऐसी जाँच, जिसे वह उपयुक्त समझें, करने के पश्चात इस धारा में उपबंधित रीति से कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण आदेश पारित करेगा :-

(क) ऐसे व्यवहारियों के मामलें में जिन्हें, कमिश्नर द्वारा या कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, जो संयुक्त कमिश्नर से नीचे की पंक्ति का न हो, द्वारा ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाय, कर लेखा परीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट या चयनित किया गया हो।

(ख) निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी में आने वाले व्यवहारी :-

(एक) ऐसा व्यवहारी जिसने वार्षिक विवरणी को निर्धारित या बढ़ायी गयी अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया हो, या

(दो) ऐसा व्यवहारी जिसके द्वारा कर निर्धारण वर्ष की या उससे अधिक कर अवधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी है, या

(तीन) ऐसा व्यवहारी जिसके मामले में कर निर्धारक प्राधिकारी ने अपने सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से एक या उससे अधिक कर अवधियों के सम्बन्ध में धारा-25 के अधीन अनन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित किया हो, या

(चार) ऐसा व्यवहारी जिसके मामले में अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यदि कर निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवर्त की वार्षिक विवरणी में प्रदर्शित देय कर जमा नहीं किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की दावाकृत धनराशि दोषपूर्ण है या देय कर की प्रदर्शित धनराशि गलत है, या

(पाँच)ऐसा व्यवहारी जिसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सर्वेक्षण, निरीक्षण, तलाशी या अभिग्रहण करने के लिए सशक्त किसी अधिकारी को रोका या बाधा पहुंचाई हो, या

(छः) ऐसा व्यक्ति जिसने माल के राज्य से होकर अभिवहन के लिए प्राधिकार प्राप्त किया हो और यह अनुमान हो कि ऐसे माल का विक्रय राज्य के भीतर किया गया है।

(2) जहाँ उपधारा-(1) में निर्दिष्ट बहियों, लेखों, दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जाँच करने के पश्चात

(एक) जहाँ कर निर्धारक अधिकारी का व्यवहारी द्वारा प्रकटित, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त के बारे में समाधान हो जाता है, वहाँ वह ऐसे आवर्त पर व्यवहारी द्वारा देय कर की धनराशि का निर्धारण करेगा और व्यवहारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि और व्यवहारी द्वारा उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट की देय धनराशि का अवधारण करेगा, और

(दो) जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी की राय हो कि व्यवहारी द्वारा प्रकटित, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों का आवर्त विश्वसनीय नहीं है, वहां वह अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त का अवधारण करेगा और ऐसे आवर्त पर देय कर का निर्धारण करेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि का और व्यवहारी द्वारा देय उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट का अवधारण करेगा।

(3) उपधारा-(2) के अधीन कर निर्धारण करने से पूर्व व्यवहारी :-

(एक) से अपेक्षा की जाएगी कि वह धारा-24 की उपधारा-(7) में निर्दिष्ट आवर्त और कर की वार्षिक विवरणी, यदि उसने ऐसी विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, प्रस्तुत कर दें,

(दो) को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा, और

(तीन) जहां आवर्त इनपुट टैक्स क्रेडिट या उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट का अवधारण अथवा कर का निर्धारण, यथास्थिति, सभी का या उनमें से किसी का, कर निर्धारक प्राधिकारी की सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार किया जाना हो, को कारण बताओ नोटिस जारी की जायेगी।

(4) उपधारा-(3) में निर्दिष्ट कारण बताओं नोटिस में ऐसे सभी कारण अन्तर्विष्ट होंगे जिसके आधार पर कर निर्धारक प्राधिकारी ने, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त, कर की धनराशि, इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि या उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि अविश्वसनीयता के बारे में अपनी राय बनाई हो ;

(5) कर निर्धारण का आदेश लिखित रूप में होगा और कर निर्धारण आदेश की प्रति, साथ में व्यवहारी द्वारा जमा किये जाने वाले कर की धनराशि के मांग की नोटिस, यदि कोई हो, व्यवहारी पर तामील की जाएगी।

(6) कर निर्धारण आदेश में स्वयं द्वारा जमा किये गये कर की धनराशि से अधिक निर्धारित कर की धनराशि को व्यवहारी कर निर्धारण आदेश और मांग की नोटिस की तामीली के दिनांक के पश्चात तीस दिन की अवधि के भीतर जमा करेगा।

(7) यदि व्यवहारी द्वारा जमा की गयी कर की धनराशि निर्धारित कर की धनराशि से अधिक पायी जाती है तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन व्यवहारी को वापस कर दिया जायेगा।

(8) धारा-25 के अधीन किसी कर अवधि के सम्बन्ध में किसी अनन्तिम आदेश के पारित होने के आधार पर कर निर्धारण प्राधिकारी को इस धारा के अधीन, कर निर्धारण आदेश देने से निवारित नहीं किया जाएगा और ऐसा अनन्तिम कर निर्धारण आदेश इस धारा के अधीन पारित कर निर्धारण आदेश में विलीन हो जाएगा।

(9) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निम्नलिखित व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग के सम्बन्ध में एक ही कर निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी संख्या में कर निर्धारण किया जाएगा जो नीचे उल्लिखित है :-

(एक) राज्य से होकर माल के अभिवहन के लिए प्राधिकार के जारी होने से सम्बन्धित मामलों में, प्रत्येक ऐसे प्राधिकार के सम्बन्ध में पृथक-पृथक कर निर्धारण।

(दो) जहां कोई अपंजीकृत व्यवहारी कोई कर योग्य माल राज्य के बाहर से एक कर निर्धारण वर्ष में एक से अधिक बार लाता है, वहाँ प्रत्येक अवसर पर लाये गये माल के सम्बन्ध में पृथक-पृथक कर निर्धारण।

(10) इस अधिनियम के सभी उपबंध उपधारा-(9) के अधीन पारित प्रत्येक निर्धारण आदेश पर लागू होंगे जैसे कि वे उपधारा-(2) के अधीन पारित आदेश पर लागू होते है।

(11) उपधारा-(10) के अधीन व्यवहारियों से आवर्त और कर की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसे व्यवहारियों के मामले में, कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही उपधारा (10) के अधीन कर निर्धारण किया जा सकता है।

(12) उपधारा-(5), (6) और (7) के उपबंध इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन पारित प्रत्येक निर्धारण आदेश पर यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

कर निर्धारण से वंचित रह गये आवर्त का कर निर्धारण

29-(1) यदि कर निर्धारक अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यवहारी का, किसी कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिए, सम्पूर्ण आवर्त या उसका कोई भाग कर निर्धारण से रह गया है अथवा कम निर्धारित किया गया है अथवा उसका उस पर ऐसी दर से कर का निर्धारण किया गया है जो इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण किए जाने की दर से कम हो, तो कर निर्धारक अधिकारी व्यवहारी को नोटिस जारी करने और ऐसी जॉच करने, जिसे वह आवश्यक समझे, के पश्चात् उस व्यवहारी पर विधि के अनुसार कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर उसी दर से लगाया जायेगा जिससे वह लगाया जाता, यदि आवर्त, कर निर्धारण, या पूर्व कर निर्धारण, जैसी भी स्थिति हो, से रह न गया होता।

**स्पष्टीकरण (1)** इस उपधारा की कोई भी बात करनिर्धारक अधिकारी के लिए उसके सुविचार से करनिर्धारण करने में रुकावट पैदा करने वाली न समझी जायेगी।

**स्पष्टीकरण (2)** इस धारा और धारा-31 के प्रयोजनों के लिए "कर निर्धारक अधिकारी" का तात्पर्य उस अधिकारी या प्राधिकारी से है जिसनें पूर्वतर कर निर्धारण आदेश, यदि कोई हो, पारित किया हो और इसके अन्तर्गत वह अधिकारी या प्राधिकारी भी है, जिसे तत्समय व्यवहारी पर करनिर्धारित करने की अधिकारिता हो।

**स्पष्टीकरण (3)** उपधारा के अधीन नोटिस जारी करने के बावजूद जहॉ कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का कोई आदेश ऐसा नोटिस जारी किए जाने के पूर्व से विद्यमान हो, वहॉ वह उसी प्रकार प्रभावी बना रहेगा जब तक ऐसी नोटिस के अनुसारण में इस धारा के अधीन किए गए करनिर्धारण या पुन: करनिर्धारण की किसी आदेश द्वारा उसमें परिवर्तन न कर दिया जाय।

(2) किसी कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के लिए करनिर्धारण आदेश धारा-25 के अधीन निर्धारित समय के भीतर पारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा या इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय किसी करनिर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर निर्धारण या पुन: करनिर्धारण का कोई आदेश ऐसे कर निर्धारण वर्ष के अन्त से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(4) जहॉ किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन नोटिस ऐसे करनिर्धारण वर्ष, जिससे कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण सम्बन्धित है, की समाप्ति के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर तामील कर दी गई हो, वहॉ कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन वर्ष और छ: माह के भीतर किया जा सकता है।

(5) जहॉ अपील प्राधिकारी, पुनरीक्षक प्राधिकारी, अधिकरण, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार ने —

(क) करनिर्धारण या पुन: कर निर्धारण के आदेश को अपास्त कर दिया हो और मामले को करनिर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया हो, या

(ख) सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर के अभाव के कारण कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण एक पक्षीय आदेश को अपास्त कर दिया हो या कर निर्धारक प्राधिकारी को अपास्त करने के लिए निर्देशित किया हो, या

(ग) अधिकारिता के अभाव के कारण या नोटिस के अभाव के कारण कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण की किसी आदेश को अभिखंडित कर दिया हो,

वहॉ कर निर्धारण प्राधिकारी उस कर निर्धारण वर्ष के, जिसमें कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश या निदेश सम्यक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया गया हो, उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का आदेश पारित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नोटिस के अभाव के कारण या अधिकारिता के अभाव के कारण किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश अभिखण्डित कर दिया जाय, वहाँ कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का आदेश सक्षम कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा व्यवहारी पर नोटिस तामील करने के पश्चात् किया जा सकता है।

(6) जहाँ धारा-32 के अधीन एक पक्षीय कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश स्वयं अपास्त कर दिया जाय, वहाँ उस कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व, जिसमें कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का आदेश अपास्त किया गया हो, कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का नया आदेश पारित किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कर निर्धारण वर्ष की अक्टूबर की पहली दिनांक को या इसके पश्चात् कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का एकपक्षीय आदेश अपास्त कर दिया जाय तो उस कर निर्धारण वर्ष के लिए जिसमें कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का एकपक्षीय आदेश अपास्त किया गया था, के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष के सितम्बर के तीसवें दिवस को या उसके पूर्व कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का नया आदेश दिया जा सकता है।

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि जहाँ कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का आदेश दूसरी बार या उत्तरवर्ती बार एकपक्षीय रूप से किया जाता है और कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का दूसरी या उत्तरवर्ती बार किया गया ऐसा एकपक्षीय आदेश अपास्त किया जाना हो और कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का नया आदेश किया जाना हो तो ऐसा एक पक्षीय कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का दूसरी बार या उत्तरवर्ती बार आदेश पूर्व में अपास्त किये गये एक पक्षीय आदेश के बाद उपरिउल्लिखित समय के भीतर किया जा सकेगा।

(7) जहाँ कमिश्नर का स्वप्रेरणा से या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गये कारणों के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय संगत और समीचीन है, और वह इस निमित्त कर निर्धारक अधिकारी को प्राधिकृत करता है, तो ऐसा कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण इस तथ्य के होते हुए भी कि ऐसे निर्धारण या पुनः निर्धारण में वैचारिक मतभेद हो सकता है, उस कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आठ वर्ष की अवधि के भीतर किया जा सकेगा जिससे ऐसा कर निर्धारण या पुनः निर्धारण सम्बन्धित हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह कर निर्धारक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने के पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करे।

(8) जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही किसी न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के अधीन स्थगित हो तो स्थगन आदेश के दिनांक को प्रारम्भ होने वाली और सम्बद्ध कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा स्थगन को निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्राप्ति के दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि को इस धारा की उपबन्धित परिसीमा अवधि की संगणना करने में निकाल दिया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपरोक्तानुसार परिसीमा की संगणना करने में, कोई कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का अन्तिम दिनांक किसी कर निर्धारण वर्ष में अक्टूबर के प्रथम दिवस के पूर्व पड़ता हो तो कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण ऐसे कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है और यदि ऐसी दशा में जबकि ऐसा दिनांक किसी कर निर्धारण वर्ष के सितम्बर माह के पश्चात पड़ता हो तो कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का आदेश उस कर निर्धारण वर्ष के, जिसमें ऐसा दिनांक पड़ता है पश्चातवर्ती कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व दिया जा सकता है।

(9) यदि किसी कर निर्धारण प्राधिकारी ने किसी व्यवहारी के किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण में -

(क) किसी आवर्त को सम्मिलित कर लिया है और वरिष्ठ प्राधिकारी या न्यायालय में अपने में विधि पूर्वक निहित अधिकारों का प्रयोग करके ऐसे आवर्त को -

(एक) किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए उस व्यवहारी के, या

(दो) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन उस व्यवहारी के, या

(तीन) इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन किसी अन्य व्यवहारी के कर निर्धारण से सम्बन्धित ठहराया हो,

(ख) किसी आवर्त को इस आधार पर सम्मिलित नहीं किया है कि उसका सम्बन्ध केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन कर निर्धारण से है और किसी वरिष्ठ प्राधिकारी या न्यायालय ने, अपने में विधि पूर्वक निहित अधिकारों का प्रयोग करके, ऐसे आवर्त को इस अधिनियम के अधीन उस व्यवहारी के कर निर्धारण से सम्बन्धित ठहराया हो, चाहे वह ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिए हो या किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए -

तो इस धारा की समय को सीमित करने वाली कोई बात यथा स्थिति ऐसे कर निर्धारण वर्ष के या ऐसे अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए उस व्यवहारी के या ऐसे अन्य व्यवहारी के चाहे इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के सम्बन्ध में लागू न होगी।

(10) जहाँ कर निर्धारक अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति जो कर के भुगतान से बचने की दृष्टि से या किसी ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट या छूट, जिनके लिए वह अन्यथा पात्र नहीं था, का दावा करने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से या उसके साथ, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे अभिकर्ता, कर्मचारी, प्रबन्धक, भागीदार या मुख्तारनामा धारक या प्रतिभूति दाता, सापेक्ष या सहोदर समुत्थान के रूप में हो अथवा किसी अन्य हैसियत से कारोबार कर रहा था तो वहाँ उक्त व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके नाम से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र लिया गया हो, पृथक या संयुक्त रूप से कर, ब्याज या शास्ति के लिए दायी होगा जिसका कर निर्धारण, उद्ग्रहण और वसूली सभी या ऐसे व्यक्ति से की जायेगी मानो ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन व्यवहारी हों, तथापि कोई कार्यवाही करने के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(11) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य या उसके किसी भाग में किसी कर निर्धारण वर्ष में व्याप्त असामान्य परिस्थितियों के कारण किसी ऐसे मामले या मामलों के वर्ग में, जिसके सम्बन्ध में ऐसे कर निर्धारण वर्ष में कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण पारित करने के लिए परिसीमा समाप्त हो जाती है, कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण को पूरा करना कठिन होगा, वहां ऐसे मामले या मामलों के वर्ग में कर निर्धारण या पुनःकर निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए वह गजट में अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन निर्धारित समय सीमा के बाद एक वर्ष तक समय सीमा बढ़ा सकती है।

(12) जहाँ विक्रेता और क्रेता के मध्य किसी करार में यह करार किया जाता है कि मूल्य वृद्धि के कारण माल का विक्रय मूल्य पश्चातवर्ती दिनांक को निर्धारित किया जायेगा और ऐसा दिनांक कर निर्धारण वर्ष जिसमें ऐसे माल का विक्रय किया गया था, के, किसी पश्चातवर्ती कर निर्धारण वर्ष में पड़ता हो, इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए कीमत निर्धारण के कारण प्राप्य धनराशि को, उस कर अवधि के दौरान जिसमें ऐसा निर्धारण किया जाए, आवर्त माना जायेगा और जहाँ धारा 28 में यथाविहित ऐसे आवर्त पर कर निर्धारण

की सीमा समाप्त हो गई हो, वहां आवर्त के ऐसे भाग का निर्धारण उस कर निर्धारण वर्ष के, जिसमें ऐसा मूल्य निर्धारित किया गया है, के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है किन्तु विक्रय के ऐसे आवर्त पर कर विक्रय के समय प्रचलित दर पर प्रभारित किया जाएगा।

आवर्त और कर को पूर्णांकित करना

30- (1) निर्धारित रीति से अवधारित आवर्त की धनराशि को, यदि ऐसी धनराशि दस रूपये के गुणांक में न हो, तो निकटतम दस रूपये के गुणांक में पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात दस रूपये के ऐसे भाग को जो पांच रूपये से कम हो, छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को दस रूपये गिना जाएगा। इस प्रकार पूर्णांक की गयी धनराशि को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए करदाता का आवर्त समझा जायेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देयकर, शुल्क, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य धनराशि को या वापस करने योग्य धनराशि को अगर ऐसी धनराशि में एक रूपये का भाग हो, निकटतम रूपये में पूर्णांक किया जायेगा, अर्थात एक रूपये के ऐसे भाग को जो पचास पैसे से कम हो, छोड़ दिया जाएगा और किसी अन्य भाग को एक रूपया गिना जाएगा।

त्रुटियों का संशोधन

31- (1) कोई अधिकारी या प्राधिकारी या अधिकरण या उच्च न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश में अभिलेख देखने मात्र से प्रत्यक्ष किसी भूल को स्वप्रस्ताव से या व्यवहारी या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर उस आदेश के दिनांक से जिसमें सुधार किया जाना हो, तीन वर्ष के भीतर सुधार सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के अधीन प्रार्थना पत्र ऐसी तीन वर्ष की अवधि के भीतर दे दिया गया हो तो उसका निस्तारण ऐसी अवधि के पश्चात् भी किया जा सकता है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार जिसके प्रभाव से निर्धारित कर, शास्ति, शुल्क या अन्य देयों में वृद्धि हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यवहारी या अन्य व्यक्ति को, जिसके ऐसी वृद्धि से प्रभावित होने की सम्भावना हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) उस दशा में जब ऐसी भूल सुधार का प्रभाव लगाए हुए कर के बढ़ने का हो, सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी निर्धारित प्रपत्र में मांग की फिर से सूचना व्यवहारी को देगा और उसके बाद इस अधिनियम के सभी प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि यह सूचना पहली बार दी गयी हो।

कर निर्धारण या शास्ति के एक पक्षीय आदेश को रद्द करने की शक्ति

32- (1) किसी मामलें, जिसमें कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के आदेश या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र को अस्वीकार करने या शास्ति का आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हो, में व्यवहारी उक्त आदेश की तामीली के तीस दिन के भीतर कर निर्धारक प्राधिकारी को, ऐसे आदेश को रद्द करने तथा उस मामले पर पुनः विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है, और यदि उक्त प्राधिकारी का सन्तोष हो जाय कि प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला या वह पर्याप्त कारणों से नियत दिनांक को उपस्थित न हो सका तो वह आदेश को रद्द कर सकता है और मामलें की सुनवाई पुनः प्रारम्भ कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण के एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए ऐसा कोई प्रार्थना पत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनो के आवर्त पर इस अधिनियम के अधीन देय कर की धनराशि, जिसे व्यवहारी द्वारा दाखिल की गयी विवरणी में या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी स्तर पर स्वीकार किया गया हो, जो भी अधिक हो, के भुगतान का सन्तोषजनक प्रमाण उसके साथ न लगा हो।

(2) यदि धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन कोई करनिर्धारण या शास्ति के आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाय तो व्यवहारी आदेश तामील किये जाने के तीस दिन के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसा आदेश रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है और

यदि ऐसे कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि व्यवहारी ने कर विवरण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक से तीस दिन के भीतर कर विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिया है और कर विवरण के अनुसार देय धनराशि जमा कर दी है तो वह ऐसे आदेश और उसके अधीन जारी की गयी मांग की नोटिस को भी, यदि कोई हो, उपांतरित या रद्द कर सकता है।

(3) किसी मामले में, जिसमें कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का आदेश एकपक्षीय किया गया हो और-

(क) ऐसे आदेश के विरुद्ध धारा-55 के अधीन अपील कालातीत होने के कारण खारिज कर दी गयी हो ;

(ख) धारा 57 के अधीन अधिकरण के समक्ष अपील में धारा 55 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर दी गयी हो ; और

(ग) कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा पदाभिहित अपर कमिश्नर का व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, समाधान हो जाता है कि -

(एक) कर निर्धारण पुनः कर निर्धारण की कार्यवाहियों की अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर व्यवहारी को ऐसी कार्यवाही के आरम्भ होने की कोई सूचना नहीं थी ;

(दो) एक पक्षीय कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के परिणाम स्वरूप किसी उचित आधार के बिना कर की धनराशि उद्ग्रहीत की गयी है ;

(तीन) व्यवहारी को असम्यक् कठिनाई होगी यदि ऐसा निर्धारित कर उससे वसूल किया जाता है ; और

(चार) यदि व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कर पुनः निर्धारित किया जाता है, तो निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के पूर्व आदेश द्वारा सृजित मांग बड़ी मात्रा में कम हो सकती है ;

तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी को ऐसे कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के एक पक्षीय आदेश को रद्द करने का निर्देश दे सकता है और व्यवहारी को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात निर्धारण या पुनः निर्धारण करने का निर्देश दे सकता है, यदि व्यवहारी धारा 57 के अधीन अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर कमिश्नर के समक्ष प्रार्थना पत्र देता है।

कर का संदाय और वसूली

33-(1) कर या शुल्क या शास्ति की कोई धनराशि या कोई अन्य धनराशि जिसका इस अधिनियम के अधीन कोई व्यवहारी या अन्य व्यक्ति भुगतान करने के लिए दायी हो, व्यवहारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा विहित रीति से जमा की जायेगी।

(2) धारा-42 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, स्वीकृत रूप मे देय कर निर्धारित समय के भीतर जमा किया जाएगा, ऐसा करने में विफल होने पर असदत्त धनराशि पर निर्धारित अन्तिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक प्रतिमाह सवा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा और दिया जाएगा और धारा 24 में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से न तो रोकेगी और न उसका प्रभाव ऐसे ब्याज के भुगतान की देयता को स्थगित करने का होगा -

<u>स्पष्टीकरण -</u> इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, किसी कर अवधि या कर निर्धारण वर्ष के लिए स्वीकृत रूप में देय कर की गणना धारा 15 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, पहले से जमा किए गये कर की धनराशि से आधिक्य में इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कर की धनराशि, उस पर देय ब्याज की धनराशि, शास्ति के रूप में आरोपित कोई धनराशि और इस अधिनियम के अधीन अवधारित कोई अन्य धनराशि विनिर्दिष्ट रीति से :-

(क) निर्धारित किए गए कर और देय ब्याज के मामले में कर निर्धारण आदेश और मॉग पत्र ;

(ख) यथास्थिति, अधिरोपित शास्ति या कोई अन्य देय अवधारित धनराशि आदेश की तामील किये जाने के तीस दिन के अन्दर जमा किये जायेंगे।

(4) यदि किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा निर्धारित, पुनः निर्धारित या बढ़ाया गया कोई कर (जो स्वीकार रूप से देय उस कर से भिन्न हो जिस पर उपधारा (2) लागू होती हो) कर निर्धारण और मांग की नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात असंदत्त रह जाता है तो ऐसी समाप्ति के दिनांक से संगणित असंदत्त धनराशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा और उसका भुगतान किया जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन देय ब्याज की धनराशि किसी ऐसे अन्य दायित्व या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो व्यवहारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उठानी पड़े और उसे कर की धनराशि में जोड़ दिया जाएगा और, सभी प्रयोजनों के लिए इसे कर का भाग भी समझा जाएगा।

(6) जहाँ किसी कर की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश से स्थगित रही हो और ऐसा स्थगन आदेश बाद में निष्प्रभावी कर दिया गया हो वहां ब्याज ऐसी किसी अवधि के लिए भी देय होगा जिसमें ऐसा आदेश प्रभावी रहा हो।

(7) किसी विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए, कर निर्धारक प्राधिकारी, किसी समय या समय-समय पर, लिखित सूचना द्वारा, जिसकी एक प्रति व्यवहारी के पास अन्तिम पते पर, जो कर निर्धारक प्राधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जायेगी, किसी व्यक्ति

(क) जिसके द्वारा व्यवहारी को कोई धनराशि देय हो या देय हो जाये ; या

(ख) जिसके पास व्यवहारी के निमित्त या उसकी ओर से धन हो या बाद में हो जायें, तो अपेक्षा कर सकता कि वह कर निर्धारक अधिकारी को -

(एक) धन देय होने पर या उसके पास होने पर तुरन्त, या

(दो) नोटिस में निर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर, जो धन देय होने पर या उसके पास धन होने के पहले न हो

उस धनराशि में से ऐसी धनराशि अदा करें जो व्यवहारी द्वारा देय कर के बकाया व इस अधिनियम के अधीन देय अन्य धनराशियों के भुगतान के निमित्त पर्याप्त हो या जब वह उक्त धनराशि के बराबर हो या उससे कम हो तो, वह पूरी धनराशि अदा करें :

प्रतिबंध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर ऐसी नोटिस को संशोधित कर सकता है।

**स्पष्टीकरण** :- इस उपधारा के प्रयोजनों के निमित्त व्यवहारी को देय धनराशि या व्यवहारी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास धनराशि का हिसाब उन दावों पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद लगाया जायेगा, जिनके भुगतान उक्त व्यवहारी द्वारा उस व्यक्ति को देय हो गये हो, और जो उस समय विधिवत अवस्थित है।

(8) उपधारा (7) के अधीन नोटिस के अनुपालन में भुगतान करने वाले व्यक्ति के विषय में यह समझा जायेगा कि उसने व्यवहारी के प्राधिकार के रूप में भुगतान किया तथा कर-निर्धारक अधिकारी की रसीद उस व्यक्ति के व्यवहारी के प्रति दायित्व से, रसीद में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक विधि संगत तथा पर्याप्त रूप से उन्मुक्त करेगी।

(9) जो व्यक्ति उपधारा (7) में उल्लिखित नोटिस की प्राप्ति के पश्चात व्यवहारी के प्रति दायित्व का उन्मोचन करता है, वह कर निर्धारक प्राधिकारी के प्रति उन्मुक्त दायित्व की मात्रा तक या उस नोटिस में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक, जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(10) यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (7) के अधीन नोटिस भेजी जाती है, कर निर्धारक प्राधिकारी के संतोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि मांगी गयी धनराशि या उसका कोई भाग व्यवहारी को देय नहीं है, या व्यवहारी के निमित्त या उसकी ओर से कोई धनराशि उसके पास नहीं है, तो इस धारा में दी गयी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उसके कारण उस व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह मांगी गयी धनराशि या उसके किसी भाग का, जैसी भी दशा हो, कर-निर्धारक प्राधिकारी को भुगतान करें।

(11) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय कोई कर या अन्य धनराशियों या कोई धनराशि जिसे, कर निर्धारक प्राधिकारी को देना किसी व्यक्ति से उपधारा (7) के अधीन अपेक्षित हो या जिसके लिए वह उपधारा (9) के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन रहते हुए, मालगुजारी के बकाया के रूप में या कर-निर्धारक प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्धारित रीति से वसूल की जा सकेगी और वसूली के प्रयोजनों के लिए ऐसे कर-निर्धारक प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को-

(क) ऐसे सभी अधिकार होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को किसी डिक्री के अधीन देय धनराशि की वसूली के प्रयोजन के लिए है ;

(ख) किसी अन्य क्षेत्र में अधिकारितायुक्त कर-निर्धारक प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी से ऐसी वसूली करने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा यदि बाकीदार या उसकी सम्पत्ति ऐसे अन्य कर-निर्धारक प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है और तदुपरांत ऐसा अन्य कर निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी वसूली की कार्यवाही निर्धारित रीति से करेगा।

(12) इस अधिनियम के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य किसी राशि के सम्बन्ध में, कर-निर्धारक प्राधिकारी कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर के साथ देय धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण पत्र अग्रेसित कर सकता है। ऐसा प्रमाण पत्र उसकी धनराशि के दायित्व और दायी व्यक्ति की विद्यमानता का निश्चायक साक्ष्य होगा और कलेक्टर उक्त प्रमाण पत्र के प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि की वसूली करने की कार्यवाही इस प्रकार करेगा मानो वह राशि भू-राजस्व का बकाया हो :

प्रतिबंध यह है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर के पास उक्त प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट धनराशि की वसूली करने के प्रयोजनार्थ ऐसी समस्त शक्तियां भी होगी जो-

(क) राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अधीन किसी कलेक्टर के पास हो ; और

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय के पास किसी डिग्री के अधीन किसी देय धनराशि की वसूली के प्रयोजन के लिए हो।

**स्पष्टीकरण :-** पद कलेक्टर के अन्तर्गत कोई अपर कलेक्टर या कोई अन्य ऐसा अधिकारी भी है जिसे राज्य में तत्समय प्रवृत्त भू-राजस्व से सम्बन्धित विधि के अधीन किसी कलेक्टर की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

(13) उपधारा (2) और उपधारा (3) में दी गयी किसी बात के होते हुए और किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, या अन्य प्राधिकरण के निर्णय, डिक्री या आज्ञा के होते हुए भी, यदि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किसी व्यवहारी पर इस अधिनियम के अधीन किसी कर या अन्य देयों के सम्बन्ध में कर-निर्धारण और माँग की नोटिस तामील की जाये और ऐसे कर या देयों के सम्बन्ध अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की जाये तो :

(क) यदि ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि बढ़ा दी जाये तो कर-निर्धारक प्राधिकारी व्यवहारी पर केवल उतनी धनराशि के सम्बन्ध में, जितनी धनराशि की ऐसी कर या अन्य देयों में वृद्धि की जाये, एक नई नोटिस तामील करेगा और ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के निस्तारण के पूर्व उस पर पहले से ही तामील की गयी नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि से सम्बन्धित कोई कार्यवाही उस प्रक्रम में जारी रखी जा सकती है जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण किये जाने के ठीक पूर्व रही थी,

(ख) यदि ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि कम कर दी जाये तो-

(एक) व्यवहारी पर नई नोटिस तामील करना आवश्यक न होगा, किन्तु केवल कम की गयी धनराशि ही वसूल की जायेगी,

(दो) यदि वसूली की कोई कार्यवाही कर-निर्धारण करने वाले प्राधिकारी से भिन्न किसी कर-निर्धारक प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो तो कर निर्धारण करने वाला अधिकारी ऐसी कमी किये जाने की सूचना ऐसे कर निर्धारक प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को देगा,

(तीन) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही का जिसके अन्तर्गत वसूली की कोई कार्यवाही भी है, निस्तारण किये जाने के पूर्व व्यवहारी पर तामील की गयी नोटिसों या नोटिस के आधार पर प्रारम्भ की गयी कोई कार्यवाही इस प्रकार कम की गयी धनराशि के सम्बन्ध में उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण के ठीक पूर्व हो रही हो,

(ग) किसी ऐसे मामले में, जिसमें कर या अन्य देयों की धनराशि में ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई वृद्धि (कर-निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित के निर्देश) में न हो, नये नोटिस की आवश्यकता न होगी।

(14) किसी व्यवहारी द्वारा भुगतान की गयी या जमा की गयी, या उससे वसूल की गयी या उसे वापस की जाने योग्य किसी धनराशि को सर्वप्रथम उसपर बकाया कर की मूल धनराशि, शुल्क, शास्ति या अन्य देयों के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात शेष धनराशि को, यदि कोई हो, व्यवहारी द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(15) जहाँ निर्धारित कर, देय ब्याज या अधिरोपित शास्ति की कोई धनराशि किसी वाहन के किसी स्वामी से वसूली योग्य है और ऐसे कर, ब्याज या शास्ति की ऐसी धनराशि की वसूली के लिए कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वहां वसूली प्रमाण पत्र निष्पादित करने के लिए सक्षम अधिकारी ऐसे वाहन या उसी स्वामी के अन्य वाहन का पता लगाने में पुलिस और राज्य सरकार के अन्य अधिकारी या पदाधिकारी की सहायता ले सकता है। यदि वसूली प्रमाण पत्र निष्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो ऐसे अन्य अधिकारी या पदाधिकारी ऐसे वाहन को निरुद्ध करने के लिए सशक्त होगा। जहाँ कोई अधिकारी या पदाधिकारी ऐसे वाहन को निरुद्ध करता है, वहां वह निरोध करते समय वाहन के प्रभारी व्यक्ति को लिखित रूप में निरुद्ध किये जाने का कारण उपलब्ध करायेगा और

वसूली प्रमाण पत्र निष्पादित करने वाले अधिकारी को तत्काल सूचित करेगा। वसूली प्रमाण पत्र निष्पादित करने वाला अधिकारी कर या शास्ति की ऐसी धनराशि की वसूली करने के लिए विधि के अनुसार कार्यवाही करेगा :

प्रतिबंध यह है कि यदि वाहन का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ऐसे अधिकारी या पदाधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर देता है कि वसूली योग्य दिखाई गयी धनराशि का भुगतान पहले से ही कर दिया गया हो तो वाहन को छोड़ दिया जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि गाड़ी निरुद्ध किये जाने के समय यदि उस पर कुछ माल लादा गया हो और ऐसे माल का स्वामी वाहन के स्वामी से भिन्न व्यक्ति हो तो माल के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को यह अनुज्ञा होगी कि वह ऐसे माल को, अगर वह हटाना चाहे, तो हटा लें।

(16) उपधारा (15) के अधीन वाहन को निरुद्ध किये जाने की अवधि के दौरान वाहन का प्रभारी व्यक्ति निरोध के समय माल या वाहन की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और वाहन निरुद्ध करने वाला अधिकारी या पदाधिकारी माल या वाहन की हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

स्रोत पर कर की कटौती

34- (1) इस अधिनियम के अधीन कर की वसूली, भुगतान या संग्रहण के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, गजट में, अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि किसी विनिर्दिष्ट मामले और विनिर्दिष्ट परिस्थितियों मे, किन्तु ऐसी शर्तों के अद्यधीन रहते हुये, जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे मामलों में, जैसे कि विनिर्दिष्ट किये जाएं, माल के विक्रय पर देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण दायित्व के निष्पादन के लिये विक्रय करने वाले व्यवहारी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यक्ति विक्रेता को चाहे साख द्वारा या नकद रूप में या किसी अन्य रीति से भुगतान करते समय किसी कराधेय माल के विक्रय के कारण व्यवहारी द्वारा देय कर के समाधान के लिए ऐसा भुगतान करते समय ऐसी धनराशि की कटौती करेगा जिसे विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ संविदा संकर्म के मामले में ठेकेदार ने उप-ठेका दिया हो और अधिसूचना में यह उपबन्ध हो कि ठेका देने वाला, ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से धनराशि की कटौती करे तो उप-ठेकेदार को की गयी संविदा के अनुसरण में किसी उपठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान या किसी दायित्व के निष्पादन के लिये उत्तरदायी ठेकेदार, उपठेकेदार को भुगतान करते समय उपनिर्दिष्ट कर की धनराशि की कटौती करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी संविदा सकर्म के मामले में ठेकेदार ने उपठेकेदार को किये गये भुगतान में से पहले ही कटौती कर ली है तो उस धनराशि में से जिस पर ठेका देने वाले द्वारा ठेकेदार से कटौती की जानी है, ऐसे भुगतान की धनराशि की कटौती कर ली जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी होने पर, जहाँ, -

(क) उपधारा (1) के खण्डों में से किसी खण्ड के अधीन किसी कराधेय माल का विक्रय करने वाला व्यवहारी किसी कारण से दावा करता है कि वह या तो कराधेय माल के किसी विक्रय पर कर का भुगतान करने के लिये दायी नहीं है या ऐसी धनराशि कर के रूप में भुगतान करने के दायी है जो उपबन्धित रीति से संगणित कटौती की धनराशि से कम हो ; या

(ख) माल का विक्रय करने वाले व्यवहारी को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति विक्रय किये गये माल के आवर्त को सुनिश्चित करने में असमर्थ है,

वहाँ भुगतान करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति विक्रेता व्यवहारी से अपेक्षा करेगा कि वह अपने कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी निर्देश को प्रस्तुत करें और वह कर निर्धारण प्राधिकारी के ऐसे निर्देश के अनुसार कार्य करेगा।

(3) जहाँ स्वयं, क्रेता व्यवहारी किसी माल के क्रय के आवर्त पर इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के कारण कर का भुगतान करने के लिये दायी हो, वहाँ ऐसे माल के आवर्त के सम्बन्ध में किसी धनराशि की कटौती नहीं करेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन परिस्थितियों में विक्रेता व्यवहारी अपने कारबार के मुख्य स्थान पर अधिकारिता रखने वाले कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष या यदि उसके कारबार का कोई नियत स्थान न हो तो उस पर कर निर्धारक प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता में सामान्यतः निवास करता हो, के समक्ष ऐसी धनराशि की कटौती करने के लिये क्रेता को निर्देश जारी करने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट कर निर्धारक प्राधिकारी विक्रय किये गये माल के सम्बन्ध में व्यवहारी के कर के भुगतान के दायित्व का परीक्षण करने के पश्चात और व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा तद्नुसार माल के क्रेता को निर्देशित करेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन काटी गयी धनराशि ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उस मास के, जिसमें कटौती की जाय, आगामी मास की बीस दिन की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ उपधारा (1) के खण्ड(ग) या खण्ड (घ) के अधीन माल का क्रेता कोई पंजीकृत व्यवहारी है, वहाँ वह काटी गयी धनराशि को ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जमा करेगा जिसमें कर की धनराशि, उस कर अवधि के लिये जिसमें क्रय किया गया है, देय है और ऐसा व्यवहारी ऐसे क्रय के सम्बन्ध में धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिये हकदार होगा।

(7) उपधारा (1) के अधीन कटौती करने वाला व्यक्ति भुगतान व निर्वहन करते समय विक्रेता व्यवहारी को कटौती की गयी धनराशि का एक प्रमाण पत्र, ऐसे प्रपत्र में, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, उपलब्ध करायेगा, जैसी विहित की जाये और उसके द्वारा की गई ऐसी समस्त खरीदों, भुगतानों और की गई कटौतियों और जारी किये गये प्रमाणपत्रों का ऐसा विवरण और उसका विवरण, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाये, प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्टि कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार काटी गई धनराशि उपधारा (6) की अपेक्षानुसार जमा करने में असफल रहता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गयी और यदि काटी गयी हो तो इस प्रकार सरकारी कोषागार में जमा न की गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक धनराशि का भुगतान करेगा।

(9) उपधारा (8) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कोई व्यक्ति, कटौती करने के पश्चात, इस प्रकार काटी गयी धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो वह इस प्रकार जमा न की गयी धनराशि पर उस दिनांक से जब ऐसी धनराशि वास्तव में जमा की गई, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भुगतान करने का दायी होगा।

(10) जहाँ कटौती करने के पश्चात धनराशि जमा न की गयी हो, वहाँ उपधारा (9) में निर्दिष्टि ब्याज सहित ऐसी धनराशि राजस्व बकाये के रूप में उस व्यक्ति से, जिसनें कटौती की है, वसूल की जायेगी और ऐसी धनराशि सम्बद्ध व्यक्तियों की समस्त आस्तियों पर प्रभार होगी।

(11) इस धारा के अन्तर्वलित कोई बात कर निर्धारक प्राधिकारी को अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसार व्यवहारी द्वारा देय कर निर्धारण करने से नहीं रोकेगी और व्यवहारी इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबन्धों के अनुसार कर का भुगतान करने का दायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन की गई किसी कटौती को विक्रेता व्यवहारी की ओर से कर का भुगतान माना जायेगा और उपधारा(9) में निर्दिष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, यथास्थिति, सुसंगत अवधि के कर आवर्त या किये गये कर निर्धारण में इस प्रकार काटी गयी धनराशि उस व्यक्ति की ओर से जमा धनराशि मानी जायेगी और देय धनराशि से अधिक पायी गयी कोई धनराशि क्रेता व्यवहारी को वापस लौटा दी जायेगी।

(12) यदि माल का विक्रेता कोई व्यवहारी नहीं है तो इस धारा के अधीन किसी धनराशि की कटौती नही की जायेगी परन्तु यह सिद्ध करने का दायित्व, कि माल का क्रय किसी व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से किया गया है, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर होगा, जिसके विफल होने पर यह माना जाऐगा कि माल का क्रय किसी व्यवहारी से किया गया है।

(13) जहाँ किसी सकर्म संविदा के अधीन विक्रय के संबंध में कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कटौती की धनराशि सुनिश्चित करने में असमर्थ है और, यथास्थिति, ठेकेदार या उपठेकेदार अपने कर निर्धारक प्राधिकारी से उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्देश प्रस्तुत नही करता है तो कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी धनराशि की कटौती करेगा जो भुगतान की सकल धनराशि का चार प्रतिशत होगी।

**स्पष्टीकरण :-** इस धारा के प्रयोजन के लिये विक्रेता व्यवहारी को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के सम्बन्ध में कर निर्धारक प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसकी उस स्थान पर अधिकारिता हो जहाँ राज्य के भीतर ऐसे व्यक्ति के कार्य का स्थान स्थित हो और जहाँ ऐसे व्यक्ति का उक्त स्थान न हो, वहाँ पर ऐसे स्थान, जहाँ पर ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान स्थित हो, पर अधिकारिता हो।

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को कर कटौती संख्या का आबंटन

35- (1) धारा 34 के उपबन्धों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करने के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी नहीं है, कर निर्धारक प्राधिकारी को कर कटौती संख्या आबंटन के लिये, आवेदन करेगा और आवेदन पत्र को, ऐसे समय और रीति में, जैसी विहित की गई हो, निस्तारण कर दिया जायेगा।

(2) कर को जमा करने और विवरणी दाखिल करने से सम्बन्धित सभी अभिलेखों में कर कटौती संख्या निर्दिष्ट की जायेगी।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न कोई व्यक्ति, धारा-34 की उपधारा(1) के अधीन, तब तक कर की कटौती नहीं कर सकता है जब तक कि उसने ऐसी कर कटौती संख्या हेतु आवेदन न दे दिया हो।

(4) यदि उपधारा (1) के निर्दिष्ट कोई व्यक्ति कर कटौती संख्या के आवेदन करने में विफल रहता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात, लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो धारा 34 के अधीन कटौती योग्य धनराशि के दुगने से अधिक न हो।

नगण्य धनराशियों की वसूली या उनकी वापसी की उपेक्षा किया जाना

36-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन कोई कर, शुल्क, ब्याज या कोई शास्ति वसूल नही किया जायेगा और कोई वापसी अनुज्ञात नही होगी, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये सम्मिलित धनराशि सौ रूपये से कम हो।

समापनाधीन किसी कम्पनी के मामले में कर की वसूली

**37-** (1) प्रत्येक व्यक्ति-

(क) जो किसी ऐसी कम्पनी का समापक हो जो किसी न्यायालय या अन्यथा के आदेशों के अधीन समाप्त की जा रही हो ; या

(ख) जो कम्पनी के किन्ही परिसम्पत्तियों का प्रापक (जिसे आगे समापक कहा गया है) नियुक्त किया गया हो,

उसके इस प्रकार परिसमापक होने के पश्चात तीस दिनों के भीतर अपनी इस प्रकार नियुक्ति की सूचना कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा।

(2) कर निर्धारक प्राधिकारी, ऐसी जाँच करने या ऐसी सूचना, जैसा वह उचित समझे माँगने के पश्चात ऐसे दिनाँक, जिस पर उसे समापक की नियुक्ति की नोटिस प्राप्त हो, से तीन माह के भीतर समापक को ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में अधिसूचित करेगा जो कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में किसी कर, जो तत्समय या सम्भवत: उसके पश्चात कम्पनी द्वारा संदेय हो, की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त होगी।

(3) कम्पनी की किन्हीं परिसम्पत्तियों या अपने अधिकार में सम्पत्तियों को समापक तब तक अलग नहीं करेगा जब तक कर निर्धारक अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन उसे अधिसूचित न कर दिया गया हो और इस प्रकार अधिसूचित किये जाने पर अधिसूचित धनराशि के बराबर धनराशि पृथक रूप से रख देगा और जब तक वह ऐसी धनराशि को पृथक नहीं रख देता है, किसी भी परिसम्पत्ति को अलग नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात समापक को किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के अधीन कम्पनी द्वारा संदेय कर के भुगतान करने के लिए या सरकार को देय ऋणों के संदाय को पूरा करने के लिये कम्पनी के समापन की ऐसी लागतों या व्ययों, जो कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में युक्तियुक्त हो, को पूरा करने के लिये ऐसी परिसम्पत्तियों या सम्पत्तियों को अलग करने से नही रोकेगी।

(4) यदि समापक उपधारा (1) के अनुसार नोटिस देने में विफल हो जाता है या यथा अपेक्षित धनराशि को पृथक रुप से रखने में विफल हो जाता है, या उपधारा (3) के उपबन्धों के उल्लंघन में कम्पनी की किसी परिसम्पत्ति या अपने अधिकार में किसी सम्पत्ति को अलग कर देता है तो वह ऐसे कर के भुगतान के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा जिसे कम्पनी भुगतान करने की दायी होती :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (2) के अधीन कम्पनी द्वारा संदेय किसी कर की धनराशि अधिसूचित की जाती है तो इस उपधारा के अधीन समापक का व्यक्तिगत दायित्व उस धनराशि की सीमा तक होगा।

(5) जहाँ एक से अधिक समापक हो वहाँ इस धारा के अधीन समापक से सम्बद्ध समापन और दायित्व समस्त समापकों से संयुक्त रूप से और पृथक रूप से सम्बद्ध होंगे।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के विपरीत होते हुए भी इस धारा के उपबन्ध का प्रभाव होगा।

**स्पष्टीकरण** :-कम्पनी का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1956) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा कम्पनी को समनुदेशित से है।

समापनाधीन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के निदेशक का दायित्व

**38-**कम्पनी अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बन्द की जाती है और इस अधिनियम के अधीन कम्पनी पर निर्धारित कोई कर किसी ऐसी अवधि के लिए, उसके समापन के पूर्व या उसके दौरान या उसके पश्चात, वसूल न किया जा सकता हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का निदेशक रहा हो, के दौरान किसी भी समय ऐसे कर के भुगतान के लिये संयुक्त रूप से और पृथक रूप से तब तक दायी होगा जब तक कि वह यह सिद्ध नहीं कर देता है कि गैर वसूली को कम्पनी के मामलों के सम्बन्ध में उसकी ओर से किसी सकल उपेक्षा, अपकरण या उसके कर्तव्य भंग से आरोपित नही किया जा सकता है।

किश्त की सुविधा प्रदान करने की शक्ति

39- (1) कर निर्धारण प्राधिकारी के समाधान के लिए प्रतिभूति उपलब्ध कराने सम्बन्धित शर्तों, जैसा अधिरोपित करने के लिये उचित समझा जाये, सहित ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन -

(क) राज्य सरकार किसी व्यवहारी या अन्य व्यक्ति, जिसके विरुद्ध किसी मात्रा में कर, शास्ति या अन्य देय या तो इस अधिनियम के अधीन या पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन अवशिष्ट हो, को चौबीस से अनधिक ऐसी संख्या में मासिक किस्तों में धनराशि का भुगतान करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है, और

(ख) उसी प्रकार से कमिश्नर किसी व्यवहारी या अन्य व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कुल मिलाकर एक लाख रूपयों से अनधिक कर, शास्ति या अन्य देयों की धनराशि या तो इस अधिनियम के अधीन या पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन अवशिष्ट हो, को बारह से अनधिक ऐसी संख्या की मासिक किश्तों में धनराशि का भुगतान करने के लिये अनुज्ञात कर सकता है।

(2) जहाँ ऐसा व्यवहारी या अन्य व्यक्ति अवशिष्ट धनराशि के भुगतान के लिये सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के समाधान के लिये पर्याप्त प्रतिभूति उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के साठ दिनों के भीतर प्रदान करने में विफल हो जाता हो या ऐसे आदेश में अधिरोपित शर्तों या निर्बंधनों का अनुपालन करने में विफल हो जाता है वहाँ देय धनराशि तत्काल वसूली योग्य होगी।

## अध्याय - पाँच
## वापसी और समायोजन

वापसी और समायोजन

40-(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा व्यवहारी को इस अधिनियम के अधीन उससे देय धनराशि से अधिक भुगतान की गयी कर, फीस या अन्य देयों की धनराशि विहित रीति से वापस की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि वापस करने योग्य पायी गयी धनराशि प्रथमतः इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, या पूर्व कर अधिनियम के अधीन व्यवहारी के विरुद्ध अवशिष्ट कर या किसी अन्य धनराशि के प्रति समायोजित की जायेगी और केवल शेष धनराशि, यदि कोई हो, वापस की जायेगी।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की आधिक्य धनराशि की, अन्य शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वापसी धारा-15 की शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन होगी।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन उपबन्धों के अनुसार वापस की जाने योग्य पायी गयी धनराशि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा दिये गये वापसी के आदेश के दिनांक से, या जहाँ वापसी उद्भूत होने वाला आदेश किसी अन्य प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा समुचित प्रक्रिया द्वारा ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से पारित होने के तीस दिन के भीतर वापस नहीं किया जाता है वहाँ व्यवहारी कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश के दिनांक से या किसी अन्य प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा वापसी उद्भूत करने वाले आदेश की प्राप्ति के दिनांक से वापसी किये जाने वाले दिनांक तक बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के लिये हकदार होगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ व्यवहारी द्वारा दाखिल की गयी विवरणी के आधार पर देय इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि के आधिक्य से सम्बन्धित वापसी धारा-15 के अधीन निर्धारित समय के भीतर अनुज्ञात नहीं की जाती है वहाँ व्यवहारी ऐसी धनराशि पर ऐसे दिनांक, जिस पर वापसी देय हो, से वापस किये जाने के दिनांक तक बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के लिए हकदार होगा।

(3) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, यथास्थिति, ऐसे विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त पर जिसे व्यवहारी ने या तो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणी पत्र में या अन्यथा किसी कार्यवाही में किसी प्रकरण पर स्वीकार किया गया हो, इस अधिनियम के अधीन देय कर या, शुल्क को वापस लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(4) जहाँ व्यवहारी ने कर निर्धारक प्राधिकारी से या तो इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन अपनी भावी दायित्वों के प्रति समायोजन के लिये ऐसी धनराशि रोकने के लिये अनुरोध किया हो वहाँ ऐसी परिस्थितियों में व्यवहारी ब्याज के लिये हकदार नहीं होगा।

(5) जहाँ धारा-34 के अधीन कर की किसी धनराशि की किसी व्यवहारी से किसी निर्धारण वर्ष के निमित्त उसके द्वारा संदेय कर के रूप में कटौती की गयी हो, वहाँ उपधारा(3) के प्रयोजन के लिये कटौती की गयी धनराशि इस अधिनियम के अधीन देय कर मानी जायेगी और व्यवहारी को वापस नहीं की जायेगी, जहाँ व्यवहारी-

(क) ने न तो समस्त कर अवधियों के लिये आवर्त और कर की विवरणी प्रस्तुत की हो और न ही निर्धारण वर्ष, जिसमें विक्रय किया गया, के लिये वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की हो, और

(ख) ऐसे निर्धारण वर्ष, जिसमें विक्रय किया गया हो, के लिये एक पक्षीय कर निर्धारण किया गया हो।

(6) जहाँ किसी माल के विक्रय के सम्बन्ध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा कर की कोई धनराशि, -

(क), .....

(एक) भारत में किसी विदेशी राजनयिक मिशन या दूतावास के किसी अधिकारी या कार्मिक से ; या

(दो) संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य तत्समान अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जो किसी ऐसे समझौते जिसका भारत एक पक्ष हो, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रसुविधाओं से हकदार हो, का अधिकारी या कार्मिक से ; या

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) या उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट किसी राजदूत या किसी मिशन, संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य संघ के राजनयिक एजेन्ट से, - वसूल की गयी हो, और जहाँ ऐसे अधिकारी, कार्मिक, दूतावास या एजेन्ट ने अपने लिये या ऐसे मिशन, संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य संघ के प्रयोजन के लिये माल क्रय किया हो, तो ऐसे अधिकारी, कार्मिक, एजेन्ट या संयुक्त राष्ट्र संघ या संघ ने यथाप्रयोज्य धारा-22 की उपधारा(1) के अधीन कर बीजक या उक्त धारा की उपधारा(3) में निर्दिष्ट विक्रय बीजक विहित रीति में प्रस्तुत करने के पश्चात उससे वसूल की गयी कर की धनराशि की वापसी का दावा किया है तो कमिश्नर या उसके द्वारा इस निमित्त कोई प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी, कार्मिक, राजदूत या ऐसे मिशन के संयुक्त राष्ट्र संघ या संघ के एजेन्ट को ऐसी धनराशि वापस करेगा।

(7) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन केवल प्रतिसंदाय बाउचर या चेक प्रदान करके ही प्रति संदाय किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई व्यवहारी ई-कर-विवरणी प्रस्तुत करे तो वहाँ उसको वापसी योग्य पायी किसी धनराशि की वापसी की अनुमति ई-चेक के माध्यम से की जायेगी।

स्पष्टीकरण : इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विहित दिनांक वापसी का दिनांक माना जायेगा।

अनन्तिम वापसी

41-(1) धारा-40 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी व्यवहारी, जिसका मुख्य कारबार भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के प्रक्रम में माल का विक्रय करना हो, के मामले में कर निर्धारक प्राधिकारी किसी कर अवधि के लिये विवरणी और अनन्तिम वापसी के लिये और लम्बित सम्परीक्षा और दावे और अनुवर्ती निर्धारण की सत्यता स्थापित करने के लिये जाँच का आवेदन प्राप्त होने पर भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के प्रक्रम में विक्रय के कारण ऐसी कर अवधि के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि के आधिक्य के अनन्तिम वापसी की अनुमति, विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विहित अन्तिम दिनांक से या उस दिनांक से जब विवरणी प्रस्तुत की गयी हो, जो भी बाद में, तीस दिन के भीतर, दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन या पूर्व अधिनियम के अधीन कर, शुल्क या शास्ति की कोई धनराशि या कोई अन्य धनराशि ऐसे व्यवहारी के प्रति देय हो तो प्रथमत: वापसी योग्य पायी गयी धनराशि, यथास्थिति, कर या शुल्क या शास्ति की ऐसी धनराशि में समायोजित की जायेगी और अधिक धनराशि, यदि कोई हो, तो उसे व्यवहारी को वापस कर दिया जायेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि वापसी प्रदान करने के पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी वापसी की धनराशि की अपने संतोषानुसार प्रतिभूति उपलब्ध कराने के लिये व्यवहारी से अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि कर निर्धारण किये जाने पर, उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गयी अस्थायी वापसी आधिक्य में पायी जाती है, तो वापसी के आधिक्य की धनराशि अस्थाई वापसी की स्वीकृति की दिनाँक से धनराशि के भुगतान के दिनाँक तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित व्यवहारी से वसूल की जायेगी।

कर आस्थगन

42- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई औद्योगिक इकाई, जो 1 जनवरी, 2008 को कर से छूट या कर की दर में कमी का लाभ प्राप्त कर रही थी, या कोई औद्योगिक इकाई, जिसे पूर्व अधिनियम के अधीन कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा स्वीकृत की गयी थी, को कर आस्थगन की सुविधा प्राप्त इकाई माना जायेगा।

कोई इकाई जो 1 जनवरी, 2008 को पूर्व अधिनियम के अधीन कर आस्थगन की सुविधा प्राप्त कर रही थी या कोई इकाई जिसे पूर्व अधिनियम के अधीन कर आस्थगन का लाभ स्वीकृत किया गया है, ऐसे निर्बंधनों के अध्यधीन, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, उक्त सुविधा प्राप्त करती रहेगी।

(2) उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट कर आस्थगन की सुविधा प्राप्त कर रही इकाई या पूर्व अधिनियम के अधीन आस्थगन सुविधा प्राप्त कर रही इकाई, कर बीजक जारी करने और धारा 13 के उपबन्धों के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिये अर्ह होगी।

(3) कर आस्थगन की सुविधा प्राप्त कर रही सभी इकाइयों के लिये अर्हता की अवधि, अर्हता धनराशि को नामे डालने की रीति, प्रतिसंदाय और कोई अन्य लाभ, ऐसी रीति से होंगे, जैसा विहित किया जाये।

व्यवहारियों द्वारा कर के रूप में त्रुटिपूर्ण ढंग से वसूल की गयी धनराशि के वितरण की प्रक्रिया

**43-(1)** जहाँ धारा 22 और 23 के अधीन अनुबन्धों के उल्लंघन में किसी व्यवहारी द्वारा किसी व्यक्ति से किसी माल के क्रय या विक्रय पर कर के रूप में तात्पर्यित कोई धनराशि वसूल की गयी हो वहाँ ऐसा व्यवहारी धारा 21 की उपधारा (14) के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार वसूल की गयी सम्पूर्ण धनराशि को धारा 24 के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर और रीति से जमा करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा जमा की गयी कोई धनराशि, सीमा तक जहाँ तक वह कर के रूप में देय न हो, राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के वास्ते जिस पर माल के क्रय या विक्रय के सम्बन्ध में, ऐसी अधिक धनराशि प्रभारित की गयी है, अन्ततः धरोहर के रूप में रखा जायेगा।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा कोई धनराशि जमा की गयी हो वहाँ ऐसी धनराशि या उसका भाग, उस निमित्त किये जा रहे दावे पर, ऐसे व्यक्ति को निर्धारित रूप में वापस किया जायेगा जिस पर ऐसी धनराशि का दायित्व अन्ततः पारित किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई दावा कर निर्धारण आदेश के दिनाँक से तीन वर्ष या उसके सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या निर्देश, यदि कोई हो, पर अन्तिम आदेश के दिनांक से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, की समाप्ति के बाद ग्रहण नही किया जायेगा।

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन उपबन्धों के अनुसार कोई धनराशि किसी व्यवहारी द्वारा जमा की गयी हो, वहाँ व्यवहारी धारा 21 की उपधारा (14) के उपबन्धों के अध्यधीन माल के क्रेता को ऐसी धनराशि की वापसी के लिये अनुज्ञा करने का हकदार नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण :-** पद "अपील, पुनरीक्षण या निर्देश पर अंतिम आदेश" में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश सम्मिलित है।

## अध्याय - छह

## कर सम्परीक्षा, निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण

कर सम्परीक्षा

**44-** (1) व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा दाखिल किए गए विवरण पत्र या विवरण पत्रों की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से तथा व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित विभिन्न दावों की स्वीकृति की सत्यता प्रमाणित करने हेतु उतनी संख्या के व्यवहारियों, जितना विहित किया जाय, की कर सम्परीक्षा की जाएगी।

(2) इस अधिनियम को क्रियान्वित करने वाले विभाग की सम्परीक्षा शाखा में तैनात एवं कोई राज्य सरकार या कमिश्नर द्वारा नियुक्त कर निर्धारक प्राधिकारी से अनिम्न कोई अधिकारी या इस हेतु कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उन व्यवहारियों के अभिलेखों, व्यापार के स्टाक और संबंधित दस्तावेजों की सम्परीक्षा कर सकता है जो उपधारा (1) के अन्तर्गत, निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित हो या विनिर्दिष्ट किए गए हों :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी कर निर्धारण वर्ष हेतु, उस कर निर्धारण वर्ष की सम्परीक्षा के तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात कोई सम्परीक्षा नहीं की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह और भी है कि जहां किसी कर निर्धारण वर्ष की सम्परीक्षा करने वाला अधिकारी सन्तुष्ट है कि व्यवहारी ने जानबूझ कर ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है जिससे करापवंचन हुआ है या मिथ्या दावे से कोई लाभ लिया हो, तो वह उस कर निर्धारण वर्ष, जिसमें सम्परीक्षा की जा रही हो, के तीन लगातार पूर्ववर्ती वर्षों की सम्परीक्षा कर सकता है।

(3) उपधारा (1) में संदर्भित अधिकारी कर सम्परीक्षा के उद्देश्य हेतु व्यवहारी को अभिलेख और अन्य दस्तावेज अपने कार्यालय में अपने समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सुविधा जनक हो तो अधिकारी व्यवहारी के कार्यालय, व्यापार-स्थल या गोदाम में कर सम्परीक्षा कर सकता है।

(4) कर सम्परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात, कर सम्परीक्षा करने वाला अधिकारी तैयार की गयी सम्परीक्षा आख्या (Audit Report) व्यवहारी के कर निर्धारक अधिकारी को प्रेषित करेगा।

लेखों, दस्तावेजों को दिखाने की आज्ञा देने की शक्ति और प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी और जब्त करने की शक्ति

45-(1) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई अधिकारी (जिसे आगे इस धारा में प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये किसी व्यवहारी से कोई बही, दस्तावेज या लेखा जो उसके कारबार से सम्बन्धित हो, को दिखाने की अपेक्षा कर सकता है और प्रति बना सकता है और व्यवहारी से ऐसी पूछ ताँछ कर सकता है जैसी आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारण वर्ष के पाँच वर्ष से अधिक पूर्व की अवधि की बही, लेखे और दस्तावेजों की इस प्रकार अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि किसी विशेष मामले में अभिलिखित कारणों से ऐसा करना आवश्यक न हो।

(2) प्राधिकृत अधिकारी समस्त युक्तियुक्त समयों पर किसी कारबार के स्थान या गाड़ी, जलयान या अन्य भवन या स्थान जहाँ उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यवहारी अपने कारबार से सम्बन्धित किसी बही, रजिस्टर, दस्तावेज, लेखा या माल रखता हो या तत्समय रख रहा हो, में प्रवेश कर सकता और तलाशी ले सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निवास स्थान (जो कारबार सहनिवास स्थान न हो) में ऐसे अधिकारी द्वारा तब तक प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी नहीं की जायेगी जब तक वह इस निमित्त कमिश्नर द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न किया गया हो।

(3) ऐसे सब लेखे तथा खाते बही, जिनको कोई व्यवहारी अपने साधारण कारोबार के सम्बन्ध में साधारणतया रखता हो, माल जो उसके पास हो और उसके कारोबार के स्थान या गाड़ी सब यथोचित समयों पर ऐसे प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा तलाशी और निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(4) यदि प्राधिकृत अधिकारी को किन्हीं बहियों, लेखों दस्तावेजों का परीक्षण करने या तलाशी या निरीक्षण करने के दौरान यह विश्वास करने के लिये समुचित आधार हो कि कोई व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य देयों के भुगतान के दायित्व का अपवंचन करने का प्रयास कर रहा है और यह कि उसके दायित्व की जाँच करने के प्रयोजन से आवश्यक कोई बात किसी लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज में पायी जा सकती है तो वह ऐसे लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज, जैसा आवश्यक हो, को अभिग्रहीत कर सकता है। प्राधिकृत अधिकारी उनके लिए तत्काल रसीद जारी करेगा और ऐसी प्रतिलिपियाँ या उद्धरण लेने के पश्चात जो आवश्यक समझी जाँय, अभिग्रहण के दिनांक से 90 दिन की अवधि के भीतर उन्हें व्यवहारी या ऐसे व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से उन्हें अभिग्रहीत किया गया हो, को वापस करने के लिये बाध्य होगा, बशर्ते व्यवहारी या उपर्युक्त व्यक्ति उसे वापस किये गये लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज की रसीद लिखित रूप से दे दें। अधिकारी लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज वापस करने से पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपना हस्ताक्षर करेगा और अपनी सरकारी मोहर लगायेगा, और ऐसे मामले में व्यवहारी या उपर्युक्त व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह उसके द्वारा दी गयी रसीद में स्थानों की संख्या का उल्लेख करे जहाँ पर ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर प्रत्येक लेखा रजिस्टर या दस्तावेज पर लगाये गये हों :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ व्यवहारी ने कोई दस्तावेज मैगनेटिक मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया में तैयार किया है तो प्राधिकृत प्राधिकारी दस्तावेज की प्रतियाँ और सी0डी0 दो प्रतियों में लेने के बाद और प्रतियों और सी0डी0 पर विभिन्न स्थानों पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद ऐसी सामग्री को एक प्रति और सी0डी0 के साथ ऐसे मीडिया को वापस कर देगा।

प्रतिबन्ध यह और यह है कि जहाँ जब्त किये गये लेखा रजिस्टर या दस्तावेजों की वापसी प्राप्त करने के लिए सूचना व्यवहारी को या व्यक्ति को भेज दी गयी हो और व्यवहारी और ऐसा व्यक्ति ऐसी सूचना की प्राप्ति के बावजूद ऐसे दस्तावेजों की वापसी के लिये नियत दिनांक पर उपस्थित न हो और तत्पश्चात इसके परिणाम स्वरूप जहाँ जब्त किये गये लेखे, या दस्तावेज को व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति को 90 दिनों की समाप्ति पर वापस किया गया हों तो यह समझा जायेगा कि ऐसे लेखे रजिस्टर या दस्तावेज 90 दिन की अवधि के भीतर वापस कर दिये गये है।

(5) उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस उपधारा के अधीन किसी लेखा रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी उन कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे और कमिश्नर के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के अधीन ऐसे वर्षों के सम्बन्ध में कार्यवाहियों, जिसके लिये वे सुसंगत हों, के पूरा होने के दिनांक से 30 दिन से अनधिक की अवधि के लिये ऐसे लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज को रोक सकता है, जहाँ कि वह आवश्यक समझें।

(6) किसी प्राधिकृत अधिकारी -

(एक) को यह शक्ति होगी कि वह कारबार के स्थान या ऐसे कारबार के स्थान पर पाये गये गाड़ी, कोई बक्सा, आलमारी या अन्य सम्बन्धित सामान या गाड़ी जिसमें उन्हे यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई लेखा, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या माल रखे गये है या अन्तर्विष्ट हैं, को सीलबन्द कर दें, यदि ऐसे कार्यालय दुकान, गोदाम, जलयान, गाड़ी, बक्सा, आलमारी या अन्य सामान का स्वामी या अन्य कब्जे में रखने वाला या प्रभारी व्यक्ति कारबार स्थल को छोड़ देता है या वहाँ उपलब्ध न हो या बुलाये जाने पर खोलने से इन्कार करता हो;

(दो) जहाँ कार्यालय, दुकान, गोदाम, जलयान या वाहन या बाक्स, आलमारी या कारोबार के स्थान पर पाये गये अन्य सामान का स्वामी या उनको रखने वाला या उनका प्रभारी अन्य व्यक्ति या गाड़ी उपस्थित है परन्तु यथास्थिति स्थान को छोड़ देता है या उसे ऐसा करने के लिये अवसर दिये जाने पर इन्कार, ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, जलयान या गाड़ी या बाक्स आलमारी या अन्य पाये गये अन्य सामान को खोलने में विफल रहता है तो वह उन्हे तोड़कर खोल सकेगा और उनमे पाये जाने वाले सामग्रियों की सूची तैयार कर सकेगा।

(7) कोई व्यक्ति उपधारा (6) के अधीन लगायी गयी किसी मुहर से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(8) इस धारा के अधीन तलाशी या निरीक्षण करने के दौरान कोई प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यवहारी या अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह इस धारा के अधीन ऐसी वहियों, दस्तावेजों, लेखों या माल, जैसा कि तलाशी, निरीक्षण या अभिग्रहण के समय पाये गये हों, के सम्बन्ध में अपने पास या अपनी जानकारी में हो सकने वाली कोई सूचना दें।

(9) प्राधिकृत अधिकारी, जिसने किसी बहियों, लेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण की तलाशी या उनका अभिग्रहण किया हो या किसी व्यवहारी को कर की देयता की छानबीन की हो, पाये गये तथ्यों और की गयी जाँच के आधार पर ऐसे निरीक्षण, तलाशी, अधिग्रहण या जाँच के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और जहाँ रिपोर्ट तैयार करने वाला अधिकारी कर निर्धारक अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी हो, वहाँ वह ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति व्यवहारी के कर निर्धारण प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(10) जहाँ उपधारा (9) में निर्दिष्ट रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी की यह राय हो कि ऐसे व्यवहारी द्वारा स्वीकृत कर के भुगतान की देयता के अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा कर के भुगतान की देयता एक लाख रुपये से अधिक हो सकती है वहाँ वह उपधारा (9) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्रति अग्रसारित करने के पूर्व कारण दर्शाने के तथ्यों का उल्लेख करते हुये कि उक्त तथ्यों के आधार पर क्यों न विपरीत निष्कर्ष निकाला जाये, एक नोटिस व्यवहारी को तामील करेगा। व्यवहारी ऐसी नोटिस पाने पर दो प्रतियों में ऐसे अधिकारी को अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा। इसके पश्चात अधिकारी रिपोर्ट की प्रति, जारी की गयी कारण बताओ नोटिस की एक प्रति और व्यवहारी से प्राप्त उत्तर की प्रति, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर यदि प्रस्तुत किया गया हो, पर अपनी टिप्पणियों सहित कर निर्धारक प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(11) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 और 165 के उपबन्ध, जहाँ तक साध्य हो इस धारा के अधीन किसी प्रविष्टि या तलाशी या निरीक्षण के सम्बन्ध में लागू होंगे जैसा कि वे उक्त संहिता के अधीन किसी निरीक्षण या तलाशी के सम्बन्ध में लागू होते है।

**स्पष्टीकरण** :- उपधारा (4) में विर्निदिष्ट अवधि की गणना करने में उस अवधि, जिसके दौरान इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ किसी न्यायालय या प्राधिकारी के आदेशों के अधीन स्थगित रही हो, को अपवर्जित कर दिया जायेगा।

व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति के मामले में तलाशी, निरीक्षण और अभिग्रहण की शक्ति।

46-जहाँ कोई व्यक्ति किसी व्यवहारी के कारबार के प्रासंगिक या आनुषंगिक या उससे सम्बन्धित कोई क्रिया कलाप करता हो वहाँ धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी व्यवहारी की कर देयता की जाँच के प्रयोजन के लिये धारा 45 की उपधारा (11) के उपबन्ध के अध्यधीन उक्त धारा की उपधारा (1) से उपधारा (10) तक के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

**स्पष्टीकरण** :- इस धारा के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित व्यक्ति किसी व्यवहारी के कारबार के प्रासंगिक या आनुषंगिक या उससे सम्बन्धित क्रियाकलाप कार्यान्वित करने वाले माने जायेंगे :—

(एक) दलाल या प्रचार अभिकर्ता जो माल के क्रेता और विक्रेता के मध्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करता हो ; या

(दो) माल का परिवाहक या कोई अन्य वाहक या कोई फारवर्डिंग एजेन्ट ; या

(तीन) ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवहारी के लिये किसी माल का निर्माण या विनिर्माण करता हो ; या

(चार) ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवहारी की ओर से परिदान ग्रहण करता हो या माल का प्रेषण करता हो ; या

(पाँच) ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवहारी से सम्बन्धित किसी माल को अभिरक्षा में रखता हो ; या

(छः)ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवहारी के माल को किसी अन्य हैसियत से सम्भालता हो।

सूचना मंगाने और सम्मन जारी करने की शक्ति

47-(1) कोई अधिकारी, जो कर निर्धारक प्राधिकारी की श्रेणी से नीचे का न हो, किसी व्यवहारी या अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी सूचना उपलब्ध कराये जो उसकी जानकारी में या उसके पास हो सकती है, या है।

(2) इस अधिनियम के अधीन समस्त अधिकारियों को निम्नलिखित मामलों से सम्बन्धित किसी वाद का विचारण करते समय वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हों, अर्थात -

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिये दबाव डालना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना ; और

(ग) साक्षी के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना ;

और उपर्युक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजन के लिये धारा 193 और 228 के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा।

(3) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिये सम्मन विहित प्रपत्र में जारी किये जायेंगे।

माल अभिग्रहीत करने की शक्ति

48-(1) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी ऐसे माल को अभिग्रहीत करने की शक्ति होगी -

(एक) जो किसी व्यवहारी के कारबार के स्थल, गाड़ी, जलयान या किसी अन्य भवन में या स्थान पर पाये जाय ; या

(दो) जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वह किसी व्यवहारी से सम्बन्धित है और जो किसी कारबार के, किसी गाड़ी, जलयान या किसी अन्य भवन में, या स्थान पर पाये जाँय किन्तु व्यवहारी द्वारा अपने कारबार के सामान्य क्रम में अनुरक्षित अपने लेखों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों में उसका लेखा न रखा गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन अभिग्रहीत समस्त माल की सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और उस पर उक्त अधिकारी और कम से कम दो साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी गाड़ी, जलयान, भवन या स्थान में पाया गया माल किसी वास्तविक व्यवहारी का नहीं है अथवा यह संदेह हो कि ऐसे माल को किसी व्यवहारी ने अपने सामान्य कारबार के क्रम में अनुरक्षित अपने लेखों, रजिस्टरों व अन्य दस्तावेजों में उचित रूप से लेखाबद्ध नहीं किया है, वहाँ उसे ऐसे माल के अभिग्रहीत करने की शक्ति होगी, और इस धारा के अवशिष्ट उपबन्ध ऐसे अभिग्रहण के सम्बन्ध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन माल को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये समस्त उपाय करेगा और अभिग्रहण से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों सहित उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट सूची सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(4) उक्त कर निर्धारक प्राधिकारी यथास्थिति, व्यवहारी या माल के प्रभारी व्यक्ति को ( जिसे इस धारा में प्रभारी व्यक्ति निर्दिष्ट किया गया है ) अभिग्रहण के समय एक लिखित नोटिस तामील करायेगा जिसमें उससे कारण बताये जाने की अपेक्षा की जायेगी कि क्यों न उसके विरुद्ध शास्ति आरोपित की जाये।

(5) यदि ऐसे प्राधिकारी का यथास्थिति, व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाये कि उक्त माल को उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है तो वह ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक जैसा वह उचित समझे, की शास्ति आरोपित करते हुये आदेश पारित करेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन शास्ति आरोपित करने के आदेश की प्रति यथास्थिति, व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति को तामील की जायेगी।

(7) माल को अभिग्रहीत करने वाला प्राधिकारी यथास्थिति, व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति को एक लिखित आदेश तामील करायेगा जिसमें ऐसे अभिग्रहण के तथ्य का उल्लेख होगा और जिसमें ऐसी धनराशि संसूचित होगी, जो ऐसी धनराशि से अनधिक होगी जो सम्भावित रूप में आरोपित की जाने वाली शास्ति को आच्छादित करने के लिये पर्याप्त हो, जिसके नगद जमा करने पर इस प्रकार अभिग्रहीत माल को यथास्थिति व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति के पक्ष में अवमुक्त किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर या इस निमित्त कमिश्नर द्वारा यथा प्राधिकृत किसी उप कमिश्नर पद से अनिम्न अधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से, निर्देशित कर सकता है कि बिना किसी जमानत के या ऐसी न्यूनतर धनराशि जमा करने पर अथवा नकद या क्षतिपूर्ति बन्धपत्र से भिन्न ऐसे रूप में, जैसा कि वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल अवमुक्त कर दिया जाये :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उन व्यक्तियों के मामलों में जो रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी नहीं है और जिनके विरुद्ध उपधारा (5) के अन्तर्गत शास्ति आदेश पारित कर दिया गया हो, ऐसे व्यक्तियों द्वारा कर विवरणी दाखिल करना तथा उन पर कर का निर्धारण किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(8) उपधारा (7) के अधीन जमा की गयी किसी धनराशि के समायोजन के पश्चात शास्ति या उसका कोई भाग रह जाये तो उसे शास्ति आरोपित करने वाले आदेश की प्रति के तामील के दिनांक से तीस दिनों के भीतर विहित रूप में जमा किया जायेगा। व्यतिक्रम की स्थिति में कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे रीति में जैसी कि विहित की जाये, माल को बेच देगा और अधिरोपित शास्ति के प्रति उसके विक्रय के आगम से समायोजन करेगा और धारा 40 के उपबन्धों के अध्यधीन शेष धनराशि यदि कोई हो, का प्रतिदाय यथास्थिति, व्यवहारी या प्रभावी व्यक्ति को करेगा।

(9) जहाँ, माल को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूची और अन्य दस्तावेजों को अग्रसारित करने के पूर्व या कर निर्धारक प्राधिकारी की उसके पश्चात किसी समय यह राय हो कि माल द्रुतगति से और प्राकृतिक रूप से क्षयशील है या जहाँ यथास्थिति निर्धारित कर या आरोपित शास्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जमा न किया गया हो, वहाँ यथास्थिति माल को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी या कर निर्धारक प्राधिकारी किसी अन्य कार्यवाही जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जा सके, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्धारित रीति से सार्वजनिक नीलाम द्वारा माल बिकवायेगा। ऐसे माल के विक्रय आगमों का समायोजन, निर्धारित कर या आरोपित शास्ति और विक्रय के व्यय के प्रति किया जायेगा। अवशेष धनराशि, यदि कोई हो, का प्रतिदाय उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति, व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति को किया जायेगा।

(10) यदि उपधारा (7) के अधीन जमा की गयी धनराशि उपधारा (5) के अधीन अधिरोपित शास्ति की धनराशि से अधिक हो तो इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त धनराशि का प्रतिदाय, धारा 40 के उपबन्धों के अनुसार, प्राधिकारी, जिसे ऐसी धनराशि जमा की गयी हो, द्वारा यथास्थिति व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति को किया जायेगा।

## अध्याय-सात

## जांच चौकी

जांच चौकियों और नाकों की स्थापना

49-(1) यदि राज्य सरकार को यह राय हो कि करापवंचन रोकने या इस अधिनियम के अधीन अन्य देयों के भुगतान के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है तो -

(एक) राज्य के बाहर से लाये गये या प्राप्त किये गये माल के विक्रय ;

(दो) राज्य के बाहर से लाये गये या प्राप्त किये गये माल के उपयोग द्वारा प्रसंस्कृत या विनिर्मित माल के विक्रय ; या

(तीन) राज्य के भीतर उत्पादित या विनिर्मित माल के विक्रय या क्रय, के संबंध में -

वह गजट में अधिसूचित करके राज्य के भीतर ऐसे स्थानों, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये हों, पर जाँच चौकियाँ या नाके स्थापित करने का निर्देश दे सकती है।

(2) पूर्वगामी अधिनियम के अधीन स्थापित की गयी चौकियाँ या नाके इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर इस अधिनियम के अधीन स्थापित चौकियाँ या नाके मानी जायेगीं।

घोषणा पत्र द्वारा सड़क मार्ग से राज्य में माल का आयात

50-(1) कोई व्यक्ति ( जिसे इस धारा में आगे आयातकर्ता कहा गया है ), जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर कारबार के सम्बन्ध में अनुसूची-1 में नामित एवं वर्णित वस्तुओं से भिन्न ऐसी मात्रा या माप या मूल्य का माल जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय लाने, आयात करने या अन्य का प्राप्त करने का इच्छुक हो, निर्धारक अधिकारी से जिसकी अधिकारिता इस क्षेत्र पर हो जहाँ इस व्यक्ति के कारबार का मुख्य स्थान स्थिति है या यदि ऐसा कोई स्थान नही है तो जहाँ पर साधारणतया वह निवास करता है निर्धारित शुल्क का भुगतान करके निर्धारित घोषणा का प्रपत्र प्राप्त करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजनों के लिये ऐसे माल को लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक हो तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है।

(2) (क) यदि ऐसा माल रजिष्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर आयात किया जाता है, लाया जाता है, या अन्यथा प्राप्त किया जाता है तो वह ऐसे घोषणा पत्र या दस्तावेज, जैसे विहित किये जाँय, अपने साथ रखेगा।

(ख) जहाँ ऐसा माल राज्य के भीतर कारबार से सम्बन्धित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा आयात किया जाता है, लाया जाता है या अन्यथा रूप से प्राप्त किया जाता है तो वह ऐसे प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों, जिन्हे विहित किया जाय, को इसी तरह अपने साथ रखेगा।

(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई माल ले जाने वाली किसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी को प्रत्येक जाँच चौकी या नाके पर या धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर किसी भी अन्य स्थान पर रोकेगा, और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक कि यथास्थिति उस जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी द्वारा या धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय, और उसे गाड़ी की तलाशी लेने देगा और माल का और पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट सभी लेख पत्रों का निरीक्षण करने देगा और यदि अपेक्षित हो उसे अपना नाम और पता और गाड़ी के स्वामी और माल के पारेषक और पारेषिती का नाम और पता देगा।

(4) यदि उपधारा के अधीन तलाशी लेने या निरीक्षण करने वाले अधिकारी को यह पता चले कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे माल का परिवहन कर रहा है या परिवहन करने का प्रयत्न कर दुष्प्रेरण कर रहा है जिस पर यह धारा लागू होती है किन्तु उसे पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट उचित और वास्तविक लेख पत्रों में दिखाया नहीं गया है और यदि ऐसे व्यक्ति के सुनवाई के अवसर देने के पश्चात, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसे माल का इस अधिनियम के अधीन निर्धारण या देय कर या सम्भावय देय कर को भुगतान का अपवंचन करने के प्रयास में परिवहन किया जा रहा था तो वह ऐसे माल को रोकने का आदेश दे सकता है।

(5) माल को रोके रखने के सम्बन्ध में धारा 48 की उपधारा (3), (7), (8), (9) और (10) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि उक्त धारा के अधीन अभिग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते है।

राज्य में रेल वायुमार्ग, डाक, नदी या रज्जु मार्ग द्वारा माल का आयात

51-(1) (क) जहाँ कर योग्य कोई माल राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर किसी व्यवहारी को परिदान के लिये रेल, वायुमार्ग या डाक द्वारा पारेषित किये जाते है तो सम्बन्धित प्राधिकारी माल का परिदान व्यवहारी या पारेषिती को तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी को विदित प्रपत्र में घोषणा प्रपत्र सहित अन्य ऐसे अभिलेख जिन्हें विहित किया जाय प्रस्तुत नहीं कर देता है या नहीं करवा देता है।

(ख) जहाँ कर योग्य कोई माल राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के अन्दर किसी स्थान पर व्यवहारी को परिदान के लिये नदी मार्ग या रज्जु मार्ग से पारेषित किये जाते है, वहाँ माल को प्राप्त करने वाला व्यवहारी उसका परिदान तब तक प्राप्त नहीं करेगा या करवायेगा जब तक कि वह ऐसे अधिकारी को जिसे कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, विहित घोषणा पत्र और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर देता है या करवा देता है।

(ग) छुड़ाने के पश्चात माल को, यथास्थिति, रेलवे स्टेशन, स्टीमर या बोट स्टेशन, एयरपोर्ट या डाकघर या कोरियर के कार्यालय से तब तक न ले जायेगा या न ले जाने देगा जब तक कि माल के साथ ऐसे अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से पृष्ठांकित घोषण पत्र की एक प्रति न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई कोरियर सेवा प्रदान करने वाला किसी माल को रेल,नदी मार्ग, वायुमार्ग, या डाक द्वारा परिवहन करता है तो ऐसा कोरियर सेवा प्रदान करने वाला उसका परिदान तब तक नहीं प्राप्त करेगा या करवायेगा जब तक कि माल को आयात करने वाला व्यवहारी ऐसे अधिकारी को जिसे इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत किया जाय धारा 50 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट एक घोषण पत्र दो प्रतियों में उसके द्वारा सम्यक रूप से भर कर और हस्ताक्षरित करके ऐसे अधिकारी को पृष्ठांकन के लिये नहीं कर देता है या करवा देता है। कोरियर सेवा प्रदाता रेल, नदी मार्ग, वायुमार्ग या डाक प्राधिकारी से माल का परिदान लेने के पश्चात माल के साथ घोषणा पत्र के प्रपत्र की दूसरी प्रति रखेगा और व्यवहारी को माल सहित परिदान कर देगा।

(2) जहाँ कोई कराधेय माल, राज्य में व्यक्तिगत सामान के रूप में रेल, नदी, वायुमार्ग द्वारा लाया जाय वहाँ उन्हें लाने वाला व्यक्ति आयातकर्ता द्वारा सम्यक रूप से भरे और हस्ताक्षरित किये हुये निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र अपने साथ रखेगा, और आयातकर्ता उसे उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अगले कार्य दिवस तक कार्यालय द्वारा पृष्ठांकित किये जाने के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति करबार से सम्बन्धित से भिन्न कोई कराधेय माल राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर रेल,नदी,वायुमार्ग, डाक या कोरियर द्वारा लाना या प्राप्त करना चाहता है और धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है, वहाँ उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानो उसमें प्रयुक्त शब्द "घोषणा-पत्र" के स्थान पर शब्द "प्रमाण पत्र" रखा गया हो।

(4) जहाँ धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी या धारा 48 की उपधारा (1) या धारा 50 में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, निरीक्षण या तलाशी के दौरान कोई कराधेय माल पाता है, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष घोषणा न की हो या व्यक्तिगत सामान के रूप में लाये जा रहे माल के साथ उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घोषणा पत्र न हो और माल के निरीक्षण के समय यथास्थिति, माल के प्रभारी व्यक्ति या माल के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात, ऐसे अधिकारी (निरीक्षण या तलाशी करने वाला अधिकारी) का समाधान हो जाये कि ऐसे कराधेय माल का आयात इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय का अपवंचन करने के प्रयास में किया जा रहा है तो वह ऐसें कारण अभिलिखित करने के पश्चात माल को रोक सकता है।

(5) धारा 48 की उपधारा (3), (7), (8), (9) और (10) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन के साथ, ऐसे रोके गये माल के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार उस धारा के अधीन अभिग्रहीत माल के सम्बन्ध में लागू होते है।

(6) धारा 50 और इस धारा में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार लोकहित और पर्याप्त कारणों से उक्त धाराओं में निर्दिष्ट घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की अपेक्षाओं से इस सीमा तक, जैसी अधिसूचित की जाय, छूट प्रदान कर सकती है।

राज्य से होकर सड़क मार्ग से माल जाने के लिये प्राधिकार पत्र (बहती) जारी करना

52-जब राज्य से बाहर किसी स्थान से आने वाली और राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने वाली और धारा 51 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाली कोई गाड़ी राज्य से होकर गुजरे तब ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति राज्य में अपने प्रवेश करने के पश्चात् पहली जाँच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी को माल के पारगमन के लिये प्राधिकार विहित रीति से प्राप्त करेगा और राज्य से अपने बहिर्गमन करने से पूर्व अन्तिम जाँचचौकी या नाका प्रभारी अधिकारी को वही माल के पारगमन के लिये प्राधिकार सौंप देगा और ऐसा न करने पर यह मान लिया जायेगा कि उसके द्वारा ले जाया जाने वाला माल गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बेच दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि गाड़ी से लाये गये माल का राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् किसी अन्य गाड़ी या वाहन से परिवहन कर दिया जाय, तब यह सिद्ध करने का भार कि माल वास्तव में राज्य के बाहर चला गया है, गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति पर होगा।

**स्पष्टीकरण :** गाड़ी के भाड़ेदार को इस धारा के प्रयोजनों के लिये, गाड़ी का स्वामी समझा जायेगा।

पुलिस से सहायता लेने की शक्ति

53-धारा 45, 48, 50, 51, या 52 के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी राज्य के पुलिस या अन्य अधिकारी या पदधारी की सहायता ले सकता है।

## अध्याय - आठ

## शास्ति

कतिपय मामलों में शास्तियां

54-(1) कर निर्धारक प्राधिकारी, यदि वह सन्तुष्ट है कि व्यवहारी या किसी अन्य व्यक्ति, जैसी स्थिति हो, ने आगे दिए गए तालिका के स्तम्भ (2) में परिभाषित कोई त्रुटि की है तो, ऐसी जाँच, जिसे वह आवश्यक समझे, करने तथा व्यवहारी या उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त व्यवहारी अथवा उस व्यक्ति को देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त शास्ति के रूप में चार्ट के उसी क्रमांक के सम्मुख स्तम्भ (3) में निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित करेगा।

| क्रम सं0 | त्रुटि | शास्ति की धनराशि |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | व्यवहारी किसी कर अवधि के लिए देय कर को जमा करने में, बिना युक्तियुक्त कारण के विफल हो गया हो या विहित रीति से किसी कर अवधि के लिए या विहित अथवा विस्तारित समय के अन्तर्गत कर विवरणी को जमा करने में विफल हो गया हो. | संदेय कर का 20 प्रतिशत |
| 2 | व्यवहारी ने अपने आवर्त का विवरण छिपाया हो या ऐसे आवर्त का असत्य विवरण जानबूझ कर प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है। | छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 3 | (एक) व्यवहारी ने मिथ्या लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज अनुरक्षित या प्रस्तुत किया हो ;<br>(दो) व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति होते हुए, जिससे कोई बही लेखा या अन्य दस्तावेज अनुरक्षित करने की अपेक्षा की जाय, यथाविहित रूप में ऐसी बही, लेखा या दस्तावेज को अनुरक्षित नहीं करता है ; | छिपायी गयी या परिवर्जित की गई कर की धनराशि का तीन गुना |
| 4 | व्यवहारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निर्धारित कर का भुगतान अनुज्ञात समय के भीतर करने में विफल हो गया हो ; | निर्धारित कर का 20 प्रतिशत |
| 5 | व्यवहारी इस अधिनियम उपबंधों के अनुसार कर बीजक या विक्रय बीजक जारी करने में विफल हो गया हो ; | माल के मूल्य का 40 प्रतिशत |
| 6 | व्यवहारी इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसार माल के सम्प्रेषण या परिदान के सम्बन्ध में चालान अन्तरण बीजक या परिवहन मेमो जारी करने में विफल हो गया हो ; | माल के मूल्य का 40 प्रतिशत |
| 7 | जहाँ व्यवहारी -<br>(एक) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु दायी होते हुए विहित रीति से और विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने में विफल हो गया हो ; या<br>(दो) पंजीयन योग्य रहते हुए कारबार कर रहा है या कारबार जारी किए हुए है,<br>(क) पंजीयन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने के पश्चात; या<br>(ख) उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर दिये जाने के पश्चात; या<br>(ग) रजिस्ट्रीकरण की स्वीकृति या उसकी निरन्तरता के लिए मांग की गयी प्रतिभूति प्रदान किये बिना<br>रजिस्ट्रीकरण हेतु दायी होते हुए कारबार जारी रखता हो या उसे निरन्तर जारी रखता हो ; | प्रतिदिन एक सौ रुपये, जिसके दौरान कारबार किया जाता हो |
| 8 | निरीक्षण, परीक्षण और प्रति प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति ;<br>(एक) अभिलेख, लेखाबहियाँ या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने ; या<br>(दो) कारबार के सम्बन्ध में प्रयुक्त अपने कम्प्यूटर को प्रचलित करने ; या<br>(तीन) प्रतियां या प्रिंटआउट आदि अनुज्ञात करने<br>के लिए इनकार करता है या उपेक्षा करता है ; | पांच हजार रुपये की धनराशि और पुनरावृत्ति होने पर उक्त का पाँच गुना |
| 9 | यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति धारा 45 या धारा 48 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी या किसी जाँच चौकी या नाका के किसी प्रभारी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निष्पादन करने में व्यवधान डालता है या उसे रोकता है ; | रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के मामले में पांच हजार रुपये और अन्य के मामलें में उसकी पांच गुना की धनराशि |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 10 | यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति कोई सूचना उपलब्ध कराने से अस्वीकार करता है या उपेक्षा करता हो जो उसके संज्ञान या कब्जे में हो या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराता हो ; | रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के मामले में पांच हजार रुपये और अन्य के मामले में उसकी पांच गुनी धनराशि |
| 11 | जहाँ, यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति-<br>(एक) इस अधिनियम के अधीन विहित मिथ्या या गलत प्रमाण पत्र या घोषण पत्र जारी करता हो या प्रदान करता हो, जिसके कारण से विक्रय या क्रय पर कर पूर्णतः या आंशिक रूप से उद्ग्रहणीय नहीं रह जाता है ; या<br>(दो) माल का वास्तविक विक्रय किये बिना कर बीजक या विक्रय बीजक जारी करता है ; या<br>(तीन) माल के वास्तविक प्रेषण या परिदान के बिना परिवहन मेमो, चालान या अन्तरण बीजक जारी करता हो ; या<br>(चार) माल का वास्तविक रूप में क्रय किये बिना कर बीजक या विक्रय बीजक प्राप्त करता हो ; या<br>(पाँच) माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना परिवहन मेमो, चालान या परिवहन बीजक प्राप्त करता हो ; या<br>(छह) मिथ्या कर बीजक, विक्रय बीजक प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र जारी करता हो या प्रस्तुत करता हो,<br>जिसके कारण विक्रय या क्रय पर कर इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन उद्ग्रहणीय नहीं रह जाता हो ; | माल के प्रकटित मूल्य का 50 प्रतिशत |
| 12 | जहाँ, यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति,<br>(एक) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों के अनुसार ऐसे किसी विहित घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र का प्रयोग करता हो जिसकी प्राप्ति, उसके या उसके स्वामी या अभिकर्ता द्वारा न की गयी हो ; या<br>(दो) विधि सम्मत प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए विहित घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है ; या<br>(तीन) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विहित घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र रखता हो जिसकी प्राप्ति उसके द्वारा न की गयी हो ; | माल के प्रकटित मूल्य का 50 प्रतिशत |
| 13 | जहाँ, यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति -<br>(एक) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण से बचने के आशय से कारबार स्थल को बंद करता हो या उसे छोड़ देता हो ; या<br>(दो) चालक या वाहन प्रभारी होते हुए माल और दस्तावेजों के निरीक्षण से बचने के आशय से वाहन को छोड़ देता हो ; या<br>(तीन) माल का निरीक्षण करने हेतु सशक्त किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षित करार्धेय माल को ले जाने वाले वाहन को सोद्देश्य न रोकता हो : | रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के मामले में पांच इजार रुपये की धनराशि और अन्य के मामले में उसकी पांच गुना धनराशि |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 14 | जहाँ, यथास्थिति, व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति-<br>(एक) (क) ऐसे माल ; या<br>(ख) ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित प्रसंस्कृत या पैक किये गये माल ;<br>के विक्रय पर कर संदाय के अपवंचन की दृष्टि से धारा 50 या धारा 51 के अधीन उपबन्धों के उल्लंघन में किसी माल का आयात करता है या आयात करने का प्रयास करता है या उसके आयात का दुष्प्रेरण करता है ; या<br>(दो) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कराधेय माल का परिवहन करता है, परिवहन करने का प्रयास करता है ; | माल के प्रकटित मूल्य का 40 प्रतिशत |
| 15 | जहाँ, यथास्थिति, वाहन चालक या उसका प्रभारी व्यक्ति-<br>(एक) राज्य से होकर माल के पारगमन का प्राधिकार प्राप्त करने में विफल हो और यह सिद्ध करने में भी विफल हो कि माल का तात्पर्य राज्य के बाहर व्यवहारियों या व्यक्तियों हेतु परिदान से है ; या<br>(दो) पारगमन हेतु प्राधिकार प्राप्त करने में विफल हो किन्तु यह सिद्ध करता हो कि माल का तात्पर्य राज्य के बाहर व्यवहारियों या अन्य व्यक्तियों को परिदान से है ; या<br>(तीन) राज्य से होकर माल के पारगमन हेतु प्राधिकार प्राप्त करने के दौरान माल को राज्य के बाहर ले जाने के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता हो किन्तु ऐसे वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने में विफल हो ; या<br>(चार) ऐसा व्यक्ति होते हुए, जो चालक या वाहन के प्रभारी व्यक्ति से माल राज्य से बाहर ले जाने के लिए प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल को नहीं ले जाता है ; या<br>(पाँच) चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति या परिवाहक होते हुए जो राज्य से बाहर माल ले जाने के लिए राज्य के अन्दर उसे प्राप्त करता है, निकास जाँच चौकी के प्रभारी अधिकारी के समक्ष माल के साथ साथ-माल के पारगमन हेतु प्राधिकार की प्रतियां प्रस्तुत करने में विफल हो किन्तु यह सिद्ध करता हो कि माल राज्य के बाहर ले जाए जा चुके है ; या<br>(छः) परिवाहक या वाहन का भाड़ेदार, राज्य के बाहर माल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शाते हुए माल की रसीद तैयार करता हो ; | माल के प्रकटित मूल्य का 40 प्रतिशत |
| 16 | जहाँ कोई व्यवहारी इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कर के रूप में किसी धनराशि की मांग करता हो या उसे प्रभारित करता हो या उन्मोचित करता हो ; | इस प्रकार उन्मोचित कर का तीन गुना |
| 17 | किसी वाहन का चालक या प्रभारी व्यक्ति होते माल के निरीक्षण या ऐसे वाहन की जाँच पड़ताल से बचने के सुविचारित आशय से वाहन को रोकने में विफल हो ; | पच्चीस हजार रुपये |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 18 | जहाँ, यथास्थिति, व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम से सम्बन्धित किसी मामले में मिथ्या सत्यापन, घोषणा या अनुप्रमाणन करता हो ; | पच्चीस हजार उसके द्वारा रुपये की धनराशि या परिवर्जित किये गये कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो |
| 19 | जहाँ, यथास्थिति, व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता हो ; | इनपुट टैक्स क्रेडिट धनराशि के पांच गुना के बराबर धनराशि |
| 20 | परिवाहक, वाहक या अन्य परिवहन अधिकर्ता होते हुए किसी परिवहन मेमो, चालान या अन्तरण बीजक पर सुसंगत स्तम्भों को बिना भरे हुए माल का वहन या परिवहन करता हो | पांच हजार रुपये |
| 21 | यथा स्थिति व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति धारा 45 की उपधारा (6) के अधीन लगायी गयी किसी सील के साथ छेड़छाड़ करता हो; | पच्चीस हजार रुपये |
| 22 | व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के उल्लंघन में अन्यथा कार्य करता हो। | दस हजार रुपये |

**स्पष्टीकरण :** इस धारा के प्रयोजन के लिए-

(एक) कर निर्धारक अधिकारी के अन्तर्गत किसी जाँच चौकी पर कमिश्नर द्वारा नियुक्त और तैनात किये गये किसी अधिकारी के श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी या इस अधिनियम की धारा 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 और 54 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त कोई अधिकारी सम्मिलित है।

(दो) जहाँ शास्ति की धनराशि का निर्धारण माल के आवर्त के आधार पर किया जाना हो, वहाँ दर्शाया गया या निर्धारित किया गया, जो कोई अधिक हो, माल का मूल्य कराधेय विक्रय या क्रय से सम्बन्धित माना जाएगा।

(तीन) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दस्तावेजों पर लिखित माल का मूल्य और यदि मूल्य न लिखा गया हो तो स्थानीय बाजार में संगत समय पर प्रचलित अनुमानित बाजार मूल्य कराधेय विक्रय या क्रय से सम्बन्धित कराधेय माल के विक्रय या क्रय का आवर्त माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति सम्बन्धित व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर तामील की जाएगी और शास्ति स्वरूप अधिरोपित धनराशि, ऐसी तामीलीकरण के तीस दिन के भीतर यथाविहित रीति से ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति द्वारा जमा की जाएगी, जिसमें विफल होने पर इसकी वसूली धारा 33 के अधीन उपबंधित रीति से की जाएगी।

(3) जहाँ इस धारा या किसी अन्य धारा के अधीन कर निर्धारक अधिकारी द्वारा पारित किसी शास्ति आदेश को किसी प्राधिकारी या न्यायालय में निहित शक्तियों का प्रयोग करके न्यायालय द्वारा इस आधार पर अभिखंडित किया जाता हो कि व्यवहारी या किसी अन्य व्यक्ति को जारी कारण बताओ नोटिस इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है, वहाँ कर निर्धारक अधिकारी ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर समुचित नोटिस जारी करने के पश्चात शास्ति का नया आदेश पारित कर सकता है।

(4) धारा 71 में यथा निर्दिष्ट किसी रुग्ण इकाई के मामले में कोई शास्ति आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हो और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील फाइल न की गयी हो, यदि राज्य सरकार ऐसा आदेश अपास्त करने के लिए कर निर्धारक प्राधिकारी को निर्देश जारी करती हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी तिथि, जिस पर वह राज्य सरकार से उचित प्रक्रिया द्वारा आदेश या निदेश प्राप्त करता हो, से एक वर्ष की अवधि के भीतर शास्ति का ऐसा नया आदेश पारित करेगा।

# अध्याय - नौ

## अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण

अपील

55-(1) धारा 48 की उपधारा (7) में उल्लिखित किसी आदेश से भिन्न कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यवहारी या अन्य व्यक्ति ,आदेश की प्रति तामील किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील मेमो की प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी या कमिश्नर को तामील कराने के पश्चात,ऐसे प्राधिकारी (जिसे आगे अपील प्राधिकारी कहा गया है), जैसा निर्धारित किया जाये, को अपील कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी कारणवश, कोई अपीलार्थी अपील दायर करने से पहले कर निर्धारक प्राधिकारी पर अपील मेमो की प्रति तामील करने में विफल रहता है, वहाँ वह 'अपील' दायर करने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जैसा अपील प्राधिकारी अनुज्ञा प्रदान करके ऐसी अपील मेमो को प्रति तामील कर सकता है ;

(2) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील दाखिल की गई हो, वहाँ कमिश्नर आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित ऐसे बिन्दु पर ऐसे आदेश की वैधानिकता और उसके औचित्य का परीक्षण करने के लिये अपील प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है ऐसे आवेदन की एक प्रति अपीलार्थी को तामील की जायेगी और अपीलार्थी द्वारा दाखिल की गई अपील के साथ उस पर विनिश्चय किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अपील के निपटारे के बाद वैधानिकता और औचित्य के परीक्षण के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा ;

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि जहाँ कमिश्नर ने कोई आवेदन दाखिल किया हो, वहाँ अपीलार्थी उसके द्वारा दाखिल की गयी अपील को वापस लेने का हकदार नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण :** इस धारा के प्रयोजन के लिए कमिश्नर के अन्तर्गत धारा 57 के अधीन न्यायाधिकरण के समक्ष कमिश्नर की ओर से अपील करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी भी होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी के द्वारा दाखिल की गयी कर विवरणी में या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी स्तर पर अपीलार्थी द्वारा स्वीकृत यथास्थिति विक्रय या क्रय या दोनों, जो भी अधिक हो, के आवर्त पर इस अधिनियम के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि के संदाय का सन्तोषजनक प्रमाण न प्रस्तुत कर दिया हो ;

(4) अपील विहित प्रपत्र में होगी और उसे विहित रीति से सत्यापित किया जायगा ;

(5) अपील प्राधिकारी सुसंगत अभिलेखों को मंगाने और उनका परीक्षण करने के पश्चात और अपीलार्थी और कमिश्नर को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात कर निर्धारण और शास्ति के किसी आदेश के सम्बन्ध में ;

(क) कर निर्धारण एवं शास्ति के आदेश के मामले में :-

(एक) ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द् कर सकता है; या

(दो) यथास्थिति कर निर्धारण या शास्ति की धनराशि में कटौती या उसमें वृद्धि करके ऐसी कटौती या, अपील या अन्यथा आधारों पर हटाये गये बिन्दु से हुई हो, ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकता है; या

(तीन) ऐसी जाँच, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, के पश्चात आदेश को अपास्त कर सकता है और कर निर्धारक अधिकारी को नया आदेश पारित करने के लिए निर्देशित कर सकता है ; या

(चार) कर निर्धारक प्राधिकारी को ऐसी जाँच करने के लिये और ऐसे समय, जैसा कि निर्देश में निर्दिष्ट किया गया है के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय, जैसा कि वह इस समय पर अनुज्ञात करे, के भीतर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये निदेशित कर सकता है, और ऐसे समय की समाप्ति पर अपील अधिकारी, चाहे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो या न की गई हो, पूर्व उपखन्डों के उपबन्धों के अनुसार अपील का विनिश्चय कर सकता है; या

(ख) किसी अन्य आदेश के मामले में -

(एक) ऐसे आदेश की पुष्टि, उसे रद्द या परिवर्तित कर सकता है; या

(दो) आदेश को अपास्त कर सकता है और कर निर्धारक अधिकारी को ऐसी जाँच, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, के पश्चात नया आदेश पारित करने के लिये निदेशित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में कोई भी बात किसी भी स्तर पर, ऐसे सम्प्रेक्षणों जैसा कि वह उचित समझे, सहित अपील को खारिज करने से अपील प्राधिकारी को नही रोकेगा, जहाँ अपीलार्थी ने उक्त की वापसी के लिए आवेदन किया हो और अपील के अधीन कमिश्नर द्वारा वैधानिकता के परीक्षण आदेश के औचित्य के लिये कोई अनुरोध न किया गया हो।

(6) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी के आवेदन पर और कमिश्नर को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के प्रवर्तन के सिवाय अपीलार्थ द्वारा संदेय कर शुल्क या शास्ति की विवादित धनराशि की वसूली अपील के निस्तारण तक स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि -

(एक) जहाँ अपील के अधीन किसी आदेश में कर, शुल्क या शास्ति से संबंधी विवाद अन्तर्निहित हो वहाँ उस दिनांक, जिस पर स्थगन आदेश स्वीकृत किया गया हो, से तीस दिन के पश्चात कोई स्थगन आदेश प्रवृत्त नही रहेगा, यदि अपीलार्थी उस धनराशि, जिसकी वसूली तीस दिनों की उपर्युक्त अवधि के भीतर स्थगित कर दी गई हो, के संदाय के लिये कर निर्धारक प्राधिकारी के समाधान के लिये प्रतिभूति उपलब्ध न कराता हो ;

(दो) ऐसा कोई आवेदन तब तक ग्रहण नही किया जायेगा जब तक उसे उपधारा (1) के अधीन अपील के ज्ञापन सहित दाखिल न किया गया हो

(7) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5, इस धारा के अधीन अपीलों या अन्य आवेदनों पर लागू होगी।

(8) अपील प्राधिकारी, कमिश्नर के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करके, कोई ऐसे आदेश, अनुदेश या निर्देश कमिश्नर द्वारा नहीं दिये जायेंगे जिससे अपील प्राधिकारी के उसके अपीलीय कृत्यों का प्रयोग करने के विवेक में हस्तक्षेप हो।

(9) इस धारा के प्रयोजन के लिये इस धारा के अधीन अपील ,प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की तामील और इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली में यथा परिभाषित राज्य प्रतिनिधि पर अपील के मेमों की तामील को कमिश्नर पर तामील समझा जायेगा।

(10) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में एक ही वाद हेतुक से उद्भूत होने वाले सभी अपील, यथासम्भव, एक साथ सुनी और निर्णीत की जायेगी।

कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण

56-(1) कमिश्नर या ऐसा अन्य अधिकारी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाय, जो संयुक्त कमिश्नर की श्रेणी से निम्न का न हो, ऐसे आदेश की वैधानिकता या औचित्य के सम्बन्ध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पारित, किसी आदेश से सम्बन्धित अभिलेख को मंगा सकता है उसका परीक्षण कर सकता है और वह, जैसा उचित समझे, उससे सम्बन्धित ऐसा आदेश पारित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी पक्ष के हित को विपरीत रूप में प्रभावित करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उसे सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर न दिया जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश -

(क) ऐसे किसी आदेश, जो धारा 55 के अधीन किसी अपील की विषयवस्तु हो या रहा हो ऐसे किसी आदेश, जो अपील प्राधिकारी द्वारा उस धारा के अधीन पारित किया गया हो, को पुनरीक्षित करने के लिये ;

(ख) प्रश्नगत आदेश के दिनांक से साठ दिन की समाप्ति के पूर्व ;

(ग) प्रश्नगत आदेश के चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात पारित नहीं किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण** :- जहाँ किसी आदेश के विरुद्ध अपील, धारा 72 के अधीन संदेय शुल्क के असंदाय के लिये या धारा 55 की उपधारा (3) के अननुपालन के लिये वापस ले ली गई हो या उसे खारिज कर दिया गया हो, वहाँ उक्त आदेश को धारा 55 के अधीन किसी अपील की विषयवस्तु माना जायेगा।

(4) किसी आदेश, जिसके विरुद्ध धारा 55 के अधीन अपील पड़ी हो, द्वारा व्यथित कोई व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति इस धारा के अधीन ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा।

अधिकरण

57-(1) एक अधिकरण होगा जो अध्यक्ष सहित ऐसे सदस्यों से बना हुआ होगा, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर निम्नलिखित में से नियुक्त करने के लिए आवश्यक समझे :-

(क) ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए अर्ह हों, और

(ख) ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर सेवाओं या उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवाओं से सम्बन्धित हों और जो संयुक्त कमिश्नर की श्रेणी से अनिम्न कोई पद धारण करता हो या धारित किया हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि :—

(एक) जहाँ उक्त अधिकरण में एक या अधिक व्यक्ति हो / हों जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य या के सदस्य हो / हों वहाँ उसे या उनमें से वरिष्ठतम व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

(दो) अधिवक्ताओं में से कोई व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक -

(क) वह ऐसी नियुक्ति पूर्ववर्ती दस क्रमवार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में विधिक रूप से आयकर का भुगतान न कर दिया हो ;

(ख) वह नियुक्ति के दिनांक को पचास वर्ष की आयु न प्राप्त कर लिया हो ;

(ग) अधिवक्ताओं में से ऐसे सदस्यों की नियुक्ति, नियुक्ति के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए, या उसके द्वारा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, के लिए की जायेगी।

(2) राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए ऐसी अन्य अर्हता या शर्तें, जैसा वह उचित समझे, निर्धारित कर सकती है।

(3) यू0पी0 फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 56 के उपबन्ध अधिकरण के प्रत्येक सदस्य एवं साथ में अध्यक्ष, चाहे वे पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात नियुक्त किये गये हों, पर लागू रहेंगे जैसा कि वे किसी अन्य सरकारी सेवक के लिए लागू होते हैं।

(4) धारा 55, 56 के अधीन पारित किसी आदेश, धारा 59 के अधीन किसी विनिश्चय या धारा 48 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन किसी निदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति स्वयं पर ऐसे आदेश, विनिश्चय या निदेश की प्रति के तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर अधिकरण में अपील करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ धारा 55 के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश किसी प्रतिभूति, जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन अभिग्रहीत माल को छुड़ाने के लिए मांग की गयी प्रतिभूति न हो, से सम्बन्धित आदेश हो, वहां इस धारा के अधीन अपील धारा-55 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा नियत प्रतिभूति प्रदान करने के पश्चात ही फाइल की जा सकती है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कर, शुल्क या शास्ति की विवादग्रस्त धनराशि पाँच हजार रुपये से अधिक न हो और कोई विधिक प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न हो, वहाँ अपीलार्थी अपने विकल्प पर अधिकरण से अपनी अपील के संक्षिप्त निस्तारण के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है, जिस पर अधिकरण तदनुसार अपील का विनिश्चय कर सकता है।

**स्पष्टीकरण** : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद "कोई व्यक्ति" के अन्तर्गत कमिश्नर से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में कमिश्नर और कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार भी है।

(5) अपील के संक्षिप्त निस्तारण की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाय।

(6) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5, इस धारा के अधीन अपील या अन्य प्रार्थना पत्रों पर लागू होगी।

(7) अधिकरण, अपीलकर्ता को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात किसी प्रक्रम पर अपील खारिज कर सकता है।

(8) अधिकरण, यदि उसने उपधारा (7) के अधीन अपील पहले ही खारिज न कर दी हो, सुसंगत अभिलेख मंगाने और उनका परीक्षण करने के पश्चात और पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात या, यथास्थिति, उपधारा (5) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात :-

(क) ऐसे आदेश की पुष्टि, निरस्त या परिवर्तित कर सकता है, या

(ख) आदेश को रद्द कर सकता है और, यथास्थिति, कर निर्धारक या अपील या पुनरीक्षण अधिकारी या कमिश्नर को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी अग्रतर जाँच के पश्चात, यदि कोई हो, जैसी विनिर्दिष्ट की जाये, नया आदेश दे, या

(ग) कर, शुल्क या शास्ति की या अन्य ऐसी धनराशि को, जो देय धनराशि से अधिक वसूल कर ली गई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वापस करने का आदेश दे सकता है।

(9) जहाँ इस धारा के अधीन कोई अपील दाखिल की गई हो तो ऐसी अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किये गये अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र पर अधिकरण पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है उसके अधीन देय किसी कर, शुल्क या शास्ति की विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को या देय धनराशि की वापसी को या जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसके अधीन पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही को अपील के निस्तारण होने तक स्थगित कर सकता है :-

प्रतिबन्ध यह है कि -

(एक) जहाँ धारा 55 के अधीन अपील प्राधिकारी ने कर निर्धारण या शास्ति के किसी आदेश को अपास्त किया हो और नये विनिश्चय के लिए मामले को कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया हो और अपीलार्थी इस धारा के अधीन कमिश्नर या राज्य सरकार से भिन्न व्यक्ति है, वहाँ इस धारा के प्रयोजनार्थ कर या शास्ति की विवादग्रस्त धनराशि को वही धनराशि समझा जायेगा जो धारा 55 के अधीन अपील प्राधिकारी के पूर्व थी ; और

(दो) उपखण्ड (एक) के उपबन्ध के अधीन रहते हुए जहाँ पर ऐसे आदेश में जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, कर, शुल्क या शास्ति की मात्रा के बारे में कोई विवाद अन्तर्ग्रस्त हो, वहाँ अपीलार्थी के आवेदन पर अधिकरण ऐसे आदेश के प्रवर्तन को, ऐसी शर्तों, जिसमें प्रतिभूति को नकद रूप में अनुज्ञात समय के भीतर देने की शर्त भी है, के अधीन रहते हुये अपील के निपटारे तक रोक सकता है ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ---

(क) कर, शुल्क या शास्ति की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को रोकने के लिये कोई प्रार्थना पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रार्थी ने धारा 55 की उपधारा (3) के अधीन जमा करने के लिये अपेक्षित धनराशि के अतिरिक्त ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की कम से कम एक तिहाई धनराशि के भुगतान का सन्तोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो।

(ख) अधिकरण विशेष और पर्याप्त कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की एक तिहाई धनराशि के भुगतान करने के संबंध में खण्ड (क) की अपेक्षा का अधित्यजन या उसे शिथिल कर सकता है।

(10) जहाँ अधिकरण ने इस धारा के अधीन किसी कर, शुल्क या शास्ति की वसूली को रोकने के लिये या उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, प्रवर्तन को रोकने के आदेश पारित किया है और अधिकरण के ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप किसी कर, शुल्क या शास्ति की वसूली रोकी गई हो वहाँ अधिकरण का ऐसा स्थगन आदेश 30 दिन से अधिक के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक अपीलार्थी बकाया धनराशि के भुगतान के लिये संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारी के समाधान के रूप में पर्याप्त प्रतिभूति न दे दे।

(11) अधिकरण के सदस्य समय-समय पर यथागठित एक, दो या अधिक सदस्यों की न्यायपीठ में बैठेंगे और वे अधिकरण का ऐसा कार्य करेंगे जो उन्हें उपधारा (12) और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये अधिकरण के अध्यक्ष आदेश से या उसके निर्देशानुसार आवंटित किये जायं।

(12) (क) धारा 55 के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण -

(एक) जहाँ अपीलार्थी के आवेदन पर स्थगन के लिये कोई आदेश पारित न हो, ऐसा आदेश अपर कमिश्नर (अपील) द्वारा दिया गया हो या विवादग्रस्त कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक हो, दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा;

(दो) किसी अन्य मामले में एकल सदस्य पीठ द्वारा किया जायेगा।

(ख) धारा 48 की उपधारा (7) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन दिये गये निर्देश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण निम्नलिखित द्वारा किया जायेगा -

(एक) जहाँ अपील के अधीन ऐसे निर्देश, कमिश्नर, विशेष कमिश्नर या किसी अपर कमिश्नर द्वारा दिये गये हों, दो सदस्यो की पीठ द्वारा ;

(दो) किसी अन्य मामले में एकल सदस्य की पीठ द्वारा।

(ग) धारा 56 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण निम्नलिखित द्वारा किया जायेगा --

(एक) जहाँ विवादग्रस्त कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक हो या जहाँ अपील के अधीन आदेश, कमिश्नर, विशेष कमिश्नर या किसी अपर कमिश्नर द्वारा पारित किया गया हो, दो सदस्यों की पीठ द्वारा ;

(दो) किसी अन्य मामले में एकल सदस्य पीठ द्वारा।

(घ) धारा 59 के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील अध्यक्ष के समक्ष दाखिल की जायेगी और उसकी सुनवाई और निस्तारण तीन सदस्यों की पीठ द्वारा की जायेगी।

(ङ.) अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे -

(एक) किसी अपील की सुनवाई और विनिश्चय किसी वृहद्तर पीठ द्वारा किये जाने के निर्देश दे सकता है।

(दो) किसी अपील का अन्तरण एक पीठ से दूसरी पीठ को कर सकता है।

(च) दो या अधिक सदस्यों के किसी न्यायपीठ के समक्ष मामले में कोई ऐसा आदेश, जो मामले का अंतिम रूप से निस्तारण करने वाले आदेश से भिन्न हो न्यायपीठ का गठन करने वाले सदस्यों में से किसी एक द्वारा पारित किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि आस्थगन हेतु किसी आवेदन पर पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील एकल सदस्यीय पीठ द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित की जा सकती है।

(13) किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में एक ही वाद हेतुक से उत्पन्न समस्त अपीलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय, जहाँ तक सम्भव हो, एक साथ किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसी अपीलों में से किसी एक या अधिक अपीलों की सुनवाई और उसका विनिश्चय पहले ही किया जा चुका है, यदि अवशेष अपीलों की सुनवाई करने वाली न्यायपीठ विचार करती है कि ऐसे विनिश्चय से ऐसी अवशेष अपीलों में राहत देने में विधिक अड़चन हो सकती है, वहाँ वह, यदि पूर्वत्तर विनिश्चय -

(क) लघुत्तर न्यायपीठ या समसंख्य न्यायपीठ द्वारा दिया गया हो, ऐसे पूर्वत्तर विनिश्चय को रद्द कर सकती है और सभी अपीलों का विनिश्चय एक साथ करने की कार्यवाही कर सकती है ;

**(ख) वृहद्तर न्यायपीठ द्वारा दिया गया हो, ऐसी अवशेष अपीलों को ऐसी** अधिकारितायुक्त वृहद्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट कर सकती है और तत्पश्चात ऐसी वृहद्तर न्यायपीठ ऐसे पूर्वत्तर विनिश्चय को रद्द कर सकती है और सभी अपीलों का एक साथ विनिश्चय करने की कार्यवाही कर सकती है।

(14) अधिकरण की बैठक का स्थान और प्रक्रिया और अधिकरण को अपील और अन्य लेख प्रस्तुत करने की रीति इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए ऐसी होगी जैसी अधिकरण अंगीकार करना उचित समझे।

(15) किसी न्यायपीठ द्वारा सुने गये मामले का निर्णय बहुमत की राय के अनुसार होगा। यदि सदस्यों की राय बराबर विभाजित हो तो अधिकरण का अध्यक्ष -

(क) यदि वह ऐसी न्यायपीठ का सदस्य नही था, अपनी राय दे सकता है, या किसी अन्य सदस्य की राय के लिये मामला निर्दिष्ट कर सकता है, तदन्तर मामले का निर्णय ऐसी राय के अनुसार किया जायेगा, या

(ख) वृहद्तर न्यायपीठ बना सकता है।

विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण

58-(1) धारा 57 की उपधारा (7) या उपधारा (8) के अधीन दिये गये आदेश से, जो उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन अपील का संक्षिप्त निस्तारण करने के आदेश से भिन्न हो, क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसा आदेश तामील किये जाने के दिनांक से 90 दिन के भीतर उच्च-न्यायालय में इस आधार पर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है कि मामले में विधि प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।

(2) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्र में मामले से सम्बन्धित विधि प्रश्न का ठीक-ठीक वर्णन होगा और विधि-प्रश्न के सूत्रीकरण या किसी अन्य किसी विधि-प्रश्न उठाये जाने की अनुमति देने के लिये उच्च न्यायालय सक्षम होगा।

(3) यदि उस धारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हो तो उच्च न्यायालय उस निमित्त प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर पुनरीक्षण के लिये आशयित आदेश के अधीन देय कर, शुल्क या अर्थदण्ड की किसी विवादग्रस्त धनसशि की वसूली को या किसी देय धनराशि की वापसी को स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली के स्थगन के लिये कोई आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि आवेदक सम्बद्ध कर निर्धारक प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति न दे दे।

(4) उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात अन्तर्ग्रस्त विधि-प्रश्न का निर्णय करेगा और यदि ऐसे निर्णय के परिणामस्वरूप कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि को फिर से अवधारित किया जाना अपेक्षित हो तो उच्च न्यायालय धनराशि को फिर से अवधारित करने के लिये निर्णय की एक प्रति, अधिकरण को भेज सकता है, और तदुपरान्त अधिकरण ऐसा आदेश देगा जो उक्त निर्णय के अनुसार मामले का निस्तारण करने के लिये आवश्यक हो।

(5) किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में उसी वाद हेतुक से उत्पन्न अपीलों में धारा 57 के अधीन पारित आदेशों के पुनरीक्षण के लिए सभी प्रार्थना-पत्रों की एक साथ सुनवाई और विनिश्चय किया जाएगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे प्रार्थना-पत्रों में से किसी एक या अधिक की सुनवाई और विनिश्चय पहले कर दिया गया है, वहां यदि उच्च न्यायालय अवशेष पत्रों की सुनवाई करते समय यह विचार करता है कि पूर्वत्तर विनिश्चय से ऐसे अवशेष प्रार्थना पत्रों में राहत देने में विधिक अड़चन हो सकती है तो वह पूर्वत्तर विनिश्चय को रद्द कर सकता है और तत्पश्चात् सभी प्रार्थना पत्रों पर एक साथ सुनवाई और विनिश्चय करने की कार्यवाही कर सकता है।

(6) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबन्ध इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए दिए गए प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

स्पष्टीकरण -इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "कोई व्यक्ति" के अन्तर्गत कमिश्नर और राज्य सरकार भी है।

कमिश्नर द्वारा विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण

59-(1) यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ -

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वतः या परिणामतः माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हाँ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से रजिस्ट्रीकरण कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हाँ, तो उसकी दर क्या है ;

तो सम्बन्धित व्यक्ति या व्यवहारी, धारा 72 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा करके, ऐसे दस्तावेजों सहित जो निर्धारित किये जायें, कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(2) कमिश्नर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, इस प्रकार उत्पन्न प्रश्न को, जैसा वह उचित समझे, विनिश्चय करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि विनिश्चय देने के पूर्व कमिश्नर स्वविवेकानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारी से ऐसी जाँच करने के लिये कह सकता है जिसे वह उस प्रश्न के विनिश्चय के लिये आवश्यक समझे।

(3) इस धारा के अधीन कमिश्नर के विनिश्चय में किसी कर-निर्धारक प्राधिकारी, अपील सुनने वाले अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा पहले दिये गये किसी आदेश की विधिमान्यता या उसके प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

(4) कोई प्रश्न, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो, इस धारा के अधीन अवधारण के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(5) उपधारा (3) में, जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय इस धारा के अधीन कमिश्नर द्वारा किया गया कोई विनिश्चय धारा 59 और 60 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा और आवेदक, कर-निर्धारक प्राधिकारी और अपील अधिकारी पर बंधनकारी होगा।

(6) इस धारा के अधीन दिये गये विनिश्चय की एक प्रति प्रार्थी और सम्बद्ध कर-निर्धारक प्राधिकारी को भेजी जायेगी।

आदेश जिसके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा

60-निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील और पुनरीक्षण हेतु आवेदन न होगा -

(क) निर्धारण या पुनःनिर्धारण हेतु जाँच प्रारम्भ किये जाने का आदेश या सूचना ;

(ख) धारा 45, धारा 48 की उपधारा (1), (2) या (7), धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश या कार्यवाही या माल के अभिग्रहण का कोई आदेश ; और

(ग) यथाविहित शक्ति का प्रयोग करके कमिश्नर द्वारा जारी किया गया कोई निदेश।

61-कर निर्धारिती अपील सुनने वाले या अधिकरण के समक्ष मौलिक या दस्तावेज के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार न होगा सिवाय उस दशा के जब पेश किये जाने वाला साक्ष्य ऐसा साक्ष्य हो जिसे कर निर्धारक प्राधिकारी ने गलती से ग्रहण करने से इन्कार किया हो अथवा जो सम्यक तत्परता बरतने के बावजूद भी उसकी जानकारी में नहीं था अथवा उसके द्वारा कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था और प्रत्येक ऐसे मामलें में अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित किये जाने पर कर निर्धारक प्राधिकारी को चुनौती देने या खण्डन करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। अपील में अतिरिक्त साक्ष्य

# अध्याय - दस

## व्यवस्थापन आयोग

62-(1) एक व्यवस्थापन आयोग होगा जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसी संख्या में अन्य सदस्य होगें जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय : व्यवस्थापन आयोग का गठन

प्रतिबंध यह है कि आयोग में उपधारा (4) के खण्ड (एक) और (दो) में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक सदस्य होगा।

(2) आयोग राज्य के मुख्यालय पर स्थित होगा किन्तु आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु, अपने विकल्प पर, राज्य के भीतर कहीं भी, किसी सार्वजनिक स्थान पर अपना शिविर लगा सकता है।

(3) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि -

(एक) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो ; या

(दो) उसने इस अधिनियम या इससे पूर्व के अधिनियम के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष का पद कम से कम एक वर्ष के लिए धारण न किया हो,

(4) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि --

(एक) उसने इस अधिनियम या इससे पूर्व के अधिनियम के अधीन अधिकरण के सदस्य या अपर कमिश्नर का पद धारण न किया हो, या

(दो) वह, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य न हो या न रहा हो।

(5) अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, किन्तु उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी जिसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा चलाया जाएगा :

प्रतिबंध यह कि अध्यक्ष या सदस्य तब तक पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसने, यथास्थिति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से या उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा या किसी अन्य सेवा से, जिसमें वह सेवारत था, त्यागपत्र न दे दिया हो।

(6) अध्यक्ष और सदस्य इस रूप में अपना पद धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा :

प्रतिबंध यह कि कोई अध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद ; -

(क) अध्यक्ष के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् धारण नहीं करेगा, और

(ख) किसी अन्य सदस्य के मामले में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् धारण नहीं करेगा।

(7) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य राज्यपाल को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है।

(8) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य विहित रीति से की गई ऐसी जाँच के पश्चात् जिसमें, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरुद्ध लगाये गए आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा दिये गए किसी आदेश के सिवाय अपने पद से हटाया नहीं जाएगा।

(9) पद पर न रह जाने पर अध्यक्ष या अन्य सदस्य इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष न तो उपस्थित होगा, न कार्य करेगा और न अभिवचन करेगा।

(10) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए।

(11) जहाँ अध्यक्ष अनुपस्थिति या अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, या जहां अध्यक्ष का पद उसकी मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा रिक्त हो जाए वहां अधिकरण का प्रधान, यथास्थिति, अध्यक्ष का अपने पद पुनः संभालने या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त अध्यक्ष के अपने पद का भार संभालने तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा।

व्यवस्थापन आयोग के कर्मचारी

**63**-(1) राज्य सरकार, व्यवस्थापन आयोग (जिसे आगे आयोग कहा गया है) को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का अवधारण करेगी और आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जैसा वह उचित समझे।

(2) आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाए।

व्यवस्थापन आयोग को मामले का निर्देश

**64**-(1) कोई व्यवहारी या अन्य व्यक्ति जिसे कोई नोटिस की तामील -

(एक) धारा 45 की उपधारा (10) के अधीन की गई हो और जिस पर इस बात का संदेह हो कि उसने एक लाख से अधिक या ऐसी अधिक कर की धनराशि के भुगतान का अपवंचन किया है जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; या

(दो) या तो धारा 48 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन सारिणी के क्रम संख्या 2 और 14 की प्रविष्टियों के अधीन शास्ति आरोपित करने के लिए की गई हो, और जहां कि आरोपित की जाने वाली शास्ति की अधिकतम धनराशि एक लाख रूपये से अधिक होने की संभावना हो,

वहां ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर, ऐसी सूचना जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करने के पश्चात, यथास्थिति, निर्धारित किये जाने वाले कर की धनराशि या आरोपित की जाने वाली शास्ति की धनराशि या दोनों के व्यवस्थापन के लिए आयोग के समक्ष याचिका दायर कर सकता है।

प्रतिबंध यह कि आयोग समुचित मामलों में ऐसी सूचना के अनुसरण में जहां कि कर निर्धारक प्राधिकारी ने कर निर्धारण या शास्ति का आदेश पारित न किया हो, यथास्थिति, तीस दिनों की अपील के समापन के पश्चात किन्तु नब्बे दिनों की अवधि के समापन के पूर्व, आवेदन स्वीकार कर सकता है।

(2) याचिका, विहित प्रपत्र और रीति में ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ, जैसे विहित किए जाएं, आयोग के अध्यक्ष को सम्बोधित होगी और आयोग के कार्यालय में पॉच हजार रूपए की फीस के जमा किए जाने के संतोषजनक प्रमाण के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

आयोग द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

65-(1) अध्यक्ष धारा 64 के अधीन प्राप्त मामलों के व्यवस्थापन के निस्तारण के लिए दो सदस्यों वाली पीठ का गठन समय-समय पर कर सकता है।

(2) दो सदस्यों की पीठ में धारा 62 की उपधारा (4) के खण्ड (एक) और (दो) में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के सदस्य सम्मिलित होंगे :

प्रतिबंध यह है कि अध्यक्ष पीठ के एक सदस्य के रूप में स्वयं को नामनिर्दिष्ट कर सकता है।

(3) धारा 64 में निर्दिष्ट याचिका पीठ के समक्ष रखी जाएगी, जिसके लिए वह अध्यक्ष द्वारा चिन्हित की गई है, और याची तथा कमिश्नर के प्रतिनिधि अधिकारी को सुने जाने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात जहां पीठ की यह राय हो कि व्यवस्थापन हेतु मामला प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है तो वह उपधारा(4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए -

(एक) मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए आदेश करेगी ; और

(दो) मामले में कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों को आस्थगित करेगी।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन यथा उपबन्धित रूप में सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् मामला सिद्ध नहीं होता है तो वह याचिका को अस्वीकृत कर सकता है ;

प्रतिबंध यह है कि जहां प्रस्तुत की गई याचिका अपूर्ण है तो आयोग याचिका को अस्वीकृत नहीं करेगा यदि याची आयोग द्वारा अनुमत समय के भीतर त्रुटियों को दूर कर लेता है।

(5) जहाँ व्यवस्थापन हेतु कोई मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है वहां आयोग नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी से मामले में दी गई रिपोर्ट को मंगाने के आदेश दे सकता है जिसके आधार पर व्यवस्थापन मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है, और ऐसा अधिकारी आयोग से निर्देश प्राप्त करने के तीस दिनों के या ऐसे समय के भीतर, जैसा कि आयोग अनुमति दे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के प्राप्त होने पर आयोग दोनो पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने और अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात, यथास्थिति, कर की या शास्ति या दोनों की धनराशि लिखित आदेश द्वारा अवधारित करेगा, जो कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याची व्यवस्थापन धनराशि के रूप में भुगतान करने के लिए दायी हो,

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनार्थ आयोग याची से और कमिश्नर से मामले से सम्बन्धित किन्हीं अभिलेखों या ऐसे अन्य अभिलेखों को मंगा सकता है जो मामले में सहायक हों।

(8) दो सदस्यों के मध्य मत विभिन्नता की दशा में अध्यक्ष उन सदस्यों को सम्मिलित करते हुए जिन्होंने मामले को पहले सुना है तीन सदस्यों वाली एक पीठ का गठन करेगा। ऐसी पीठ उपधारा (6) और उपधारा (7) के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात बहुमत से उपधारा (6) में निर्दिष्ट आदेश पारित करेगी।

(9) यथास्थिति, उपधारा (6) या उपधारा (8) के अधीन आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रतियां, आयोग द्वारा याची को नोटिस जारी करने वाले अधिकारी को, उसके कर निर्धारण प्राधिकारी के माध्यम से याची के कर निर्धारण अधिकारी को और कमिश्नर को भेजी जाएगी और जहां आयोग द्वारा पारित आदेश कर की धनराशि के भुगतान से संबंधित हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी धनराशि, जो कि याची द्वारा भुगतान की जानी है, के लिए मांग की नोटिस की भी तामील करेगा।

(10) याची आयोग से प्रस्ताव की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर, यथास्थिति, कर या शास्ति या दोनों की प्रस्तावित धनराशि के भुगतान की रजामन्दी प्रस्तुत करेगा और जहाँ याची प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो आयोग उस मामले में एक आदेश पारित करेगा और याची को उस पर आदेश के तामील के दिनांक से तीस दिनों के भीतर धनराशि जमा करने का निर्देश देगा।

(11) जहां याची द्वारा व्यवस्थापन आदेश में उल्लिखित धनराशि या उसका कोई अंश जमा नहीं किया जाता है तो उस पर आदेश के तामील के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के समापन पश्चात वह भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य हो जाएगी और कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसी धनराशि की वसूली इस प्रकार करेगा मानो वह अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन आरोपित की गई निर्धारित कर या शास्ति की धनराशि हो।

(12) कर की धनराशि के संबंध में ब्याज के भुगतान से सम्बन्धित उपबंध व्यवस्थापन आदेश में उल्लिखित धनराशि पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन आरोपित कर के मामले में लागू होते है।

(13) इस अधिनियम के अधीन समस्त प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन अवधारित धनराशि को, यथास्थिति, आरोपित कर या शास्ति की धनराशि के रूप में समझा जायेगा और आयोग द्वारा किये गये आदेश के दिनांक को, यथास्थिति, कर निर्धारण या शास्ति के आदेश के दिनांक के रूप में माना जायेगा।

(14) जहां आयोग द्वारा व्यवहारी या अन्य व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया गया हो वहां कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी या अन्य व्यक्ति के मामले में इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसरण मे कर निर्धारण करने या शास्ति आरोपित करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(15) इस अधिनियम की धारा 28 के उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां कर निर्धारण के किसी मामले में इस धारा के अधीन कोई याचिका आयोग द्वारा खारिज कर दी गई हो तो कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, कर निर्धारण या पुन: निर्धारण उस कर निर्धारण वर्ष, जिसमें कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने सम्यक प्रक्रिया द्वारा आयोग द्वारा पारित आदेश प्राप्त किया है, के पश्चातवर्ती कर निर्धारण वर्ष के समापन के पूर्व कर दिया जायेगा।

(16) जहाँ इस धारा के अधीन कोई व्यवस्थापन का मामला आयोग के समक्ष लम्बित हो तो कर निर्धारण प्राधिकारी को उन पर निर्धारण वर्षों, जिनके व्यवस्थापन मामले लम्बित पड़े है, के सम्बन्ध में कोई कर निर्धारण या पुन: निर्धारण करने से कोई बात नहीं रोकेगी, किन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी आयोग के समक्ष कारण बताओ नोटिस के अधीन सामग्री की उपेक्षा करते हुए अपना आदेश कर सकता है।

(17) जहाँ आयोग के समक्ष कर के अपवंचन से सम्बन्धित कोई व्यवस्थापन मामला विचारार्थ लम्बित हो और यदि उसी प्राधिकारी द्वारा कर अपवंचन के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त सूचना या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई नई सूचना ऐसे आधार पर जारी की जाती है जिसका पूर्व सूचना में उल्लेख नहीं था तो याची या कमिश्नर ऐसी अन्य सूचना में दी गई सामग्री के विचारण हेतु आयोग से निवेदन कर सकता है, प्रतिबंध यह कि आयोग ने व्यवस्थापन आदेश न कर दिया हो।

(18) किसी मामलें के लम्बन के दौरान अध्यक्ष -

(एक) एक पीठ से दूसरे पीठ को मामले का अन्तरण कर सकता है, या

(दो) पीठ का पुनर्गठन कर सकता है।

(19) आयोग किसी मामले से सम्बन्धित किसी याचिका को, जो कि किसी व्यवहारी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्व में दाखिल किसी याचिका की विषयवस्तु रही हो, ग्रहण नहीं करेगा।

(20) इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही या किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विचार नहीं होगा।

# अध्याय - ग्यारह

# प्रकीर्ण

अधिकारिता के संबंध में आपत्ति

66-(1) किसी अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण द्वारा किसी कर निर्धारक प्राधिकारी की क्षेत्रीय या धन सम्बन्धी अधिकारिता के प्रति कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी आपत्ति यथासंभव शीघ्र अवसर पर कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष न की गई हो और जब तक कि अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण की राय में उससे वास्तव में न्याय न हो पाया हो।

(2) यदि कर निर्धारण प्राधिकारी की केवल क्षेत्रीय या धन सम्बन्धी अधिकारिता के अभाव के कारण अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से जिससे सार पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई कर निर्धारण रद्द या अपखण्डित कर दिया गया हो तो कर निर्धारिती द्वारा स्वीकृत दायित्व की सीमा तक पहले से ही दिया गया कर निर्धारण रद्द या अपखण्डित किये जाने के फलस्वरूप उसे वापस किये जाने योग्य नहीं होगा।

हानि-रक्षा

67-कोई वाद, अभियोग अथवा कोई अन्य कानूनी कार्यवाही किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसे काम के सम्बन्ध में न की जा सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन अथवा तद्धीन नियमों के अधीन सद्भाव से किया गया हो अथवा किया जाना आशयित हो।

कतिपय कार्यवाहियों पर रोक

68-इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किसी कर या दिए गए किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी और इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के सिवाय किसी ऐसे कर निर्धारण या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विचार के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं दिया जायेगा।

कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होगी

69-(1) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों के अनुसार, जो विवरण-पत्र (स्टेटमेन्ट्स ओर रिटर्न्स) या लेखे (हिसाब) या दस्तावेज प्रस्तुत किये जायं अथवा जो साक्ष्य या शपथ-पत्र, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये जायं अथवा किसी मॉग की वसूली से सम्बन्धित किसी कार्यवाही के, जो लेख (रिकार्ड) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों के प्रयोजन के लिए तैयार किया जाय, इन सब में जो कुछ विषय होगा वह गोपनीय माना जायेगा।

(2) उपधारा (1) में, जो कुछ कहा गया है वह उन बातों के प्रकट करने में बाधक नहीं होगा यदि -

(क) इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 5, 1860) अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अनुसंधान करना हो, अथवा उसके लिए अभियोग चलाना हो, या

(ख) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों को कार्यान्वित करने में लगा है और यह आवश्यक है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के प्रयोजनों के लिए उसके समक्ष इन बातों को प्रकट किया जाय, या

(ग) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी मांग की वसूली के लिए प्रचलित वैधानिक कार्यवाही में आवश्यक हो, या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही से उत्पन्न किसी विषय के किसी ऐसे दीवानी के मुकदमों में हो, जिसमें सरकार एक पक्ष के रूप में हो, या

(ङ) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन प्राप्त अधिकारों का लोक सेवक (पब्लिक सर्वेन्ट) द्वारा ऐसे लेख-पत्र (डाकुमेन्ट्स) का अवरोध करने के लिए जिस पर अपर्याप्त मूल्य का स्टाम्प लगा हो, वैधानिक प्रयोग किया जाये, या

(च) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाये जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिए उसके किसी अधिकारी को उनका प्रकट किया जाना आवश्यक हो, या

(छ) वह केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई जाँच करने के प्रयोजनार्थ हो, या

(ज) वह लोक लेखों की लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ हो।

वस्तु संकेतक का आवंटन

70-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम की किसी अनुसूची की किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में ऐसी वस्तुओं की सूचियाँ तैयार कर सकती है जिन्हें उक्त अनुसूची की उक्त प्रविष्टि के अधीन आच्छादित समझा जाएगा और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1984 के अधीन भारत सरकार द्वारा यथा अंगीकृत नाम पद्धति की संगत प्रणाली के आधार पर इस प्रकार सूचीबद्ध वस्तुओं के निमित्त वस्तु संकेतकों आवंटित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार इस धारा की उपधारा (1) के अधीन ऐसी अनुसूची की ऐसी प्रविष्टि के अधीन सूचीबद्ध वस्तु संकेतकों द्वारा प्रारम्भ में नियत की गयी वस्तुओं का उपबंध करके इस अधिनियम की किसी अनुसूची की किसी प्रविष्टि को विस्तारित कर सकती है।

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए सुविधा

71-(1) धारा 33 की उपधारा (1) और उपधारा (2) और धारा 39 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी किन्तु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें आरोपित किया जाना उचित समझा जाय, राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी औद्योगिक इकाई द्वारा विद्यमान या भावी देयों के भुगतान को आस्थगित करने या ऐसे देयों का भुगतान उतनी किस्तों में, जितनी विनिर्दिष्ट की जायें, करने की अनुज्ञा दे सकती है यदि ऐसी औद्योगिक इकाई को रुग्ण इकाइयों के पुनःस्थापन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकृत निकाय द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार रुग्ण इकाई घोषित किया जाय और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अनुमोदित अधिकरण द्वारा पुनःस्थापन के लिए अनुमोदित किया जाय।

(2) धारा 32 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी बीमार इकाई के विरुद्ध पारित एक पक्षीय कर निर्धारण या शास्ति के किसी आदेश को अपास्त कर सकती है और विधि के अनुसार मामले का फिर से निस्तारण करने का निर्देश दे सकती है।

कतिपय मामलों में शुल्क

72-(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन दाखिल या प्रस्तुत अपील के ज्ञापन-पत्र या अन्य प्रार्थना पत्रों पर देय शुल्क निम्न प्रकार होगा :

| | |
|---|---|
| (क) धारा 55 के अधीन अपील के ज्ञापन-पत्र पर | विवादग्रस्त कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि का दो प्रतिशत किन्तु कम से कम एक सौ रूपये और अधिक से अधिक एक हजार रूपया। |

| | |
|---|---|
| (ख) धारा-57 के अधीन अपील के ज्ञापन-पत्र पर | विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थ दण्ड की धनराशि का साढ़े सात प्रतिशत, किन्तु कम से कम पॉच सौ रूपये और अधिक से अधिक दो हजार एक सौ रूपये। |
| (ग) धारा 59 के अधीन प्रार्थना-पत्र पर | एक सौ रूपये |
| (घ) किसी अन्य प्रार्थना-पत्र पर<br>(एक) जब वह व्यापार कर कमिश्नर या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण या समझौता आयोग को सम्बोधित हो<br>(दो) जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो | बीस रूपया<br>दस रूपया |

(2) इस धारा में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निर्दिष्ट शुल्क निर्धारित रीति से देय होगा और उसको जमा करने का सबूत, यथास्थिति, ज्ञापन-पत्र या प्रार्थना पत्र में संलग्न किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ देय शुल्क की धनराशि एक सौ रूपये से अधिक न हो वहॉ उसका भुगतान न्यायालय फीस स्टाम्प में किया जा सकता है।

(3) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई शुल्क देय न होगा:-

(क) कमिश्नर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र या अपील का ज्ञापन-पत्र ;

(ख) ऐसा प्रार्थना पत्र जिसमें केवल सूचना मॉगी गयी हो, और जिसमें किसी विनिर्दिष्ट अनुतोष की प्रार्थना न की गई हो ; और

(ग) धारा-59 के अधीन प्रार्थना-पत्र जिसमें केवल लागू होने वाली कर की दर या स्थल जिस पर कर देय हो, के सम्बन्ध में निर्णय की मॉग की गयी हो।

राजस्व को कपटवंचित करने के लिए किये गये अन्तरण का शून्य होना

73-(1)जहॉ इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों की विचार अवधि में कर अथवा अन्य देयों का देनदार कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व में जंगम या स्थावर सम्पति पर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रभार उत्पन्न करता है अथवा उसे अन्तरित करता है और ऐसा इस इरादे से करता है कि ऐसा कर, अथवा अन्य देय कपटवंचित हो जाय तो ऐसा प्रभार अथवा अन्तरण उक्त कार्यवाहियों के समाधान के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने वाले किसी कर या अन्य देयों के सम्बन्ध में दावे के प्रति शून्य होगा;

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात सद्भाव तथा प्रतिफल के लिये अन्तरिती के अधिकारों को कम नहीं करेगी।

(2) उपधारा(1) की कोई बात बैंकिग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1949) में यथापरिभाषित बैंकिग कम्पनी अथवा एतदर्थ विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में किसी प्रभार या अन्तरण पर लागू न होगी।

अधिसूचना जारी करने की शक्ति

74-जहॉ राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह इस अधिनियम के उपबन्धो के अधीन, जहॉ कही अपेक्षित हो, अधिसूचना जारी कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के जारी करने के दिनांक से छः माह से अनधिक पूर्व के दिनांक से उसे प्रभावी बना सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी के कर के दायित्व में वृद्धि करने के परिणामवाली कोई अधिसूचना इस धारा के अधीन भूतलक्षी प्रभाव से जारी नहीं की जायेगी।

व्यापार के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

75-यदि कोई व्यवहारी जिस पर धारा-17 और-18 के उपबन्ध लागू होते है

(क) अपने व्यापार या उसके किसी भाग को बिक्री, पट्टा , त्याग लाइसेन्स, भाड़ा या किसी अन्य रीति से अन्तरित करता है या अपने व्यापार उसके किसी भाग का अन्यथा चलाता है ; या

(ख) किसी व्यापार का, चाहे क्रय द्वारा या अन्यथा, अर्जन करता है;या

(ग) अपने व्यापार के स्वामित्व या गठन में कोई अन्य परिवर्तन करता या ऐसा परिवर्तन उसकी जानकारी में आता है ; या

(घ) अपना व्यापार बन्द करता है या अपने व्यापार या भण्डारागार के स्थान में परिवर्तन करता है;या व्यापार या भण्डारागार का कोई नया स्थान खोलत है; या

(ङ) अपने व्यापार के नाम, अभिनाम या स्वरूप में परिवर्तन करता है या उस माल के, जिसमें वह अपना व्यापार करता है, वर्ग या विवरण में, जैसा रजिस्ट्रीकरण के उसके प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है, कोई परिवर्तन करता है ; या

(च) अपने व्यापार के सम्बन्ध में भागीदारी या अन्य सहयोजन में प्रवेश करता है ; या

(छ) कोई नया व्यापार प्रारम्भ करता है या किसी अन्य व्यापार में या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से सम्मिलित होता है ; या

(ज) किसी परिनियम के अधीन निगमित किसी कम्पनी के मामले में निदेशको के बोर्ड के गठन में कोई परिवर्तन करता है ; या

(झ) धारा-17 के अधीन किसी प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के लिये दिये गये प्रार्थना- पत्र में प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन करता है,

तो वह उपर्युक्त किसी भी घटना के होने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाय, सूचना देगा।

ऑकड़े संग्रह करने की शक्ति

76-(1) कमिश्नर, परिपत्र जारी करके या समाचार पत्र में प्रकाशन करके निदेश दे सकता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी विषय से सम्बन्धित ऑकड़ो का संग्रह किया जाय।

(2) ऑकड़े संग्रह करने के लिये प्राधिकृत कोई अधिकारी सभी व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग या विशिष्ट व्यवहारी को ऐसी सूचना, विवरणी या विवरण देने के लिये आहूत कर सकता है जो किसी विषय के सम्बन्ध में अपेक्षित हो जिसके संदर्भ मे आकड़ो का संग्रह किया जाना है।

(3) व्यवहारी अनुमन्य समय के भीतर ऐसी सूचना प्रस्तुत करने लिये दायी होगा।

सम्पत्ति पर कर प्रथम प्रभार होगा

77-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए, व्यवहारी द्वारा देय किसी धनराशि या कर, फीस, शास्ति या ब्याज के कारण इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय कोई धनराशि व्यवहारी या ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होगी।

राज्य कर परिषद

78-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से एक परिषद की स्थापना करेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य कर परिषद के रुप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम द्वारा या अधीन या तद्धीन बनाई गई नियमावली के अधीन इसे प्रदत्त कृत्यों का सम्पादन करेगी जिसमें निम्नलिखित होगें :-

| | |
|---|---|
| (क) प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग उत्तर प्रदेश | अध्यक्ष, पदेन |
| (ख) कमिश्नर, वाणिज्यिक कर, उत्तर प्रदेश | सदस्य, पदेन |

| | |
|---|---|
| (ग) अपर कमिश्नर (विधि), वाणिज्यिक कर, विभाग उत्तर प्रदेश। | सदस्य, पदेन |
| (घ) अपर निदेशक (प्रशिक्षण), वाणिज्यिक कर विभाग उत्तर प्रदेश। | सदस्य, पदेन |
| (ङ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जो उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो या वरिष्ठ कर अधिवक्ता रहा हो। | सदस्य |
| (च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का आचार्य रहा हो। | सदस्य |
| (छ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जो अधिकरण का सदस्य रहा हो या अपर कमिश्नर, वाणिज्यिक कर। | सदस्य |
| (ज) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्टि दो व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त श्रेणी के कर दाताओं में से हो। | सदस्य |
| (2) उपधारा(1) के खण्ड (ङ) से (ज) तक में निर्दिष्ट सदस्य इस रूप में पाँच वर्ष की अवधि के लिये या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो पद धारण करेंगे। | |
| (3) परिषद कर संग्रह प्रणाली, कर की दर में परिवर्तन, नियमावली और प्रक्रियाओं, योजनाओं, अधिसूचनाओं, आदेशों और ऐसे अन्य विषयों की घोषणा के सम्बन्ध में जिन्हे राज्य सरकार समय-समय पर उससे अपेक्षा करें, शीर्ष परामर्शदात्री निकाय होगी। | |
| (4) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की भर्ती और सेवा की शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जाय। | |
| (5) उपधारा(1) के खण्ड(ङ) से (ज) तक में निर्दिष्ट सदस्य ऐसा पारिश्रमिक पाने के हकदार होगें जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय। | |

नियमावली बनाने की शक्ति

79-(1)राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के अनुपालन के लिये नियमावली बना सकती है।

(2) विशिष्ट तथा पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी ---

(क) इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित या अनुमत सभी विषय जो विहित किये जाये;

(ख) माल के विक्रय या क्रय में लगे हुए व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण और इस अधिनियम के उपबन्धो को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से विक्रय के सम्बन्ध में शर्त अधिरोपित करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिये आवर्त का अवधारण;

(घ) कर विवरणियों का प्रस्तुतिकरण और दस्तावेजो को पेश करने के लिये मजबूर करना, और किसी व्यक्ति को उपस्थिति के लिये बाध्य करना और उनकी शपथपूर्वक या स्वीकरोक्ति से परीक्षण करना ;

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्धो को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिये नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति, कर्तव्य और शक्तियां ;

(च) सामान्यतया अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया और इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में अपनाये जाने वाले प्रपत्रों को विनियमित करना;

(छ) धारा 40 या 41 की उपधारा(1) के अधीन जमा धनराशियों की वापसी, ऐसी वापसियों के लिये प्रक्रिया और अवधि जिसके भीतर उन्हें वापस किया जाय;

(ज) इस अधिनियम के अधीन समपहृत माल की अभिरक्षा ; और

(झ) विषय जो विहित किये जाये या हो सकते है।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नियमावली बनाने की शक्ति, चार सप्ताह से अन्यून अवधि के लिये पूर्व प्रकाशन के पश्चात बनाई जा रही नियमावली की शर्तो के अधीन होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण उसे तुरन्त कार्यवाही करनी आवश्यक है, तो ऐसे पूर्व प्रकाशन के बिना कोई नियम बना सकती है।

(4) इस धारा के अधीन बनाई गई सभी नियमावली गजट में प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन के पश्चात शीघ्र ही प्रभावी हो जायेगी मानो इस अधिनियम में अधिनियमित हो।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

80-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को इस अधिनियम में निहित किसी बात या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के कारण, प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा परिस्थिति में अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे उपान्तर, वृद्धि या लोप के कारण से हो जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक और समीचीन समझे प्रभावी होगा :

परन्तु यह है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा(1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध इस अधिनियम के समान ही प्रभावी होंगे और ऐसा आदेश इस प्रकार नहीं दिया जायेगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती किसी दिनांक से प्रभावी होगा।

(3) उपधारा(1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथा सम्भव शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा-23 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते है।

निरसन और अपवाद

81-(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15 सन् 1948) (जिसे इस धारा में एतदपश्चात निरसित अधिनियमिति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी

(क) निरसित अधिनियम के अधीन जारी की गयी कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश या नोटिस, या की गई कोई नियुक्ति या घोषणा, या की गई अधिहरण या अरोपित कोई शास्ति या अर्थ दण्ड, या कोई समपहरण, रद्दकरण या की गई कोई बात या कोई अन्य कार्यवाही, जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्वप्रवृत्त हो, जहाँ तक इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी की गई, बनाई गई, प्रदान की गई या की गई समझी जायेगी।

(ख) निरसित अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, अर्जित बाध्यता या दायित्व प्रभावित नहीं किये जायेंगे और निरसित अधिनियम की धारा 4-क के अधीन कर के भुगतान से छूट का लाभ उठाने वाली विनिर्माण इकाईयाँ या उक्त अधिनियम की धारा-8 की उपधारा (2-क) के अधीन कर के भुगतान के अधिस्थगन की सुविधा उठाने वाली इकाईयाँ धारा-42 के उपबन्धों के अनुसार कर भुगतान के अधिस्थगन का दावा करने के लिये हकदार होगी।

(3) निरसित अधिनियमिति के अधीन उसकी धारा-10 -ख और धारा-13-क-की उपधारा (6) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को क्रमशः धारा-56 और धारा-48 की उपधारा(7) के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत किया गया समझा जायेगा।

(4) निरसित अधिनियम के अधीन उसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार या कमिश्नर द्वारा किये गये कोई आदेश या जारी किये गये कोई निर्देश जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये समझे जायेंगे।

(5) निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत की गई कोई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से तीस दिनों के भीतर विहित प्रपत्र और रीति में प्रतिभू से इस आशय की किसी वचनबंध के प्रस्तुत किये जाने पर ही इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विधिमान्य समझी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त मामले में कर निर्धारक प्राधिकारी प्रतिभू से वचनबंध प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ा सकता है।

(6) इस धारा में विशिष्ट मामलों का उल्लेख निरसन के प्रभाव के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-6 की सामान्य प्रयोज्यता के प्रतिकूल या उसको प्रभावित करने वाला नहीं समझा जायेगा।

निरसन एवं अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 37 सन् 2007

82-(1) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2)-ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

***

COURT BOOK

## अनुसूची - एक

**[उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 7 के खण्ड (ख) का अवलोकन करें]**

**कर मुक्त वस्तुओं की सूची**

| क्रम सं0 | वस्तु का नाम एवं विवरण |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | कृषि उपकरण जिसमें छिड़काव एवं ड्रिप सिंचाई उपकरण सम्मिलित है - मानव चालित अथवा पशु चालित अथवा ट्रैक्टर अथवा विद्युत चालित, कलपुर्जे एवं उपस्कर आदि।<br>(क) कृषि उपकरण - मानव चालित अथवा पशु चालित - हैन्ड-हो या खुरपा, हंसिया, फावड़ा, बागुरी, हैन्ड-व्हील हो, बडिंग/ग्राफटिंग चाकू, कर्तनी, प्रूनिंग शियर या हुक, हैज शियर, स्प्रिंकलर, रैकर, स्प्रेयर, डस्टर एवं स्प्रेयर-कम-डस्टर, कुदाली या कुदाल, उद्यान चाकू, उद्यान हैचेट, लूपर (कर्तक), कुल्हाड़ी, फावड़ा, बेलहुक (सिंगल एज या डबल एज), मिट्टी छिद्रक, जैन्ड्रा, व्हील बैरो, ओसई पंखा या विनोवर, रोपछिद्रक, गड़ासा, पडलर, लेवलर या स्कूप, स्क्रैपर, खाद बीज डालने वाला यंत्र, शैलर, मूंगफली का छिलका उतारने का यंत्र, मैन्योर या सीड स्क्रीन, फ्लेम गन, खाद या बीज जांचने का यंत्र, तसला, तांगली, जुआ, हल, हैरो, कल्टीवेटर या त्रिफाली, बीज बोने का यंत्र, खाद डालने का यंत्र, बीज-सह-खाद डालने का यंत्र, प्लान्टर, काठफलक या डोगा, मेड़ बनाने का यंत्र, खाई खोदने का यंत्र, बंडफारमर, थ्रेशर या पल्ला, पौधे को एक स्थान से उठाकर लगाने वाला यंत्र (ट्रांसप्लान्टर), कुट्टी काटने का यंत्र, पुर रहट एवं बाल्टी समेत चेन या वाशर चेन, फसल आंकने का हूप, पुर या म्होट, गाड़ी (कार्ट), फसल काटने वाला यंत्र, घास काटने का यंत्र, गन्ना पेरने का यंत्र (क्रशर), गन्ने का रस उबालने का कढ़ाव एवं ग्रेटिंग रोलर और रम्भा, पशु चालित गाड़ी एवं उसके टायर ट्यूब सहित।<br>(ख) कृषि उपकरण - ट्रैक्टर चालित एवं विद्युत चालित कृषि उपकरण - हल, हैंगा (हैरो), खेती जोतने वाला यंत्र, बीज बोने का यंत्र, खाद डालने का यंत्र अथवा खाद-सह-बीज डालने का यंत्र,खाद को फैलाने वाला यन्त्र,प्लान्टर,काष्ठ फलक या डोंगा, पाटा या कर्बा, बण्ड फारमर, मेड़ बनाने का यंत्र (रिजर), पडलर, खाई खोदने का यंत्र, केज व्हील, छिड़कने वाला यंत्र, डस्टर या छिड़काव-सह-डस्टर यंत्र, रोलर, फावड़ा (कुदाल), घूमने वाला फावड़ा अथवा रोटोवेटर, फसल काटने वाला यंत्र या मोवर, आलू खोदने की मशीन या स्पिनर, मूँगफली खोदने का यंत्र, शेकर, थ्रेशर, कुट्टी काटने का यंत्र, बीज का छिलका उतारने का यंत्र (शैलर), मूँगफली का छिलका उतारने का यंत्र, बीज छांटने का यंत्र, बीज ओसाने वाला यंत्र, बीज उपचारित करने का यंत्र, मुर्गीदाना मिलाने एवं पीसने का यंत्र एवं पौधे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुँचाने वाला यंत्र। |
| 2. | विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सहायक यंत्र एवं उपकरण। |
| 3. | जानवरों की नाल, नाल खुरी एवं नाल खुरी में प्रयोग होने वाले नेल। |
| 4. | एक्वैटिक फीड, मुर्गीदाना जिसमें संतुलित मुर्गीदाना सम्मिलित है, पशुआहार जिसमें संतुलित पशु आहार सम्मिलित है एवं पशुचारा जिसमें हरा चारा, चूनी, भूसी, छिलका, चोकर, जावी, ग्वार, तेलरहित राइस पालिस, तेलरहित राइस ब्रान, तेलरहित राइस हस्क या तेल रहित पैडी हस्क धान का बाहरी छिलका, एक्वैटिक, पोल्ट्री एवं पशु आहार सप्लीमेन्ट, कन्सन्ट्रेट एवं एडीटिव आदि, गेहूँ का भूसा एवं तेलरहित खली किन्तु उसमें खली शामिल नहीं है, राइस पालिस, राइस ब्रान एवं राइस हस्क, सनई व डैंचा। |
| 5. | शिड्यूल तीन की वस्तुओं से निर्मित चूड़ियों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की चूड़ियां, पीतल निर्मित घुंघरू एवं घंटी, मूर्तियों के मुकुट, त्रिशूल, घड़ियाल, हवन कुण्ड, घंटा, मजीरा, ताँबा या पीतल से बनी आचमनी। |
| 6. | पान का पत्ता, तैयार या बिना तैयार पान। |
| 7. | किताबें, पीरिओडिकल्स एवं जर्नल जिसमें ब्रेल पुस्तिकाऐं, नक्शे, चार्ट एवं ग्लोब सम्मिलित हैं। |

| | |
|---|---|
| 8. | मोटा अनाज जैसे कि - ज्वार, मक्का, रागी, बाजरा, कोदो, जौ एवं कुट्टू, रामदाना, सिंघाढ़ा (ताजा, सूखा अथवा उबला), कुट्टू का आटा सिंघाढ़ा आटा, सावाँ, मन्डुआ, काकुन एवं मन्सारी (अनकारी)। |
| 9. | कन्डोम एवं गर्भ निरोधक, ओरल कोन्ट्रसेप्टिव पिल्स। |
| 10. | हैन्क व कोन में सूती धागा, हैन्क व कोन में रेशमी धागा, पाली काटन रोविंग (पूनी) एवं स्लाईवर, काटन निवाड़, हाथ से बना धागा, हैन्डलूम, केस, मूंज एवं सन से निर्मित बान। |
| 11. | चरखा, अम्बर चरखा, हथकरघा (जिसमें पिटलूम, फ्रेमलूम, लाइट शटल लूम एवं पैडल लूम सम्मिलित है), खादी / खद्दर उत्पादन में प्रयोग होने वाले उपकरण, हथकरघे पर बना वस्त्र एवं पार्ट्स आदि, खादी वस्त्र एवं सामान एवं सिले सिलाये वस्त्र जो राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किये जायें। |
| 12. | दही, लस्सी, बटर मिल्क, फ्रेश मिल्क, पास्चुराइज्ड मिल्क एवं सपरेटा मिल्क। |
| 13. | विद्युत। |
| 14. | मिट्टी के बर्तन एवं अन्य सभी सामान जो कुम्हार द्वारा मिट्टी से बनाये गये हों परन्तु इसमें सिरेमिक से बने बर्तन एवं अन्य सामान सम्मिलित नहीं है गोबर एवं गोबर से बना उपला, छत छाने के लिए बनी मिट्टी की टाइल्स (खपरैल और नाली)। |
| 15. | जलाऊ लकड़ी जिसमें कैस्यूराइना एवं यूक्लिप्टस की टिम्बर शामिल नहीं है। |
| 16. | ताजे पौधे सैपलिंग्स एवं ताजे फूल। |
| 17. | तला अथवा भुना चना। |
| 18. | मछली पकड़ने का जाल, मछली के जाल का कपड़ा, मछली के बीज, प्रान / श्रिम्प बीज। |
| 19. | ताजी सब्जियाँ एवं ताजे फल जिसमें आलू, प्याज, लहसुन एवं अदरक सम्मिलित है। ताजा गन्ने का रस एवं ताजे फलों का रस जिसमें सील्ड या टिन कन्टेनर में पैक्ड एवं होटल या रेस्टोरेन्ट में बिक्री के उक्त रस शामिल नहीं है। |
| 20. | मानव रक्त एवं रक्त प्लाज्मा। |
| 21. | समस्त प्रकार का हैण्डलूम कपड़ा, हैण्डलूम दरी, हैण्डलूम शाल एवं लोई, चाहे सादी, छपी हुई रंगी हुई अथवा कढ़ी हो। |
| 22. | हस्तनिर्मित स्वदेशी वाद्य यंत्र। |
| 23. | कुमकुम, बिन्दी, आलता और सिंदुर, रोली, महावर, मेंहदी की पत्ती एवं इसका पाउडर, काजल, सुरमा, बालों की पिन, बालों का बैण्ड, बालों की चिमटी (मूल्यवान धातुओं से निर्मित से भिन्न), रबड़ बैण्ड, सैफ्टीपिन, चुटीला, बिछिआ एवं राखी, काँच से निर्मित मोती एवं मूँगा। |
| 24. | मांस, मछली, झींगा (प्रान) एवं अन्य जलीय उत्पाद (जो क्योर्ड एवं फ्रोजेन न हो), अंडा एवं लाइव स्टाक |
| 25. | राष्ट्रीज ध्वज, समाचार पत्र, समाचार पत्र के प्रकाशन हेतु न्यूज प्रिंट की बिक्री, ध्वज, पोस्टर, बैनर, टोकेन एवं समान प्रकार की वस्तुएं जो सात दिसम्बर को मनाये जाने वाले सशस्त्र सेना झण्डा दिवस से सम्बन्धित है। |
| 26. | कार्बनिक एवं जैविक खाद, जिंक सल्फेट उर्वरक व माईक्रो न्यूट्रियेन्ट मिश्रण, निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों के पोटाश तथा फासफैटिक संघटक:- |

| क्रम संख्या | रासायनिक खाद | अवयवों का अनुपात |
|---|---|---|
| 1 | डी०ए०पी० | 18:46:0 |
| 2 | एम०ओ०पी० | – |
| 3 | एस०एस०पी० | – |
| 4 | एन०पी०के० | 12:32:16 |
| 5 | एन०पी०के० | 20:20:0 |
| 6 | एन०पी०के० | 15:15:15 |
| 7 | एन०पी०के० | 23:23:0 |
| 8 | एन०पी०के० | 14:35:14 |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | एन०पी०के० | 20:20:10 |
| 10 | एन०पी०के० | 15:15:10 |
| 11 | एन०पी०के० | 10:10:10 |
| 12 | एन०पी०के० | 12:6:0 |
| 13 | एन०पी०के० | 16:9:0 |
| 14 | एम०ए०पी० | 11:52:0 |

रासायनिक उर्वरकों में विभिन्न संघटकों के प्रतिशत का अवधारण कृषि विभाग, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

| | |
|---|---|
| 27. | पापड़, आम पापड़, कचरी, सिवइयाँ मुंगौड़ी, बड़ी जिसमें सोयाबीन बड़ी एवं सोयाबीन मुंगौड़ी शामिल नहीं है। |
| 28. | धार्मिक संस्थानों द्वारा बेचा जाने वाला प्रसाद, भोग या महाभोग, पंचामृत, मिश्री, विभूति, बताशा, इलायची दाना, गट्टा, कम्पट। |
| 29. | राजकीय कोषागार द्वारा विक्रय किये जाने वाले गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर, सरकार द्वारा बेचे जाने वाली डाक सामग्री जैसे - लिफाफा, पोस्ट कार्ड इत्यादि, रिजर्व बैंक आफ इंडिया को बेचे गये रुपये के नोट, चेक खुले अथवा बुक फार्म में। |
| 30. | कच्चा ऊन जिसमें जानवरों के बाल भी सम्मिलित हैं। |
| 31. | वीर्य जिसमे जमा वीर्य भी सम्मिलित है, बोन्स, सींग और खुर। |
| 32. | स्लेट एवं स्लेट पैंसिल, तख्ती, चाक स्टिक एवं चाक पाउडर, श्याम पट, झाणन (डस्टर)। |
| 33. | रेशम कीड़े का कोकून एवं कच्चा रेशम। |
| 34. | समस्त प्रकार के बीज जिसमें तिलहन शामिल नहीं है। |
| 35. | कच्चा हरा नारियल, पानी वाला नारियल। |
| 36. | बन, रस्क, ब्रेड (पिज्जा ब्रेड को छोड़कर), आटा, मैदा, सूजी, बेसन, गुड़, भेली तथा खाने योग्य राब गुड़। |
| 37. | नमक (ब्रान्डेड अथवा अन्य), काला नमक, सैधा नमक। |
| 38. | पानी जिसमें ऐरेटेड, मिनरल, डिस्टिल्ड, मैडिसिनल, आयनिक, बैटरी, डी-मिनरलाइज्ड एवं सील्ड डिब्बों में बिकने वाला पानी सम्मिलित नहीं है। |
| 39. | पी0डी0एस0 के अधिक्षेत्र में आने वाली वस्तुऐं (कैरोसिन के अतिरिक्त) |
| 40. | पवित्र धागा (जिसे सामान्यतः यज्ञोपवीत के रूप में जाना जाता है), लकड़ी के खड़ाऊ। |
| 41. | एसेन्स स्टिक जिसे सामान्यतः अगरबत्ती, धूपकाठी या धूपबत्ती, हवन सामग्री के रूप में जाना जाता है, जिसमें धूप, अगरबत्ती, सम्ब्रानी या लोहबान सम्मिलित है, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कण्ठी माला। |
| | **स्थानीय महत्व की वस्तुऐं** |
| 42. | चिकन उत्पाद एवं बनारसी रेशमी साड़ी, कलाबत्तू। |
| 43. | पतंग, मांझा एवं पतंग उड़ाने की चरखी। |
| 44. | कृपाण, धार्मिक चित्र जो कलेण्डर के रूप मे प्रयोग किए जाने के लिए न हो। |
| 45. | सरकन्डा के बने मुद्ढे, फूल बहारी झाड़ू एवं अनब्रान्डेड झाड़ू की सींक। |
| 46. | पफ्ड राइस (पोहा), मुरमुरा एवं लइया, मूरी, पिटा एवं चिपटा चावल (चिवड़ा), पारच्ड राइस (खोई), पारच्ड पैडी या चावल जिस पर चीनी या गुड़ की कोटिंग हो (मुरकी), एवं सत्तू। |
| 47. | 25 मि0ली0 क्षमता से अनधिक स्वयं के द्वारा हस्तनिर्मित कांच की फॉयल। |
| 48. | हैण्डलूम दरी, हाथ से बुनी टाट पट्टी, गुदड़ी। |
| 49. | हस्तशिल्प जिसमें लकड़ी के बने हस्तशिल्प एवं केन के बने हस्तशिल्प सम्मिलित हैं परन्तु लकड़ी एवं केन का फर्नीचर सम्मिलित नहीं है। |
| 50. | प्रेस्ड एवं स्टिच्ड के अतिरिक्त पत्ते से बनी प्लेट एवं कप। |
| 51. | लकड़ी के खिलौने। |

## अनुसूची - दो

[उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) का अवलोकन करें]

### भाग-क

### 4% की दर से करारोपित वस्तुओं की सूची

| क्रम सं0 | वस्तु का नाम एवं विवरण |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | अम्ल |
| 2. | संचार के सभी उपकरण जैसे कि -पी0बी0एक्स0 एवं इलेक्ट्रिक प्राइवेट आटोमैटिक ब्रान्च एक्सचेंज (ई0पी0ए0बी0एक्स0), टेलीप्रिन्टर, वायरलैस उपकरण एवं पार्ट्स आदि। |
| 3. | समस्त अस्पर्शीय गुड्स जैसे कि कापी राइट, पेटेन्ट, रेप0 लाइसेन्स आदि वस्तु के प्रयोग के अधिकार का हस्तान्तरण। |
| 4. | समस्त धातु की कास्टिंग्स, अनुसूची तीन की वस्तुओं से निर्मित चेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी धातु या एलोय से निर्मित चेन। |
| 5. | मारबल गुड्स, ताँबा या ब्रास से निर्मित दीपक, ब्रास से निर्मित मूर्ति, वूलेन कारपेट, कप, ट्राफी एवं शील्ड, नाइयों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाली कैंची व उस्तरा, पैडलाक, रामपुरी चाकू। |
| 6. | हैन्क में सूती एवं रेशमी धागे के अतिरिक्त सभी प्रकार के धागे, सिलाई धागा, काटन वेस्ट यार्न। |
| 7. | कीमती धातुओं से बने बर्तनों के अतिरिक्त अन्य समस्त बर्तन जिसमें प्रेशर कुकर / कढ़ाई भी सम्मिलित है, कलात्मक पीतल के सामान एवं इंगटस (गुल्ली) एवं कोरा माल। |
| 8. | एल्यूमीनियम कन्डक्टर स्टील री-इन्फोर्स्ड (ए0सी0एस0आर0)। |
| 9. | सुपारी पाउडर एवं कसैली। |
| 10. | आडियो एण्ड वीडियो कैसेट। |
| 11. | रोल्ड गोल्ड एवं नकली सोने की बनी वस्तुऐं; काथिर, जर्मन सिल्वर एवं एल्यूमीनियम से बने गहने। |
| 12. | गन्ने की खोई (बगास), लकड़ी का बुरादा। |
| 13. | बांस, बांस की तीली (फट्टी)। |
| 14. | बेसिक क्रोमियम सल्फेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, तरल ब्लीच |
| 15. | बियरिंग्स जिसमें प्लूमेन्स ब्लाक, बियरिंग्स की हाउसिंग, लॉकेट रिंग्स एवं कवर एडोप्टर, विड्राल स्लीव, लाकनर्स, लाक वाशर कैलेम्प्स एवं रोलिंग एलीमेन्ट्स सम्मिलित है। |
| 16. | बेडशीट, तकिया का गिलाफ एवं कपड़े की बनी अन्य वस्तुएं जिसमें हैण्डलूम पर बनी वस्तुएं सम्मिलित नहीं है। |
| 17. | बीड़ी का पत्ता एवं तेंदू पत्ता |
| 18. | समस्त प्रकार की बैल्टिंग |
| 19. | बाईसिकिल, ट्राई साइकिल, साइकिल रिक्शा एवं उसके पार्ट्स, टायर एवं ट्यूब इत्यादि। |
| 20. | रासायनिक खाद जिसमें अनुसूची-एक के क्रमांक 26 में उल्लिखित रासायनिक खादें सम्मिलित नहीं है - माइक्रो न्यूट्रीऐन्ट्स तथा प्लान्ट ग्रोथ प्रमोटर्स एवं रैगुलेटर्स, हर्बीसाइड, इन्सेक्टीसाइड, वीडिसाइड, पैस्टीसाइड। |
| 21. | बायोमास ब्रिकेट्स |
| 22. | कोलतार (बिटुमिन) |

| | |
|---|---|
| 23. | बोनमील, हड्डी का चूरा, बोन स्न्यूज, बोनग्रिस्ट। |
| 24. | लोहा एवं स्टील, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक या अन्य पदार्थ से बनी बाल्टियाँ (जिसमें मूल्यवान पदार्थ से बनी वस्तुयें सम्मिलित नहीं है), प्लास्टिक की अन्य कन्वियन्स की वस्तुयें। |
| 25. | मोमबत्ती। |
| 26. | मशीनरी, इक्विपमेन्ट, अपरेटेस, टूल्स, मोल्ड, डाईज एवं कम्पोनेन्ट स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज इत्यादि, अर्थ मूवर्स। |
| 27. | अरन्डी का तेल |
| 28. | सैन्ट्री फ्यूगल, मोनो ब्लाक सब मर्सीबिल पम्प सेट जिसमें होज कालर, होज साकेट, होज कनेक्टर्स, होज क्लिक, होज निपल, फूट वाल्व एवं वाटर हैण्डलिंग डेल्टा स्टार्टर एवं पार्ट्स इत्यादि। |
| 29. | रसायन जिसमें कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, सोडा ऐश, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रो सल्फेट, एल्युमूना का सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम सल्फेट, एसिड स्लरी, ट्राई सोडियम फास्फेट, सोडियम ट्राई पोली फास्फेट, सोडियम सिलीकेट, सोडियम मेटा सिलीकेट, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम सल्फाइड, एसीटिक एसिड, सोडियम बाई सल्फाइट, आक्जेलिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट, सोडियम एल्जीनेट, बैन्जीन, साइट्रिक एसिड, डाई इथाईलिन ग्लाईकोल, सोडियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन पैरोक्साइड, एसिटल्डीहाइड, पेन्टाएरीथ्रीटाल, सोडियम अल्फा ओलिफिन, सल्फोनेट, सोडियम फारमेट, रासायनिक संघटक एवं मिश्रण एवं अन्य सभी रसायन जो इस अनुसूची अथवा किसी अन्य अनुसूची में सम्मिलित न हों। |
| 30. | क्ले जिसमें फायर क्ले, फाइन चाइना क्ले एवं वाल क्ले सम्मिलित है। |
| 31. | कोलतार, तारकोल एवं चारकोल। |
| 32. | कोपरा से भिन्न शैल में नारियल एवं नारियल का सेपरेटेड कर्नेल। |
| 33. | काफी की फलियाँ एवं बीज, कोको की फलियाँ एवं बीज, हरी चायपत्ती एवं चिकौरी। |
| 34. | क्वायर एवं क्वायर प्रोडक्ट्स जिसमें क्वायर के गद्दे शामिल नहीं है। |
| 35. | कंघा। |
| 36. | कम्प्यूटर स्टेशनरी। |
| 37. | काटन एण्ड काटन वेस्ट। |
| 38. | क्रूसिबिल। |
| 39. | कागज एवं प्लास्टिक के कप एवं गिलास। |
| 40. | लोहा एवं स्टील, सभी प्रकार का कोयला एवं कोक, क्रूड आयल, हाइड एण्ड स्किन (जिसमें जानवरों के बाल सम्मिलित नहीं है), घरेलू उपयोग की तरल पैट्रोलियम गैस एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित जूट। |
| 41. | ड्रग्स एवं मेडिसिन जिसमें टीका, सुईयाँ एवं ड्रेसिंग, औषधीय लेप, आई0पी0 स्तर का हल्का तरल पैराफिन सम्मिलित है। |
| 42. | समस्त प्रकार के रंजक जो अनुसूची में कहीं अन्य विनिर्दिष्ट नहीं है। |
| 43. | खाद्य तेल एवं खली। |
| 44. | इलैक्ट्रोड एवं वैल्डिंग उपकरण। |
| 45. | कढ़ाई अथवा जरी की वस्तुऐं जैसे कि -लच्छा, धापा, गोखुरू ईमी, जरी, कसाब, सलमा, दबका, चुमकी, गोटा, सितारा, नगसी, कोरा, सीसा, बाड़िआ गिजाई कटिंग एवं वेस्ट सहित जरी के हार कढ़ाई की मशीन, कढ़ाई की सुई। |
| 46. | अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोट बुक एवं वर्क बुक, स्कूल बैग, ग्रीटिंग कार्ड एवं कलेण्डर्स। |
| 47. | बच्चों की दूध की बोतल एवं निपल। |

| | |
|---|---|
| 48. | लौह एवं अलौह धातुऐं एवं मिश्रित धातुऐं, अधातु जैसे कि - एल्यूमिनियम, कापर, जिंक एवं इनके एक्सट्रूजन्स। |
| 49. | सभी प्रकार के रेशे एवं रेशों का वेस्ट। |
| 50. | फायर क्ले, कोल ऐश, कोल वायलर ऐश, कोल, सिंदार ऐश, कोल पाउडर, क्लिंकर, फ्लाई ऐश। |
| 51. | निकाला गया। |
| 52. | अनाज जिसमें धान, चावल, गेहूँ एवं दालें सम्मिलित है। |
| 53. | ग्लूकोज। |
| 54. | निकाला गया। |
| 55. | सभी प्रकार एवं विवरण का जिप्सम। |
| 56. | हैण्ड पम्प एवं इसके स्पेयर पार्ट्स तथा फिटिंग्स। |
| 57. | सामान्य तौर पर जड़ी बूटी की तरह जानी जाने वाली हर्ब, छाल, सूखे पौधे, सूखी जड़े एवं सूखे फूल। |
| 58. | शहद एवं बीह्राइव। |
| 59. | होज पाइप एवं इसकी फिटिंग। |
| 60. | होजरी गुड्स। |
| 61. | हरीकेन लालटेन, कैरोसिन लैम्प, लालटेन, पैट्रोमेक्स, कांच की चिमनी एवं इनकी सहायक पुर्जे एवं संघटक। |
| 62. | राइस पालिस एवं राइस ब्रान। |
| 63. | अनुसूची के भाग-"ख" में यथाउल्लिखित आई0टी0 उत्पाद जिसमें कम्प्यूटर, टेलीफोन एवं उनके पार्ट्स, सेल फोन, सैटेलाइट, रिसीवर, डी0वी0डी0, सीडी, टेलीप्रिन्टर तथा वायरलैस उपकरण एवं इनके पुर्जे शामिल है। |
| 64. | बर्फ। |
| 65. | औद्योगिक केबिल (उच्च विभवीकृत केबिल एक्स0एल0वी0ई0 केबिल्स, जैलीफिल्ड केबिल्स, आप्टीकल फाइबर्स)। |
| 66. | इन्सुलेटर्स। |
| 67. | इन्वर्टर्स। |
| 68. | कत्था। |
| 69. | पी0डी0एस0 के द्वारा बेचा जाने वाला मिट्टी का तेल। |
| 70. | बुनाई का ऊन। |
| 71. | लाख एवं शैलाक पाशवा सहित, मुल्ममा, बटन लाक एवं कीरी। |
| 72. | दाबीकृत अथवा सिले हुए पत्ते से बने प्लेट एवं कप, जूना जो सफाई के कार्य में आता है। |
| 73. | लिगनाइट। |
| 74. | चूना, चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं व्हाइट वॉश की अन्य वस्तुएं जो किसी अन्य शिड्यूल में अंकित नहीं है। |
| 75. | लीनियर अल्काइल बैन्जीन, लैब सल्फोनिक एसिड, अल्फा ओलिफिन सल्फोनेट। |
| 76. | भाग "ग" में यथाउल्लिखित औद्योगिक इन्पुट एवं पैकिंग मैटेरियल। |
| 77. | समस्त प्रकार के ताले, इनकी चाभियाँ एवं पुर्जे। |
| 78. | मक्का स्टार्च, मक्का ग्लूटेन, मक्का जर्म एवं तेल। |
| 79. | चिकित्सीय उपकरण / डिवाइस एवं उपस्कर : कान्टेक्ट लेन्सेज, चश्मों के फ्रेम, लेन्सेज, चश्में जिसमें धूप के चश्में एवं धूप के लेन्सेज सम्मिलित नहीं है। |
| 80. | सभी प्रकार एवं श्रेणी की मिश्रित धातुऐं, धातु पाउडर, धातु पेस्ट, और घोषित माल के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न मेटल स्क्रेप। |

| | |
|---|---|
| 81. | मिल्क फूड एण्ड मिल्क प्रोडेक्ट जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, टिन, बोतल में बन्द अथवा पैकिंग किया हुआ एवं फ्लेवर्ड मिल्क, यू0एच0टी0 मिल्क, मिल्क पाउडर, बेबी मिल्क फूड, खोया/खोआ, पनीर, चीज, क्रीम, घी, मक्खन सम्मिलित हैं। |
| 82. | मिक्स्ड पीवीसी स्टैबलाइजर। |
| 83. | मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर, हवाई चप्पल एवं इनके स्ट्रैप, सभी प्रकार के फुट वेयर जिनका अधिकतम उपभोक्ता मूल्य तीन सौ रुपये या उससे कम हो। |
| 84. | नापा स्लैब्स (फर्श बनाने का रफ पत्थर) एवं शाहाबाद पत्थर। |
| 85. | निवाड़ (काटन निवाड़ व हैण्डलूम निवाड़ को छोड़कर) एवं टेप। |
| 86. | मछुआरों की बिना यंत्र चालित नाव। |
| 87. | नट, बोल्ट, पेंच एवं फास्टनर जैसे कि -कब्जे, कील, रिवेट्स, काटर, कॉटर पिन्स, स्टैपल, पैनल पिन एवं औजार, तेल की कुप्पी, कारीगरों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाली रेती। |
| 88. | तिलहन। |
| 89. | अयस्क एवं खनिज। |
| 90. | पैकिंग केसेस एवं पैकिंग मैटेरियल जिसमें कार्क, कार्क शीट, गनी बैग्स, एच डी पी ई पी पी वोवन स्ट्रिप्स, एच डी पी ई पी पी सरकूलर स्ट्रिप्स एवं वोवन फैब्रिक, हैसियन क्लाथ, हैसियन बेस्ड पेपर, पॉलीथीन, हैसियन बेस्ड पेपर, एच डी पी ई फैब्रिक बेस्ड पेपर एवं बिटुमिनाइज्ड जलरोधी कागज, जूट रस्सा, पॉलीथीन एवं प्लास्टिक बैग्स जिसमें दूध रखने के एल0डी0पी0ई0 प्लास्टिक बैग्स, टिन कन्टेनर, शूक्स, टी चेस्ट, रद्दी कागज, लकड़ी के बक्से, लकड़ी की शेविंग, लकड़ी के क्रेट, लकड़ी के केबिल ड्रम या अन्य वस्तुऐं जो राज्य द्वारा इस निमित्त विज्ञापित होंगी, सम्मिलित है।<br>**स्पष्टीकरण** - तख्ता, पैनल, बैटन जब जोड़ने पर टी चेस्ट या पैकिंग केस का निर्माण करें तो इस प्रविष्टि के लिए पैकिंग केसेस माने जायेंगे। |
| 91. | पाम फैटी एसिड। |
| 92. | सभी प्रकार का कागज (जिसमें समाचार पत्र प्रकाशकों से भिन्न को न्यूज प्रिन्ट की बिक्री सम्मिलित है), हस्तनिर्मित कागज एवं गम टेप सम्मिलित है, चाहे इनका प्रयोग लिखने, छापने, नकल उतारने, पैकिंग अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाये परन्तु इसमें सैलोफेन, मिल बोर्ड, डुप्लेक्स बोर्ड एवं ग्रे बोर्ड सम्मिलित नहीं है, प्लाई वुड, फ्लेश डोर एवं ब्लाक बोर्ड, हार्डवेयर, मिल स्टोरर्स। |
| 93. | खाने योग्य श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी की पैराफिन वैक्स जिसमें स्टैण्डर्ड वैक्स एवं मैच वैक्स सम्मिलित है। |
| 94. | सभी प्रकार के पाइप जिसमें जी0 आई0 पाइप, सी0 आई0 पाइप, डक्टाईल पाइप, पी0वी0सी0 आदि एवं फिटिंग्स सम्मिलित है। |
| 95. | पिज्जा ब्रेड। |
| 96. | प्लास्टिक दाना, प्लास्टिक पाउडर, मास्टर बैचेज एवं स्क्रैप। |
| 97. | प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, औजार-बी0 ओसी इन्यूबेटर, सी0 ओ0सी0 उपकरण, आयन विश्लेषक, वायु प्रदूषण नियंत्रक उपकरण- फिल्टर, ( फैब्रिक्स फिल्टर, बैग फिल्टर, निर्वात फिल्टर ) इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोन्स, वेट स्क्रबर, कण विश्लेषक ($SO_2$, CO, NOx, SOx, हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि ), व्यक्तिगत सैम्पलर, डिटेक्टर्स (घास के लिए), उच्च वाल्यूम सैम्पलर, प्रेशर गेज, टाईमर, फिल्टर हेड असेम्बली, पिटेट ट्यूब, सैम्पलिंग ट्रेन (एम्बीएन्ट / स्टैक्ड वायु के देखभाल हेतु ), धूम्र मीटर, मिस्ट एलीमिनेटर। |
| 98. | पोलिएस्टर एवं स्टैपल फाइबर यार्न। |
| 99. | पोरिज। |
| 100. | छपी वस्तुऐं जिसमें डायरी और कलैण्डर सम्मिलित है। |

| | |
|---|---|
| 101. | छपाई की स्याही जिसमें टोनर एवं कार्टिजेज सम्मिलित नहीं है। |
| 102. | प्रोसेस्ड एवं फ्रोजन मांस, पोल्ट्री एवं मछली। |
| 103. | प्रोसेस्ड अथवा प्रेजर्ब्ड सब्जियाँ एवं फल जिसमें फलों का जैम, जैली, अचार, फल स्क्वैश, पेस्ट, फ्रूट ड्रिंक एवं फ्रूट जूस (डिब्बा बन्द अथवा अन्यथा) सम्मिलित है। |
| 104. | बांस की लुगदी, लकड़ी की लुगदी एवं रद्दी कागज की लुगदी। |
| 105. | सवारी अथवा माल ढ़ोने के रेल के डिब्बे, इंजन एवं इनके पार्ट्स। |
| 106. | कच्चा काजू। |
| 107. | सिलेसिलाये वस्त्र, बिना भरी रजाई। |
| 108. | रिनुऐबुल इनर्जी डिवाइसेस एवं स्पेयर पार्ट्स। |
| 109. | रिबर सेन्ड्स एवं ग्रिट्स। |
| 110. | रबड़, कच्ची रबड़, लेटैक्स, आरएमए श्रेणी की सूखी धारीदार शीट, ट्री लेस, अर्थ स्क्रैप अमोनिएटेड लेटेक्स, लेटेक्स कन्सन्ट्रेट, सेन्टीफ्यूगल लेटेक्स, सूखी क्रेप रबड़, सूखी ब्लाक रबड़, क्रम्ब रबड़, स्किम्ड रबड़ एवं अन्य सभी गुण एवं श्रेणी की लेटेक्स, रीक्लेम्ड रबड़, सभी गुण एवं श्रेणी की सिंथेटिक रबड़। |
| 111. | माचिस एवं हस्तनिर्मित माचिस। |
| 112. | सिलाई मशीन एवं इसके पार्ट्स। |
| 113. | शिप एवं अदर वाटर वैसल्स। |
| 114. | रेशमी कपड़ा जिसमें हैण्डलूम रेशमी कपड़ा सम्मिलित नहीं है एवं जो अनुसूची-एक में उल्लिखित नहीं है। |
| 115. | साल्वेन्ट आयल्स (जिसमें कार्बनिक सालवेन्ट आयल सम्मिलित नहीं है), तेल पर आधारित वाशिंग सोप जिसमें डिटरजेंट एवं टोयलेट सोप सम्मिलित नहीं है। |
| 116. | समस्त प्रकार के मसाले एवं कान्डीमेन्ट्स जिसमें क्यूमिन सीड, टरमरिक, अजवायन, हल्दी, धनिया, हींग, मैथी, सौंठ, कलौजी, सौफ, खटाई, अमचूर, लौग पत्ता, दालचीनी, तेजपत्ता, जावित्री, जायफल, कालीमिर्च, सभी प्रकार की इलायची, सूखी मिर्च, काकुल मिर्च आरारोट, मशरूम, खुम्बा एवं गुच्छी, गोला, गोले का बुरादा, सींक नारियल, तिल, राई, पोस्तादाना, सभी प्रकार के मगज, केसर, मेवा, सोयाबीन एवं सोयाबीन मुंगौड़ी। |
| 117. | स्पोर्ट्स गुड्स जिसमें एप्रैल्स एवं फुटवियर शामिल नहीं है। |
| 118. | स्टार्च, सैगो एवं साबुदाना। |
| 119. | नैरो वोविन फैब्रिक्स, नोन वोविन फैब्रिक्स, कोटेन कोटेड फैब्रिक्स। |
| 120. | इमली के बीज एवं इमली पाउडर। |
| 121. | तारपोलिन। |
| 122. | चाय। |
| 123. | उपकरण, आरी एव कन्नी जो बढ़ई एवं राज मिस्त्री के द्वारा प्रयोग की जाती है। |
| 124. | इलैक्ट्रोनिक खिलौने के अतिरिक्त खिलौने। |
| 125. | ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर ट्राली, हारवेस्टर्स एवं अटैचमेन्ट एवं इसके पुर्जे, ट्रैक्टर टायर एवम् ट्यूब। |
| 126. | ट्रांसफारमर्स। |
| 127. | ट्रांसमीशन वायर एवं टावर्स, टेलीकाम टावर। |
| 128. | छाता जिसमें उद्यान छाता और उसके पुर्जे सम्मिलित नहीं है। |
| 129. | प्रयोगशुदा मोटर गाड़ियाँ। |
| 130. | वनस्पति (हाइड्रोजनेटेड वैजीटेबुल आयल)। |
| 131. | वनस्पति तेल जिसमें गिन्गली आयल और ब्रान आयल सम्मिलित है। |
| 132. | ताजा खजूर। |

| | |
|---|---|
| 133. | पानी खींचने अथवा विद्युत उत्पादन करने वाले वायु मिल। |
| 134. | लकड़ी के क्रेट्स। |
| 135. | लिखने वाली स्याही। |
| 136. | लिखने के उपकरण, ज्योमेट्री बाक्सेज, कलर बाक्स, कैरीऑन्स एवं पैंसिल शार्पनर्स, स्केल एवम् इरेजर, साइन्टिफिक, मैथैमैटिकल्स, सर्वे, मैकेनिकल, ड्राइंग, बाइलौजिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एवं उपकरण। |
| 137. | मिठाई, नमकीन और शुगर प्रोडेक्ट्स, बूरा, कुलिया रेवड़ी एवं गजक। |
| 138. | तोडी, नीरा एवं अर्क। |
| 139. | खाण्डसारी। |
| 140. | समस्त अन्य घोषित माल। |

**भाग-ख**

**4% की दर से करारोपित उत्पादों की सूची**

| क्रम सं0 | वस्तु का नाम एवं विवरण |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | वर्ड प्रोसेसिंग मशीन, इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर्स। |
| 2. | माइक्रोफोन्स, मल्टीमीडिया स्पीकर्स, हेडफोन्स, ईअरफोन्स एवं कम्बाइन्ड माइक्रोफोन / स्पीकर्स सेट्स एवं इनके पुर्जे। |
| 3. | टेलीफोन आन्सरिंग मशीन एवं इनके पुर्जे। |
| 4. | ध्वनि रिकार्डिंग हेतु तैयार किया गया अनरिकार्डेड मीडिया अथवा उसी प्रकार की रिकार्डिंग अथवा अन्य प्रक्रिया जिसमें कम्पेक्ट डिस्क (CD) एवं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क (DVD) भी है। |
| 5. | आई0टी0 साफ्टवेयर या अन्य मीडिया। |
| 6. | रेडियो अथवा टेलीविजन प्रसारण के अतिरिक्त अन्य संचार उपकरण। संचार उपकरण में संचार ग्रहण करने वाले एवं डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरा है। |
| 7. | रेडियो कम्यूनिकेशन रिसीवर, रेडियो पेजर्स। |
| 8. | एरिअल्स, एन्टिना एवं पुर्जे। |
| 9. | एल0सी0डी0 पेनल्स, एल0ई0डी0 पेनल्स एवं पुर्जे। |
| 10. | इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स, फिक्स्ड वेरिएबिल एवं पुर्जे। |
| 11. | इलेक्ट्रोनिक कैलकुलेटर्स। |
| 12. | इलेक्ट्रीकल रेजिस्टर्स जिसमें रिह्ओस्टेट एवं पोटेन्शिओमीटर सम्मिलित है परन्तु इसमें हीटिंग रेजिस्टर्स सम्मिलित नहीं है। |
| 13. | प्रिन्टेड सरकिट्स बोर्डस्। |
| 14. | स्विचेज, कनेक्टर्स, रिलेज, इलैक्ट्रोनिक फ्यूजेज। |
| 15. | डाटा / ग्राफिक डिस्प्ले ट्यूब्स, टी0वी0 पार्ट्स, टी0वी0 पिक्चर ट्यूब्स एवं उनके पुर्जे। |

| | |
|---|---|
| 16. | डायोड, ट्रांजिस्टर्स एवं इस प्रकार की अन्य सेमी कन्डक्टर डिवाइस, प्रकाश संवेदी कन्डक्टर डिवाइस जिसमें फोटो वोल्टिक सेल जो चाहें मॉड्यूल्स में असेम्बल हो अथवा नहीं या पैनल में लगे हों, प्रकाश उत्सर्जन डायोज, माउटेड पीजो इलैक्ट्रिक कण। |
| 17. | इलैक्ट्रोनिक इन्टीग्रेटेड सर्किट्स एवं माइक्रो असेम्बलीज। |
| 18. | सिगनल जनरेटर्स एवं पुर्जे। |
| 19. | आप्टीकल फाइबर कैबल्स। |
| 20. | आप्टीकल फाइबर एवं आप्टीकल फाइबर बंडल्स एवं जोड़ने वाले किट्स एवं इनके जोड़ने वाले पदार्थ। |
| 21. | लिक्विड क्रिस्टल्स डिवाइसेज, फ्लैट पैन्स डिस्प्ले डिवाइसेज एवं इनके पार्ट्स। |
| 22. | कम्प्यूटर सिस्टम एवं पेरिफिरल्स, इलैक्ट्रानिक डायरीज। |
| 23. | कैथोड रे औसिलोस्कोप, स्पैक्ट्रम एनालाइजर, क्रास टाक मीटर, गेन मेजरिंग उपकरण, डिस्टोरसन फैक्टर मीटर, फास्फोमीटर एवं सिगनल एनालाइजर। |
| 24. | डीसी माइक्रो मोटर्स, स्टैपर्स मोटर्स। |
| 25. | अन-इन्टरैप्टेड पावर सप्लाई (UPS) डिवाइस एवं इनके पार्ट्स। |
| 26. | परमानेन्ट मैगनेट अथवा वे वस्तुऐं जो परमानेन्ट मैगनेट बन सकती है। (फैराइट्स) |
| 27. | लाइन टेलीफोनी अथवा लाइन टेलीग्राफी के विद्युत उपकरण जिसमें कार्डलैस हैण्ड सेट सहित लाईन टेलीफोन सेट एवं दूर संचार उपकरण जो लाइन सिस्टम अथवा डिजिटल लाइन सिस्टम के विद्युत संवाइक हों, वीडिओ फोन। |
| 28. | सेल फोन्स एवं इसके पुर्जे। |
| 29. | निकाला गया। |

| भाग-ग | |
|---|---|
| 4 प्रतिशत पर करारोपित औद्योगिक इनपुटों की सूची | |
| क्रम सं0 | वस्तु का नाम एवं विवरण |
| 1 | 2 |
| 1. | जन्तु (मछली शामिल है) वसा एवं तेल, कच्चा, रिफाइन्ड और शुद्धिकृत। |
| 2. | ग्लीसरोल, क्रूड, ग्लीसरोल वाटर एवं ग्लीसरोल लाईज। |
| 3. | वेजीटेबुल वैक्स (ट्राईग्लिसराइड के अतिरिक्त), बी-वैक्स, अन्य इन्सेक्ट वैक्स एवं स्पर्मसेटी चाहें साफ या रंगीन हो या न हो, डेग्रास, जन्तु वसा या वानस्पतिक वसा के उपचार से प्राप्त अवशिष्ट। |
| 4. | जन्तु अथवा वानस्पतिक वसा उबाली हुई, आक्सीकृत, डिहाइड्रेटेड, सल्फ्यूरीकृत, ब्लोन, निर्वात अथवा अक्रियाशील गैसों में गर्मी से संघनित किया हुआ या अन्य प्रकार से केमीकली मोडिफाइ, इस अध्याय के वसा एवं तेल के अखाद्य मिश्रण अथवा उनकी तैयारी उत्पाद। |
| 5. | लिक्विड ग्लूकोज (नान मेडीशिनल) डेक्सट्रोज सीरप। |
| 6. | निकाला गया। |
| 7. | सल्फर, बेरिएट्स। |
| 8. | मैग्नीज ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स, जिसमें ड्राई वेट पर आगणित 20 प्रतिशत या अधिक मैग्नीज वाला फैरयूजिनस मैग्नीज ओर एवं कन्सन्ट्रेट सम्मिलित है। |
| 9. | कापर ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |

| | |
|---|---|
| 10. | निकिल ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |
| 11. | कोबाल्ट ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |
| 12. | एल्यूमीनियम ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |
| 13. | लेड ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |
| 14. | जिंक ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |
| 15. | टिन ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |
| 16. | क्रोमीयम ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |
| 17. | टंग्नस्टन ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |
| 18. | यूरेनियम या थोरियम ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |
| 19. | मोलीबिडनम ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |
| 20. | टाइटेनियम ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |
| 21. | नियोबियम, टेन्टलम, वैनेडियम या जिरकोनिया ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट। |
| 22. | प्रिसिअस मेटल ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |
| 23. | अन्य ओर्स एवं कन्सन्ट्रेट्स। |
| 24. | आयरन अथवा स्टील के विनिर्माण से प्राप्त ग्रेनुलेटेड स्लैग (स्लैग सेन्ड)। |
| 25. | ग्राउन्ड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फरनेस स्लैग (GGBS)। |
| 26. | बेन्जॉल। |
| 27. | टॉल्युऑल। |
| 28. | जाइलोल। |
| 29. | नेप्थालीन। |
| 30. | फिनॉल। |
| 31. | क्रिऑस्ट आयल। |
| 32. | मिश्रित जाइलीन। |
| 33. | ब्यूटाडीन। |
| 34. | नार्मल पैराफिन एवं पैराफिन वैक्स। |
| 35. | फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। |
| 36. | सबलाईम्ड अथवा अवक्षेपित सल्फर, कोलायडल सल्फर। |
| 37. | कार्बन (कार्बन ब्लैक एवं कार्बन के अन्य प्रकार जो अन्य कहीं विनिर्दिष्ट सम्मिलित नहीं है) |
| 38. | हाइड्रोजन, रेअर गैस, आक्सीजन गैस। |
| 39. | एल्कली अथवा एल्कालाइन अर्थ मेटल, रेअर अर्थमेटल, स्केन्डियम एवं ईट्रीयम चाहें इन्टरमिक्स्ड अथवा इन्टरएलायड हों या न हो, मरकरी। |
| 40. | हाइड्रोजन क्लोराइड (हाइड्रोक्लोरिक एसिड) क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। |
| 41. | सल्फ्यूरिक एसिड एवं इसके अनहाईड्राईड, ओलियम। |
| 42. | नाइट्रिक एसिड, सल्फोनाइट्रिक एसिड। |
| 43. | डाइफास्फोरस-पेन्टाऑक्साइड,फास्फोरिक एसिड एवं पोलीफास्फोरिक एसिड। |
| 44. | बोरॉन के आक्साइड, बोरिक एसिड। |
| 45. | अन्य कार्बनिक अम्ल एवं अधातुओं के अन्य अकार्बनिक यौगिक। |
| 46. | हैलाइड्स एवं अधातुओं के हैलाइड्स ऑक्साइड्स। |
| 47. | अधातुओं के सल्फाइड्स, वाणिज्यिक फास्फोरस ट्राइसल्फाइड। |
| 48. | अमोनिया, अनहाइड्रस अथवा एक्यूअस सॉल्यूशन। |

| | |
|---|---|
| 49. | सोडियम हाइड्रॉक्साईड (कास्टिक सोडा), पोटेशियम हाइड्रॉक्साईड (कास्टिक पोटाश), सोडियम या पोटेशियम के परॉक्साईड्। |
| 50. | मैग्नीशियम का हाइड्रॉक्साईड एवं परॉक्साईड, स्ट्रॉन्शियम अथवा बेरियम के ऑक्साईड, हाईड्रॉक्साईड एवं परॉक्साइड। |
| 51. | जिंक आक्साईड, जिंक पैरॉक्साईड। |
| 52. | एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साईड, एल्यूमिनियम कैल्साईड। |
| 53. | क्रोमियम ऑक्साईड्स एवं परॉक्साईड्स। |
| 54. | मैगनीज ऑक्साईड्स। |
| 55. | आयरन ऑक्साईड्स एवं हाइड्रॉक्साईड्स। |
| 56. | कोबाल्ट ऑक्साईड्स एवं हाइड्रॉक्साईड्स, वाणिज्य कोबाल्ट ऑक्साईड्स। |
| 57. | टाइटेनियम ऑक्साईड्स। |
| 58. | लेड ऑक्साईड्स, रेड लेड एवं ऑरेन्ज लेड। |
| 59. | हाइड्राजिन एवं हाइड्राक्सिल अमीन एवं इनके अकार्बनिक लवण, अन्य अकार्बनिक बेसेस, अन्य धातुओं के ऑक्साईड्स, हाइड्रॉक्साईड्स एवं परॉक्साईड्स। |
| 60. | फ्लोराइड्स, फ्लोरोसिलिकेट्स, फ्लोरोएल्यूमिनेट्स एवं फ्लोरिन के अन्य जटिल लवण |
| 61. | क्लोराइड्स, क्लोराइड आक्साईड्स एवं क्लोराइड हाइड्रॉक्साईड्स, ब्रोमाइड ऑक्साईड्स, आयोडाईड्स तथा आयोडाइड ऑक्साईड्स। |
| 62. | ब्लीच लिक्विड, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराईड, सोडियम क्लोराईड। |
| 63. | क्लोरेट्स एवं परक्लोरेट्स, ब्रोमेट्स एवं परब्रोमेट्स, आयोडेट्स एवं परआयोडेट्स। |
| 64. | सल्फाइड्स, पॉलीसल्फाइड्स। |
| 65. | डाइथायोनाइट्स एवं सल्फोजाइलेट्स। |
| 66. | सल्फाइट्स, थायोसल्फेट्स। |
| 67. | सोडियम सल्फेट्स, एलम्स, परऑक्सोसल्फेट्स (परसल्फेट), सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, फेरस सल्फेट, कापर सल्फेट, अमोनिया एलम, पोटाश एलम एवं फेरिक एलम, मैगनीज सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। |
| 68. | बेसिक क्रोमियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैगनिशीयम सल्फेट, फेरस सल्फेट |
| 69. | नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स। |
| 70. | फॉस्फिनेट्स (हाइपोफॉस्फाइट्स), फास्फोनेट्स (फास्फाईट्स), फास्फेट्स एवं पोली - फास्फेट्स, सोडियम ट्राइपॉलिफास्फेट्स, ट्राइ सोडियम फास्फेट्स। |
| 71. | कार्बोनेट्स, परऑक्सोकार्बोनेट्स (परकार्बोनेट्स, वाणिज्यिक अमोनियम कार्बोनेट्स जिसमें अमोनियम कार्बोनेट्स) उपलब्ध हो, पोलीकर्बोनेट। |
| 72. | साइनाइड्स, साइनाइड ऑक्साइड्स एवं जटिल साइनाइड्स। |
| 73. | फलमिनेट्स, साइनेट्स एवं थायोसाइनेट्स। |
| 74. | सिलिकेट्स, वाणिज्यिक क्षारिय धातुऐं, सोडियम सिलिकेट्स, सोडियम मेटा सिलिकेट्स, पोटेशियम, मैगनिशीयम ट्राइसिलिकेट्स का सोडियम सिलिकेट्स। |
| 75. | बोरेट्स, परऑक्सो बोरेट्स (पर बोरेट्स)। |
| 76. | सोडियम बाइक्रोमेट्स। |
| 77. | सोडियम डाइक्रोमेट्स। |
| 78. | पोटेशियम डाइक्रोमेट्स। |

| | |
|---|---|
| 79. | रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व, रेडियोधर्मी आईसोटोप्स (जिसमें विखंडनीय रासायनिक तत्व एवं आईसोटोप सम्मिलित है) एवं इनके यौगिक, मिश्रण एवं अवशिष्ट जिसमें यह वस्तुऐं मौजूद है। |
| 80. | शीर्षक संख्या 28.44 में वर्णित के अतिरिक्त अन्य आईसोटोप्स एवं इनके यौगिक, इन आईसोटोप्स के अकार्बनिक अथवा कार्बनिक चाहे रासायनिक रुप से इन्हें परिभाषित किया गया या न किया गया हो। |
| 81. | कम्पाउन्ड्स, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, आफ रेअर अर्थ मेटल्स, आफ इट्रीयम और आफ स्कैन्डियम और आफ मिक्चर्स आफ दीज मेटल्स। |
| 82. | हाइड्रोजन पैरॉक्साईड्स, जिसे यूरिया के साथ ठोसीकृत किया गया हो अथवा नहीं। |
| 83. | फास्फाईड्स, चाहें इन्हें रासायनिक रुप से परिभाषित किया गया हो अथवा नहीं परन्तु फैरोफॉस्फोरस सम्मिलित नहीं है। |
| 84. | सिलिकन कारबाईड। |
| 85. | कैल्शियम कारबाईड। |
| 86. | हाइड्राईड्स, एजाईड्स, सिलिडाईड्स एवं बोराईड्स। |
| 87. | चक्रीय हाइड्रो कार्बन। |
| 88. | हाइड्रो कार्बन्स के हैलोजनेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 89. | हाइड्रो कार्बन्स के सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स चाहें वे हैलो जेनेटेड हों या नहीं। |
| 90. | एसाइक्लिक अल्कोहल्स एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 91. | साइक्लिक अल्कोहल्स एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 92. | फिनॉल्स, फिनॉल एल्कोहल एवं इनके डेरिवेटिव्स। |
| 93. | फिनॉल्स एवं फिनॉल एल्कोहल के हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 94. | ईथर्स, ईथर एल्कोहल्स, ईथर फिनॉल्स, ईथर एल्कोहल फिनॉल्स, एल्कोहल परऑक्साईड्स, ईथर परऑक्साईड्स, कीटोन परऑक्साईड्स एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 95. | एपॉक्साईड्स, एपॉक्सी एल्कोहल्स, एपॉक्सी फिनॉल्स और एपॉक्सी ईथर्स जिसमें तीन चक्र वाले सदस्य भी सम्मिलित हैं एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 96. | एसीटल्स एवं हैमीएसीटल्स, चाहें वे अन्य आक्सीजन क्रिया करते हों या नहीं एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 97. | एल्डीहाईड्स, चाहें वे अन्य आक्सीजन क्रिया करते हों या नहीं एवं एल्डीहाईड का साइक्लिक पॉलीमर, पैरॉफारमेल्डिहाईड। |
| 98. | हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 99. | एसीटोन, साइक्लोहैक्सानोन, डाइएसीटोन एल्कोहल एवं अन्य। |
| 100. | संतृप्त एसाइक्लिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स एवं इनके एनहाइड्राईड, हैलाईड्स परॉक्साईड्स एवं परऑक्सी एसिड्स, इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 101. | असंतृप्त एसाइक्लिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, साइक्लिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स इनके एनहाइड्राईड, हैलाईड्स परॉक्साईड्स एवं परऑक्सी एसिड्स, इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 102. | पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स एवं इनके एनहाइड्राईड, हैलाईड्स परॉक्साईड्स एवं परऑक्सी एसिड्स, इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 103. | कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो अतिरिक्त ऑक्सीजन क्रिया सक्षम हो एवं इनके एनहाइड्राईड, हैलाईड्स परॉक्साईड्स एवं परऑक्सी एसिड्स, इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |

| | |
|---|---|
| 104. | फास्फोरिक एस्टर्स एवं उनके लवण जिनमें लैक्टोफास्फेट्स, उनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 105. | अन्य अकार्बनिक अम्ल के एस्टर्स (जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड्स के एस्टर्स सम्मिलित नहीं हैं) उनके लवण एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 106. | अमीन-फंक्शन कम्पाउन्ड एवं इनके डेरिवेटिव्स तथा साल्ट्स। |
| 107. | ऑक्सीजन फंक्शन अमीनो कम्पाउन्ड। |
| 108. | क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट्स एवं हाइड्रोक्साइड्स, लेसीथिन एवं अन्य फास्फोअमीनोलिपिड्स एवं लेसीथिन। |
| 109. | कार्बोक्सीएमाइड्स फंक्शन कम्पाउन्ड्स, अमाइड फंक्शन कम्पाउन्ड्स आफ कार्बोनिक एसिड। |
| 110. | कार्बोक्सीएमाइड्स फंक्शन कम्पाउन्ड्स (सैक्रीन एवं इसके लवण सम्मिलित है) एवं ईमीन फंक्शन कम्पाउन्ड्स। |
| 111. | नाइट्राइल फंक्शन कम्पाउन्ड्स। |
| 112. | डाइएजो, एजो या एजॉक्सी कम्पाउन्ड्स। |
| 113. | हाईड्राजीन अथवा हाईड्राक्सील अमीन के आर्गेनिक डेरिवेटिव्स। |
| 114. | अन्य नाइट्रोजन फंक्शन के कम्पाउन्ड्स। |
| 115. | आर्गेनो-सल्फर कम्पाउन्ड्स। |
| 116. | ईथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, नाइट्रिलो ट्राइ एसिटिक एसिड एवं इनके डेरिवेटिव्स। |
| 117. | हैट्रोसाइक्लिक कम्पाउन्ड्स विद ऑक्सीजन हैट्रोएक्टम (स) केवल। |
| 118. | हैट्रोसाइक्लिक कम्पाउन्ड्स विद नाइट्रोजन हैट्रोएक्टम (स) केवल। |
| 119. | न्यूक्लिक एसिड्स एवं इनके लवण, अन्य हैट्रोसाइक्लिक कम्पाउन्ड्स। |
| 120. | सल्फोनामाइड्स। |
| 121. | ग्लूकोसाइड्स, प्राकृतिक अथवा संश्लेषित एवं इनके लवण, ईथर्स, एस्टर्स एवं अन्य डेरेवेटिव्स। |
| 122. | वानस्पतिक एल्कोलाएड्स, प्राकृतिक अथवा संश्लेषित एवं इनके लवण, ईथर्स, एस्टर्स एवं अन्य डेरेवेटिव्स। |
| 123. | ईथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, नाइट्रिलो ट्राइ एसिटिक एसिड एवं इनके डेरिवेटिव्स। |
| 124. | विजिटेबिल मूल के टेनिक एक्सट्रैक्ट्स, टेनिंग्स एवं उनके लवण, ईथर्स, कत्था एवं गैम्बियर को छोड़कर ईस्टर्स एवं अन्य डेरिवेटिव्स। |
| 125. | संश्लेषित आर्गेनिक टेनिंग सब्सटेन्सेज; इनआर्गेनिक टेनिंग सब्सटेन्सेज; टेनिंग प्रिपेरेशन्स, चाहें उनमें प्राकृतिक टेनिंग सब्सटेन्सेज हों अथवा नहीं; कत्था एवं गैम्बियर को छोड़कर प्री-टेनिंग के लिए एन्जाईम्स प्रिपेरेशन्स। |
| 126. | वैजिटेबिल और एनीमल मूल के कलरिंग मैटर (एनीमल ब्लैक को छोड़कर डाईंग एक्सट्रैक्ट्स सहित); कत्था एवं गैम्बियर को छोड़कर प्रिपेरेशन्स जो वैजिटेबिल और एनीमल मूल के कलरिंग मैटर पर आधारित हो। |
| 127. | संश्लेषित आर्गेनिक कलरिंग मैटर, चाहें रासायनिक रूप से परिभाषित हो अन्यथा नहीं; प्रिपेरेशन्स जो संश्लेषित आर्गेनिक कलरिंग मैटर आधारित हों; सिंथेटिक आर्गेनिक का ऐसा उत्पाद जो फ्लोरेसेन्ट ब्राइटनिंग एजेन्ट अथवा ल्यूमिनोफोरस के रुप में प्रयोग किया जाये, चाहें रासायनिक रूप से परिभाषित हो अथवा नहीं। |
| 128. | कलर लेक्स; कलर लेक्स पर आधारित प्रिपेरेशन्स। |
| 129. | पिगमेन्ट्स, ल्यूमिनोफोरस के रुप में प्रयोग किया जाने वाले इन- ार्गेनिक उत्पाद अल्ट्रामैराईन एण्ड प्रिपेरेशन्स, लिथफोन एवं अन्य पिगमेन्ट्स और जिंक सल्फाइड पर आधारित प्रिपेरेशन्स। |
| 130. | रेडऑक्साइड्स ; ब्रान्ज पाउडर। |

| | |
|---|---|
| 131. | मास्टर बैचेज, अल्ट्रामैराईन ब्लू सहित अन्य कलरिंग मैटर। |
| 132. | प्रिपेअॅर्ड पिगमेन्ट्स एवं इसके सभी डेरेवेटिव्स। |
| 133. | पाउडर, ग्रेन्यूल्स या फ्लेक्स के रुप में ग्लास फ्रिट एवं अन्य ग्लास। |
| 134. | प्रिपेअॅर्ड ड्रायर्स। |
| 135. | पेन्ट्स (एनॉमिल्स सहित) के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले लिक्विड या पेस्ट के रुप में पिगमेन्ट्स (मैटेलिक पाउडर एवं फ्लेक्स सहित) जो नान-एक्वियस माध्यम में डिस्पर्स किया गया हो; स्टैम्पिंग फॉयल्स; डाईज या अन्य कलरिंग मैटर उदाहरणार्थ - जो बेल्स के रुप में हो। |
| 136. | सिलिकॉन सरफेक्टेंट, नान-आयोनिक, सल्फोनेटेड या सल्फेटेड ऑक्साइड; क्लोरीन केस्टर आयल। |
| 137. | अप्राकृतिक मोम अथवा तैयार किया गया मोम। |
| 138. | केसिन, केसिनेट्स एवं अन्य केसिन डेरेवेटिव्स, केसिन ग्लूज़। |
| 139. | एन्जाइम्स: तैयार किये गये एन्जाइम्स जिन्हें कहीं और न तो शामिल किया गया हो और न स्पैसिफाई किया गया हो। |
| 140. | फोटोग्राफी के प्रयोग हेतु केमिकल प्रिपरेशन्स (वार्निशेज, ग्लूज़, एडहेसिव्स एवं अन्य ऐसे प्रिपरेशन्स के अतिरिक्त)। |
| 141. | आर्टिफिशियल ग्रेफाइट; कोलोइडल एवं सेमी कोलोइडल ग्रेफाइट; ग्रेफाइट या पेस्ट्स, ब्लाक्स, प्लेट्स के रूप में अन्य कार्बन पर आधारित प्रेपरेशन्स या अन्य अर्धनिर्मित कार्बन। |
| 142. | एक्टिवेटेड कार्बन; एक्टिवेटेड प्राकृतिक खनिज उत्पाद; स्पेन्ट एनीमल ब्लैक सहित एनीमल ब्लैक। |
| 143. | टाल ऑयल को छोड़कर वुड पल्प के निर्माण से अवशेष लाईज़, लिगनिन सल्फोनेट्स को शामिल करते हुए, चाहे कन्सन्ट्रेटेड, डी शुगर्ड या केमिकली ट्रीटेड हो अन्यथा नहीं। |
| 144. | गम्स और टरपैंटाइन आयल। |
| 145. | रेज़िन और रेज़िन एसिड्स और उसके डेरेवेटिव्स; रेज़िन स्प्रिट और रेज़िन आयल्स; रन गम्स। |
| 146. | वुड टार; वुड टार आयल्स; वुड क्रिओज़ोट; वुड नेप्था; वेजिटेबुल पिच; ब्रीवर्स पिच और रेज़िन, रेज़िन एसिड्स या वेजिटेबुल पिच पर आधारित ऐसे प्रिपरेशन्स। |
| 147. | टैक्नीकल ग्रेड्स के इन्सेक्टीसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाईड्स और पेस्टीसाईड्स। |
| 148. | सोडियम पेन्टा क्लोरोफिनेट। |
| 149. | टैक्सटाइल, पेपर, लेदर या ऐसी इण्डस्ट्रीज में प्रयुक्त होने वाले फिनिशिंग एजेन्ट्स, डाई केरियर्स जो डाई करने एवं डाई स्टफ को फिक्स करने और अन्य उत्पाद एवं प्रिपरेशन्स (उदाहरण केलिए ड्रेसिंग्स और मोर्डेन्ट्स) को एक्सीलरेट करे तथा जो कहीं अन्यथा शामिल अथवा स्पेसीफाई न किया गया हो। |
| 150. | प्रिपेअॅर्ड रबर एक्सीलरेटर्स; रबर या प्लास्टिक्स हेतु कम्पाउन्ड प्लास्टिसाइजर्स जिन्हें कहीं अन्यथा उल्लिखित अथवा शामिल न किया गया हो ; रबर या प्लास्टिक्स हेतु एन्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रिपरेशन्स एवं अन्य कम्पाउन्ड स्टैबिलाइजर्स जूतों के अपर एवं लोअर, सोल, आइलेट एवं जूतों के फीते। |
| 151. | रिड्यूसर एवं ब्लेन्कट वाश; रोलर वाश जो छपाई उद्योग में प्रयोग होते हैं, रबर ब्लैंकेटस। |
| 152. | रिएक्शन इनीशिएटर, रिएक्शन एसीरिलेटर एवं कैटेलिटिक प्रिपरेशन जो कहीं अन्य वर्गीकृत या सम्मिलित नहीं है। |
| 153. | मिक्सड अल्काइल बेन्जीन एवं मिक्सड अल्काइल नेफथालीन। |
| 154. | केमिकल एलीमेन्ट डोप्ड फार यूज इन इलेक्ट्रानिक्स, इन दी फार्म्स आफ डिस्क, वैफरस और सिमिलर फार्म्स, केमिकल कम्पाउन्ड डोप्ड फार यूज इन इलेक्ट्रानिक्स। |
| 155. | औद्योगिक मोनो कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड, रिफाइनिंग से बना एसिड आयल, औद्योगिक फैटी अल्कोहल, सोप स्टाक। |
| 156. | छपाई उद्योग में प्रयोग होने वाले रिटार्डर। |
| 157. | पोलीमर्स आफ इथाइलीन इन प्राइमरी फार्म्स। |

| | |
|---|---|
| 158. | पोलीमर्स आफ प्रोपाइलीन इन प्राइमरी फार्म्स। |
| 159. | पोलीमर्स आफ स्टायरीन इन प्राइमरी फार्म्स। |
| 160. | पोलीमर्स आफ विनाइल क्लोराइड और आफ़ अदर हैलोजिनेटेड ओलोफीन्स इन प्राइमरी फार्म्स। |
| 161. | पोलीमर्स आफ विनाइल एसीटेट और आफ़ अदर विनाइल इस्टर्स इन प्राइमरी फार्म्स, अदर विनाइल पोलीमर्स इन प्राइमरी फार्म्स। |
| 162. | एक्रीलिक पोलीमर्स इन प्राइमरी फार्म्स। |
| 163. | पोलीएसीटल्स, अन्य पोलीइथर एवं एपोक्साइड रेजिन्स, इन प्राइमरी फार्म्स, पोलीकार्बोनेट्स, एल्किड रेजिन्स, पोलीएलाइल एस्टर्स एवं अन्य पोली एस्टर्स इन प्राइमरी फार्म्स। |
| 164. | पोलीएमाइड्स इन प्राइमरी फार्म्स। |
| 165. | अमीनो-रेजिन्स, पोलीफिनाइलीन आक्साइड, फिनोलिक रेजिन्स एवं पोलीयूरेथेन्स इन प्राइमरी फार्म्स। |
| 166. | सिलकोन्स इन प्राइमरी फार्म्स। |
| 167. | पेट्रोलियम रेजिन्स, कूमेरोन-इन्डीन रेजिन्स, पोलीट्रपीन्स, पोलीसल्फाइड,पोलीसल्फोन्स। |
| 168. | सेलुलोज एवं इसके केमिकल डेरीवेटिव एवं सेलुलोज ईथर्स जो प्राइमरी फार्म्स में कहीं अन्य सम्मिलित अथवा वर्गीकृत नहीं हैं। |
| 169. | प्राकृतिक पोलीमर्स (उदाहरण - एल्जिनिक एसिड) तथा मौडीफाइड प्राकृतिक पोलीमर्स (उदाहरण-हार्डेन्ड प्रोटीन्स,प्राकृतिक रबड़ के केमिकल डेरीवेटिव) जो प्राइमरी फार्म्स, में अन्य कहीं सम्मिलित या वर्गीकृत नहीं है। |
| 170. | पोलीमर्स पर आधारित आयन-एक्सचेन्जर्स। |
| 171. | सेल्फ एडेसिव प्लेट्स, शीट्स, फिल्म फ्वायल,टेप,प्लास्टिक स्ट्रिप चाहे रोल में हैं या नहीं। |
| 172. | प्लास्टिक की अन्य प्लेट्स, शीट्स, फिल्म, फ्वायल एवं स्ट्रिप, नान सेलुवर, चाहे लैक्ड या मेटेलाइस्ड या लैमिनेटेड, सपोर्टेड या इसी प्रकार से अन्य पदार्थों से युक्त हो या नहीं, प्रिन्टिंग में प्रयोग होने वाली प्रीसेनसाइज्ड एल्यूमियम प्लेट, लिथ फिल्म। |
| 173. | थर्मोकोल। |
| 174. | सामान की पैकिंग के लिये प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं जैसे-क्रेट्स, कन्टेन्र्स, कारब्याज, बोतल, जार, जेरीकेन एवं इनकी स्टापर,ढकने, प्लास्टिक से बने ढक्कन परन्तु इसमें इन्सुलेटेड वेयर्स सम्मिलित नही है। प्राकृतिक रबड़, बलाटा,गटापार्चा, ग्यूयूल,चिक्ली एवं अन्य प्राकृतिक गम्स इन प्राइमरी फार्म्स या प्लेट, शीट या स्ट्रिप में, संश्लेषित रबड़ एवं तेल से निकला फेक्टाइस प्राइमरी फार्म्स में या प्लेट, शीट या स्ट्रिप में, कम्पाउन्डेड अन वल्कनाइज्ड रबड़ प्राइमरी फार्म्स या प्लेट,शीट या स्ट्रिप में , कम्पाउन्डेड अन वल्कनाइज्ड रबड़ प्राइमरी फार्म्स या प्लेट, शीट या स्ट्रिप में। |
| 175. | मैकेनिकल वुड पल्प, केमिकल वुड पल्प, सेमी केमिकल वुड पल्प तथा अन्य फाइब्रस सेलुलोजिक मेटेरियल का वुड पल्प। |
| 176. | कार्टन्स (चपटे एवं मुड़े हुए कार्टन्स शामिल है), बाक्सेज (चपटे एवं मुड़े हुए बाक्सेज शामिल है), केसेज, बैग्स एवं कागज एवं पेपर बोर्ड के अन्य पैकिंग कन्टेनर्स |
| 177. | कागज के प्रिन्टेड लेबिल एवं पेपर बोर्ड के प्रिन्टेड लेबिल |
| 178. | कागज के सेल्फ एडहेसिव टेप एवं पैकिंग प्रयोग हेतु प्रिन्टेड रैपर्स |
| 179. | पोलिएस्टर टैक्स्चराईज्ड यार्न |
| 180. | पोलिएस्टर यार्न, पार्शियली ओरिएन्टेड |
| 181. | जूट या कपड़े के बने थैले एवं बैग्स |
| 182. | कांच के बने हुए कारब्याज, बोतल, जार एवं फॉयल, स्टॉपर, लिड एवं अन्य क्लोजर्स जिनका प्रयोग सामान की पैकिंग में हो |

| | |
|---|---|
| 183. | ग्लास फाइबर (इसमें ग्लास वूल एवं ग्लास फिलामेन्ट्स शामिल है) तथा अन्य वस्तुऐं (उदाहरणार्थ यार्न, वोवन फेब्रिक्स), चाहें प्लास्टिक या वार्निश से इम्प्रीगनेटेड, कोटेड, कवर्ड, लेमिनेटेड हो या न हो। |
| 184. | फैरो एलॉयज। |
| 185. | 0.2 मिलीमीटर से कम मोटाई वाला एसैप्टिक पैकिंग एल्यूमिनियम फॉयल एवं कागज एवं एल0डी0पी0ई0 से बेक की हुई। |
| 186. | स्टोपर, कैप्स, लिड्स (क्राउन कार्क, स्क्रू कैप्स एवं पोरिंग स्टोपर्स शामिल है) बोतल के कैप्स्यूल, ग्रेडेड बंग्स, बंग कवर्स, सील्स एवं अन्य पैकिंग एसेसरीज, बेस मेटल की बनी हुई। |
| 187. | स्टायरिन-पॉली स्टायरिन के पॉलीमर्स या एक्सपेन्डेबुल पॉली स्टायरिन। |
| 188. | टैक्सटाईल्स फिनिशिंग एजेन्ट्स, टैक्सटाईल प्रिन्टिंग बाइन्डर-पी0वी0ए0 कोपॉलीमर, टैक्सटाईल नान-वोवन बाइन्डर-पी0वी0ए0 कोपॉलीमर, लेमिनेशन इमल्शन-पी0वी0ए0 कोपॉलीमर, पैकेजिंग इमल्शन-पी0वी0ए0 कोपॉलीमर, लेमिनेशन इमल्शन-पी0वी0ए0 कोपॉलीमर। |
| 189. | वाटर हाईड्रोलिक, इण्डस्ट्रीयल वाल्व्स। |
| 190. | प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड्स के लिए कापर क्लेड शीट्स (पी0सी0बी0 सीट्स)। |
| 191. | म्यूजिकल इन्स्ट्रूमेन्ट् की स्ट्रिंग्स। |
| 192. | प्योरिफाइड टेरीथेलिक एसिड। |
| 193. | एक्सपेन्डेबुल पोलिस्टिरीन ऑर पोलिस्टिरीन आफ स्टिरीन। |
| 194. | जिंक ऑक्साइड। |
| 195. | जूट यार्न, जूट क्लॉथ, जूट ट्वाइन एवं जूट शीट्स। |
| 196. | एल0एल0डी0पी0ई0 / एल0डी0पी0ई0 / एच0डी0पी0ई0, पी0पी0 / एच0डी0पी0ई0, वोवन सेक्स पी0पी0 / एच0डी0पी0ई0 फ्रेब्रिक्स एच0डी0पी0ई0 मोस्क्यूटो नेट। |
| 197. | रिफैक्ट्री मोनोलिथिक। |
| 198. | जी0बी0ए0 कोपॉलीमर। |
| 199. | सी0एन0एस0एल0 कार्डनोल एण्ड एल्कायड रेज़िन। |
| 200. | हेसिन क्लाथ एण्ड शीट्स। |
| 201. | मैटल कन्टेनर्स। |
| 202. | सोडियम सल्फेट। |
| 203. | पाइन ऑयल,टरपीनियोल। |
| 204. | कैम्फर। |
| 205. | माइक्रो सैल्यूलर शीट्स, बंनवार शीट्स एवं इवाई स्ट्रैप्स। |
| 206. | वोवन लेबल टेप्स। |
| 207. | वुडन क्रेट्स, टी चेस्ट्स, विनियर। |
| 208. | पॉलीमर्स आफ विनायल एसीटेट एवं पॉली विनायल एसीटेट इमल्शन। |
| 209. | एल0पी0जी0 के खाली सिलेण्डर्स। |
| 210. | एल्यूमिनियम इंगट्स एवं एल्यूमिनियम वायर, राड्स। |
| 211. | ब्यूटाडीन। |
| 212. | कैप्रोलेक्टम, डी0एम0टी0, एम0ई0जी0। |

| | |
|---|---|
| 213. | डाई-इथाइलिन ग्लाइकोल, मोनो-इथाइलिन ग्लाइकोल, ट्राई-इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, हैवी -इथाइलिन ग्लाइकोल। |
| 214. | ईथाइलिन ऑक्साइड। |
| 215. | ईथाइलिन प्रोपॉक्सलीन। |
| 216. | फ्लैक्सेबुल प्लेन फिल्म्स । |
| 217. | मिथेनाल। |
| 218. | पौलिइथाइलिन टैरी थैलेट चिप्स। |
| 219. | जिंक, ब्रास, कापर की शीट्स, सर्किल्स एण्ड इंगट। |
| 220. | बटन, एलास्टिक, जिप, जिप फास्टनर्स, फोम, नायलोन टेप, लेस एवं जिएर। |
| 221. | पोलियूथेरीन फोम की शीट्स। |
| 222. | रेलवे स्विचेज,क्रासिंग,स्विच एक्सपेन्शन ज्वाइन्ट,स्टील टर्न आउट स्लीपर, फिश- प्लेट, स्टील क्लिप,ट्रेक बोल्ट एवं नट, एलास्टिक रेल क्लिप एवं रेलवे सिगनल, सिगनल उपकरण एवं एसेसरीज तथा इनके पुर्जे। |
| 223. | ग्लास शेल,लेड ग्लास ट्यूब,फिलामेन्ट, मोली वायर, लेड इन वायर ,कैप्स, डयूमेट वायर,सोल्डर बायर, क्रैपिंग सीमेन्ट। |
| 224. | स्क्रैप आफ प्लास्टिक, ग्लास एण्ड मेटल्स एण्ड ब्रोकन ग्लास। |
| 225. | फ्लैवरिंग एसेन्स, सिन्थेटिक्स एसेन्शियल आयल। |
| 226. | रेड लेड, लिथार्ज एवं ग्रे आक्साइड। |
| 227. | सोडियम पेट्रोलियम सल्फोनेट, कैल्शियम पेट्रोलियम सल्फोनेट। |
| 228. | एसिड स्लज। |
| 229. | सिलिकन स्टील स्टैम्पिंग,हौलो पोर्सलीन बुशिंग,ग्राइन्डिंग व्हील। |
| 230. | इंसुलेटिंग पेपर्स एवं बोर्ड्स, इंसुलेटिंग फैब्रिक टेप एवं शीट्स। |
| 231. | पेट्रोलियम जैली आई.पी.। |
| 232. | ले-फ्लैट ट्यूब। |
| 233. | पालिथिन बैग्स,प्लास्टिक बैग्स, पाउचेज एवं क्लोजर्स। |
| 234. | माइक्रो सेलुलर शीट्स एवं बनवर शीट्स। |
| 235. | रेजिन्स, टर्पिन केमिकल्स जैसे पाइन आयल ,डेपेन्टीन,डी.डी.,टर्पेन्टाइन, टर्पेनियौल ,कैम्फर। |
| 236. | बिजली का सामान जैसे- वाइन्डिंग वायर एवं स्ट्रिप्स, स्विचेज, सलेक्टर स्विचेज, 15 एम्पीयर क्षमता तक की फ्यूज स्विचेज जो एन लोजर में न हो, कान्टेक्टर, ऑक्जीलरी कान्टेक्टर, कान्टेक्ट ब्लाक, कन्ट्रोल गियर्स एवं स्टार्टर्स, अमीटर, के डब्ल्यू एच मीटर, वोल्ट मीटर, इन्सूलेटिंग मैटेरियल्स, इन्सूलेटर, ज्वाइन्टिंग मैटेरियल्स, सर्किट ब्रेकर्स, एच आर सी फ्यूज, थर्मोस्टेट, प्रोग्रामेबुल लॉजिक कन्ट्रोलर, टाइमर्स, स्विच बोर्ड, पैनल बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, कन्ट्रोल पैनल, मोटर कन्ट्रोल सेन्टर, पावर कन्ट्रोल सेन्टर, बस डक्ट, बर्नर कन्ट्रोल क्यूबिकिल, कन्ट्रोल डेस्क, पुश बटन स्टेशन, लोकल कन्ट्रोल स्टेशन, किऑस्क, फीडर पिलर, एस एम पी एस, इलैक्ट्रिकल रिलेज एवं सिंगल फेजिंग प्रीवेन्टर तथा टाइमर, ओवर हेड ट्रांसमीशन लाइन मैटेरियल जिसमें कम्पोनेन्ट्स, एसेसरीज तथा इनके संघटक पुर्जे सम्मिलित हैं। |
| 237. | प्यौरीफाइड टेरीथैलिक एसिड। |

| | |
|---|---|
| 238. | धातु की वस्तुएं जैसे बाक्सेज,केसेज,क्रेट्स, कन्टेनर्स तथा इनके धातु के बने स्टापर्स,कैप्स,लिड जिनका उपयोग वस्तु की पैकिंग में हो (इन्सुलेटेड वेयर्स शामिल नहीं है)। |
| 239. | आटा चक्की पत्थर। |
| 240. | पालिएस्टर स्टेपल फाइबर एवं पालिएस्टर स्टेपल फाइबर फिल एवं पालिएस्टर फाइबर वेस्ट। |
| 241. | चाइना क्ले। |
| 242. | रबर प्रौसेस्ड आयल। |
| 243. | तरलीकृत क्लोरीन। |
| 244. | पेट्रोलियम कोक। |
| 245. | लैटेराइट। |
| 246. | सिलिका सैण्ड। |
| 247. | रेड आचर। |
| 248. | फेल्सपार। |
| 249. | हाइडेटेड लाइम। |
| 250. | क्वार्ट्ज पाउडर। |
| 251. | सोडियम हाईपो क्लोराइट। |
| 252. | कार्बन टैपिन इलेक्ट्रोड। |
| 253. | कार्बन कैटेलिस्ट। |
| 254. | एसिटिलीन गैस। |
| 255. | मेन्था आयल, डीमेन्थलाइज्ड आयल और मेन्थाल। |
| 256. | सोप स्टोन पाउडर। |
| 257. | सोडा का हाइड्रो सल्फाइट। |
| 258. | सोडियम बाई कार्बोनेट। |
| 259. | डाईज एण्ड डाईज स्टफ जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:<br>पेन्ट, इनेमॅल, सीमेन्ट बेस्ड वाटर कलर्स, ड्राई डिस्टेम्पर, ऑयल बेस्ड डिस्टेम्पर, इमल्शन पेन्ट्स जिसमें एक्रेलिक एवं प्लास्टिक इमल्शन पेन्ट्स, लैकर्स जिसमें सेल्यूलोज लैकर्स, वार्निसेज एवं सभी प्रकार की सिन्थेटिक एडहेसिव्स। |
| 260. | ग्वार, ग्वार रिफाइन्ड दाल या टुकड़ा, ग्वार गम पाउडर एवं पुनवाड। |
| 261. | धागा जिसमें अग्निरोधी धागा शामिल है। |
| 262. | बुडेन हील। |
| 263. | एन्टीसेटिक इन्सोल। |
| 264. | बार्ली माल्ट, मोलेसिस, ईस्ट, जैल (केक इम्प्रूवर), ब्रेड इम्प्रूवर, बेकरी मिक्स एवं बेकिंग पाउडर। |
| 265. | पी.यू.फोम शीट्स। |
| 266. | स्टेनलेस स्टील इंगट, बिलेट्स ब्लूम्स ,फ्लैट्स, फ्लैटबार्स,पट्टा एवं सर्किल, माइल्ड स्टील शीट्स स्टेलनेस स्टील वायर, वायर राड, राउण्ड, ब्राइट बार शीट एवं प्लेट। |
| 267. | कीटोन्स एवं क्वीनोन्स, अन्य आक्सीजन फंक्शन के साथ अथवा बगैर एवं इनके हैलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स। |
| 268. | बफिंग गुड्स एवं पालिशिंग मैटीरियल्स। |

| | |
|---|---|
| 269. | रबर रोल एवं पालिशर्स। |
| 270. | इस प्रकार की अन्य वस्तुएं जिन्हें राज्य सरकार विज्ञप्ति से विनिर्दिष्ट करे। |

अनुसूची - तीन

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-4 की उपधारा-(1) के खण्ड-(ख) का अवलोकन करें)

1% की दर से करारोपित वस्तुओं की सूची

| क्रम सं0 | वस्तु का नाम एवं विवरण |
|---|---|
| 1. | सोना, चांदी एवं अन्य मूल्यवान धातुएं ; सोना, चांदी एवं मूल्यवान वस्तुओं से बनी वस्तुएं जिसमें सोने, चांदी एवं मूल्यवान धातुओं से बने गहने सम्मिलित है। |
| 2. | मूल्यवान एवं अर्ध मूल्यवान जवाहरात जैसे-हीरा, पन्ना, रुबी, मोती एवं नीलम जिनकी बिक्री खुले रुप में अथवा किसी गहने के भाग के रुप में हो। |
| 3. | बुलियन एवं स्पेसी। |
| 4. | दालें (साबुत अथवा दली हुई)। |

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL AUTHORITY

## अनुसूची - चार

| (उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-4 की उपधारा-(1) के खण्ड-(ग) का अवलोकन करें) | | | |
|---|---|---|---|
| क्रम सं0 | वस्तु का नाम एवं विवरण | कर का बिन्दु | कर की दर |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | स्प्रिट एवं समस्त प्रकार की स्प्रिटयुक्त मदिरा जिसमें यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में यथा परिभाषित एल्कोहल सम्मिलित है, परन्तु इसमें देशी शराब सम्मिलित नहीं है। | नि0/आ0 | 32.5% |
| 2 | निकाला गया। | नि0/आ0 | 20% |
| 3 | निकाला गया। | नि0/आ0 | 20% |
| 4 | आर्म्स एवं एम्यूनिशन | नि0/आ0 | 20% |
| 5 | पैट्रोल | नि0/आ0 | 26% |
| 6(क) | डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में वर्णित है , जब पंजीकृत व्यापारी को कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के विरूद्ध बिक्री किया जाएगा। | नि0/आ0 | 4% |
| 6(ख) | डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफमोटर स्प्रिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में वर्णित है, कालम 6(क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त। | | 21% |
| 7 | ड्यूटी पेड एवीएशन टरवाईन फ्यूल अथवा एवीएशन टरवाईन फ्यूल (वॉडेड) आदि। | नि0/आ0 | 20% |
| 8 | ड्यूटी पेड एवीएशन गैसोलिन अथवा एवीएशन गैसोलिन (वॉडेड) | नि0/आ0 | 20% |
| 9(क) | फरनेस आयल जिसमें रेजीडुअल फरनेस आयल सम्मिलित है, जब पंजीकृत व्यापारी को कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के विरूद्ध बिक्री किया जाए। | नि0/आ0 | 20% |
| 9(ख) | फरनेस आयल जिसमें रेजीडुअल फरनेस आयल सम्मिलित है, कालम 9(क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त। | नि0/आ0 | 20% |
| 10(क) | प्राकृतिक गैस, जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) सम्मिलित नहीं है, जब पंजीकृत व्यापारी को कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के विरूद्ध बिक्री किया जाए। | नि0/आ0 | 4% |
| 10(ख) | प्राकृतिक गैस, जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) सम्मिलित नहीं है, 10 (क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त। | नि0/आ0 | 20% |
| 11(क) | नैफ्था जब पंजीकृत व्यापारी को कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग कर लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के विरूद्ध बिक्री किया जाए। | नि0/आ0 | 4% |
| 11(ख) | नैफ्था कालम 11(क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त। | नि0/आ0 | 20% |
| 12 | भांग। | नि0/आ0 | 32.5% |
| 13 | अफीम। | नि0/आ0 | 32.5% |

| अनुसूची-पाँच | |
|---|---|
| [उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) का अवलोकन करें] | |
| 12.5% की दर से करारोपित वस्तुओं की सूची | |
| क्रम-सं0 | वस्तु का नाम एवं विवरण |
| 1 | 2 |
| 1 | अनुसूची-एक, अनुसूची-दो, अनुसूची-तीन एवं अनुसूची-चार में उल्लिखित या वर्णित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुयें। |

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन समाचार-पत्रों से भिन्न माल के विक्रय या क्रय पर एकल बिन्दु कर उद्ग्रहण प्रणाली के अधीन कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाता था। सामान्यतः व्यवहारी, जो राज्य के भीतर माल का प्रथम विक्रय या क्रय करता था, उक्त ऐक्ट के अधीन कर संदाय का दायी होता था। उक्त योजना में मूल्यानुसार कर उद्ग्रहण की व्यवस्था थी। विक्रय या क्रय के प्रथम बिन्दु पर आवर्त आधार विक्रय के अन्तिम बिन्दु पर आवर्त आधार की तुलना में निम्न था। यह प्रथम बिन्दु से विक्रय के अन्तिम बिन्दु तक माल के पहुंचने के दौरान श्रम, सेवाओं और लाभ की मात्रा से मूल्य संवर्धन के कारण था। कारबार के सामान्य प्रक्रम के दौरान विनिर्माताओं या व्यापारियों के पास चालू स्टाक के रूप में माल बचा रहता था। यदि राज्य के भीतर माल क्रय किये जाते थे तो ऐसे स्टाकों में कार्यशील पूंजी का आंशिक भाग अवरूद्ध रहता था। किसी विनिर्माणकर्ता को निवेश और उत्पादन पर कर का भुगतान करना पड़ता था। इस प्रणाली का कारबार पर अधोमुखी प्रभाव पड़ता था। माल के द्वितीय या अनुवर्ती क्रेताओं को, जो ऐसे माल का क्रय निर्यात के लिए या देश के बाहर निर्यात के लिए माल के विनिर्माण में प्रयोग हेतु करते थे, कर का भुगतान करना पड़ता था। इस प्रकार उक्त प्रणाली निर्यात को अप्रतिस्पर्धात्मक बना देती थी।

मूल्य संवर्धित कर प्रणाली में, विक्रय या क्रय के प्रथम बिन्दु पर माल के आवर्त पर और साथ ही साथ माल की विक्रय श्रृंखला के दौरान मूल्य संवर्धन के कारण आवर्त पर कर का संग्रहण किया जाता है। इस प्रकार मूल्य संवर्धित कर प्रणाली के अधीन उसी माल के लिए आवर्त आधार बढ़ जाता है। उसी राजस्व धनराशि के लिए, इस प्रणाली में कर की दर कम हो जाती है। कर उद्ग्रहण और संग्रह की इनपुट टैक्स क्रेडिट पद्धति व्यवहारियों को चालू स्टाक में कर के रूप में लगी अपनी पूंजी शेयर को अवमुक्त कराने में सुविधा प्रदान करती है। इस प्रणाली में उसी पूंजी निवेश की धनराशि के साथ विनिर्माणकर्ताओं और व्यापारियों की कार्यशील पूंजी में उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन प्रणाली की तुलना में वृद्धि हो जाती है। यह प्रणाली व्यापार और उद्योग पर अधोमुखी प्रभाव को दूर करती है। राज्य के भीतर माल के क्रय पर संदत्त कर की धनराशि की वापसी की अनुमति दे कर निर्यात किये गये माल की दर शून्य की जा सकती है।

मूल्य संवर्धित कर प्रणाली राज्य में व्यापार और उद्योग की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है, अतएव यह जनहित में है।

राज्यों के मध्य दर स्पर्धा और विभिन्न राज्यों द्वारा उद्योगों के लिए उपबन्धित किये गये कर आधारित प्रोत्साहन से अनुचित स्पर्धा प्रारम्भ हो गयी थी और इससे राज्य राजस्व की क्षति हुई थी। इस प्रथा से व्यापार और उद्योग का भी विपथन हुआ था। अतएव केन्द्रीय सरकार के नेतृत्व में राज्यों और देश के संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी प्रथाओं को दूर करने के लिए सामूहिक रूप से विनिश्चय किया था। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के माननीय मुख्य मंत्रियों द्वारा गठित राज्य के माननीय वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने सामान्य नीतिगत निर्णय लिया जिसे समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अंगीकृत किया जाना था। अधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के अनुसार विमानन टरबाइन फ्यूल, डीजल आयल और

पेट्रोल, लाटरी टिकट और संगठित क्षेत्रों में उत्पादित मदिरा और विशेष श्रेणी के संव्यवहारों में माल का विक्रय यथा माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण को मूल्य संवर्धित कर योजना के बाहर रखा जाना था।

व्यवहारियों द्वारा स्वतः कर निर्धारण समय की आवश्यकता थी। अतएव, आवर्त और कर की वार्षिक विवरणी के आधार पर मानित कर निर्धारण योजना प्रारम्भ की गई थी। विवेकाधिकार से भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। अतएव, विवेकाधिकार को न्यूनतम किया गया। करापवंचन की रोकथाम किया जाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कर का उद्ग्रहण किया जाना। अतएव, करापवंचन की रोकथाम के लिए पर्याप्त उपाय किये गये।

तदनुसार यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 को निरसित करके समाचार-पत्रों से भिन्न माल के विक्रय या क्रय पर करके उद्ग्रहण और संग्रह के लिए राज्य में मूल्य संवर्धित प्रणाली लागू करने के लिए एक विधि बनायी जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए विधायी कार्यवाई करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 37 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास नाब्दी,
प्रमुख सचिव।

---

No. 433 (2)-79-V-1–08-1(ka)-1-2008
*Dated Lucknow, February 27, 2008*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 2008:–

## THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 5 OF 2008)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*to provide for introducing Value Added System of taxation for the levy and collection of tax on sale or purchase of goods in the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith and incidental thereto.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :

### CHAPTER I

### Preliminary

Short title, extent and commencement

**1.** (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on January 1, 2008.

Definitions

**2.** In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context;

(a) **"appellate authority"** means the authority to whom an appeal lies under section 55;

(b) **"assessing authority"** means any person -

(i) appointed and posted by the State Government; or

(ii) appointed by the State Government and posted by the Commissioner; or

(iii) appointed and posted by the Commissioner,

and empowered under rules framed under this Act to perform all or any of the functions of the assessing authority under this Act.

(c) **"assessment year"** means the period of twelve months commencing on the first day of April of a calendar year;

(d) **"board"** means the Uttar Pradesh State Tax Board established under section 78.

(e) **"business"** in relation to business of buying or selling goods includes-

(i) any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture, whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make profit and whether or not any profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern;

(ii) the execution of any works contract or the transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period);

(iii) any transaction of buying, selling or supplying plant, machinery, raw materials, processing materials, packing materials, empties, consumable stores, waste or by-products, or any other goods of a similar nature or any unserviceable or obsolete or discarded machinery or any parts or accessories thereof or any waste or scrap or any of them or any other transaction whatsoever, which is ancillary to or is connected with or is incidental to, or results from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern, works contract or lease,

but does not include any activity in the nature of mere service or profession which does not involve the purchase or sale of goods.

(f) **"capital goods"** means any plant, machine, machinery, equipment, apparatus, tool, appliance or electrical installation used for manufacture or processing of any goods for sale by the dealer and includes:-

(i) components, spare parts and accessories of such plant, machine, machinery, equipment, apparatus, tool, appliance or electrical installation;

(ii) moulds and dies;

(iii) storage tank;

(iv) pollution control equipment;

(v) refractory and refractory materials;

(vi) tubes and pipes and fittings thereof,

(vii) lab equipments, instruments and accessories,

(viii) machinery, loader, equipment for lifting or moving goods within factory premises, or

(ix) generator and boiler

used in manufacture of goods for sale by him but for the purpose of section 13, does not include:-

(i) air-conditioning units or air conditioners, refrigerators, air coolers, fans, and air circulators if not connected with manufacturing process;

(ii) an automobile including commercial vehicles, and two or three wheelers, and parts, components and accessories for repair and maintenance thereof;

(iii) goods purchased and accounted for in business but utilised for the purpose of providing facility to the employees.

(iv) vehicle used for transporting goods or passengers or both;

(v)capital goods used in the execution of a works contract; and

(vi) captive power plant used for generation of electrical energy and its parts, components and accessories for repair and maintenance thereof;

(g) **"Commissioner"** means the person appointed by the State Government as the Commissioner of Commercial Taxes and includes a Special Commissioner of Commercial Taxes, an Additional Commissioner of Commercial Taxes and a Joint Commissioner of Commercial Taxes.

(h) **"dealer"** means any person who carries on in Uttar Pradesh (whether regularly or otherwise) the business of buying, selling, supplying or distributing goods directly or indirectly, for cash or deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration and includes, -

(i) a local authority, body corporate, company, any co-operative society or other society, club, firm, Hindu undivided family or other association of persons which carries on such business;

(ii) a factor, broker, arhati, commission agent, del credere agent, or any other mercantile agent, by whatever name called, and whether of the same description as hereinbefore mentioned or not, who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing goods belonging to any principal, whether disclosed or not;

(iii) an auctioneer who carries on the business of selling or auctioning goods belonging to any principal, whether disclosed or not, and whether the offer of the intending purchaser is accepted by him or by the principal or nominee of the principal;

(iv) a Government which, whether in the course of business or otherwise, buys, sells, supplies or distributes goods, directly or otherwise, for cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;

(v) any person who acts within the State as an agent of a dealer residing outside the State, and buys, sells, supplies or distributes goods in the State or acts on behalf of such dealer as-

(A) a mercantile agent as defined in Sale of Goods Act, 1930 or

(B) an agent for handling of goods or documents of title relating to goods; or

(C) an agent for the collection or the payment of the sale price of goods or as a guarantor for such collection or such payment;

(vi) a firm or a company or other body corporate, the principal office or head quarter whereof is situated outside the State, having a branch or office in the State, in respect of purchases or sales, supplies or distribution of goods through such branch or office;

(vii) any person who carries on the business of transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;

(viii) any person who carries on the business of transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash or for deferred payment or other valuable consideration;

(ix) railway container contractor, transporter or any other carrier or a forwarding agent of goods including owner of a cold storage who fails to disclose the complete address of consigner or consignee or if disclosed name and address of consigner or consignee is bogus, forged or not verifiable

(x) an owner or person in-charge of a godown or warehouse who stores commercial goods;

Provided that a person who, not being a body corporate, sells agricultural or horticultural produce grown by himself or grown on any land in which he has an interest, whether as owner, usufructuary mortgagee, tenant, lessee or otherwise, or who sells poultry or dairy products from fowls or animals kept by him shall not, in respect of such goods, be treated as a dealer;

(i) **"declared goods"** means goods declared under section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956, to be of special importance in the inter-State trade or commerce;

(j) **"document"** means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means, intended to be used, or which may be used for the purpose of recording that matter and includes-

(i) an electronic document including data, record or data generated, image or sound stored, received or sent in an electronic form or micro film or computer generated micro fiche; and

(ii) such other document as may be notified by the State Government.

(k) **"erstwhile Act"** means the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 (U.P. Act No. 15 of 1948)

(l) **"exempt goods"** means any of the goods mentioned or described in column (2) of the Schedule-I.

(m) **"goods"** means every kind or class of movable property and includes all materials, commodities and articles involved in the execution of a works contract, and growing crops, grass, trees and things attached to, or fastened to anything permanently attached to the earth which, under the contract of sale, are agreed to be severed, but does not include actionable claims, stocks, shares or securities;

(n) **"import"** In relation to any goods, means to bring or receive any goods at any place within the State from any place situated outside the State where journey of such goods originates from such place outside the State and terminates at any place within the State;

(o) **"importer"** means a dealer who brings or receives any goods into the State from any place outside the State and includes a dealer –

(i) who makes first sale of any goods brought or received into the State from any place outside the State; or

(ii) who receives any goods into the State on behalf of any other person from any place outside the State; or

(iii) on whose behalf any goods are received into the State from any place outside the State by any other person;

(p) **"input tax"**, in relation to a registered dealer who has purchased any goods from within the State, means the aggregate of the amounts of tax, -

(i) paid or payable by such registered dealer to the registered selling dealer of such goods in respect of purchase of such goods; and

(ii) paid directly to the State Government by the purchasing dealer himself in respect of purchase of such goods where such purchasing dealer is liable to pay tax under this Act on the turnover of purchase of such goods;

(q) **"lease"** means any agreement or arrangement whereby the right to use any goods for any purpose is transferred by one person to another (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration without the transfer of ownership and includes a sub-lease but does not include any transfer on hire purchase or any system of payment by installments;

(r) **"lessee"** means any person to whom the right to use goods for any purpose is transferred under a lease;

(s) **"lessor"** means any person by whom the right to use any goods for any purpose is transferred under a lease;

(t) **"manufacture"** means producing, making, mining, collecting, extracting, mixing, blending, altering, ornamenting, finishing, or otherwise processing, treating or adapting any goods; but does not include such manufacture or manufacturing processes as may be prescribed;

(u) **"manufacturer"** in relation to any goods mentioned or described in column 2 of Schedule IV means a dealer who, by application of any process of manufacture, after manufacture of a new commercial commodity inside the State, makes first sale of such new commercial commodity within the State, whether directly or otherwise; and includes a selling agent who makes sale of such new commodity on behalf of the person who has manufactured it;

(v) **"non-vat goods"** means any of the goods mentioned or described in column 2 of Schedule-IV;

(w) **"officer-in-charge of a check-post or barrier"** includes an officer not below the rank of assessing authority posted at a check post or barrier.

(x) **"place of business"** means any place where a dealer carries on business and includes-

(i) any shop, ware-house, godown or other place where a dealer stores his goods;

(ii) any place where a dealer produces or manufactures goods;

(iii) any place where a dealer keeps his books of accounts and documents;

(iv) any place where a dealer executes the works contract or where the right to use goods is exercised;

(v) in a case of a dealer who carries on business through an agent (by whatever name called), the place of business of such agent;

(y) **"purchase price"** means the amount payable by a purchaser to a seller as consideration for the purchase of any goods made by or through him after deducting the amount, if any refunded to the purchaser by the seller in respect of any goods returned to such seller within such period as may be prescribed.

Explanation: Purchase price does not include,–

(i) the amount representing the cost of outward freight or cost of installation, charged by the seller from the purchaser of goods if such amount has been shown separately on sale invoice or tax invoice issued by the seller;

(ii) amount of tax if such amount is shown separately on the sale invoice or tax invoice.

(z) **"registered dealer"** means a dealer registered under section 17 or section 18;

(aa) **"registering authority"** means the officer empowered under the rules framed under this Act to deal with issue, suspension, cancellation of registration certificate or any other matter related to registration under this Act and includes an assessing authority;

(ab) **"re-sale"** means a sale by any person, of any goods in the same form and condition in which such goods were purchased by such person;

(ac) **"sale"** with its grammatical variations and cognate expressions, means any transfer of property in goods (otherwise than by way of a mortgage, hypothecation, charge or pledge) by one person to another, for cash or for deferred payment or for any other valuable consideration and includes, -

(i) a transfer, otherwise than in pursuance of a contract of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;

(ii) a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;

(iii) the delivery of goods on hire purchase or any other system of payment by installments;

(iv) a transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;

(v) the supply of goods by an association or body of persons (whether incorporated or not) to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration;

(vi) the supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating) where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration

and such delivery, transfer or supply of any goods under sub-clause (i) to sub-clause (vi) above shall be deemed to be sale of those goods by the person making the delivery, transfer or supply and a purchase of those goods by the person to whom such delivery, transfer or supply is made.

(ad) **"sale price"** means the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods, less any sum allowed as cash discount according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of goods at the time of or before the delivery of such goods, other than cost of outward freight or delivery or cost of installation in cases where such cost is separately charged;

Explanation:

(i) In a case in which any amount of any duty payable by a dealer is deferred for a period or in a case in which point of payment of any duty is shifted, amount of such duty shall be deemed part of the sale price;

(ii) The price of packing material in which any goods are packed shall be deemed part of sale price of goods sold.

(iii) Sale price of goods in relation to transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract, shall be determined after deducting the aggregate of actual amount incurred towards labour and services, amount of profit relating to supply of labour and services and such other amounts as may be prescribed from the total amount received or receivable in respect of such works contract;

(iv) In respect of transfer of right to use goods, any goods for any purpose (whether or not for a specified period) sale price means the valuable consideration received or receivable in respect of such transfer of right to use goods but does not include any sum payable as a penalty or as compensation or damages for breach of contract;

(ae) **"Schedule"** means any of the Schedule appended to this Act;

(af) **"Settlement Commission"** means the Commission constituted under section 62;

(ag) **"tax"** means a tax leviable under this Act, on the sale or purchase of goods other than newspapers; and shall include, –

(a) tax or lump sum, as the case may be, payable, in lieu of actual amount of tax due on turnover of sales, in accordance with provisions of section 6; or

(b) amount of reverse input tax credit;

(ah) **"taxable dealer"** means a dealer who is liable to pay tax in accordance with provisions of sub-section (2) of section 3 read with provisions of sub-section (5) of the said section;

(ai) **"taxable goods"** means any goods except goods mentioned or described in column 2 of Schedule I.

(aj) **"tax invoice"** means a bill or a cash memo issued in the prescribed form and manner by a registered selling dealer to a registered purchasing dealer or to a person or body referred to in clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of sub-section (1) of section 22 in respect of sale of any goods except exempt goods and non-vat goods;

(ak) **"tax period"** means period for which a dealer is liable to submit a tax return of turnover and tax under section 24 and where a dealer either commences or discontinues his business during any tax period, tax period includes part of such tax period during which business of the dealer has remained in existence;

(al) **"tax return"** means any return of turnover and tax prescribed or required to be furnished under this Act or the rules made thereunder;

(am) **"taxable turnover of purchase"** means turnover obtained after deducting from the gross turnover of purchase such amounts as may be prescribed;

(an) **"taxable turnover of sale"** means turnover obtained after deducting from the gross turnover of sale such amounts as may be prescribed;

(ao) **"Tribunal"** means the Tribunal constituted under section 57;

(ap) **"turnover of purchase"** with its cognate expressions means the aggregate of the amounts of purchase prices paid or payable in respect of purchase of goods made by a dealer either directly or through another dealer, whether on his own account or on account of others, after deducting the amount, if any, refunded by the seller in respect of any goods returned to such seller within such period as may be prescribed;

(aq) **"turnover of sale"** means the aggregate of amount of sale prices of goods, sold or supplied or distributed by way of sale by a dealer, either directly or through another, whether on his own account or on account of others;

(ar) **"vehicle"** means any kind of mode of transportation used for carriage of goods including motor vehicle constructed or adapted for the carriage of goods, or any other motor vehicle not so constructed or adapted when used for the carriage of goods solely or in addition to passengers including every wheeled conveyance, pull or push cart including animal drawn cart, animal, trailer, trolley, bicycle, tricycle, carrier and such other mode of transportation as may be specified in the notification issued by the State Government in this behalf;

(as) **"vessel"** includes any container, ship, barge, boat, raft, timber, bamboo or floating materials propelled in any manner;

(at) **"Web Site"** means World Wide Web of the Department of Commercial Taxes of Uttar Pradesh with such domain "tradetax.nic.in" and with address "http://tradetax.nic.in" or any other website as may be notified by the State Government.

(au) **"works contract"** includes any agreement for carrying out, for cash, deferred payment or other valuable consideration, the building construction, manufacture, processing, fabrication, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair or commissioning of any movable or immovable property.

## CHAPTER – II
## Incidence, Levy and Rate of Tax

**Incidence and levy of tax**

3. (1) Subject to the other provisions contained in this Act, every dealer shall be liable to pay tax under this Act, for each assessment year, on his taxable turnover of sale or purchase or both, as the case may be, of taxable goods, at such rates and at such point of sale or purchase as provided under section 4 or section 5:

Provided that tax shall be levied on and charged from every dealer on such sales and purchases as are made on or after the date on which the dealer becomes liable for payment of tax in accordance with provisions of sub-section (3) or sub-section (5), as the case may be.

(2) Where a dealer carries on business for part of any assessment year he shall, subject to the other provisions contained in this Act, be liable to pay tax on the taxable turnover of sale or purchase or both, as the case may be, of taxable goods, at such rates and at such point of sale or purchase as provided under section 4 or section 5, where such sales or purchases are affected during the period in which he is liable for payment of tax in accordance with the provisions of sub-section (3) or sub-section (5).

(3) Dealers, of the class mentioned in column (2) against the serial no. mentioned in column (1), shall be liable to pay tax on sales or purchases or both, as the case may be, where such sales or purchases of goods are made by them on or after the date mentioned in column (3) against the same serial no. of the table below:

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CI

TABLE

| Serial No. | Class of dealers | | Date |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) |
| 1. | (i) | Dealers whose registration certificate, under this Act, is effective on 1-1-2008. | January 1, 2008 |
| | (ii) | Dealers whose registration certificate, issued under the Central Sales Tax Act, 1956, is valid on January 1, 2008 | |
| | (iii) | Dealers who hold any imported taxable goods in opening stock on January 1, 2008. | |
| | (iv) | Dealers who hold any taxable goods in opening stock on January 1, 2008 where such goods have been manufactured, processed or packed by using or consuming of any imported goods | |
| | (v) | Dealers who hold any taxable goods in opening stock on January 1, 2008 where such goods have been manufactured, processed or packed by using or consuming any goods purchased after furnishing to the selling dealer any form of declaration or certificate prescribed under the erstwhile Act or the rules framed thereunder. | |
| | (vi) | Dealers who hold any goods in opening stock on January 1, 2008 where such goods have been purchased after furnishing to the selling dealer any form of declaration or certificate prescribed under the erstwhile Act or the rules framed thereunder | |
| | (vii) | Dealers who, in the assessment year of commencement of this Act, have commenced exclusive business of purchase of any goods from within the State or sale of any goods within the State or both, as the case may be, on any date before January 1, 2008 and -<br>(a) whose aggregate, of the turnover of such purchase and turnover of such sale, of all goods, as defined hereunder, during the assessment year of commencement of this Act, from first day of the business during such assessment year, has, on or before January 1, 2008, exceeded the taxable quantum as provided in sub-section (4); and | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (b) who have not made any change in the nature of their business before their aggregate of turnovers as stated in clause (a) has exceeded the taxable quantum as provided in sub-section (4) | |
| | (viii) | Dealers who have been carrying on exclusive business of purchase of any goods from within the State or sale of any goods within the State or both, as the case may be, of any goods during the assessment year immediately preceding first assessment year under this Act and whose aggregate, of the turnover of such purchase and turnover of such sale, of all goods, as defined hereunder, during such preceding assessment year had exceeded the taxable quantum as provided in sub-section (4) | |
| | (ix) | Dealers who, in the year of commencement of this Act, have, before January 1, 2008.<br>(a) made an inter-state sale of any taxable goods; or<br>(b) made a sale in the course of the export of the goods out of the territory of India; or<br>(c) consigned any taxable goods outside the State except by reason of a sale and such goods are delivered in the other State without a sale; or<br>(d) brought or received any taxable goods from any place outside the State; | |
| 2. | Dealers, who with or without any other kind of business, import any taxable goods on or after January 1, 2008. | | Date on which a dealer receives taxable goods for the first time |
| 3. | Dealers who obtain registration certificate under the Central Sales tax Act, 1956 on or after January 1, 2008. | | Date from which registration certificate is effective |
| 4. | Dealers, who, with or without any other kind of business, make sale of any taxable goods in the course of inter-State trade or commerce on or after January 1, 2008 | | Date on which a dealer makes first sale of any taxable goods in the course of inter-State trade or commerce |
| 5. | Dealers, who, with or without any other kind of business, on or after January 1, 2008 make a sale, in the course of export of the goods out of the territory of India, of any taxable goods or make such sale of any exempt goods where in manufacture, processing or packing of such exempt goods any taxable goods have been used, consumed or utilized | | Date on which a dealer makes first sale of the goods in the course of export of the goods |

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

| | | |
|---|---|---|
| 6. | **Dealers, who, with or without any other kind of business, consign any taxable goods on or after January 1, 2008 at any place outside the State except by reason of a sale and such goods are delivered in the other State without a sale** | **Date on which a dealer for the first time consigns any taxable goods outside the State** |
| 7. | Dealers who have been carrying on exclusive business of purchase of any goods from within the State or sale of any goods within the State or both, as the case may be, of any goods from a date prior to January 1, 2008 or dealers who commence such business on or after January 1, 2008 and-<br>(i) whose aggregate, of the turnover of such purchase and turnover of such sale, of all goods, as defined hereunder, in any assessment year including assessment year of the commencement of this Act, from first day of business during such assessment year, exceeds the taxable quantum as provided in sub-section (4) of this section on any date after January 1, 2008 and<br>(ii) who do not make any change in the nature of their business before their aggregate of the turnovers as stated in clause (a) exceeds the taxable quantum as provided in sub-section (4) of this section | Date on which aggregate of the turnovers of purchase from within the State and turnover of sale within the State or both, as the case may be, of all goods of a dealer, as defined hereunder, for the first time in any assessment year exceeds the taxable quantum |
| 8 | Transporter or any other carrier or a forwarding agent or railway container contractor of goods where such transporter, carrier or forwarding agent or railway container contractor fails to disclose the name and address of the consignee or consigner in Uttar Pradesh or if disclosed name and address of consigner or consignee is bogus, forged or not verifiable or fails to furnish copy of invoice, challan, transport receipt or consignment note or document of like nature in respect of any taxable goods, which are held in possession or custody or carried in his vehicle; or<br>An owner or person in-charge, of a godown or cold storage or warehouse who fails to disclose the name and address of the owner of any taxable goods stored in such godown, cold storage or warehouse. | First date on which any taxable goods are found in the possession or custody. |
| 9. | Dealers who do not fall in any of the classes mentioned against serial no. 1 to 8 above and who obtain registration certificate voluntarily under section 18. | Date from which registration certificate is effective |

Provided that a dealer who exclusively deals in purchase or sale, or both, as the case may be, of exempt goods, shall not be liable to pay tax under this Act.

Explanation (1) — For the purposes of this sub-section and sub-section (5) the expression "aggregate of turnover of purchase from within the State and turnover of sale within the State or both, as the case may be, of all goods" shall mean the aggregate of the turnover of-

(a) purchase of all taxable goods where such purchases are made by the dealer from within the State from persons other than registered dealers; and

(b) sale of all goods except goods included in clause (a) where such sales are made by the dealer within the State

Explanation (2) — Where a dealer falls in more than one category, mentioned in column (2) of the table given above, then he shall be liable for payment of tax with effect from the earliest date of all dates mentioned in column (3) of the table referred to above.

(4) Taxable quantum referred to in sub-section (3) shall be five lakh rupees.

(5) Every dealer who has once become liable for payment of tax shall continue to be so liable till the date on which he discontinues his business:

(6) For the purposes of this Act, following shall be determined in the prescribed manner:-

(a) Turnover of sale of goods-

(i) involved in the execution of works contract in which property in goods is transferred; or

(ii) in cases of transfer of right to use any goods;

(b) Taxable turnover of sale; and

(c) Taxable turnover of purchase.

(7) Where in respect of transfer of property in goods involved in the execution of a works contact, the contractor does not maintain proper accounts or the accounts maintained by him are not found by the assessing authority to be worthy of credence and the amount actually incurred towards charges for labour and other services and profit relating to supply of labour and services are not ascertainable, for the purpose of determining turnover of sale of goods under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (6) such charges for labour and other services and such profits, may be determined on the basis of deduction of such percentage of the value of works contract as may be prescribed and different percentages may be prescribed for different types of works contract.

(8) Amount of tax, for which a dealer is liable for payment under any provision of this Act, shall be paid in the prescribed manner.

(9) Notwithstanding anything to the contrary in this Act, where any goods are sold or purchased together with any packing material, sale or purchase of packing material shall, notwithstanding the fact that contracts of sale or purchase of such goods and such packing material have been made separately or price of sale or purchase, as the case may be, of the goods and the packing material has been shown separately,-

(a) be liable to tax under this Act at the rate applicable to sale or purchase of the goods sold or purchased together with such packing material;

(b) not be liable to any tax under this Act if the sale or purchase of such goods is exempt from tax at the hands of the dealer.

(10) Where tax is payable, and has been so paid by a commission agent on any turnover of sale or turnover of purchase or both, as the case may be, of any goods on behalf of his principal, the principal shall not be liable to pay tax in respect of such turnover.

**Explanation:** For the purposes of this Act, the dissolution of a firm or association of persons or partition of a Hindu Undivided Family or transfer by a dealer of his business shall be deemed to be cessation or discontinuance of business.

Levy of tax on turnover of sale

**4.** (1) The tax, payable on sale of goods under this Act, shall be levied and paid on the taxable turnover of sale of –

(a) goods named or described in column 2 of the Schedule II, at every point of sale and at the rate of four percent;

(b) goods named or described in column 2 of the Schedule III at every point of sale and at the rate of one percent;

(c) goods named or described in column 2 of the Schedule IV at the point of sale mentioned in column 3 and at the rate of tax mentioned in column 4 of the Schedule against such goods;

(d) goods named or described in column 2 of the Schedule V at every point of sale and at the rate of twelve and half percent;

Provided that in respect of goods mentioned in column 2 of Schedule IV, the State Government may, by notification, declare different rates of tax, not exceeding fifty percent, in respect of different goods or class of goods.

Provided further that turnover of sale of textile and sugar except khandsari sugar, mentioned or described in column 2 of Schedule II, shall be liable to tax from such date and at such rate, not exceeding four percent, as may be notified by the State Government.

(2) In respect of any entry of any Schedule, explanation or clarification, if any, given in footnotes of such Schedule, shall be deemed to be a part of such entry of such Schedule.

(3) Where a dealer, selling any goods, is not entitled to realise amount of tax, payable by him on the turnover of sale of such goods, separately on tax invoice, sale invoice, cash memo or bill from the purchaser of the goods, amount of tax payable by him on the turnover of such sale shall be computed using the formula-

$$\text{Amount of tax payable} = \frac{\text{Rate of tax X aggregate of sale prices}}{\text{100 + Rate of tax}}$$

(4) The State Government may, by notification in the Gazette, amend any entry of any Schedule, add any new entry in any of the Schedule and in the like manner omit any entry of any Schedule.

(5) Every notification made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than fourteen days, extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed take effect from the date of its publication in Gazette subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder except that any imposition, assessment, levy or collection of tax or penalty shall be subject to the said modification or annulment.

**Levy of Tax on turnover of purchase**

**5.** (1) Every dealer, who, in the course of business, makes purchase of any taxable goods -

(i) other than non-vat goods from a person other than a registered dealer; or

(ii) non-vat goods, the earlier sale or purchase of which has not suffered levy of tax either under the provisions of the erstwhile Act or under the provisions of this Act,

shall be liable to pay tax on the turnover of purchase of such taxable goods except non-vat goods or turnover of purchase of non-vat goods or both, as the case may be.

(2) Tax on the turnover of purchase of taxable goods referred to in clause (i) or clause (ii) of sub-section (1) shall be levied at the same rate at which turnover of sale of such goods is liable to tax in accordance with the provisions of section 4.

**Composition of tax liability**

**6.** (1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, but subject to other provisions of this section and the directions of the State Government, the assessing authority may agree to accept a composition money either in lump sum or at an agreed rate on his turnover of sale in lieu of tax that may be payable by a dealer in respect of such goods or class of goods and for such period as may be agreed upon:

Provided that in case of a dealer who carries on exclusive business of re-sale of goods within the State after their purchase from within the State and whose turnover of sale of such goods, for any assessment year, is neither likely to exceed fifty lakh rupees nor his such turnover, for the assessment year preceding such assessment year, has exceeded fifty lakh rupees, the State Government may notify a rate percent on sale of such goods. Different rates may be notified for different goods :

Provided further that any change in the rate of tax which may come into force after the date of such agreement shall have the effect of making a proportionate change in the lump sum or the rate agreed upon in relation to that part of the period of assessment during which the changed rate remains in force.

(2) Any dealer, who opts for payment of lump sum under this section, shall not be entitled to claim credit of input tax under section 13 in respect of purchase of goods which are re-sold by him during the period in which he is liable to pay tax or lump sum, as the case may be, under this section or in respect of purchase of goods which have been used, consumed or utilized in manufacture or processing of goods which are sold by him during such period and where the dealer has claimed credit of input tax in respect of any such goods, the same shall stand reversed and the dealer shall pay such amount of reverse input tax credit in accordance with provisions of section 14.

(3) Any dealer who opts for payment of tax or a lump sum, as the case may be, under this section shall not issue any tax invoice and shall not realise any amount from the purchaser of goods by way of tax or by giving it a different name or colour.

(4) A dealer who makes purchase of any goods from a dealer, who has opted for payment of tax or a lump sum, as the case may be, under this section, shall not be entitled to claim credit of input tax in respect of goods purchased from such dealer.

Tax not to be levied on certain sales and purchases.

**7. No tax under this Act shall be levied and paid on the turn over of–**

(a) sale or purchase where such sale or purchase takes place -

(i) in the course of inter-state trade or commerce; or

(ii) outside the State; or

(iii) in the course of the export out of or in the course of the import into, the territory of India;

(b) sale or purchase of any goods named or described in column (2) of the Schedule I or;

(c) such sale or purchase; or sale or purchase of such goods by such class of dealers, as may be specified in the notification issued by the State Government in this behalf:

Provided that while issuing notification under clause (c), the State Government may impose such conditions and restrictions as may be specified.

Explanation: For the purposes of this Act, sections 3, 4 and 5 of the Central Sales Tax Act, 1956, shall apply respectively for determining whether or not a particular sale or purchase of any goods falls under any of the sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (a).

Liability on fraudulent issuance and procurement of tax invoice and sale invoice

**8.** Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act and without prejudice to the provisions of section 54, where it is found that any dealer has issued tax invoice or sale invoice without making actual sale of goods shown in such invoice then the selling dealer and the purchasing dealer who has received such invoice, jointly and severally, be liable for payment of an amount equal to amount of tax shown to have been charged in such invoice:

Provided that before taking any action under this section, persons concerned shall be given an opportunity of being heard.

Liability of firm, association of persons and Hindu undivided family

**9.** (1) Subject to the provisions of this Act, where the dealer is a firm or association of persons or a Hindu Undivided Family -

(a) such firm or association and every person who is a partner of such firm or a member of such association or Hindu undivided family shall be liable jointly and severally for the payment of tax assessed and penalty imposed or any amount due under this Act and is payable by such firm or association or Hindu Undivided Family; and

(b) where such firm or association or Hindu Undivided Family has discontinued its business, -

(i) tax, including penalty payable under this Act by such firm or association or Hindu Undivided Family up to the date of such discontinuance may be assessed and determined as if no such discontinuance had taken place ; and

(ii) every person who was at the time of such discontinuance a partner of such firm or a member of such association or Hindu Undivided Family shall, notwithstanding such discontinuance, be liable jointly and severally for the payment of tax assessed and penalty imposed and payable by such firm or association or Hindu Undivided Family whether such assessment is made or penalty is imposed prior to or after such discontinuance, and, subject to as aforesaid, the provisions of this Act shall apply as if every such person or partner were himself a dealer:

Provided that where it is found that a change has occurred in the constitution of the firm or association, the firm or association as reconstituted as well as partners or members of the firm or association, as it existed before re-constitution, shall jointly and severally be liable to pay tax including penalty, if any, due from such firm or association for any period before its reconstitution.

(2) Where the ownership of the business of any dealer, liable to pay, tax is transferred, the transferor and transferee shall jointly and severally be liable to pay the tax including penalty, if any, payable in respect of such business till the time of such transfer, whether the assessment is made or the penalty is imposed prior to or after such transfer.

(3) Where a tax including penalty, if any, is recovered from a reconstituted firm or association under the proviso to sub-section (1) or from a transferee under sub-section (2), such firm or association or a transferee shall be entitled to recover the same from the person who was originally liable to pay the tax.'

Tax due from deceased person payable by his representatives

**10.** (1) Where a dealer dies, his executor, administrator or other legal representative shall be deemed to be the dealer for the purposes of this Act and the provisions of this Act shall apply to him in respect of the business of the said deceased dealer:

Provided that -

(a) in respect of any liability of the deceased, his executor, administrator or other legal representative shall be liable only to the extent of the assets of the deceased in his hand;

(b) any proceeding including the proceeding for recovery may be continued from the stage at which it was pending at the time of the death of the dealer.

(2) The provisions of sub-section (1) shall *mutatis mutandis* apply to a dealer being a partnership firm, which may stand dissolved in consequence of the death of any partner.

Tax liability in case of minor or incapacitated person

**11.** In the case of any guardian, trustee or agent of any minor or other incapacitated person, carrying on business on behalf of and for the benefit of such minor or other incapacitated person, the tax shall be, levied upon and recoverable from such guardian, trustee or agent, as the case may be, in like manner and to the same extent as it would be leviable upon and recoverable from any such person or other incapacitated person, if he were of full age and sound mind and if he were conducting the business himself; and all the provisions of this Act and the rules made thereunder shall apply accordingly.

Liability in case of court of wards

**12.** In the case of business owned by a dealer whose estate or any portion of whose estate is under the control of the Court of Wards, the Administrator General, the Official Trustee or any Receiver or Manager (including any person whatever his designation, who in fact manages the business on behalf of the dealer) appointed by him or under any order of a court, the tax shall be levied upon and recoverable from such Court of Wards, Administrator General, Official Trustee, Receiver or Manager, in like manner and in the same terms as it would be leviable upon and recoverable from the dealer, as if he were conducting the business himself, and all the provisions of this Act and the rules made thereunder shall apply accordingly.

Input tax credit

**13.** (1) Subject to provisions of this Act, dealers referred to in the following clauses and holding valid registration certificate under this Act, shall, in respect of taxable goods purchased from within the State and mentioned in such clauses, subject to conditions given therein and such other conditions and restrictions as may be prescribed, be allowed credit of an amount, as input tax credit, to the extent provided by or under the relevant clause.

(a) Subject to conditions given in column (2), every dealer liable to pay tax, shall, in respect of all taxable goods except non-vat goods, capital goods and captive power plant, where such taxable goods are purchased on or after the date of commencement of this Act, be allowed credit of the amount, as input tax credit, to the extent provided in column (3) of the table below:

**TABLE**

| Serial No. | Conditions | Extent of amount of input tax credit |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | If purchased goods are re-sold-<br>(i) inside the State, or<br>(ii) in the course of inter-state trade or commence; or<br>(iii) in the course of the export of the goods out of the territory of India. | Full amount of input tax |
| 2 | If purchased goods are used in manufacture of -<br>(i) any goods except non-vat goods and where such manufactured goods are sold in the course of the export of the goods out of the territory of India; or<br>(ii) any taxable goods except non-vat goods and where such manufactured goods are sold either inside the State or in the course of inter-state trade or commerce. | Full amount of input tax |
| 3 | If purchased goods are –<br>(i) transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale; or<br>(ii) used in manufacture of any taxable goods except non-vat goods and such manufactured goods are transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale. | Partial amount of input tax, which is in excess of rate prescribed under sub-section(1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 of the purchase price on which the dealer has paid tax either to the registered selling dealer or to the State Government. |

(b) Input tax credit of full amount of input tax shall be allowed to every dealer, liable to pay tax, in respect of capital goods purchased on or after the date on which dealer becomes liable for payment of tax under this Act, if such goods are to be used in manufacture of any –

(b.1) taxable goods except non-vat goods and where such manufactured goods are -

tax credit

(i) sold within the State, in the course of inter-state trade or commerce or in the course of the export of the goods out of the territory of India; or

(ii) transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale;

(b.2) exempt goods except non-vat goods and where such manufactured goods are sold in the course of export of the goods out of the territory of India.

(c) Subject to conditions mentioned in column (2) of the table under clause (a), every dealer, who is liable to pay tax on January 1, 2008 shall, in respect of all taxable goods except non-vat goods, capital goods and captive power plant, where such goods have been purchased within a period of six months ending on the date of commencement of this Ordinance and where such goods-

(i) are held in opening stock on January 1, 2008 in the same form and condition in which they were purchased; or

(ii) have been used in manufacture of finished or semi-finished goods (in the process of manufacture of taxable goods except non-vat goods) or finished taxable goods, except non-vat goods and such finished or semi-finished goods are held in opening stock on January 1, 2008; and

(iii) have suffered levy of tax under the erstwhile Act, be allowed credit of partial or full, as provided in column (3) against relevant entry of the said table, amount of input tax as input tax credit and for this purpose amount of input tax shall be computed in the prescribed manner.

(d) Subject to conditions mentioned in column (2) of the table under clause (a), every dealer, who becomes liable to pay tax on a date after January 1, 2008, shall, in respect of all taxable goods, except non-vat goods, capital goods and captive power plant, where such taxable goods have been purchased on or after January 1, 2008 but within a period of six months ending on the day preceding the date on which such dealer has become liable to pay tax and -

(i) are held in opening stock, on the date on which the dealer has become liable to pay tax, in the same form and condition in which they were purchased;

(ii) have been used in manufacture of semi-finished goods (in the process of manufacture of taxable goods except non-vat goods) or finished taxable goods, except non-vat goods and such semi-finished or finished goods as are held in opening stock on the date on which the dealer has become liable to pay tax; or

(iii) have been purchased from a registered dealer after obtaining sale invoice bearing name and address of purchasing dealer,

be allowed credit of partial or full, as provided in column 3 against relevant entry of the said table, amount of input tax as input tax credit and for this purpose amount of input tax shall be computed in the prescribed manner.

(e) Every dealer who is liable to pay tax and who opts for payment of tax or lump sum under provisions of section 6, shall, in respect of all taxable goods, except non-vat goods, capital goods and captive power plant, which are held in stock at the end of the period during which provisions of section 6 remain applicable, be allowed credit of full or partial amount of input tax or deemed input tax, as the case may be, in accordance with provisions of clauses (a) to (d) above, as may be applicable:

Provided that unless the State Government, in exercise of its powers under second proviso of sub-section (1) of section 4, issues notification prescribing rate of tax and point of tax in respect of sale of sugar or textile referred to therein, no facility of input tax credit, in respect of goods purchased for use in manufacture of said goods, shall be allowed under any of the aforesaid clauses.

Explanation: For the purposes of this sub-section, -

(a) for entry against serial no. (1) of the table under clause (a), re-sale of goods includes transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;

(b) goods, required for use in manufacture of any goods, do not include captive power plant, or parts, components and accessories of a captive power plant or any other goods required for running or maintenance of a captive power plant.

(2) Notwithstanding anything to the contrary in the provision of sub-section (1) credit of full or partial amount of input tax, in respect of all taxable goods, may be allowed to developer, co-developer and units established in Special Economic Zone for authorized operations subject to such conditions as may be specified in the notification issued by the State Government.

**Explanation** - For the purposes of this sub-section the word "co-developer" or "developer" and expressions "Special Economic Zone" or "authorized operations" shall have the meanings assigned to them in the Special Economic Zones Act, 2005.

(3) Where purchased goods are to be used or disposed of partially for the purposes specified in clause (a) of sub-section (1), the input tax credit shall be claimed and allowed proportionate to the extent they are used or disposed of for the purposes specified in such clause.

(4) Except as provided otherwise in any provision of this Act or the rules framed thereunder, in respect of purchase of any goods in respect of which facility of input tax credit is admissible, input tax credit of the full amount of input tax can provisionally be claimed on the date on which tax invoice related to such goods is received by the dealer and where dealer himself is liable to pay tax in respect of purchase of any goods, on the date on which amount of tax payable is accounted for by the dealer in the account of tax payable by him.

(5) Where a dealer has claimed input tax credit in respect of any goods under sub-section (4), but such goods; or goods manufactured by using such goods; or goods packed by using or consuming such goods, are consigned outside the State or disposed of or dispossessed in a manner for which facility of input tax credit is not admissible or such facility is admissible for partial amount of input tax, the amount which is the difference, of the full amount of input tax and admissible amount of input tax credit, shall be deducted from the amount of the input tax credit, already claimed by the dealer by debiting such amount into the account of input tax credit maintained by him :

Provided that before debiting the amount of input tax credit reasonable opportunity of being heard shall be given to the dealer.

(6) In the circumstances referred to in sub-section (5), the amount of difference of full amount of input tax and admissible amount of input tax credit, shall be debited by the dealer into the account of input tax credit maintained by him on the day on which –

(i) goods, in respect of which credit of full amount of input tax was claimed; or

(ii) goods, manufactured by using goods in respect of which credit of full amount of input tax was claimed; or

(iii) where goods, in respect of which credit of full amount of input tax was claimed, are used or consumed in packing of any goods, such packed goods,

are consigned outside the State; or disposed of or dispossessed by the dealer in a manner for which facility of input tax credit is not admissible or such facility is admissible for partial amount of input tax:

Provided that where the dealer discontinues his business, full amount of input tax, which was claimed under sub-section (4), in respect of-

(i) goods held by the dealer in the same form and condition in which those were purchased; or

(ii) goods which have been used in manufacture of any goods held by the dealer, (whether in semi-manufactured or manufactured state);

(iii) goods which have been used or consumed in packing of any goods held by the dealer,

in closing stock on the day on which he has discontinued business, shall, before end of the tax period prescribed for submission of the tax return for the tax period in which business is discontinued, shall be debited by the dealer into the account of input tax credit maintained by him.

(7) Except where-

(a) purchased goods; or

(b) manufactured goods which are manufactured by using purchased goods; or

(c) packed goods which are packed by using or consuming purchased goods,

are to be sold in the course of the export of the goods out of the territory of India, no credit of any amount of input tax shall be claimed by a dealer under sub-section (4) and no facility of input tax credit shall be allowed to a dealer in respect of purchase of any goods where -

(i) sale of such goods by the dealer is exempt from payment of tax under clause (c) of section 7; or

(ii) such goods are to be used or consumed in manufacture or packing of any goods and sale of such manufactured or packed goods by the dealer is exempt from payment of tax either under clause (b) or clause (c) of section 7.

(8) Amount of admissible input tax credit for a tax period and for an assessment year shall be computed in the prescribed manner and shall be claimed and allowed within such time and in such manner as may be prescribed.

(9) Where any goods, purchased from within the State, are sold by a principal through a selling agent or where any goods are purchased by a purchasing agent on behalf of a principal, input tax credit, in respect of purchase of such goods, shall be claimed by and be allowed to the principal in such manner as may be prescribed.

(10) Every dealer, who claims input tax credit under this section, shall, in respect of input tax, input tax credit and inventory of goods, maintain such records and furnish such statements as may be prescribed.

(11) Where it appears to the assessing authority that amount of input tax or amount of input tax credit shown in any statement furnished by any dealer is incorrect or is not worthy of credence, it may, after giving reasonable opportunity of being heard to such dealer and after making such inquiry as it may deem fit, determine the amount of input tax or amount of input tax credit, as the case may be, by making an order in writing:

Provided that where matter relates to any tax return submitted under section 24 or in any assessment proceedings under any section of this Ordinance, proceedings shall be completed in accordance with provisions of relevant sections.

Explanation (1) For the purposes of this section, –

(i) goods for use in manufacture of any goods includes goods required for use, consumption or utilization in manufacture or processing of such goods or goods required for use in packing of such manufactured or processed goods;

(ii) manufacture of any goods includes processing of such goods and packing of such manufactured or processed goods; and

(iii) where during the process of manufacture of any taxable goods any exempt goods are produced as by-product or waste-product, it shall be deemed that purchased goods have been used in the manufacture of taxable goods. Conversely, where during the process of manufacture of any exempt goods any taxable goods are produced as by-product or waste-product; it shall be deemed that purchased goods have been used in the manufacture of exempt goods.

Reverse input tax credit

**14.** (1) Consistent with the provisions of this Act, the State Government may prescribe the circumstances in which and the goods in respect of which input tax credit shall be neither claimed nor allowed.

(2) Where, in respect of any goods, a dealer has already claimed input tax credit against the provisions of this Act or the rules framed thereunder or has wrongly claimed input tax credit in respect of any goods, benefit of input tax credit to the extent it is not admissible, shall stand reversed and such amount of reverse input tax credit shall be deducted from the amount of input tax credit already claimed by the dealer in the tax period in which event giving rise to reverse input tax credit has occurred:

Provided that where event, giving rise to reverse input tax credit, comes to the notice of the dealer after the tax return, for the tax period in which such event has occurred, has been submitted, the dealer shall be liable to pay such amount of reverse input tax credit within thirty days after the event comes to the notice of the dealer, along with simple interest at a rate of fifteen percent per annum for the period commencing on the date following the last date prescribed for submitting tax return of the tax period in which event has occurred and ending on the date on which amount has been deposited.

Net amount of tax payable and treatment of input tax credit exceeding tax liability

**15.** (1) For any tax period, net amount of tax payable shall be computed using the following equation:

**Net amount of tax payable for any period = Gross amount of tax payable for such period – Gross amount of admissible input tax credit for the period**

Where-

[a] gross amount of tax payable for the period is the aggregate of amounts of-

(i) tax payable on the turnover of sale of goods made during the tax period;

(ii) tax payable on turnover of purchase of goods made during the tax period;

(iii) tax on the turnover of sale made during the period or any installment of lump sum falling due during the period, as the case may be, payable under the provisions of section 6;

(iv) any other amount of tax payable; and

[b] gross amount of admissible input tax credit for the period is the aggregate of amounts of-

(i) input tax credit claimed in respect of purchase of goods made during the period less amount of reverse input tax credit, if any;

(ii) input tax credit carried forward from the immediately preceding tax period;

(iii) any installment of input tax credit in respect of goods held in opening stock on the date from which dealer has become liable to pay tax or in respect of purchase of capital goods;

(iv) input tax credit in respect of goods held in opening stock on the date on which, in case of a dealer who has opted for payment of tax or a lump sum under section 6 of this Act, provisions of section 6 cease to apply and the dealer continues his business:

Provided that where a dealer has been allowed moratorium for payment of tax under section 42, gross amount of tax payable for the period shall not include amount in respect of which facility of moratorium is applicable. Amount for which facility of moratorium is applicable shall be paid by the dealer separately in accordance with provisions of section 42.

Reverse input tax credit

(2) If, for any tax period, gross amount of admissible input tax credit under sub-section (1) exceeds the differential amount of gross amount of tax payable under that sub-section and the aggregate of amounts of tax paid by the dealer towards tax for such tax period, the excess amount of admissible input tax credit may be adjusted by the dealer against amount of tax payable in the tax return of the corresponding tax period under the Central Sales Tax Act, 1956 and where gross amount of such admissible input tax credit is a negative figure, the dealer, while computing net amount of tax payable under sub-section (1), shall add such amount to gross amount of tax payable by the dealer.

Explanation: For the purpose of this sub-section, expression "aggregate of amounts of tax paid by the dealer towards tax of such tax period" shall mean the aggregate of amounts of-

(a) tax deposited by the dealer towards tax of such tax period;

(b) tax deducted at source under provisions of section 34 in respect of any sale of goods where such sale is made during such tax period; and

(c) refund adjusted towards tax of such tax period:

Net amount of tax payable and treatment of input tax credit exceeding tax liability

Provided that amount under clause (a), (b) or (c) shall not be included in the aggregate of amounts of tax paid by the dealer towards tax of such tax period unless the dealer furnishes adequate documentary proof in respect thereof alongwith tax return of such tax period.

(3) Any excess amount of input tax credit left over after adjustment as provided in sub-section (2) shall be carried forward and be added to the amount of input tax credit for the next tax period:

Provided that in case of a dealer whose main business is to sell goods in the course of the export of the goods out of the territory of India, subject to provision of section 41, assessing authority shall, on the application of the dealer, along with the proof of export, allow provisional refund of excess amount of input tax credit for any tax period, after the dealer has submitted return for such tax period, within thirty days from the last date prescribed for submission of tax return or from the date of submission of tax return, whichever is later.

(4) Where a dealer has submitted returns for all tax periods of an assessment year, and if any amount of excess admissible input tax credit still exists according to the tax return of the last tax period, such excess amount of admissible input tax credit, subject to provisions of sections 40, shall be refunded to the dealer within thirty days after the last date prescribed or allowed for submission of the return of last tax period of such assessment year.

Provided that excess amount of admissible input tax credit remaining in balance on the last day of the assessment year in which dealer has become liable for payment of tax, shall, subject to provision of sub-section (3), be carried forward to the first tax return of the next assessment year and any excess amount of input tax credit according to the tax return of the last tax period of later assessment year shall be refunded to the dealer within thirty days after the last date prescribed or allowed for submission of return of the last tax period of the such later assessment year.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4) where a dealer discontinues business, refund of any excess amount of admissible input tax credit relating to last tax period of the assessment year during which business has been discontinued shall be allowed within Ninety days after the date of passing of assessment order for such assessment year.

(6) Where tax return for any tax period of any assessment year has not been submitted by the last date prescribed or allowed for submission of tax return of the last tax period of the assessment year, excess amount of admissible input tax credit, if any, for such assessment year, subject to provisions of sections 40 shall be refunded to the dealer within a period of Ninety days after the assessment order in respect of such assessment year has been passed.

(7) Notwithstanding anything contained contrary to in sub-section (3) and sub-section (4), any excess amount of admissible input tax credit left over in the tax return of the last tax period of any assessment year, at the option of the dealer, may be carried forward to the tax return of the first tax period of the succeeding assessment year.

Burden of proof

**16.** In any assessment proceedings where any fact is specially within the knowledge of the assessee, the burden of proving that fact shall lie upon him, and in particular, the burden of proving the existence of the circumstances bringing the case within any of the exemptions, exceptions or reliefs under any provisions of this Act including claim of any amount as input tax credit, shall lie upon him and assessing authority shall presume the absence of such circumstances.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

## Chapter III

## Registration, Security and Maintenance of Accounts

Registration of dealers

**17.** (1) Every dealer liable to pay tax under this Act shall obtain registration certificate issued by the prescribed registering authority in the prescribed form.

(2) Except as provided under sub-sections (3), (4) and (5), every dealer liable to pay tax shall, for issue of registration certificate, apply to the registering authority within a period of thirty days from the date on which such dealer has become so liable, in the prescribed form and manner along with proof of deposit of registration fee of one hundred rupees:

Provided that a dealer who fails to apply for issue of registration certificate within the time prescribed, without prejudice to any other liability under this Act, may apply after depositing late fee at the rate of rupees one hundred for every month or part thereof for the period of delay.

(3) Every dealer who has held immediately before January 1, 2008 a registration certificate or a provisional registration certificate issued under the erstwhile Act and is liable to pay tax under this Act from January 1, 2008, shall be deemed a registered dealer with effect from January 1, 2008 :

Provided that where a dealer was required to pay any fee for renewal of the registration certificate under the provisions of the erstwhile Act, if the same has not been paid, the registration certificate shall not be deemed valid unless such dealer deposits renewal fee along with late fee of one hundred rupees within a period of thirty days from January 1, 2008.

(4) In the case of a dealer, who is liable for payment of tax under this Act from the January 1, 2008 and whose application for issue of registration certificate under the erstwhile Act, is pending January 1, 2008, shall be deemed a registered dealer under this Act with effect from January 1, 2008 if –

(i) registration certificate is issued to him under the erstwhile Act; and

(ii) the dealer deposits renewal fee payable under the erstwhile Act and late fee payable under this Act, if any, within thirty days from the date on which registration certificate is issued to him under the erstwhile Act.

(5) Every dealer who holds a registration certificate issued under the erstwhile Act shall present it before the registering authority or the assessing authority, as the case may be, for necessary endorsement by such authority relating to validity of such certificate under this Act, within sixty days from January 1, 2008 or date on which registration certificate is issued under the erstwhile Act, whichever is later in such form as may be prescribed.

n of proof

(6) (a) No transporter, carrier or transport agent or railway container contractor shall operate its transport business in the State relating to taxable goods without being registered with the registering authority in such manner as may be prescribed.

(b) A transporter or carrier or transporting agent or railway container contractor already operating transport business in the State relating to taxable goods shall, within a period of thirty days from January 1, 2008 apply to registering authority for registration in the prescribed manner.

(c) If a transporter or carrier or transporting agent or railway container contractor carries or transports any taxable goods in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, his registration shall be liable to be cancelled or suspended for such period as may be determined by the registering authority after giving him a reasonable opportunity of being heard.

(d) Every transporter or carrier or transporting agent or railway container contractor operating its transport business shall maintain such records as may be prescribed.

(e) No taxable goods shall be delivered by the transporter or carrier or transporting agent or railway container contractor unless the prescribed requirements have been complied with.

(7) Where the registering authority is satisfied that -

(a) the application for issue of registration certificate is in order;

(b) the information furnished is correct and complete; and

(c) any requisite fee has been deposited and security where needed is furnished,

the registering authority may, after making such inquiry as it may deem necessary, cause the dealer to be registered and issue registration certificate in the prescribed form and prescribed time.

(8) If the dealer who has applied for issue of registration certificate does not fulfill any of the conditions mentioned in this section, or if any person having interest in the business is a defaulter in payment of any dues, relating to any other business, under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 or under the erstwhile Act, the registering authority, shall, after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant, reject the application by an order in writing.

(9) Registration certificate issued under the erstwhile Act and validly held under this Act shall be valid with effect from such date as may be prescribed.

(10) Subject to provisions of sub-section (9), every registration certificate shall remain in force till the date of discontinuance of business.

(11) The registering authority, after giving reasonable opportunity of being heard to the dealer, may cancel the registration certificate with effect from the date -

(a) on which dealers' liability for payment of tax has ceased; or

(b) on which the dealer has discontinued the business; or

(c) of order of cancellation where-

(i) the dealer has obtained registration certificate by fraud or by mis-representation of facts; or

(ii) the dealer has failed to furnish security or additional security, as the case may be; or

(iii) the dealer has transferred any prescribed form of declaration or certificate obtained by him to any person against provisions of this Act or the rules made thereunder; or

(iv) the dealer has permitted some other person to carry on business in his name; or

(v) the dealer has issued any tax invoice to a dealer without making actual sale of goods; or

(vi) where a transporter or carrier or transporting agent or railway container contractor fails to file return or otherwise acts in contravention of the provisions of this Act or rules made thereunder;

(vii) a person acts in contravention of provisions of section 43;

(viii) where a dealer has failed to pay the tax, penalty or other dues within three months of the date such tax, penalty or other dues become payable.

(ix) registration certificate has been cancelled for any other sufficient cause.

(12) During cancellation proceedings under sub-section (11), where the registering authority is satisfied that the dealer will succeed in causing revenue loss, pending action for cancellation under sub-section (11), it may, after assigning reasons therefore, suspend the registration certificate by passing an order in writing, for the period during which the proceedings are pending:

Provided that if the dealer, by furnishing adequate security to the satisfaction of the registering authority, satisfies that revenue loss, if any, shall be made up by him, the registering authority may revoke the suspension of registration certificate.

(13) During the period of suspension of registration certificate under sub-section (12), the dealer shall be treated as unregistered dealer.

(14) The registering authority, after considering any information furnished or otherwise received and after making such inquiry as it may deem fit, amend from time to time any certificate of registration which shall take effect:

(a) in the case of change in the name, ownership or place of business, or opening of a new place of business, from the date of the event necessitating the amendment whether or not information in that behalf is furnished within the time prescribed under section 75.

(b) in case of any addition or modification in the description of any goods or class of goods in the certificate of registration, from the date of event necessitating the amendment if information in that behalf is furnished within the time prescribed under section 75 and in any other case, from the date of receipt of request for such addition or modification by the registering authority or the assessing authority, as the case may be;

(c) in case of deletion of any goods or class of goods, from the date of order of deletion :

Provided that where in consequence of a change in the ownership of a business, liability for payment of tax of any dealer ceases, the amendment of the certificate of registration shall take effect from the date on which information in respect of such change is furnished under section 75.

Explanation (I) - Any amendment of a certificate of registration under this sub-section shall be without prejudice to any liability for tax or penalty imposable, or for any prosecution for an offence under this Act.

Explanation (II)-For the removal of doubts, it is hereby declared that where a registered dealer-

(a) affects a change in the name of his business; or

(b) is a firm and there is change in the constitution of the firm without dissolution thereof; or

(c) is a trustee of a trust and there is a change in the trustees thereof; or

(d) is a guardian of the ward and there is a change in the guardian; or

(e) is a "Hindu Undivided Family" and the business of such family is converted into a partnership business with all or any of the coparceners as partners thereof,

COURT BOOK

then merely by reason of any of the circumstances aforesaid, it shall not be necessary for the dealer or the firm the constitution whereof is changed, or the new trustees, or the new guardian or, as the case may be, the partners of such partnership business, to apply for a fresh certificate of registration, and on information being furnished in the manner required by section 75, the certificate of registration shall be amended.

(15) The registration certificate shall not be cancelled or amended by the registering authority on its own motion unless the dealer has been given reasonable opportunity of being heard.

Voluntary Registration

**18.**(1) On January 1, 2008, a dealer, who is otherwise not liable to pay tax, and if such dealer either carries on business or intends to carry on business, may apply at any time on or after January 1, 2008 for issue of registration certificate in the form and manner prescribed under sub-section (2) of section 17 alongwith proof of deposit of fee prescribed under that sub-section.

(2) Every other dealer who has held immediately before January 1, 2008 a registration certificate under the erstwhile Act but otherwise is not liable to pay tax under this Act, shall be deemed a voluntarily registered dealer under this Act provided he informs the registering authority within a period of thirty days from the date of commencement of this Act in the form prescribed under sub-section (5) of section 17, of his intention to remain registered dealer under this Act:

Provided that where a dealer was required to pay any fee for renewal of the registration certificate under the provisions of the erstwhile Act, if the same has not been paid, the registration certificate shall not be deemed valid unless such dealer deposits renewal fee along with late fee of one hundred rupees within a period of thirty days form the date of the commencement of this Ordinance.

(3) A dealer to whom registration certificate is issued under the erstwhile Act after January 1, 2008 and where such dealer is not otherwise liable to pay tax under this Act from January 1, 2008 of this Act, shall be deemed a registered dealer if such dealer, after depositing renewal fee and late fee, if any, informs the registering authority or the assessing authority, as the case may be, in the prescribed form, within thirty days from the date on which registration certificate is issued to him, of his intention to retain registration certificate voluntarily.

(4) Provisions of sub-sections (5) and (7) to (14) of section 17 shall *mutatis mutandis* apply to every registration certificate issued or held under this section.

Security in the interest of revenue

**19.** (1) Where it appears necessary to the registering authority so to do -

(a) for the proper realisation of any tax, penalty or other sums due or payable under this Act; or

(b) for the proper custody or use of forms prescribed under this Act or the rules framed thereunder; or

(c) as a condition for the grant or, as the case may be, the continuance in effect of registration certificate,

it may, by an order in writing and for reasons to be recorded therein, direct, before the grant or as the case may be, at any time while such certificate is in force, that the dealer or the person concerned shall furnish, in the prescribed manner and within such time as may be specified in the order such security or, if dealer or person concerned has already furnished such security, additional security of any nature, as may be specified, for all or any of the aforesaid purposes:

Provided that a valid security or an additional valid security, furnished for any of the aforesaid purposes under the provisions of the erstwhile Act, shall also be deemed valid for such purpose under this Act, if the dealer informs his assessing authority or the registering authority, as the case may be, of his intention to continue in effect such security or additional security alongwith undertaking from the sureties on the stamp paper of proper face value and denomination.

(2) No dealer or the person concerned shall be required to furnish any security or additional security under sub-section (1) by the registering authority unless he has been given an opportunity of being heard, and the amount of such security or additional security that may be required to be furnished by any dealer shall also in no case exceed the tax payable, in accordance with the estimate of such authority on the turnover of the dealer for the assessment year in which such security is required to be furnished.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2) the Commissioner may, in respect of any goods notified by the Government in this behalf, by a general order in writing, direct that a cash security of such amount as may be specified in such order shall be required to be furnished by a dealer or person requiring any of the forms prescribed under this Act.

(4) Where the security furnished by a dealer or person concerned under sub-section (1) is in the form of a surety bond and any surety dies or becomes insolvent, the dealer or the person concerned shall, within thirty days of the occurrence of any of the aforesaid events, inform the authority granting the certificate under section 17 or section 18 or the authority issuing the forms referred to in clause (b) of sub-section (1), as the case may be, and shall within sixty days of such occurrence furnish a fresh surety bond or furnish in the prescribed manner other security for the amount of the bond.

(5) The assessing authority may, by order and for good and sufficient cause, forfeit the whole or any part of the security furnished by a dealer or the person concerned -

(a) for realising any amount of tax, penalty or other amount payable by the dealer or the person concerned; or

(b) if any dealer or person concerned is found to have misused any of the forms referred to in sub-section (1) or to have failed to keep them in proper custody;

Provided that no order shall be passed under this sub-section without giving the dealer or the person concerned an opportunity of being heard.

(6) Where by reason of an order under sub-section (5) the security furnished by any dealer or the person concerned is rendered insufficient, he shall make up the deficiency in such manner and within such time as may be directed by the assessing authority.

(7) The registering authority may -

(a) refuse to grant registration certificate; or

(b) suspend any registration certificate already issued; or

(c) refuse to issue any of the forms referred to in sub- section (1) or sub-section (3),

to any dealer or the person concerned, who has failed to comply with an order under sub-section (1) or sub-section (3), or with the provisions of sub-section (4) or sub-section (6), until the dealer or the person concerned has complied with such order or such provisions, as the case may be:

Provided that no order, under clause (a) or clause (b) above, shall be passed without giving the dealer or the person concerned an opportunity of being heard.

(8) The registering authority may, on application by the dealer or the person concerned, order the discharge of the surety or refund any amount or part thereof deposited by way of security by the dealer or the person concerned under this section or under any other section if it is not required for the purpose of this Act.

(9) An appeal under section 55 shall lie against an order passed under this section.

(10) Any person aggrieved by an order of the appellate authority may, within ninety days of the service of the order on him but after furnishing the security, file an appeal before the Tribunal under section 57.

(11) The provisions of this section shall *mutatis mutandis*, apply in relation to security required to be furnished under the order of any authority under this Act or the Court.

Quoting of Taxpayers' Identification Number

**20.** (1) Every registered dealer shall quote his Taxpayers' Identification number, allotted to him on his registration certificate, on all correspondence made, statement and return submitted, information furnished and documents issued by him and on each copy of treasury challan while depositing amount of tax, fee or any other dues under this Act

(2) While making sale of any taxable goods, if purchaser of such goods demands, the selling dealer shall show his registration certificate.

(3) While making purchases of any taxable goods, every purchasing dealer shall give his name, address and Taxpayers' Identification number, to the selling dealer and the selling dealer shall mention such particulars on tax invoice, sale invoice, transport memo, challan or transfer invoice, as the case may be, issued by him.

(4) Every registered dealer shall present registration certificate issued to him before an officer or official authorized by the State Government whenever required by such officer or official in connection with any proceedings under this Act.

(5) Every dealer who possesses Permanent Account Number allotted under the Income-Tax Act, 1961, shall mention such number on annual return of turnover and tax and shall furnish such number whenever required by any authority under this Act.

Accounts and documents to be maintained by dealers

**21.** (1) Every taxable dealer shall keep and maintain a true and correct account showing the value of the goods sold and bought by him, and in case the accounts maintained in the ordinary course do not show the same in an intelligible form, he shall maintain true and correct account in such form, as may be prescribed in this behalf.

(2) A manufacturer liable to pay tax under this Act shall, in addition to the accounts referred to in other sub-sections, maintain stock books in respect of goods used or consumed in manufacture as well as the products obtained at every stage of production.

Provided that in the case of any class of manufacturers, the aggregate of whose turnover, in an assessment year does not exceed twenty five lakh rupees, the Commissioner, or in any other case the State Government, may relax the requirements of this sub-section subject to such conditions and restrictions as may be deemed fit to be specified.

(3) The accounts, documents and the stock books required to be maintained under this section shall be preserved by the dealer for such period as may be prescribed.

(4) Every registered dealer who consigns or delivers any goods or class of goods specified in the rules made thereunder or such other goods or class of goods, as the State Government may, by notification in the Gazette, specify in this behalf, of such quantity, measure or value as may be notified, to a dealer whether by reason of sale or otherwise, shall issue to the purchaser or consignee person of goods, a transport-memo in prescribed manner and in prescribed form obtained from the assessing authority having jurisdiction over the area in which principal place of business of such dealer is situated.

(5) Except as provided in sub-section (4) every dealer liable to pay tax while consigning or delivering any taxable goods to another dealer whether as a result of sale or otherwise, shall issue to the purchaser or consignee of goods, a legible challan or transfer invoice in the prescribed manner containing such particulars, as may be prescribed.

(6) Where any goods are transported by road, original copy of transport memo referred to in sub-section (4), challan or transfer invoice referred to in sub-section (5), as the case may be, completed in all respects shall accompany the goods during journey of goods.

(7) Person transporting the goods for delivery to the consignee shall fill in the particulars in the relevant columns provided on transport memo, challan or transfer invoice, as the case may be, and shall deliver such transport memo, challan or transfer invoice to the consignee dealer along with goods.

(8) Every dealer who receives any form of declaration or certificate prescribed under this Act or rules made thereunder, from its assessing authority or from any other person, shall use them in the prescribed manner and shall keep an account, in the prescribed manner, of all such used and unused forms of declaration or certificates including forms of declaration or certificates received from other persons.

(9) No dealer shall transfer to any person and no person shall receive from any person any certificate or any form of declaration prescribed under the rules made under this Act except as provided under this Act or the rules made thereunder.

(10) Where a dealer disposes of taxable goods in more than one of the following ways:

(i) makes sale of goods inside the State; or

(ii) consigns goods to other dealers for sale inside the State; or

(iii) makes sale of goods in the course of inter-state trade or commerce; or

(iv) makes sale of goods in the course of the export of the goods out of or in the course of the import of the goods into, the territory of India; or

(v) consigns goods out side the State otherwise than as a result of sale,

shall, as far as possible, keep separate account of purchase, sale, receipt and dispatch of goods for each such purpose.

(11) A dealer who claims input tax credit under section 13 shall maintain a register in respect of tax period wise computations of amount of input tax credit.

(12) A dealer who maintains or keeps books, accounts or documents in a computer, shall also maintain day to day print out of all such books, accounts and documents.

(13) Every dealer liable to pay tax shall prepare an inventory of all goods held in stock, as mentioned hereunder, along with their purchase value, on following dates:

(a) goods held in opening stock on the date on which the dealer becomes liable to pay tax;

(b) goods held in closing stock on the last date of each assessment year;

(c) goods held in closing stock on the date of discontinuance of business;

(d) in case of a dealer who has opted for payment of tax or lump sum under section 6, goods held in opening stock on the date from which provisions of section 6 cease to apply:

Provided that a manufacturer shall also prepare a list of goods used or consumed in manufacture, processing or packing of any manufactured or semi-manufactured goods held in stock on the aforesaid dates along with their purchase value.

(14) Where in any tax invoice, issued by the registered selling dealer to the registered purchasing dealer, in respect of sale of any goods, amount shown as tax exceeds the amount of tax payable on such sale under this Act, such selling dealer, within 30 days from the date of issue of tax invoice, shall provide such purchasing dealer with a credit note of excess amount realized as tax and the purchasing dealer shall provide to the selling dealer with a debit note of such amount containing such requisite particulars as may be prescribed.

(15) Where in respect of sale of any goods, amount of tax payable under this Act exceeds amount shown as tax in the tax invoice issued by the registered selling dealer to the registered purchasing dealer, such selling dealer, within 30 days from the date of issue of tax invoice, shall provide to such purchasing dealer with a debit note of differential amount of tax and the purchasing dealer shall provide to the registered selling dealer a credit note containing such requisite particulars as may be prescribed.

(16) In case of goods returned or rejected by the purchaser, a credit note shall be issued by the selling dealer to the purchasing dealer and debit note shall be issued by the purchasing dealer to the selling dealer containing such requisite particulars as may be prescribed:

Provided that where any goods sold in any assessment year are returned or rejected in the succeeding assessment year within six months from the date of sale, the amount of sale price of goods returned or rejected and amount of tax relating to such goods which have been shown to have been realized by selling dealer from purchasing dealer and shown in the debit note or credit note, as the case may be, shall be adjusted with the turnover of sales or the turnover of purchases, as the case may be, in the assessment year in which goods are returned or rejected.

(17) If in respect of any particular assessment year, gross turnover of purchase or sale or both, as the case may be, of any dealer exceeds rupees one crore, then such dealer shall get his accounts verified and audited by a specified authority within six months from end of that assessment year and obtain within that period a report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such specified authority alongwith such particulars as may be prescribed. A true copy of such report shall be furnished by such dealer to the assessing authority within such period as may be prescribed.

Explanation: For the purpose of this section, expression "specified authority" means-

(i) a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1940 and includes persons by virtue of provisions of sub-section (2) of section 226 of the Companies Act, 1956, is entitled to be appointed to act as an auditor of companies;

(ii) a Cost Accountant within the meaning of the Cost and Works Accountant Act, 1959;

(iii) any other authority specified by the State Government.

(18) If any dealer liable to get his accounts audited under sub-section (1) fails to furnish copy of such report within the prescribed time, the assessing authority shall, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, impose on him in addition to tax payable, a sum by way of penalty not exceeding ten thousand rupees, as he may determine.

Tax invoice, sale invoice and purchase invoice to be issued by a dealer

**22.** (1) In respect of all taxable goods, except non-vat goods, in the circumstances mentioned below, every registered dealer except a dealer who opts for payment of tax or a lump sum under section 6, where such dealer is liable for payment of tax on sale of any such goods, shall, while making sale of the goods, issue to the purchaser, a tax invoice in the prescribed form and manner containing such particulars as may be prescribed, and shall charge separately on such tax invoice the amount of tax payable by him, where such goods are sold to -

(i) a registered dealer; or

(ii) an official or personnel of any foreign diplomatic mission or consulate in India; or

(iii) the United Nations or any other similar International body, entitled to privileges under any convention to which India is a party or under any other law for the time being in force; or

(iv) any consulate or diplomatic agent of any mission, the United Nations or other body referred to in clause (ii) or clause (iii); or

(v) any developer or co-developer of any Special Economic Zone, for use or consumption in the authorized operations:

Provided that the State Government may prescribe different forms of tax invoice for different class of dealers or for different goods or class of goods:

Provided further that where the State Government does not prescribe the format of tax invoice, the selling dealer shall, in the cases referred to as aforesaid, issue tax invoice in the manner prescribed and containing such particulars, including name and complete address and Taxpayer's Identification Number, if any, of the person purchasing the goods, as may be prescribed.

(2) The dealer selling the goods referred to in sub-section (1) shall prepare tax invoice referred to in sub-section (1) in three copies marked original, duplicate and office copy and shall deliver copies marked original and duplicate to the person purchasing the goods. Copy of tax invoice marked as duplicate shall accompany the goods during transportation of such goods.

(3) Every registered dealer, who is liable for payment of tax on sale of any -

(a) non-vat goods and who realises tax from the purchaser, shall, while making sale of such goods, issue to the purchaser, a sale invoice in the prescribed manner containing such particulars as may be prescribed, and shall charge separately on such sale invoice the amount of tax; or

(b) taxable goods except non-vat goods and makes sale of such goods to a dealer other than a registered dealer, shall, while making sale of such goods to such dealer, issue a sale invoice after mentioning name, complete address of purchasing dealer and such other particulars as may be prescribed.

(4) Subject to provisions of sub-section (1) and sub-section (3), every taxable dealer shall, in respect of sale of all goods, where–

(i) sale value of single sale exceeds the amount prescribed in this behalf; or

(ii) purchaser of goods demands a cash memo or bill; or

(iii) any other law prescribes for issue of a bill or cash memo in respect of sale of any goods; or

(iv) selling dealer as a practice issues a bill or cash memo in respect of sales made by him,

issue to the purchaser a cash memo or bill in the prescribed manner containing such particulars as may be prescribed.

(5) Every dealer referred to in sub-section (1) or clause (a) of sub-section (3) shall charge amount of tax separately on every tax invoice or sale invoice, as the case may be.

(6) Office copy of tax invoice, sale invoice, cash memo or bill, as the case may be, prepared by the selling dealer and copies of tax invoice, sale invoice, cash memo or bill, as the case may be, received by the purchasing dealer shall be preserved by them for the period prescribed under sub-section (3) of section 21.

(7) Every dealer, while making purchase of any goods from a registered dealer, shall give his name, address and taxpayers' identification number, if any, to the selling dealer.

(8) The dealer, making sale of goods to any purchaser referred to in sub-section (1), shall not issue tax invoice to such purchaser unless the purchaser has furnished his name, complete address and taxpayer's identification number.

(9) Where a dealer liable to pay tax makes purchase of any taxable goods from a person other than a registered dealer and if the person selling such goods does not issue cash memo or bill, the purchasing dealer shall issue to the person selling the goods a purchase invoice in respect of such purchase in the prescribed manner containing such particulars as may be prescribed and shall obtain signature or thumb impression of the person selling the goods.

(10) The purchasing dealer referred to in sub-section (9) shall prepare purchase invoice in two copies marked as original copy and office copy. The purchasing dealer shall deliver original copy of such purchase invoice to the person selling the goods and shall preserve office copy of such purchase invoice for the period prescribed under sub-section (3) of section 21.

Realisation of tax on sale or purchase of goods

**23.** (1) Except as provided in section 22, no person shall, in respect of a sale or purchase of any goods, realise any amount either in the name of tax or by giving it a different name or colour.

(2) Where –

(i) the amount of tax charged in tax invoice or sale invoice, as the case may be, exceeds the amount of tax payable; or

(ii) the amount of tax payable in respect of a sale exceeds the amount of tax charged in a tax invoice or a sale invoice, as the case may be; or

(iii) a tax invoice or sale invoice has been issued by the selling dealer to the purchasing dealer in respect of any goods but such goods or any part of such goods is returned or rejected by such purchasing dealer,

debit note and credit note, of the amount of tax involved in each case, shall be issued in accordance with provisions of sub-sections (14), (15) and (16) of section 21.

(3) Except as provided in section 34, no person shall deduct any amount as tax from the amount payable to the person selling the goods.

## CHAPTER – IV

## Assessments, Payment, Recovery and Collection of Tax

Submission of tax returns

**24.** (1) Every taxable dealer including a dealer from whom any amount of tax has been deducted at source under section 34, shall, for such tax period and within such time, as may be prescribed, submit tax return of his self assessed turnover and tax, in such form and verified in such manner as may be prescribed, but the assessing authority may in its discretion and for reasons to be recorded, extend the date for submission of the return by any dealer or class of dealers:

Provided that every taxable dealer, including a dealer who claims input tax credit, shall also submit along with tax return a list of-

(i) purchases of goods made from registered dealer in respect of which the dealer has received tax invoices;

(ii) sales of goods made to registered dealers in respect of which the dealer has issued tax invoices; and

(iii) sale made to dealers to whom sale invoices have been issued in the names of such dealers,

containing such particulars as may be prescribed:

(2) Before submitting the tax return under sub-section (1), the dealer shall, in the manner prescribed, deposit the net amount of tax payable shown in such tax return alongwith amount, if any, realized in excess of amount of tax due under this Act from purchasers of goods during the tax period.

(3) Every person or dealer to whom provisions of section 34 apply, shall, in respect of dealers from whom any amount of tax has been deducted, submit such statement within such time as may be prescribed.

(4) Where as a consequence of the date for the submission of return being extended under sub-section (1) on the application of the dealer, the deposit of tax under sub-section (2) is deferred, there shall be payable simple interest at the rate of one and quarter percent per men sum on such deposit for the period commencing on the last date prescribed for submission of the tax return and ending with the date of deposit of such amount.

(5) If any dealer discovers any omission or other error in any tax return submitted by him, he may, at any time before the expiry of the time prescribed for submitting the next tax return, submit a revised tax return. If the revised tax return shows a greater amount of tax to be due than was shown in the original return, the dealer shall also deposit separately the difference of tax due and the interest payable under sub-section (4) as if the time for submitting the original tax return had been extended on the application of the dealer to the date of submission of the revised tax return. If, the revised tax return shows lesser amount of tax to be due than was shown in the original tax return the dealer may adjust the excess amount towards the tax due for the subsequent tax periods.

(6) If goods sold by a dealer are returned to him by the purchaser within six months of the date of sale, and assessment of the selling dealer for the year to which such sale relates is as yet to be made, the selling dealer, and where goods purchased by a dealer are returned to the seller within six months of the date of purchase, and assessment of the purchasing dealer for the year to which such purchase relates is as yet to be made, the purchasing dealer, may, within thirty days of the expiry of the month in which such goods are returned, submit for that purpose only a revised return for the tax period during which such sale or purchase, as the case may be, was made.

(7) Every taxable dealer, including a dealer who has carried on business during part of an assessment year, shall, for such assessment year or for part of such assessment year, as the case may be, submit annual tax return of turnover and tax within such time and in such form and manner, as may be prescribed :

Provided that on the application of the dealer, in an appropriate case, the assessing authority may extend the period for submitting annual tax return but such extended period shall not exceed ninety days beyond the time prescribed for submitting such tax return.

(8) Every person to whom provisions of section 34 apply, shall, for each assessment year, in respect of a dealer from whom amount of tax has been deducted, submit such details, in such form and manner and within such time as may be prescribed.

(9) Every person transporting any goods by any public service motor vehicle or by any vessel and every forwarding agent shall submit to the assessing authority of the area from which the goods are dispatched such returns, as may be prescribed of all goods transported or forwarded by him. The assessing authority concerned shall have the power to call for and examine the books of account or other documents in the possession of such transporter or agent with a view to verifying the correctness of the returns submitted and the transporter and agent shall be bound to furnish the books of account or other documents when so called for.

Assessment of tax for a tax period

**25.** (1) Where in respect of any tax period of an assessment year-

(i) any dealer has not submitted tax return within the time prescribed or within the time extended by the assessing authority, or if tax return has been submitted without payment of tax shown payable in such return; or

(ii) preliminary examination of tax return, by the assessing authority, reveals that computations shown in the tax return are wrong or amount of input tax credit claimed or tax payable shown is incorrect; or

(iii) on the basis of material available on records with the assessing authority, it appears to the assessing authority that the turnover of sales or purchases or both, disclosed by the dealer is not worthy of credence;

the assessing authority may, after making such inquiry as it may deem fit and after giving a reasonable opportunity of being heard to the dealer, determine -

(i) to the best of its judgment the turnover, amount of tax payable and amount of input tax credit admissible, where the dealer has not submitted tax return or if the tax return has been submitted, the assessing authority is of the opinion that turnover disclosed by the dealer in such return is not worthy of credence; or

(ii) the amount of tax payable and amount of input tax credit admissible, in any other case,

by passing a provisional order of assessment for such tax period.

(2) No provisional order of assessment, under sub-section (1), for any tax period of an assessment year, shall be made after the dealer has submitted annual return of turnover and tax, and where such annual return has not been submitted by the dealer, after expiration of the time prescribed or extended by the assessing authority, for submission of annual return.

(3) Amount of tax, assessed under sub-section (1) in excess of the amount of tax deposited by the dealer, shall be paid by the dealer in the prescribed manner and within a period of thirty days from the date of service of the order of assessment and prescribed notice of demand on him.

Assessment of tax for an assessment year

**26.** Subject to provisions of this Act, in respect of every taxable dealer, for each assessment year, there shall be an assessment of tax payable by him and amount of input tax credit admissible to him:

Provided that where the dealer has carried on business during a part of the assessment year, such assessment shall be for such part of the assessment year:

Provided further that in case of person who –

(i) has obtained authorization for transit of goods through the State and there is presumption that such goods have been sold within the State; and

(ii) being a dealer other than a registered dealer brings any taxable goods from outside the State,

the assessing authority may make separate assessments for each such authorisation for transit of goods or receipt of goods by the dealer, as the case may be.

Self assessment

**27.** (1) Subject to provisions of section 28, every dealer, who has submitted annual return of turnover and tax, in the prescribed form and manner, shall be deemed to have been **assessed** to an amount of tax admittedly payable on the turnover of purchase or sale or both, as the case may be, disclosed in such return, and to an amount of input tax credit shown admissible in the return.

ment of
tax

(2) For all purposes under this Act and rules made thereunder –

(a) annual return of turnover and tax, referred to in sub-section (7) of section 24, submitted by a dealer, shall be deemed to be an assessment order and facts disclosed or figures mentioned in such return shall be deemed part of such assessment order; and

(b) last date of the assessment year succeeding the assessment year in which the date prescribed for submission of such annual return falls, shall be deemed to be the date of such assessment order.

Assessment of tax after examination of Records

**28.** (1) In following types of cases or dealers, the assessing authority, after detailed examination of books, accounts and documents kept by the dealer in relation to his business and other relevant records, if any, and after making such inquiry as it may deem fit, subject to provision of sub-section (9), shall pass an assessment order for an assessment year in the manner provided in this section: -

(a) in cases of such dealers as are specified or selected for tax audit by the Commissioner or any other officer, not below the rank of a Joint Commissioner, authorized by the Commissioner in this behalf; in such manner and within such time as may be prescribed.

(b) in case of a dealer falling in any of the categories below,

(i) dealer who has not submitted annual return of turnover and tax within the time prescribed or extended; or

(ii) dealer by whom tax return for one or more tax periods of the assessment year have not been submitted; or

(iii) dealer in whose case assessing authority has passed provisional assessment order under section 25 in respect of one or more tax periods to the best of its judgment; or

(iv) dealer in whose case, on the basis of material available on records, if the assessing authority is satisfied that the turnover of sales or purchases or both, as the case may be, and amount of tax shown payable as disclosed by the dealer in annual return of turnover and tax are not worthy of credence or tax shown payable in the return has not been deposited by the dealer, or the amount of input tax credit claimed is wrong or the amount of tax payable shown is incorrect; or

(v) dealer who has prevented or obstructed an officer empowered to make audit, survey, inspection, search or seizure under the provisions of this Act; or

(vi) person against whom there is presumption that goods, for which authorization for transit of goods through the State was obtained, have been sold within the State.

(2) Where after examination of books, accounts, documents and other records referred to in sub-section (1), -

(i) the assessing authority is satisfied about correctness of turnover of sale or purchase or both, as the case may be, disclosed by the dealer, it may assess the amount of tax payable by the dealer on such turnover and determine the amount of input tax credit admissible to the dealer or amount of reverse input tax credit payable by the dealer; and

(ii) where assessing authority is of the opinion that turnover of sale or purchase or both, as the case may be, disclosed by the dealer is not worthy of credence, it may determine to the best of its judgment the turnover of sale or purchase or both, as the case may be, and assess the tax payable on such turnover and determine admissible amount of input tax credit and reverse input tax credit payable by the dealer.

(3) Before making an assessment under sub-section (2), dealer shall -

(i) be required to furnish annual return of turnover and tax referred to in sub-section (7) of section 24, if he has not already submitted such return;

(ii) be given reasonable opportunity of being heard; and

(iii) be served with a notice to show cause, where determination of turnover, input tax credit or reverse input tax credit, or assessment of tax, all or any one of them, as the case may be, are to be made to the best of the judgment of the assessing authority.

(4) The show cause notice referred to in sub-section (3) shall contain all such reasons on which the assessing authority has formed its opinion about incorrectness of the turnover of sale or purchase or both, as the case may be, amount of tax, amount of input tax credit or amount of reverse input tax credit;

(5) Order of assessment shall be in writing and copy of assessment order alongwith prescribed notice of demand of the balance amount of tax, if any, to be deposited by the dealer, shall be served on the dealer.

(6) Dealer shall deposit amount of tax assessed in excess of amount of tax deposited by him for the assessment year, within a period of thirty days after the date of service of the assessment order and notice of demand.

(7) Where the amount of tax deposited by the dealer is found in excess of tax assessed, the same shall be refunded to the dealer according to the provisions of this Act.

(8) Assessing authority shall not be precluded from making assessment order under this section on the ground of passing of any provisional assessment order in respect of any tax period under section 25 and such provisional assessment order, if any, shall stand merged in the assessment order passed under this section.

(9) Notwithstanding anything to the contrary in any other provision of this Act, in following categories of cases, such number of assessments as mentioned against them, may be made for the same assessment year:

(i) cases relating to issue of authorization for transit of goods through the State, separate assessment relating to each such authorization;

(ii) where an unregistered dealer brings any taxable goods from outside the State more than once during an assessment year, separate assessment relating to goods brought on each occasion.

(10) The provisions of this Act shall apply to each assessment order passed under sub-section (9) as they apply to an order passed under sub-section (2).

(11) Dealers under sub-section (9) shall not be required to furnish annual return of turnover and tax and in cases of such dealers assessment under sub-section (9) may be made even before the expiry of the assessment year.

(12) Provisions of sub-sections (5), (6) and (7) shall, mutatis mutandis, apply to every assessment order passed under any provisions of this Act.

Assessment of tax of turnover escaped from assessment

**29.** (1) If the assessing authority has reason to believe that the whole or any part of the turnover of a dealer, for any assessment year or part thereof, has escaped assessment to tax or has been under assessed or has been assessed to tax at a rate lower than that at which it is assessable under this Act, or any deductions or exemptions have been wrongly allowed in respect thereof, the assessing authority may, after issuing notice to the dealer and making such inquiry as it may consider necessary, assess or re-assess the dealer to tax according to law :

Provided that the tax shall be charged at the rate at which it would have been charged had the turnover not escaped assessment or full assessment as the case may be.

*Explanation I:* - Nothing in this sub-section shall be deemed to prevent the assessing authority from making an assessment to the best of its judgment.

*Explanation II:* - For the purpose of this section and of section 31, "assessing authority" means the officer or authority who passed the earlier assessment order, if any, and includes the officer or authority having jurisdiction for the time being to assess the dealer.

*Explanation III:* - Notwithstanding the issuance of notice under this sub-section, where an order of assessment or re-assessment is in existence from before the issuance of such notice it shall continue to be effective as such, until varied by an order of assessment or re-assessment made under this section in pursuance of such notice.

(2) Assessment order for any tax period of an assessment year may be made within the time prescribed under section 25.

(3) Except as otherwise provided in this section or elsewhere in this Act, no order of assessment or re-assessment under any provision of this Act for any assessment year shall be made after the expiration of three years from the end of such assessment year.

(4) Where the notice under sub-section (1) for any assessment year has been served within a period of three years after expiry of the assessment year to which assessment or re-assessment relates, the assessment or re-assessment may be made within a period of three years and six months after the expiry of such assessment year.

(5) Where appellate authority, revising authority, Tribunal, High Court, Commissioner or the State Government has -

(a) set aside an order of assessment or re-assessment and has remanded the case to the assessing authority; or

(b) for want of reasonable opportunity of being heard, set-aside or has directed the assessing authority to set aside an ex parte order of assessment or re-assessment; or

(c) quashed any order of assessment or re-assessment for want of jurisdiction or for want of notice,

the assessing authority may make order of assessment or re-assessment before expiry of the assessment year succeeding the assessment year in which such order or direction is received by the assessing authority by due process:

Provided that where any assessment or re-assessment order is quashed by any authority or Court, for want of notice or for want of jurisdiction, the order of assessment or re-assessment may be made, within the time mentioned above in this sub-section, by the competent assessing authority after serving notice on the dealer.

(6) Where an order of assessment or re-assessment has been set aside by the assessing authority himself under section 32, a fresh order of assessment or re-assessment may be made before expiry of the assessment year in which such order of assessment or re-assessment has been set aside:

Provided that if an order of assessment or re-assessment made ex parte is set aside on or after first day of October in any assessment year, fresh order of assessment or re-assessment may be made on or before thirtieth day of September of the assessment year succeeding the assessment year in which such ex parte order of assessment or re-assessment was set aside.

Provided further that where second or subsequent time any order of assessment or reassessment is made ex parte and where such second or subsequent ex parte order of assessment or reassessment is to be set aside and a fresh order of assessment or reassessment may be made within the time aforementioned when the first ex parte order is set aside.

(7) Where the Commissioner, on his own or on the basis of reasons recorded by the assessing authority, is satisfied that it is just and expedient so to do, authorises the assessing authority in that behalf, such assessment or re-assessment may be made within a period of eight years after expiry of assessment year to which such assessment or re-assessment relates notwithstanding such assessment or re-assessment may involve a change of opinion:

Provided that it shall not be necessary for the Commissioner to hear the dealer before authorising the assessing authority.

(8) Where the proceedings for assessment or re-assessment for any assessment year remain stayed under the order of any court or authority, the period commencing on the date of stay order and ending with the date of receipt by the assessing authority concerned of the order vacating stay, shall be excluded in computing the period of limitation provided in this section:

Provided that if in computing the limitation as aforesaid, the last date for passing an assessment or re-assessment falls on any date before first day of October in any assessment year, assessment or re-assessment may be made before the expiry of such assessment year and in a case in which such date falls after thirtieth day of September of any assessment year, order of assessment or re-assessment may be made before the expiry of the assessment year subsequent to assessment year in which such date falls.

(9) Where in the assessment or re-assessment of a dealer for any assessment year, any assessing authority, -

(a) has included any turnover and any superior authority or Court has, in exercise of the powers lawfully vested in it, held such turnover to relate to the assessment of-

(i) such dealer for any other assessment year, or

(ii) such dealer under the Central Sales Tax Act, 1956, or

(iii) any other dealer, whether under this Ordinance, or under the Central Sales Tax Act, 1956,

(b) has not included any turnover on the ground that it relates to assessment under the Central Sales Tax Act, 1956 and any superior Authority or Court has, in exercise of the powers lawfully vested in it, held such turnover to relate to the assessment of that dealer under this Act, whether for such assessment year or any other assessment year,

then nothing contained in this section limiting the time shall apply to assessment or re-assessment whether under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 of such dealer or such other dealer, relating to such assessment year or such other assessment year, as the case may be.

(10) Where the assessing authority has reason to believe that any person with a view to evade payment of tax or in order to claim any input tax credit or rebate which he otherwise is not eligible for or was carrying on business in the name of, or in association with any other person either directly or indirectly, whether as an agent, employee, manager, partner or power of attorney holder or guarantor, relative or sister concern or in any other capacity, such person and the person in whose name the registration certificate is taken, shall be liable severally and jointly for payment of tax, interest or penalty which shall be assessed, levied and recovered from all or any such person as if such person or persons are dealers under this Act. However, before taking any action, the person concerned shall be given an opportunity of being heard.

(11) Where the State Government is of the opinion that due to any extra-ordinary circumstances prevalent in any assessment year in the State or any part of it, it will be difficult to complete assessment or re-assessment in any case or class of cases in respect of which limitation for passing assessment or re-assessment expires in such assessment year, for the purpose of making assessment or re-assessment in such a case or class of cases, it may, by notification in the Gazette, extend the time limit up to one year beyond the time limit prescribed under this section.

(12) Where in an agreement between seller and purchaser it is agreed upon that sale price of goods due to price escalation shall be settled on a later date and in the circumstances such date falls in any assessment year subsequent to the assessment year in which such goods were sold, amount receivable due to price settlement, for all purposes under this Act, shall be deemed part of the turnover of the assessment year in which sale was made and where limitation for assessment of tax on such turnover, as prescribed in section 28, has expired, such part of turnover may be assessed before the expiry of the assessment year succeeding the assessment year in which such settlement is made, but the tax on such turnover of sale shall be charged at the rate prevalent at the time of sale.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Rounding off of turnover and tax

**30.** (1) The amount of turnover, determined in the prescribed manner shall if such amount is not in the multiple of ten, be rounded off to the nearest multiple of ten rupees, that is to say, a part of ten rupees which is less than five rupees shall be ignored and any other part shall be counted as ten rupees. The amount so rounded off shall be deemed to be the turnover of the assessee for the purpose of assessment of tax under this Act.

(2) The amount of tax, fee, interest, penalty or any other sum payable or the amount of refund due under the provisions of this Act shall, where such amount contains part of a rupee, be rounded off to the nearest rupees, that is to say, a part of a rupee which is less than fifty paise shall be ignored and any other part shall be counted as one rupee.

Rectification of mistakes

**31.** (1) Any officer, authority, the Tribunal or the High Court may on its own motion or on the application of the dealer or any other interested person rectify any mistake apparent on the face of record, in any order passed by him under this Act, within three years from the date of the order sought to be rectified:

Provided that where an application under this sub-section has been made within such period of three years, it may be disposed of even beyond such period:

Provided further that no rectification which has the effect of enhancing the assessment, penalty, fees or other dues, shall be made unless reasonable opportunity of being heard has been given to the dealer or other person likely to be affected by such enhancement.

(2) Where such rectification has the effect of enhancing the assessment, the assessing authority shall serve on the dealer a revised notice of demand in the prescribed form and therefrom all the provisions of this Act shall apply as if such notice had been served in the first instance.

Power to set aside exparte order of assessment or penalty

**32.** (1) In any case in which an order of assessment or re-assessment or rejection of application for registration or order of penalty is passed exparte, the dealer may apply to the assessing authority within thirty days of the service of the order to set aside such order and re-open the case; and if such authority is satisfied that the applicant did not receive notice or was prevented by sufficient cause from appearing on the date fixed, it may set aside the order and reopen the case for hearing:

Provided that no such application for setting aside an exparte assessment order shall be entertained unless it is accompanied by satisfactory proof of the payment of the amount of tax to be due under this Act on the turnover of sales or purchases, or both, as the case may be, admitted by the dealer in the returns filed by him or at any stage in any proceeding under this Act, whichever is greater.

(2) Where an assessment order under sub-section (1) of section 25 is passed, exparte, the dealer may apply to the Assessing Authority within thirty days of the service of the order, to set aside such order and if such authority is satisfied that the dealer has filed the tax return and deposited the tax due according to the tax return within thirty days from the last day prescribed for filing such tax return, it may modify or set aside such order and also the demand notice, if any, issued thereunder.

(3) In any case in which any assessment or re-assessment has been made ex parte and –

(a) appeal under section 55 against such order has been dismissed as barred by time;

(b) in appeal before the Tribunal under section 57, order, passed by the Appellate Authority under section 55, has been confirmed; and

(c) Commissioner or Additional Commissioner designated by the Commissioner, after giving reasonable opportunity of being heard to the dealer, is satisfied that-

(i) dealer, at any stage during the period of assessment or reassessment proceedings, had no notice of initiation of such proceedings;

(ii) as a result of ex parte assessment or reassessment, without proper basis amount of tax has been levied;

(iii) undue hardship will be caused to the dealer if such assessed tax is realized from him; and

(iv) if, after giving reasonable opportunity of being heard to the dealer, tax is reassessed, demand created by earlier order of assessment or reassessment may stand reduced to a large extent,

he may direct the assessing authority to set aside such ex parte order of assessment or reassessment and to make assessment or reassessment after affording reasonable opportunity to the dealer, if the dealer presents an application before the Commissioner within a period of sixty days from the date on which dealer receives the order passed by the Tribunal under section 57.

Payment and recovery of tax

**33.** (1) Any amount of tax or fee or penalty or any other amount, which a dealer or other person is liable to pay under this Act, shall be deposited by the dealer or such other person in the prescribed manner.

(2) Subject to provisions of section 42, the tax admittedly payable, shall be deposited within the time prescribed, failing which simple interest at the rate of one and quarter percent per mensum shall become due and be-payable on unpaid amount with effect from the day immediately following the last date prescribed till the date of payment of such amount and nothing contained in section 24 shall prevent or have the effect of postponing liability to pay such interest:

**Explanation:** For the purposes of this sub-section, the tax admittedly payable for a tax period or an assessment year, as the case may be, shall be computed in accordance with provisions of section 15.

(3) Subject to other provisions of this Act, the amount of tax assessed under this Act in excess of amount of tax already deposited, the amount of interest payable thereon, any amount imposed by way of penalty and any other amount determined payable under this Act shall be deposited in the manner specified, within thirty days of the service of the order-

(a) of assessment and notice of demand in case of tax assessed and interest payable;

(b) imposing penalty or determining any other amount payable, as the case may be.

(4) If the tax (other than the tax admittedly payable to which sub-section (2) applies) assessed, re-assessed or enhanced by any authority or court remains unpaid after expiration of the period specified in the notice of assessment and demand, simple interest at the rate of one percent per mensum on the unpaid amount calculated from the date of such expiration shall become due and be payable.

(5) The amount of interest payable under this section shall be without prejudice to any other liability or penalty that the dealer may incur under this Act or under any other law for the time being in force, and shall be added to the amount of tax and be also deemed for all purposes to be part of the tax.

(6) Where realisation of any tax remained stayed by any order of any court or authority and such order of stay is subsequently vacated, the interest shall be payable also for any period during which such order remained in operation.

(7) Notwithstanding anything contained in any other law or contract to the contrary, the assessing authority may, at any time or from time to time, by notice in writing a copy of which shall be forwarded to the dealer at his last address known to the assessing authority, require -

(a) any person from whom any amount is due or may become due to the dealer; or

(b) any person who holds or may subsequently hold money for or on account of the dealer;

to pay to the assessing authority -

(i) forthwith upon the money becoming due or being held; or

(ii) at or within the time specified in the notice not being before the money becomes due or is held,

so much of the money as is sufficient to pay the amount due by the dealer in respect of arrears of tax and other dues under this Act, or the whole of the money when it is equal to or less than that amount:

Provided that the assessing authority may at any time or from time to time revoke or amend such notice.

**Explanation** - For the purposes of this sub-section, the amount due to a dealer or money held for or on account of a dealer by any person shall be computed after taking into account such claim, if any, as may have fallen due for payment by such dealer to such person and as may be legally subsisting.

(8) Any person making any payment in compliance with notice under sub-section (7) shall be deemed to have made the payment under the authority of the dealer and the receipt of the assessing authority shall constitute a good and sufficient discharge of the liability of such person to the dealer to the extent the amount referred to in the receipt.

(9) Any person discharging any liability to the dealer after receipt of the notice referred to in sub-section (7) shall be personally liable to the assessing authority to the extent of the liability discharged or to the extent of the amount mentioned in such notice, whichever is less.

(10) Where a person, to whom a notice under sub-section (7) is sent, proves to the satisfaction of the assessing authority that sum demanded or any part thereof is not due to the dealer, or that he does not hold any money for or on account of the dealer, then nothing contained in this section shall be deemed to require such person to pay the sum demanded or any part thereof, as the case may be, to the assessing authority.

(11) Any tax or other dues payable to the State Government under this Act, any amount of money which a person is required to pay to the assessing authority under sub-section (7) or for which he is personally liable to the assessing authority under sub-section (9) shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and subject to any special or general order of the State Government, be recoverable as arrears of Land Revenue, or in the prescribed manner by the assessing authority or any other officer authorised by the State Government in that behalf and such authority or officer shall, for the purposes of such recovery -

(a) have all the powers which a Civil Court has under the Code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of recovery of an amount due under a decree;

(b) have the power to require the assessing authority or such authorised officer, having jurisdiction in any other area to make such recovery if the defaulter is or has property within the area of such other assessing authority or officer, and thereupon such other assessing authority or officer shall proceed to make recovery in prescribed manner;

(12) In respect of any sum recoverable under this Act as arrears of land revenue, the assessing authority may forward to the Collector a certificate under his signature specifying the sum due. Such certificate shall be conclusive evidence of the existence of the liability of its amount and of the person who is liable and the Collector on receipt of the certificate shall proceed to recover from such person the amount specified therein as if it were an arrear of land revenue:

Provided that without prejudice to the powers conferred by this section the Collector shall, for the purpose of recovering the amount specified in the certificate, have also all the powers which -

(a) a Collector has under the Revenue Recovery Act 1890; and

(b) a Civil Court has under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of recovery of an amount due under a decree.

**Explanation:** - The expression Collector includes an Additional Collector or any other officer authorised to exercise the powers of a Collector under the law relating to land revenue for the time being in force in the State.

(13) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) and sub-section (3) and notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, Tribunal or other authority, where any notice of assessment and demand in respect of any tax or other dues under this Act, is served upon a dealer by an assessing authority and an appeal, revision or other proceeding is filed in respect of such tax or dues then-

(a) where as a result of such appeal, revision or other proceeding the amount of such tax or other dues is enhanced, the assessing authority shall serve upon the dealer a fresh notice only in respect of the amount by which such tax or other dues are enhanced, and any proceeding in relation to the amount specified in the notice already served upon him before the disposal of such appeal, revision or other proceeding may be continued from the stage at which it stood immediately before such disposal;

(b) where as result of such appeal, revision or other proceeding the amount of such tax or other dues is reduced -

(i) it shall not be necessary to serve upon the dealer a fresh notice but only the reduced amount shall be realized;

(ii) if any recovery proceedings are pending before any officer or authority other than the Assessing authority, the Assessing Authority shall intimate such reduction to such officer or authority;

(iii) any proceeding initiated on the basis of the notice or notices served upon the dealer before the disposal of such appeal, revision or other proceedings, including any recovery proceeding, may be continued in relation to the amount so reduced from the stage at which it stood immediately before such disposal.

(c) No fresh notice shall be necessary in any case where amount of the tax or other dues is not enhanced (with reference to the amount assessed by the Assessing authority) as a result of such appeal, revision or other proceedings.

(14) Any amount paid or deposited by, or recovered from, or refundable to a dealer, shall first be adjusted towards the principal amount of tax, fee, penalty or other dues outstanding against him and the excess if any, shall then be adjusted towards the interest, if any, due from him.

(15) Where any amount of tax assessed, interest payable or penalty imposed is recoverable from an owner of a vehicle and for realization of such amount of tax, interest or penalty, recovery certificate has been issued by the assessing authority, the officer competent to execute the recovery certificate may take assistance of police and other officer or official of the State Government in locating such vehicle or other vehicles of the same owner. If so required by the officer executing the recovery certificate, such other officer or official shall be empowered to detain such vehicle. Whenever any officer or official detains any such vehicle, he shall give the cause of detention in writing to the person in charge of the vehicle at the time of detention and shall immediately inform the officer executing the recovery certificate. Officer executing the recovery certificate shall proceed in accordance with law to realise such amount of tax or penalty:

Provided that if the owner or person in charge of the vehicle proves to the satisfaction of such officer or official that amount shown recoverable has already been paid, the vehicle shall be set free:

Provided further that if at the time of detention of vehicle, if some goods are loaded on it and owner of such goods is a person other than the owner of the vehicle, the owner or the person in charge of the goods shall be allowed to remove such goods from such vehicle if he desires so.

(16) During the period of detention of vehicle under sub-section (15), the person-in-charge of the vehicle at the time of detention shall take all necessary measures for safety of goods and vehicle and officer or official detaining the vehicle shall not be responsible for any loss or damage to goods or vehicle.

Tax deduction at source

**34.** (1) Without prejudice to any other mode of recovery, payment or collection of tax under this Act, the State Government may, by notification in the Gazette, direct that, in a specified case and in the specified circumstances but subject to such conditions as may be specified, every specified person responsible for making payment to the selling dealer, for discharge of liability on account of valuable consideration payable on sale of goods in such cases as may be specified, shall, at the time of making such payment to the seller, either by credit or in cash or in any other manner, towards satisfaction of tax payable by the dealer on account of sale of any taxable goods, deduct an amount determined in the manner specified:

Provided that where in case of a works contract, the contractor has awarded a sub-contract and the notification provides for deduction of amount by the contractee from the payments made to contractor, the contractor responsible for making any payment or discharge of any liability to any sub-contractor, in pursuance of a contract with the sub-contractor, shall, while making payment to the sub-contractor, deduct amount of tax referred to above :

Provided further that where in case of a works contract, the contractor has already made deduction from the payments made to his sub-contractor, the amount of such payments shall be deducted from the amount on which deduction is to be made by the contractee to the contractor.

(2) Upon issue of a notification under sub-section (1), where-

(a) a dealer, who makes sale of any taxable goods and in whose case notification referred to in sub-section (1) applies, for any reason claims that he either is not liable to pay tax on such sale or is liable to pay as tax an amount lesser than amount of deduction computed in the manner provided; or

(b) the person responsible for making payments to the dealer selling the goods is unable to ascertain the turnover of any goods sold,

the person responsible for making payment shall require the selling dealer to produce direction issued in this behalf by the assessing authority of the selling dealer and shall act according to such direction of the assessing authority.

(3) Where purchasing dealer himself is liable to pay tax on turnover of purchase of any goods by virtue of any provision of this Act, he shall not deduct any amount in respect of turnover of such goods.

(4) In the circumstances under sub-section (2), the dealer selling goods may, for issue of direction to the purchaser to deduct an amount lesser than the proposed amount of tax or not to deduct any amount as tax, apply to the assessing authority having jurisdiction over the principal place of his business or if he has no fixed place of business, to the assessing authority in whose jurisdiction he ordinarily resides.

(5) The assessing authority referred to in sub-section (4), after examining the liability of payment of tax of the dealer in respect of sale of goods made and after giving reasonable opportunity of being heard to the dealer, shall by an order in writing direct the purchaser of the goods accordingly.

(6) The amount deducted under sub-section (1) shall be deposited into the Government Treasury by the person making such deduction before the expiry of the 20th day of the month following that in which deduction is made:

Provided that where the purchaser of goods referred to in sub-section (1) is a registered dealer, he shall deposit the amount of deduction in the manner and within the time in which amount of tax for the tax period in which purchase has been made, is payable and such dealer shall be entitled to claim input tax credit in accordance with provisions of section 13 in respect of such purchase

(7) The person making deductions under sub-section (1) shall, at the time of payment or discharge, furnish to the selling dealer a certificate of amount deducted in such form and manner and within such period as may be prescribed and shall submit such statement of all such purchases, payments and deductions made and certificates issued by him, in such manner and within such time, as may be prescribed.

(8) If any person referred to in sub-section (1) fails to make the deduction or after making deduction fails to deposit the amount so deducted as required by sub-section (6), the assessing authority may, after giving to such person an opportunity of being heard, by order in writing, direct that such person shall pay, by way of penalty, a sum not exceeding twice the amount deductible under this section but not so deducted and, if deducted, not so deposited into the Government Treasury.

(9) Without prejudice to the provisions of sub-section (8), if any such person, after deducting, fails to deposit the amount so deducted, he shall be liable to pay simple interest at the rate of fifteen percent per annum on the amount not so deposited from the date on which such amount was deducted to the date on which such amount is actually deposited.

(10) Where the amount has not been deposited after deduction, such amount together with interest referred to in sub-section (9) shall be recovered as arrears of land revenue from the person who has deducted and such amount shall be a charge upon all the assets of the person concerned.

(11) Nothing contained in this section shall prevent the assessing authority from making an assessment of tax payable by the dealer in accordance with other provisions of this Act and the dealer shall be liable to pay tax in accordance with other provisions of this Act :

Provided that any deduction made in accordance with the provisions of this section shall be treated as a payment of tax on behalf of the selling dealer, and credit shall be given to him for the amount so deducted on the production of the certificate, referred to in sub-section (9) in the tax return of the relevant period or the assessment made, as the case may be, and any amount found in excess of tax due shall be refunded to the selling dealer.

(12) No deduction of any amount shall be made under this section if the person selling the goods is not a dealer, but the onus to prove that goods have been purchased from a person other than a dealer shall lie on the person responsible for making payment, failing which it shall be deemed that goods have been purchased from a dealer.

(13) Where the person responsible for making deduction in respect of a sale under a works contract is unable to ascertain the amount of deduction and the contractor or the sub-contractor, as the case may be, does not produce direction referred to in sub-section (2) from its assessing authority, the person responsible for making deduction shall deduct an amount which shall be four percent of the gross amount of payment.

**Explanation:** - For the purposes of this section, assessing authority in relation to person responsible for making payments to the selling dealer means the officer having jurisdiction over the place where the principal place of business of such person inside the State is located and where such person has no such place, the place where the residence of such person inside the State is located.

Allotment of tax deduction number to a person responsible for making tax deduction at source -

**35**. (1) Every person responsible for making tax deduction at source in accordance with provisions of section 34, if he is not a registered dealer, shall apply to the assessing authority for allotment of tax deduction number and the application shall be disposed of in such time and manner as may be prescribed.

(2) Tax deduction number shall be referred to in all the documents pertaining to deposit of tax and returns filed.

(3) No person other than a registered dealer can make tax deduction under sub-section (1) of section 34 unless he has applied for such tax deduction number.

(4) If any person referred to in sub-section (1) fails to apply for tax deduction number, the assessing authority may, after giving reasonable opportunity of being heard, by order in writing, direct that such person shall pay, by way of penalty, a sum not exceeding twice the amount deductible under section 34.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Recovery or refund of petty amounts to be ignored

**36.** Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, no tax, fee, interest or penalty under this Act shall be recovered and no refund shall be allowed if the amount involved for any assessment year is less than one hundred rupees.

Recovery of tax in case of a company

**37.** (1) Every person who -

(a) is the liquidator of a company which is being wound up, whether under orders of a Court or otherwise; or

(b) has been appointed the receiver of any assets of a company (hereinafter referred to as the liquidator),

shall within thirty days after he has become such liquidator, inform the assessing authority of his appointment as such.

(2) The assessing authority shall after making such inquiry or calling for such information as it may deem fit, notify the liquidator within three months from the date on which he receives information of the appointment of the liquidator the amount which in the opinion of the assessing authority would be sufficient to provide for any tax which is then or likely thereafter to become, payable by the company.

(3) The liquidator shall not part with any of the assets of the company or the properties in his hands until he has been notified by the assessing authority under sub-section (2) and on being so notified, shall set aside an amount equal to the amount notified and, until he so sets aside such amount, shall not part with any of the assets :

Provided that nothing contained in this sub-section shall debar the liquidator from parting with such assets or properties in compliance with any order of a Court or for the purpose of the payment of tax payable by the company under this Act or for making any payment over debts due to Government on the date of liquidation or for meeting such costs or expenses of the winding up of the company as are in the opinion of the assessing authority reasonable.

(4) If the liquidator fails to give the information in accordance with sub-section (1) or fails to set aside the amount as required by, or parts with any of the assets of the company or the properties in his hands in contravention of the provisions of sub-section (3), he shall be personally liable for the payment of the tax which the company would be liable to pay:

l of tax
n number to a
esponsible for
ax deduction

Provided that if under sub-section (2), the amount of any tax payable by the company is notified personal liability of the liquidator under this sub- section shall be to the extent of such amount.

(5) Where there are more than one liquidator, the liquidations and liabilities attached to the liquidator under this section shall attach to all the liquidators jointly and severally.

(6) The provision of this section shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.

**Explanation-** Company has the meanings assigned to it by clause (i) of sub-section (1) of section 3 of the Companies Act, 1956 (Act No. 1 of 1956).

Liability of director of limited company in liquidation

**38.** Notwithstanding anything contained in the Companies Act, 1956, when any limited company is wound up and any tax assessed on the company under this Act for any period, whether before or in the course of or after its liquidation, can not be recovered, then every person who was a director of the limited company at any time during the period for which the tax is due shall be jointly and severally liable for the payment of such tax unless he proves that the non-recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty on his part in relation to the affairs of the company.

Power to grant installment

**39.** (1) Subject to such conditions and restrictions, including the conditions regarding furnishing security to the satisfaction of the assessing authority, as may be deemed fit to be imposed-

(a) the State Government may permit any dealer or other person, against whom any amount of tax, penalty or other dues is outstanding, either under this Act or under the erstwhile Act, to pay the amount in such number of monthly installments not exceeding twenty four; and

(b) the Commissioner may likewise permit any dealer or other person, against whom any amount of tax, penalty or other dues, payable either under this Act or under the erstwhile Act, aggregating not more than five lakh rupees is outstanding, to pay the amount in such number of monthly installments, not exceeding twelve.

(2) Where such dealer or other person fails to furnish, within sixty days of the order referred to in sub-section (1), adequate security to the satisfaction of the assessing authority concerned for payment of the outstanding amount, or fails to comply with the conditions or restrictions imposed in such order, the amount due shall be recoverable at once.

## CHAPTER –V

## Refund and Adjustment

Refund and adjustment

**40.** (1) Subject to other provisions of this Act, the assessing authority shall in the manner prescribed, refund to the dealer an amount of tax, fee, or other dues paid in excess of the amount due from him under this Act :

Provided that amount found to be refundable shall first be adjusted towards tax or any other amount outstanding against the dealer under this Act or under The Central Sales Tax Act, 1956 under the erstwhile Act and only the balance if any shall be refunded.

Provided further that refund, of excess amount of input tax credit, shall, without prejudice to other conditions, be subject to conditions and restrictions of section 15.

(2) Where amount found refundable in accordance with the provisions under sub-section (1), is not refunded within thirty days from the date of order of refund passed by the assessing authority or where order giving rise to refund is passed by any other authority or court, from the date of receipt of such order by the assessing authority by due process, the dealer shall be entitled to simple interest on such amount at the rate of twelve percent per annum from the date of such order passed by the assessing authority or from the date of receipt of the order giving rise to refund passed by any other authority or Court, till the date refund is made;

Provided that where refund relating to excess amount of input tax credit due on the basis of returns filed by the dealer, is not allowed within the time prescribed under section 15, the dealer shall be entitled to simple interest on such amount at the rate of twelve percent per annum from the date on which refund becomes due and till the date refund is made.

COURT BOOK

(3) Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court or authority, no refund shall be allowed of any tax or fee due under this Act on the turnover of sales or purchases or both, as the case may be, admitted by the dealer in the returns filed by him or at any stage in any proceedings under this Ordinance, whichever is higher.

(4) Where a dealer has requested the assessing authority for withholding any amount refundable to him for adjustment towards his future liabilities either under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956, the dealer shall not be entitled for interest.

(5) Where any amount of tax has been deducted from any dealer under section 34 as tax payable by him for any assessment year, for the purpose of sub-section (3), amount deducted shall be deemed to be tax due under this Ordinance and shall not be refunded to the dealer where the dealer -

(a) has neither submitted returns of turnover and tax for all tax periods nor has submitted annual return for the assessment year in which sales are made; and

(b) has been assessed exparte for the assessment year in which sales are made.

(6) Where in respect of sale of any goods, any amount of tax has been realized by a registered dealer from -

(a) any official or personnel of-

(i) any foreign diplomatic mission or consulate in India; or

(ii) the United Nations or any other similar International body, entitled to privileges under any convention to which India is a party or any other law for the time being in force; or

(b) any consular or diplomatic agent of any mission, the United Nations or any other body referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a),

and where such official, personnel, consulate or agent has purchased goods for himself or for the purpose of such mission, United Nations, or any other body, then if such official, personnel, agent, United Nations or body, after producing tax invoice referred to in sub-section (1) of section 22 or the sale invoice referred to in sub-section (3) of the said section, as may be applicable, in the prescribed manner, claims refund of the amount of tax realised from him, the Commissioner or the officer authorised by him in this behalf, shall refund such amount to such official, personnel, consular or agent of such mission, United Nations or body, as the case may be.

(7) Refund, under any provisions of this Act, may be given by refund voucher or cheque:

Provided that where a dealer submits e-tax return, refund of any amount found refundable to him may be allowed through e-cheque.

**Explanation:** For the purposes of this Act, prescribed date shall be deemed to be the date of refund.

Provisional refund

**41.** (1) Notwithstanding anything contained in section 40, in case of a dealer, whose main business is to sell goods in the course of the export of the goods out of the territory of India, the assessing authority, upon receiving the return for a tax period and application for provisional refund, pending audit and investigation to establish the correctness of the claim and consequent assessment, shall, allow provisional refund of excess amount of input tax credit for such tax period on account of sale in the course of the export of the goods out of the territory of India, within thirty days from the last date prescribed for submission of return or from the date on which return is submitted, whichever is later:

Provided that if any amount of tax, fee or penalty or any other amount either under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 or under the erstwhile Act is due against such dealer, amount found refundable first shall be adjusted towards such amount of tax or fee or penalty, as the case may be, and excess, if any, shall be refunded to the dealer:

Provided further that, before granting refund, the assessing authority may require the dealer to furnish security of amount equivalent to amount of refund to its satisfaction.

(2) If, on assessment, the provisional refund granted under sub-section (1) is found to be in excess, then the excess amount of refund shall be recovered from the dealer along with interest at the rate of fifteen percent per annum and for the period commencing on the date of grant of provisional refund and ending on the date of payment of the amount, as tax due from the dealer.

Tax deferment

**42.** (1) Notwithstanding anything contained in this Act any industrial unit availing tax exemption or reduction in the rate of tax on January 1, 2008 or an industrial unit which is granted the facility of exemption or reduction in the rate of tax under the erstwhile Act shall be treated as a unit availing tax deferment.

A unit availing tax deferment under the erstwhile Act on January 1, 2008 or a unit, which is granted benefit of tax deferment under the erstwhile Act, shall continue to avail the said facility subject to such conditions as may be specified.

(2) The unit availing the tax deferment as specified in sub-section (1) or a unit availing deferment facility under the erstwhile Act shall be eligible to issue tax invoices and to claim input tax credit subject to provisions of section 13.

(3) The period of eligibility, the method of debiting eligibility amount, the repayment and any other benefits for all units availing tax deferment shall be in such manner as may be prescribed.

Procedure for disbursement of amount wrongly realised by dealers as tax

**43.** (1) Where any amount has been realized from any person by any dealer, purporting to do so by way of realisation of tax on the sale or purchase of goods, in contravention of provisions of sections 22 and 23, such dealer shall, subject to provisions of sub-section 14 of section 21, deposit the entire amount so realised in the manner and within the period prescribed under section 24.

(2) Any amount deposited by any dealer under sub-section (1) shall to the extent it is not due as tax, be held by the State Government in trust for the person on whom such liability has been passed ultimately in respect of goods on the sale or purchase whereof such excess amount has been charged.

(3) Where any amount is deposited by any dealer under sub-section (1) such amount or any part thereof shall on a claim being made in that behalf be refunded in such manner as may be prescribed to the person on whom liability of such amount has been passed ultimately.

Provided that no such claim shall be entertained after expiry of three years from the date of order of assessment or one year from the date of the final order on appeal, revision or reference if any, in respect thereof, which ever is later.

(4) Where any amount has been deposited by any dealer in accordance with provisions under sub-section (1), the dealer shall, subject to provisions of sub-section (14) of section 21, not be entitled to allow refund of such amount to the purchaser of goods.

**Explanation:-** The expression "Final order on appeal revision or reference" includes an order passed by the High Court or by the Supreme Court.

## CHAPTER – VI

## Tax Audit, Inspection, Search and Seizure

Tax Audit

**44.** (1) For the purpose of examining the correctness of tax return or returns filed by a dealer or class of dealers and to verify admissibility of various claims including claim of input tax credit made by a dealer or class of dealers, tax audit shall be made of such number of dealers as may be prescribed.

(2) Any officer, not below the rank of an assessing authority, appointed by the State Government or the Commissioner and posted in the audit wing of the department administering this Act or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf may, undertake tax audit of the records, stock in trade and the related documents of the dealers, who are specified or selected in the manner prescribed under sub-section (1):

Provided that no audit shall be under taken for any assessment year after expiry of a period of three years after the end of such assessment year:

Provided further that where the officer making audit in respect of any assessment year is satisfied that the dealer has willfully suppressed any material fact leading to evasion of tax or has wrongly claimed any benefit, he may make audit for three consecutive assessment years prior to the assessment year in which audit is being conducted.

(3) For the purpose of the tax audit, officer referred to in sub-section (1) may require the dealer to produce before him records and other documents in his office.

Provided that where it is convenient, the officer may take up tax audit in the office, business premises or warehouse of the dealer.

(4) After completion of the tax audit, the officer making the audit shall send audit report prepared by him to the assessing authority of the dealer.

Power to order production of accounts documents and power of entry, inspection, search and seizure

**45.** (1). Any officer empowered by the State Government in this behalf (hereinafter in this section referred to as the authorized officer), may for the purposes of this Act, require any dealer to produce before him any book, document or account relating to his business and may inspect, examine and copy the same and make such enquiries from the dealer as may be necessary.

Provided that books, accounts and documents of a period more than five years prior to the assessment year shall not be so required, unless in any special case, for reasons to be recorded, such officer considers it necessary.

(2) The authorised officer may, at all reasonable times, enter and search any place of business or vehicle, vessel or other building or place where he has reason to believe that the dealer keeps or is for the time being keeping any book, register, document, account or goods relating to his business:

Provided that no residential accommodation (not being a place of business cum residence) shall be entered into, inspected or searched by such officer unless specially authorised in this behalf by the Commissioner in writing.

(3) All books, documents, and accounts maintained by a dealer in the ordinary course of business, the goods in his possession and his place of business, vessel or vehicle shall be open to search and inspection at all reasonable times by the authorised officer.

(4) If the authorised officer while examining any books, accounts or documents or conducting search or inspection has reason to believe that any dealer is trying to evade liability of payment of tax or other dues under this Act and that anything necessary for the purpose of an investigation into his liability may be found in any account, register or document, he may seize such account, register or document as may be necessary. The authorised officer shall forthwith grant a receipt for the same and shall return them to the dealer or the person from whose custody they were seized, within a period of ninety days from the date of seizure after having such copies or extracts taken therefrom as may be considered necessary, provided the dealer or the aforesaid person gives a receipt in writing for the account, register or document returned to him. The officer may, before returning the account, register or documents, affix his signature and his official seal at one or more places thereon, and in such case the dealer or the aforesaid person will be required to mention in the receipt given by him the number of places where the signature and seal of such officer have been affixed on each account, register or documents:

Provided that where a dealer has maintained any document on magnetic media or electronic media, the authorized officer, after preparing hard copies of the document and CD in duplicate and after putting his signature at various places on such hard copy and CD, return such media alongwith one copy of the hard copy and the CD:

Provided further that where intimation, for receiving seized account, register or document back, has been sent to the dealer or the person concerned and the dealer or such person, in spite of receipt of such intimation, does not appear on the date fixed for return of such documents and consequently, where seized account, register or document is returned to the dealer or the person concerned after expiry of the period of ninety days, it shall be deemed that such account, register or document has been returned within the period of ninety days.

(5) Notwithstanding anything contained in sub- section (4), the officer seizing any account, register or other document under that sub-section may, for reasons to be recorded by him in writing and with the prior approval of the Commissioner, retain such account, register or document for such period not extending beyond thirty days from the date of completion of all the proceedings under this Act in respect of the year for which they are relevant, as he deems necessary.

(6) An authorised officer -

(i) shall have the power to seal the place of business, vehicle, any box, almirah or other receptacle found on such place of business or vehicle in which he has reason to believe that any account, register or other documents or goods are kept or contained, if the owner or other person in occupation or in-charge of such office, shop, godown, vessel, vehicle, box, almirah or other receptacle leaves the place or is not available or fails or refuses to open it when called upon to do so;

(ii) where the owner or other person in occupation or in charge of the office, shop, godown, vessel or vehicle or the box almirah or other receptacle found in the place of business, or vehicle is present but leaves the place or after an opportunity having been given to him to do so, fails to open, as the case may be, such office, shop, godown, vessel or vehicle or the box, almirah or other receptacle, may break open the same and prepare a list of the goods and documents found therein.

(7) No person shall tamper with any seal put under sub-section (6).

(8) Any authorized officer while making search or inspection under this section may require any dealer or the other person to give any information likely to be in his possession or knowledge in respect of such books, documents, accounts or goods as are found at the time of search, inspection or seizure under this section.

(9) The authorised officer who has made inspection, search or seizure of any books, accounts or documents or has investigated into the liability of tax of a dealer shall, on the basis of facts found and enquiry made, prepare a report in respect of such inspection, search, seizure or investigation and where the officer preparing the report is an officer different from the assessing authority, he shall forward a copy of such report to the assessing authority of the dealer.

(10) Where the officer preparing the report referred to in sub-section (9), is of the opinion that liability of payment of tax by the dealer in addition to liability of payment of tax admitted by such dealer may exceed rupees one lakh, he shall, before forwarding copy of report referred to in sub-section (9), serve the dealer with a notice stating facts to show cause why adverse inference should not be drawn on the basis of such facts. The dealer on receipt of such notice shall submit his reply to such officer in two copies. Thereafter the officer shall forward to the assessing authority a copy of report, a copy of show cause notice issued and a copy of reply received from the dealer, if submitted by the dealer, along with its comments on the reply submitted by the dealer.

(11) The provisions of section 100 and 165 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, as far as may be, apply in relation to any entry, or search or inspection under this section, as they apply in relation to any inspection or search under the said code.

**Explanation:** In calculating the period specified in sub-section (4) the period, during which proceedings under this Act remain stayed under the orders of any Court or authority, shall be excluded.

Power of search, inspection and seizure in case of a person other than dealer

**46.** Where a person carries on any activity ancillary or incidental to or in connection with business of a dealer, any officer authorized under sub-section (1) of section 45, for the purpose of investigation into tax liability of a dealer, subject to provision of sub-section (11) of section 45, may exercise powers under sub-section (1) to sub-section (10) of the said section.

**Explanation:** For the purposes of this section, following persons shall be deemed to carry on activities ancillary or incidental to or in connection with the business of a dealer:

(i) broker or canvassing agent who acts as mediator between purchaser and seller of goods; or

(ii) transporter or any other carrier or a forwarding agent of goods; or

(iii) person who fabricates or manufactures any goods for a dealer; or

(iv) person who takes delivery of goods or who dispatches goods on behalf of a dealer; or

(v) person who holds in custody any goods belonging to a dealer; or

(vi) person who handles goods of a dealer in any other capacity.

Power to seek information and to issue summons

**47.** (1) Any officer, not being an officer below the rank of an assessing authority, may require any dealer or other person to furnish any information which may be, or is in his knowledge or possession.

(2) An officer under this Act shall have the same powers as are vested in a court under the Civil Procedure Code 1908, when trying a suit in respect of following matters, namely -

(a) Enforcing the attendance of any person and examining him on oath or affirmation;

(b) Compelling the production of documents; and

(c) Issuing commission for the examination of witness;

and any proceeding before any of the officers aforesaid shall be judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 and for the purpose of section 196 of the Indian Panel Code.

(3) Summons for the production of documents or the attendance of any person shall be issued in the prescribed form.

Power to seize goods

**48.** (1) An officer authorised under sub-section (1) of section 45 shall have the powers to seize any goods -

(i) which are found in a dealer's place of business, vehicle, vessel or any other building or place; or

(ii) which, such officer has reason to believe to belong to the dealer and which are found in any place of business, vehicle, vessel or any other building or place, but are not accounted for by the dealer in his accounts, registers or other documents maintained in the ordinary course of his business;

Provided that a list of all the goods seized under this sub-section shall be prepared by such officer and be signed by the officer and not less than two witnesses.

(2) Where any officer referred to in sub-section (1) has reason to believe that the goods found in any vehicle, vessel, building or place are not traced to any bonafide dealer or that it is doubtful if such goods are properly accounted for by any dealer in his accounts, registers or other documents, maintained in the ordinary course of his business, he shall have power to seize such goods, and the remaining provisions of this section shall mutatis mutandis apply in relation to such seizure.

(3) An officer seizing the goods under sub-section (1) shall take all the measures necessary for their safe custody and forward the list, referred to in the proviso to sub-section (1), along with other documents relating to the seizure to the assessing authority concerned.

(4) The said assessing authority shall serve on the dealer or, as the case may be, the person in charge of the goods at the time of seizure (hereinafter in this section referred to as the person in charge) a notice in writing requiring him to show cause, why a penalty should not be imposed.

(5) If such authority, after taking into consideration the explanation, if any, of the dealer or, as the case may be, the person in charge and giving him an opportunity of being heard, is satisfied that the said goods were omitted from being shown in the accounts, registers and other documents referred to in sub-section (1), it shall pass an order imposing a penalty not exceeding forty per cent of the value of such goods, as he deems fit.

(6) A copy of the order imposing penalty under sub-section (5) shall be served on the dealer or, as the case may be, the person in charge.

(7) The officer seizing the goods shall serve on the dealer or, as the case may be, the person in charge an order in writing mentioning the fact of such seizure and indicating the amount, not exceeding such amount as would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, on deposit whereof in cash, the goods so seized may be released in favour of the dealer or, as the case may be, the person in charge:

Provided that the Commissioner or such other officer, not below the rank of a Deputy Commissioner, as may be authorised in this behalf by the Commissioner, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct that the goods be released without any deposit or on depositing such lesser amount, or furnishing security in such form other than cash or indemnity bond, as he may deem fit:

Provided further that in case of a person, who is not a registered dealer and against whom penalty order referred to in sub-section (5) has been passed, filing of return by such person and assessment of tax on him may not be necessary.

(8) The penalty or such part thereof as remains after adjustment of any amount deposited under sub-section (7) shall be deposited in the prescribed manner within thirty days of the date of service of the copy of the order imposing the penalty. In default, the assessing authority shall cause the goods to be sold in such manner as may be prescribed and apply the sale proceeds thereof towards the penalty imposed, and subject to the provisions of section 40, refund the balance, if any, to the dealer or, as the case may be, to the person-in-charge.

(9) Where the officer seizing the goods, before forwarding the list and other documents referred to in sub-section (3), or the assessing authority at any time thereafter, is of the opinion that the goods are subject to speedy and natural decay or where the tax assessed or penalty imposed, as the case may be, is not deposited in accordance with the provisions of this Act, the officer seizing the goods or the assessing authority, as the case may be, may, without prejudice to any other action that may be taken in accordance with other provisions of this Act, cause the goods to be sold by public auction in the prescribed manner. The sale proceeds of such goods shall be adjusted towards the expenses of tax assessed or penalty imposed. The balance, if any, shall be refunded to the dealer or, as the case may be, the person in-charge in accordance with the provisions of sub-section (8).

(10) If the amount deposited under sub-section (7) is more than the amount of penalty imposed under sub-section (5), the excess amount so deposited shall be refunded to the dealer or, as the case may be, the person in-charge by the authority with whom it was so deposited, in accordance with the provisions of section 40.

## CHAPTER- VII
## Check-Post

Establishment of check-posts and barriers

**49.** (1) The State Government, if it is of opinion that it is necessary so to do with a view to preventing evasion of tax or other dues payable under this Act in respect of -

(i) sale of goods brought or received from outside the State;

(ii) sale of goods processed or manufactured by using goods brought or received from outside the State; or

(iii) sale or purchase of goods produced or manufactured within the State,

may by notification in the Gazette, direct the establishment of check-posts or barriers at such places within the State, as may be specified in the notification.

(2) Check-posts or barriers established under the erstwhile Act shall, on January 1, 2008, be deemed to be check-posts and barriers established under this Act.

Import of goods into the state by road against declaration

**50.** (1) Any person (hereinafter in this section referred to as the importer) who intends to bring, import or otherwise receive, into the State from any place outside the State any goods other than the goods named and described in schedule-I in such quantity or measure or of such value, as may be notified by the State Government in this behalf, in connection with business, shall obtain the prescribed form of declaration, in the prescribed manner from the assessing authority having jurisdiction over the area, where his principal place of business is situated or, in case there is no such place, where he ordinarily resides:

Provided that where the importer intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, in the like manner obtain the prescribed form of certificate.

(2) (a) where such goods are imported, brought or otherwise received into the state by registered dealer, he shall carry such declarations or documents as may be prescribed.

(b) where the goods are imported, brought or otherwise received into the state by a person otherwise than in connection with business, he may likewise carry such certificates and documents as may be prescribed.

(3) The driver or other person in-charge of any vehicle carrying any goods referred to in the preceding sub-sections shall stop the vehicle at every such check-post or barrier or, when so required by an officer authorised under sub-section (1) of section 45 or sub-section (1) of section 48, at any other place, and keep it stationary for so long as may be considered necessary by the officer in-charge of the check-post or barrier or the officer authorised under sub-section (1) of section 45 or sub-section (1) of section 48, as the case may be, and allow him to search the vehicle and inspect the goods and all documents referred to in the preceding sub-sections and shall, if so required, give his name and address and the names and addresses of the owner of the vehicle and of the consignor and the consignee of the goods.

(4) Where the officer making the search or inspection under this section finds any person transporting or attempting or abetting to transport any goods to which this section applies without being covered by the proper and genuine documents referred to in the preceding sub-sections and if, for reason to be recorded, he is satisfied after giving such person an opportunity of being heard that such goods were being so transported in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, he may order detention of such goods.

(5) The provisions of sub-sections (3), (7), (8), (9) and (10) of section 48 shall *mutatis mutandis* apply to goods detained under sub-section (4), as they apply to goods seized under that section.

Import of goods into the state by rail, air, post, river or rope way

**51.** (1)(a) Where any taxable goods are consigned by rail, air or post from a place outside the State for delivery to a dealer inside the State, the concerned authority shall not deliver the goods to the dealer or consignee unless he furnishes or causes to be furnished to such authority a declaration in prescribed form along with the other documents as may be prescribed.

**(b) where a taxable goods are consigned by river or rope way** from a place outside the state for delivery to a dealer inside the state the receiving dealer shall not obtain or cause to be obtained delivery thereof unless he furnishes or causes to be furnished to such officer, as may be authorized in this behalf by the Commissioner, prescribed declaration and documents.

(c) after taking delivery, shall not carry goods away or cause the goods to be carried away from the railway station, air port, post office, steamer or terminal of rope way, as the case may be, unless a copy of the declaration and document as aforesaid is carried with goods:

Provided that where any courier service transports any goods by rail, river, air or post, such courier shall not obtain or cause to be obtained delivery thereof unless the dealer, importing goods, furnishes or causes to be furnished to such officer, as may be authorized in this behalf by the Commissioner, a declaration in the prescribed form referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 50, in duplicate duly filled in and signed by him for endorsement by such officer. The courier service, after taking delivery of goods from rail, river, air or postal authority, shall carry such duplicate copy of form of declaration alongwith goods and shall deliver to the dealer alongwith goods.

(2) Where any taxable goods are brought into the State by rail, river or air as personal luggage, the person bringing them shall carry with him the prescribed form of declaration duly filled in and signed by the importer, and the importer shall submit the same for endorsement by the officer authorised under sub-section (1) by the next working day.

(3) Where any person intends to bring, or receive into the State, from any place outside the State by rail, river, air or post any taxable goods otherwise than in connection with business and obtains the form of certificate prescribed under sub-section (2) of section 50, the provision of sub-section (1) and (2) shall *mutatis-mutandis* apply as if word "Certificate" is substituted for the word declaration used therein.

(4) Where an officer authorised under sub-section (1) of section 45 or an officer referred to in sub-section (1) of section 48 or section 50 while making inspection or search finds any taxable goods, in respect of which declaration before the officer authorised under sub-section (1) has not been made or goods being carried as personal luggage are not accompanied by the form of declaration referred to in clause (a) of sub-section (1) and where after giving reasonable opportunity of being heard to the person in charge of the goods at the time of inspection of goods or the owner of the goods, as the case may be, such officer (officer making inspection or search) is satisfied that such taxable goods are being imported in an attempt to evade payment of tax under this Ordinance, he may, after recording such reasons, detain the goods.

(5) Provisions of sub-sections (3), (7), (8), (9) and (10) of section 48 shall *mutatis mutandis* apply to such detention of goods as they apply to goods seized under that section.

(6) Notwithstanding anything contained in sections 50 and this section, the State Government may, in public interest and for sufficient reasons, relax the requirement of furnishing of declaration or certificate referred to in aforesaid sections to such extent as it may notify.

Issue of authorisation for transit of goods through the state

**52.** When a vehicle coming from any place outside the state and bound for any other place outside the state, and carrying goods referred to in sub-section (1) of section 51, passes through the state, the driver or other person in charge of such vehicle shall obtain in the prescribed manner an authorisation for transit of goods from the officer in charge of the first check post or barrier after his entry into the state and deliver it to the officer in charge of the last check post or barrier before his exit from the state, failing which it shall be presumed that the goods carried thereby have been sold within the state by the owner or person in charge of the vehicle;

Provided that the goods carried by such vehicle are, after their entry into the state, transported outside the state by any other vehicle or conveyance, the onus of proving that the goods have actually moved out of the state shall be on the owner or person in charge of the vehicle.

**Explanation** - For the purposes of this section, the hirer of the vehicle shall also be deemed to be the owner of the vehicle.

Power to seek assistance from police

**53.** An officer exercising powers under the provisions of sections 45, 48, 50, 51, or 52 may take the assistance of police or other officers or officials of the State.

## CHAPTER –VIII
## Penalty

Penalties in certain cases

**54**-(1) The assessing authority, if he is satisfied that any dealer or other person, as the case may, has committed the wrong described in column-(2) of the table below, it may, after such inquiry, if any, as it may deem necessary and after giving dealer or person reasonable opportunity of being heard, direct that such dealer or person shall, in addition to the tax, if any, payable by him, pay by way of penalty, a sum as provided in column (3) against the same serial no. of the said table:

| Sl.no. | Wrong | Amount of penalty |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | The dealer has without reasonable cause failed to deposit the tax due for any tax period or failed to submit the tax return for any tax period in the prescribed manner; or within the time prescribed or extended; | 20 % of tax payable |
| 2 | The dealer has concealed particular of his turnover or has deliberately furnished inaccurate particulars of such turnover; or submits a false tax return under this Act or evades payment of tax which he is liable to pay under this Act; | three times of amount of tax concealed or avoided |
| 3 | (i) The dealer has maintained or produced false accounts, registers or documents ;<br>(ii) Being dealer or any other person who is required to maintain any book, account or other document, does not maintain such book, account or document as prescribed; | three times of amount of tax concealed or avoided |
| 4 | The dealer has without reasonable cause failed, to pay, within the time allowed, the tax assessed ; | 20 % of tax assessed |
| 5 | The dealer has failed to issue a tax invoice or sale invoice in accordance with the provisions of this Act ; | 40% of the value of goods |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | The dealer has failed to issue a challan, transfer invoice or transport memo in respect of dispatch or delivery of goods in accordance with the provisions of this Act ; | 40% of the value of goods |
| 7 | Where the dealer,-<br>(i) being liable for registration under this Act has failed to apply in the prescribed manner and within the specified time; or<br>(ii) being liable for registration carries on or continues to carry on business –<br>(a) after his application for registration has been rejected; or<br>(b) after his registration certificate has been cancelled; or<br>(c) without furnishing the security demanded for grant or continuation of registration; | Rupees one hundred per day during which business is carried |
| 8 | On demand by the officer empowered under this Act, to inspect, examine and obtain copy, the dealer or other person, as the case may be, refuses or neglects -<br>(i) to produce any book, document or account; or<br>(ii) to operate his computer used in connection with business; or<br>(iii) to allow copies or print outs etc.; | A sum of rupees five thousand and five times thereof if act is repeated |
| 9 | the dealer or other person, as the case may be, obstructs or prevents an officer empowered under section 45 or section 48 or an officer in-charge of a check-post or barrier from performing any of his functions under this Act ; | A sum of rupees five thousand in case of registered dealer and five times thereof in case of others |
| 10 | The dealer or other person, as the case may be, refuses or neglects to furnish any information, which is in his knowledge or possession or furnishes false information ; | A sum of rupees five thousand in case of registered dealer and five times thereof in case of others |
| 11 | Where the dealer or other person, as the case may be,-<br>(i) issues or furnishes a false or wrong certificate or form of declaration prescribed under this Act, by reason of which a tax on sale or purchase, ceases to be leviable, whether in full or in part; or<br>(ii) issues a tax invoice or sale-invoice without actual sale of goods ; or<br>(iii) issues a transport memo, challan or transfer invoice without actual dispatch or delivery of goods ; or<br>(iv) receives a tax invoice or sale-invoice without actual purchase of goods; or<br>(v) receives a transport memo, challan or transfer invoice without actual receipt of goods; or<br>(vi) issues or furnishes a false tax invoice, sale invoice , certificate or declaration, by a reason of which a tax on sale or purchase ceases to be leviable under this Act or rules made thereunder | 50 % of disclosed value of goods |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Where a dealer or other person, as the case may be,-<br>(i) makes use of a prescribed form of declaration or certificate which has not been obtained by him or by his principal or agent in accordance with the provisions under this Act ; or<br>(ii) transfers a prescribed form of declaration or certificate to any other person except for lawful purposes; or<br>(iii) possesses a prescribed form of declaration or certificate which has not been obtained by him in accordance with the provisions of this Act ; | 50 % of disclosed value of goods |
| 13 | Where the dealer or other person, as the case may be,-<br>(i) closes or leaves place of business with an intention of avoiding inspection under this Act; or,<br>(ii) being a driver or person in-charge of vehicle leaves the vehicle with an intention of avoiding inspection of goods and documents; or<br>iii) willfully does not stop the vehicle carrying taxable goods when so by an officer empowered to inspect goods; | A sum of rupees five thousand in case of registered dealer and five times thereof in case of others |
| 14 | Where the dealer or any other person, as the case may be, -<br>(i) imports or attempts to import or abets the import of any goods, in contravention of the provisions under section 50 or section 51 with a view to evading payment of tax on sale of -<br>(a) such goods; or<br>(b) goods manufactured, processed or packed by using such goods; or<br>(ii) transports, attempts to transport any taxable goods in contravention of any provisions of this Act ; | 40% of disclosed value of goods |
| 15 | Where the driver or person in charge of the vehicle, as the case may be,-<br>(i) fails to obtain authorisation for transit of goods through the State and also fails to prove that goods are meant for delivery to dealers or persons outside the State ; or<br>(ii) fails to obtain authorisation for transit but proves that goods are meant for delivery to dealers or other persons outside the State ; or<br>(iii) while obtaining authorisation for transit of goods through the State undertakes responsibility of handing over such goods to a bonafide person inside the State for carrying them outside the State but fails to hand over such goods to such bonafide person; or<br>(iv) being a person, who receives any goods from driver or person in-charge of a vehicle for carrying them outside the State, does not carry such goods outside the State ; or<br>(v) being driver or person in-charge of a vehicle or a transporter who receives goods inside the State for carrying them outside the State, fails to produce copies of authorisation for transit of goods along with goods before the officer in-charge of the exit check-post but proves that goods have been carried outside the State ; or<br>(vi) being a transporter or hirer of a vehicle prepares goods-receipt by showing false destination of goods outside the State; | 40% of disclosed value of goods |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | Where any dealer demands or charges or realises any amount as tax in contravention of the provisions of this Act; | 3 times of the tax so realised |
| 17 | Being driver or person in charge of a vehicle fails to stop the vehicle with deliberate intent to avoid inspection of goods or search of such vehicle; | Rupees twenty-five thousands |
| 18 | Where dealer or any other person, as the case may be, makes a false verification, declaration or attestation in any matter connected with this Act; | A sum of rupees twenty five thousand or three times of tax avoided thereby whichever is higher |
| 19 | Where dealer or any other person, as the case may be, falsely or fraudulently claims an amount as input tax credit; | A sum equal to 5 times of amount of input tax credit |
| 20 | Being transporter, carrier or other transport agent carries or transports goods without filling relevant columns on a transport memo, challan or transfer invoice; | Rupees five thousands |
| 21 | Dealer or any other person, as the case may be, tampers with any seal put under sub-section 6 of section 45 | Rupees twenty five thousands |
| 22 | Dealer or any other person who, otherwise acts in contravention of the provisions of this Act or rules made thereunder, | Rupees ten thousands |

***EXPLANATION*** – For the purposes of this section -

(I) the assessing authority includes an officer not below the rank of an officer appointed and posted by the Commissioner at a check-post or an officer empowered to exercise powers under sections 45, 46, 47, 48, 50, 51 and 52 of this Act;

(II) where amount of penalty is to be determined on the basis of turnover of goods, value of goods shown or determined whichever is higher, shall be deemed to be turnover of taxable goods and relating to taxable sale or purchase.

(III) for the purposes of this section value of goods written on such documents and if value is not written then estimated market value prevalent at the relevant time in local market, shall be deemed to be the turnover of sales or purchases of taxable goods relating to taxable sale or purchase.

(2) A copy of the order passed under sub-section (1) shall be served on the dealer or person concerned and the amount imposed by way of penalty shall be deposited by such dealer or person in such manner as may be prescribed within thirty days of such service, failing which it may be recovered in the manner provided under section 33.

(3) Where any penalty order passed by assessing authority either under this section or any other section, is quashed by any authority or court in exercise of powers vested in it on the ground that show cause notice issued to dealer or any other person is not in accordance with the provisions of this Act, the assessing authority may pass fresh order of penalty after issuing proper notice within one year from the date of receipt of such order.

(4) where in case of a sick unit as referred to in section 71, any penalty order has been passed ex parte and appeal has not been filed against such order, if the State Government issues direction to the assessing authority to set aside such order and to pass fresh order of penalty, assessing authority shall pass such fresh order of penalty within a period of one year from the date on which it receives the order or direction by due process from the State Government.

## CHAPTER IX

## Appeal, Review and Revision

Appeal

**55.** (1) Any dealer or other person aggrieved by an order made by the assessing authority, other than an order mentioned in sub-section (7) of section 48 may, within thirty days from the date of service of the copy of the order, after serving a copy of appeal memo on the assessing authority or the Commissioner, appeal to such authority (hereinafter referred to as appellate authority), as may be prescribed:

Provided that where due to any reason, any appellant fails to serve a copy of appeal memo on the assessing authority before filing appeal, he may serve copy of such appeal memo within a time of one week from the date on which appeal has been filed or within such further time as the appellate authority may permit.

(2) Where an appeal has been filed against an order referred to in sub-section (1), the Commissioner may apply to the appellate authority to examine the legality and propriety of such order on such point as may be mentioned in the application. A copy of such application shall be served on the appellant and shall be decided along with the appeal filed by the appellant:

Provided that no application for examination of legality and propriety shall be entertained after the disposal of appeal:

Provided further that where the Commissioner has filed an application, the appellant shall not be entitled to withdraw appeal filed by him.

Explanation - For the purposes of this section Commissioner includes an officer authorised to file appeal on behalf of the Commissioner before the Tribunal under section 57.

(3) No appeal against an assessment order under this Act shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of the amount of tax or fee due under this Act on the turnover of sale or purchase, or both, as the case may be, admitted by the appellant in the tax returns filed by him or at any stage in any proceedings under this Act, whichever is greater.

(4) The appeal shall be in the prescribed form and shall be verified in the prescribed manner.

(5) The appellate authority may, after calling for and examining the relevant records and after giving a reasonable opportunity of being heard to the appellant and the Commissioner-

(a) in the case of an order of assessment and penalty.-

(i) confirm or annul such order ; or

(ii) vary such order by reducing or enhancing the amount of assessment or penalty, as the case may be, whether such reduction or enhancement arises from a point raised in the grounds of appeal or otherwise ; or

(iii) set aside the order and direct the assessing authority to pass a fresh order after such inquiry as may be specified; or

(iv) direct the assessing authority to make such inquiry and to submit its report within such time as may be specified in the direction or within such extended time as it may allow from time to time, and on the expiration of such time the appellate authority may, whether the report has been submitted or not decide the appeal in accordance with the provisions of the preceding sub-clauses; or

(b) in the case of any other order-

(i) confirm, cancel or vary such order; or

(ii) set aside the order and direct the assessing authority to pass a fresh order after such inquiry as may be specified:

Appeal

Provided that nothing in this sub-section shall preclude the appellate authority from dismissing the appeal at any stage with such observations as it deems fit where the appellant applies for withdrawal of the same and no request for examination of legality or propriety of order under appeal has been made by the Commissioner.

COURT BOOK

(6) The appellate authority, may, on the application of the appellant and after giving the Commissioner a reasonable opportunity of being heard stay, except the operation of order appealed against, the realisation of the disputed amount of tax, fee or penalty payable by the appellant till the disposal of the appeal :

Provided that –

(i) where an order under appeal involves dispute about tax, fee or penalty, no stay order shall remain in force after thirty days from the date on which the same has been granted, if the appellant does not furnish security to the satisfaction of the assessing authority for payment of the amount, the realisation whereof has been stayed within the aforesaid period of thirty days;

(ii) no such application shall be entertained unless it is filed along with the memorandum of appeal under sub-section (1);

(7) Section 5 of the Limitation Act, 1963, shall apply to appeals or other applications under this section.

(8) The appellate authority shall be under the superintendence and control of the Commissioner:

Provided that in the exercise of such superintendence and control, no order, instructions or directions shall be given by the Commissioner so as to interfere with the discretion of the Appellate Authority in the exercise of its appellate functions.

(9) For the purposes of this section service of an order passed by appellate authority under this section and service of memo of appeal on the State Representative, as defined in the rules framed under this Act, shall be deemed to be service on the Commissioner.

(10) All appeals arising out of the same cause of action in respect of an assessment year, as far as possible, shall be heard and decided together.

Revision by the Commissioner

**56.** (1) The Commissioner or such other officer not below the rank of Joint Commissioner, as may be authorised in this behalf by the State Government by notification, may call for and examine the record relating to any order, passed by any officer subordinate to him, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such order and may pass such order with respect thereto as he thinks fit.

(2) No order under sub-section (1) affecting the interest of a party adversely shall be passed unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.

(3) No order under sub-section (1), shall be passed-

(a) to revise an order, which is or has been the subject matter of an appeal under section 55, or an order passed by the appellate authority under that section.

(b) before the expiration of sixty days from the date of the order in question;

(c) after the expiration of four-years from the date of the order in question.

**Explanation-** Where the appeal against any order is withdrawn or is dismissed for non-payment of fee payable under section 72 or for non-compliance of sub-section (3) of section 55, the order shall not be deemed to have been the subject-matter of an appeal under section 55;

(4) No dealer or any other person, aggrieved by an order against which appeal lies under section 55, shall be entitled to present an application for review of such order under this section.

Tribunal

**57.** (1) There shall be a Tribunal consisting of such members including a President as the State Government may, from time to time, deem it necessary to appoint from amongst-

(a) the persons who are qualified to be the judge of the High Court;

(b) the persons belonging to the Uttar Pradesh Trade Tax Services or the Uttar Pradesh Commercial Tax Services who hold or have held a post not below the rank of Joint Commissioner:

Provided that-

(i) where the Tribunal consists of one or more persons who is or are member or members of the U.P. Higher Judicial Service, then he or senior most amongst them shall be appointed as the President.

(ii) no person shall be appointed from amongst the advocate unless-

(A) he has paid Income Tax on his income from his legal profession in each of ten consecutive years preceding such appointment;

(B) he has attained the age of fifty years on the date of appointment.

(C) such Members from amongst Advocates shall be appointed for a term of three years from the date of appointment or till he attains the age of 60 years which ever is earlier.

(2) The State Government may prescribe such other qualification or conditions for the appointment of the President and the other members of the Tribunal as it may deem fit.

(3) The provisions of rule 56 of the U.P. Fundamental Rules shall continue to apply to every member of the Tribunal including the President whether appointed under the erstwhile Act or under this Act on or after the date of the commencement of this Act, as they apply to any other Government servant.

(4) Any person aggrieved by an order passed under section 55, section 56, a decision under section 59 or a direction under the proviso of sub-section (7) of section 48 may, within ninety days from the date of service of the copy of such order, decision or direction on him, prefer an appeal to the Tribunal:

Provided that where order passed by the appellate authority under section 55 is an order in respect of demand of any security, not being security demanded for release of goods seized under any provisions of this Act, appeal under this section may be filed only after furnishing security, fixed by the appellate authority under section 55.

Provided further that where the disputed amount of tax, fee or penalty does not exceed two thousand rupees and no question of law is involved, the appellant may, at his option, request the Tribunal in writing for summary disposal of his appeal, whereupon the Tribunal may decide the appeal accordingly.

**Explanation:** For the purposes of this sub-section, the expression 'any person' in relation to any order passed by an authority other than the Commissioner includes the Commissioner and; in relation to any order passed by the Commissioner includes the State Government;

(5) The manner and procedure of summary disposal of appeal shall be such as may be prescribed.

(6) Section 5 of the Limitation Act, 1963 shall apply to appeals or other applications under this section.

(7) The Tribunal may at any stage, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard, dismiss the appeal.

(8) The Tribunal may, if it has not already dismissed the appeal under sub-section (7), after calling for and examining the relevant records, and after giving the parties a reasonable opportunity of being heard or, as the case may be, after following the procedure prescribed under sub-section (5):

(a) confirm, cancel or vary such order, or

(b) set aside the order and direct the assessing or appellate or revising authority or the Commissioner as the case may be, to pass a fresh order after such further enquiry, if any, as may be specified , or

(c) order such amount of tax, fee or penalty or other money as may have been realized in excess of the due amount to be refunded according to the provisions of this Act.

(9) Where an appeal under this section has been filed, the Tribunal may, on the application of the appellant moved along with the memorandum of such appeal after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, stay the operation of the order appealed against or the recovery of the disputed amount of any tax, fee or penalty payable, or refund of the amount due, or proceeding for re-assessment under the order appealed against till the disposal of the appeal:

Provided that-

(i) where appellate authority under section 55 has set aside an order of assessment or penalty and has remanded the case to the assessing authority, for decision afresh, and the appellant under this section is a person other than the Commissioner or the State Government, for the purpose of this section, disputed amount of tax or penalty shall be deemed to be the same which had been before appellate authority under section 55; and

(ii) subject to the provision under sub clause (i) where order appealed against does not involve any dispute about quantum of tax, fee or penalty, on the application of the appellant the Tribunal may stay the operation of such order till the disposal of appeal subject to such conditions including a condition of furnishing of a security in cash within the time allowed;

Provided further that-

(a) no application for stay of recovery of any disputed amount of tax, fee or penalty shall be entertained unless the applicant has furnished satisfactory proof of the payment of not less than one third of such disputed amount in addition to the amount required to be deposited under sub-section (3) of section 55.

(b) the Tribunal may, for special and adequate reasons to be recorded in writing, waive or relax the requirement of clause (a) regarding payment of the one-third of such disputed amount.

(10) Where the Tribunal passes an order under this section for the stay of recovery of any tax, fee or penalty or for the stay of the operation of any order appealed against and such order of the Tribunal results in the stay of recovery of any tax, fee or penalty, such stay order of the Tribunal shall not remain in force for more than thirty days unless the appellant furnishes adequate security to the satisfaction of the assessing authority concerned for the payment of the outstanding amount.

(11) The members of the Tribunal shall sit in such benches of one, two or more members, as may be constituted from time to time, and do such work of the Tribunal as may, subject to sub-section (12) and the rules framed under this Act, be allotted to them, by order or in accordance with the directions of the President of Tribunal.

(12) (a) An appeal against the order of appellate authority under section 55 shall be heard and disposed of-

(i) by a bench of two members, where such order, not being an order passed on the application of the appellant for stay, is passed by an Additional commissioner (Appeals) or the amount of tax, fee or penalty in dispute, exceeds two lakh rupees;

(ii) by a single member bench, in any other case.

(b) An appeal against a direction given under the proviso to sub-section (7) of section 48 shall be heard and disposed of by a -

(i) bench of two members where such direction under appeal has been given by the Commissioner, Special Commissioner or an Additional Commissioner;

(ii) by a single member bench in any other case;

(c) An appeal against an order under section 56 shall be heard and disposed of by a -

(i) bench of two members where amount of tax, fee or penalty in dispute exceeds rupees two lakh or where order under appeal has been passed by the Commissioner, Special Commissioner or an Additional Commissioner;

(ii) single member bench in any other case;

(d) An appeal against a decision given under section 59, shall be filed before the President and shall be heard and disposed of by a bench of three members.

(e) The President may, if he so thinks fit,-

(i) direct an appeal to be heard and decided by a larger bench;

(ii) transfer an appeal from one bench to another bench.

(f) In a case before a bench consisting of two or more members any order other than an order finally disposing of the case may be passed by any one of the members constituting the bench.

Provided that an appeal against an order passed on an application for stay, may be disposed of finally by a single member bench.

(13) All appeals arising out of the same cause of action in respect of an assessment year shall, as for as possible, be heard and decided together:

Provided that where anyone or more of such appeals have been heard and decided earlier, if the bench hearing the remaining appeals considers that such decision may be a legal impediment in giving relief in such remaining appeals, it may, if the earlier decision was given-

(a) by a smaller bench or a bench of equal strength, recall such earlier decision and proceed to decide all the appeals together;

(b) by a larger bench, refer such remaining appeals to such larger bench having jurisdiction and thereafter such larger bench may recall such earlier decision and proceed to decide all the appeals together.

(14)The place of sitting and procedure of, and the manner of presenting appeals and other documents to the Tribunal shall, subject to the rules framed under this Act, be such as the Tribunal may deem fit to adopt.

(15)The decision, of case heard by a bench, shall be in accordance with opinion of the majority. Where the members are equally divided the President of the Tribunal may,-

(a) if he was not a member of such bench, give his own opinion or refer the case for the opinion of another member, whereupon the case shall be decided in accordance with such opinions; or

(b) form a larger bench.

Revision by High Court in special cases

**58.** (1) Any person aggrieved by an order made under sub-section (7) or sub-section (8) of section 57, other than an order under sub-section (4) of that section summarily disposing of the appeal, may, within ninety days from the date of service of such order, apply to the High Court for revision of such order on the ground that the case involves any question of law.

(2) The application for revision under sub-section (1) shall precisely state the question of law involved in the case, and it shall be competent for the High Court to formulate the question of law or to allow any other question of law to be raised.

(3) Where an application under this section is pending, the High Court may, on an application in this behalf, stay recovery of any disputed amount of tax, fee or penalty payable, or refund of any amount due under the order sought to be revised:

Provided that no order for stay or recovery of such disputed amount shall remain in force for more than thirty days unless the applicant furnishes adequate security to the satisfaction of the Assessing Authority concerned.

(4) The High Court shall, after hearing the parties to revision, decide the question, of law involved therein, and where as a result of such decision, the amount of tax, fee or penalty is required to be determined afresh, the High Court may send a copy of the decision to the Tribunal for fresh determination of the amount, and the Tribunal shall thereupon pass such orders as are necessary to dispose of the case in conformity with the said decision.

(5) All applications for revision of orders passed under section 57 in appeals arising out of the same cause of action in respect of an assessment year shall be heard and decided together:

Provided that where any one or more of such applications have been heard and decided earlier, if the High Court, while hearing the remaining applications, considers that the earlier decision may be a legal impediment in giving relief in such remaining applications, it may recall such earlier decision and may thereafter proceed to hear and decide all the applications together.

(6) The provisions of section 5 of the Limitation Act, 1963, shall *mutatis mutandis*, apply to every application, for revision under this section.

**Explanation-** For the purpose of this section, the expression "any person" includes the Commissioner and the State Government.

Determination of disputed question by the Commissioner

**59.** (1) If any question arises, otherwise than in a proceedings pending before a Court or before an authority under this Act, whether, for the purposes of this Act.

(a) any person or association of persons, society, club, firm, company, corporation, undertaking or Government Department is a dealer; or

(b) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods within the meaning of that term; or

(c) any transaction is a sale or purchase and, if so, the sale or purchase price, as the case may be, therefor; or

(d) any particular dealer is required to obtain registration; or

(e) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase and, if so, the rate thereof,

the person or the dealer concerned may, after depositing the fee specified in section 72, submit an application to the commissioner, along with such documents as may be prescribed.

(2) The Commissioner shall, after giving the applicant an opportunity of being heard, decide as he deems fit the question so arising:

Provided that, before giving such decision, the Commissioner may, in his discretion, ask an officer subordinate to him to make such inquiries as he considers necessary for the decision of the question.

(3) No decision of the Commissioner under this section shall affect the validity or operation of any order passed earlier by any assessing authority, appellate authority, revising authority or the Tribunal.

(4) No question which arises from an order already passed, in the case of applicant, by any authority under this Act or the Tribunal, shall be entertained for determination under this section.

(5) Except as provided in sub-section (3), a decision given by the Commissioner under this Section shall, subject to the provisions of sections 59 and 60 be final and binding on the applicant, the Assessing Authority and the Appellate Authority.

(6) A copy of the decision given under this section shall be sent to the applicant and to the assessing authority concerned.

Orders against which no appeal or revision shall lie

**60.** No appeal and no application for revision shall lie against-

(a) an order or notice initiating an inquiry for assessment or re-assessment;

(b) any order or action under section 45, sub-sections (1), (2) or (7) of section 48, sub-section (4) of section 50 or an order of seizure of goods; and

(c) any direction issued by the Commissioner in exercise of powers as may be prescribed.

Additional evidence in appeal

**61.** The assessee shall not be entitled to produce additional evidence, whether oral or documentary, before the appellate authority or the Tribunal except where the evidence sought to be adduced is an evidence, which the assessing authority had wrongly refused to admit or which after exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him before the assessing authority, and in every such case, upon the additional evidence being taken on record, reasonable opportunity for challenge or rebuttal shall be given to the assessing authority.

## CHAPTER- X

### Settlement Commission

Constitution of the Settlement Commission

**62.** (1) There shall be a Settlement Commission consisting of a Chairman and such number of other members as may be determined by the State Government.

Provided that the Commission shall comprise at least one member from each category mentioned in clauses (i) and (ii) of sub-section (4).

(2)The Commission shall be located at the State headquarter but the Commission for discharge of its functions, may, at its option, hold its camp at any public place anywhere inside the State.

(3) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he -

(i) has been a judge of a High Court, or

(ii) has, for at least one year, held the post of the President of Tribunal under this Act or the erstwhile Act;

(4) A person shall not be qualified for appointment as member unless he,

(i) has held the post of Member Tribunal or Additional Commissioner under this Act or under the erstwhile Act; or

(ii) he is or has been a member of U.P. Higher Judicial Service.

(5) The chairman and every other Member shall be appointed by the State Government but the member belonging to Higher Judicial Service shall be appointed after consultation with the Chief Justice of the High Court for which proposal will be initiated by the State Government:

Provided that the Chairman or member shall not assume the office unless he has resigned or retired from, as the case may be, the Judgeship of the High Court, or the Uttar Pradesh Higher Judicial Service or any other service in which he was serving.

(6) The Chairman and member shall hold office as such for a term of three years from the date he enters upon his office:

Provided that no Chairman or other member shall hold office as such after he has attained.

(a) in the case of Chairman the age of sixty five years, and

(b) in the case of any other Member the age of sixty two years.

(7) The Chairman or any other member may by notice in writing under his hand addressed to the Governor resign his office.

(8) The Chairman or any other member shall not be removed from his office except by an order made by the Governor on the ground of proved misbehavior or incapacity after (an inquiry made by the Chief Justice or such Judge of the High Court as may be nominated by the Chief Justice,) in the prescribed manner, in which such Chairman or other member as the case may be, has been informed of the charges against him and given reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

(9) On ceasing to hold office, the Chairman or other member shall not appear, act or plead before any authority under this Ordinance.

(10) The salaries and allowances payable to the Chairman and other member and the other conditions of their service shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

(11) Where the Chairman is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, or where any vacancy occurs in the office of the Chairman by reason of his death, resignation or otherwise, the President of Tribunal shall discharge the function of the Chairman until the Chairman resumes his duties or as the case may be a Chairman appointed in accordance with the provisions of this assumes charge of his office.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Staff of the Settlement Commission

**63.** (1) The State Government shall determine the nature and categories of the officers and other employees required to assist the Settlement Commission (hereinafter referred to as the Commission) in the discharge of its functions and provide the Commission with such officers and other employees as it may think fit.

(2) The officers and other employees of the Commission shall discharge their function under the general superintendence of the Chairman.

(3) The salaries and allowances and conditions of service of the officers and other employees of the Commission shall be such as may be prescribed.

Reference of case to the Settlement Commission

**64.** (1) Any dealer or other person who has been served with a notice –

(i) under sub-section (10) of section 45 and who is suspected to have evaded payment of tax exceeding one lakh rupees or such larger amount of tax as the State Government may by notification in the Gazette specify; or

(ii) for imposition of penalty either under sub-section (4) of section 48 or under entries at serial numbers 2 and 14 of the table under sub-section (1) of section 54 and where the maximum amount of penalty that can be imposed is likely to exceed one lakh rupees,

may file a petition before the Commission for settlement of amount of tax that may be assessed or amount of penalty that may be imposed or both, as the case may be, within thirty days from the date of receipt of such notice after giving intimation to the authority who has issued such notice :

Provided that the Commission may, in appropriate cases, accept the application after expiry of period of thirty days but before expiry of period of ninety days where the assessing authority has not passed order of assessment or penalty, as the case may be, in pursuance of such notice.

(2) The petition, in the prescribed form and manner along with such other documents as may be prescribed, shall be addressed to the Chairman of the Commission and shall be submitted in the office of the Commission along with satisfactory proof of deposit of fee of five thousand rupees.

Procedure to be adopted by the Commission

**65.** (1) The Chairman may from time to time constitute bench of two members for the disposal of the settlement cases received under section 64.

(2) A bench of two members shall include each category of members mentioned in clauses (i) and (ii) of sub section(4) of section 62:

Provided that Chairman may nominate himself as one of the members of the bench.

(3) The petition referred to in section 64 shall be placed before the bench to which it has been marked by the Chairman and where the bench, after giving reasonable opportunity of being heard to the petitioner and the representative officer of the Commissioner, is of the opinion that prima facie case for settlement is made out, it shall, subject to provision under sub-section (4), –

(i) order for registration of the case; and

(ii) stay the proceedings before the assessing authority in the case.

(4) Where after giving reasonable opportunity of being heard as provided under sub-section (3), if the Commission is of the opinion that a case for settlement is not made out, it shall reject the petition :

Provided that where petition presented is incomplete, the Commission shall not reject the petition if the petitioner removes defects within the time allowed by the Commission.

(5) Where a case for settlement has been registered, the Commission shall order to call for the report in the matter from the authority who has issued notice on the basis of which settlement case has been registered and such officer shall submit its report within thirty days of receipt of the direction from the Commission or within such extended time as the Commission may allow.

(6) Upon receiving the report referred to in sub-section (5) the Commission after giving reasonable opportunity of hearing to both parties and examining the records shall, by an order in writing, determine the amount of tax or penalty or both, as the case may be, which in its opinion the petitioner is in the facts and circumstances of the case, liable to pay as settlement amount.

(7) For the purpose of sub-section (6) the Commission may call for any records from the petitioner and the Commissioner relating to the case or such other records which may be helpful in the case.

(8) In a case of difference of opinion between the two members, the Chairman shall constitute a bench of three members including the members who have heard the case previously. Such bench after following the procedure under sub-section (6) and sub-section (7) shall, with majority of opinion, pass the order referred to in sub-section (6).

(9) Copies of order passed by the Commission under sub-section (6) or sub-section (8), as the case may be, shall be sent by the Commission to the officer who has issued the notice to the petitioner, the petitioner through his assessing authority, the assessing authority of the petitioner and the Commissioner and where the order passed by the Commission relates to payment of amount of tax, the assessing authority shall serve the notice of demand for the amount which is to be paid by the petitioner.

(10) The Commission may grant facility of payment of the amount mentioned in the settlement order along with amount of interest payable, in monthly installments not exceeding twenty four subject to such conditions including condition of furnishing security to the satisfaction of the assessing authority, as it may deem fit.

(11) Where the petitioner does not deposit the amount or any part of it mentioned in the settlement order, the same shall become recoverable as arrears of land revenue after expiry of a period of thirty days from the date of service of the order on him and the assessing authority shall recover such amount as if such amount is amount of tax assessed or penalty imposed under any other provisions of this Act:

(12) Provisions relating to payment of interest in respect of amount of tax shall apply to the amount mentioned in the settlement order in the manner the same are applicable in the case of tax levied under any other provisions of this Act.

(13) For all purposes under this Act, amount determined under this section shall be treated to be tax levied or amount of penalty imposed, as the case may be, and date of order made by the Commission shall be treated to be the date of order of assessment or penalty as the case may be.

(14) Where petition of the dealer or other person has been rejected by the Commission, the assessing authority shall proceed to assess the tax or to impose the penalty in case of such dealer or other person in accordance with other provisions of this Act.

(15) Notwithstanding anything contrary to the provisions of section 28 of this Act, where in any case of assessment a petition under this section has been rejected by the Commission, the assessment or re-assessment, as the case may be, may be made by the assessing authority before the expiry of the assessment year succeeding the assessment year in which order passed by the Commission has been received by the assessing authority by due process.

(16) Where a case of settlement under this section is pending before the Commission, nothing shall preclude the assessing authority from making an assessment or re-assessment pertaining to the assessment years to which settlement case is pending but the assessing authority shall make its order by ignoring the material under the show cause notice before the Commission.

(17) Where any settlement case relating to evasion of tax is pending for consideration before the Commission, if any additional notice in respect of tax evasion by the same authority or any fresh notice by any other authority is issued on any ground not mentioned in the earlier notice, the petitioner or the Commissioner may request the Commission to consider the material set out in such other notice provided the Commission has not made the settlement order.

(18) The Chairman, during pendency of a case, may -

(i) transfer any case from one bench to the other; or

(ii) re-constitute the bench.

(19) The Commission shall not entertain a petition regarding a matter which has been subject matter of any petition filed earlier by the dealer or other person.

(20) No appeal, revision or review shall lie against any proceedings or any order made under this section.

## CHAPTER- XI
## Miscellaneous

Objections relating to jurisdiction

**66.** (1) No objection as to the territorial or pecuniary jurisdiction of any assessing authority shall be allowed by any appellate or revising authority or the Tribunal, unless such objection was taken before the assessing authority at the earliest possible opportunity and unless, in the opinion of the appellate or revising authority or the Tribunal, as the case may be, a failure of justice has in fact been occasioned thereby.

(2) Where any assessment is set aside or quashed merely on the ground of want of territorial or pecuniary jurisdiction of the assessing authority or on any other ground of a like nature not affecting the substance, any tax already paid by the assessee, to the extent of the liability admitted by him shall not be refundable to him, in consequence of the assessment being so set aside or quashed.

Indemnity

**67.** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any servant of the Government for anything, which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Bar to certain proceedings

**68.** No assessment made and no order passed under this Act or the rules made thereunder by any authority shall be called in question in any Court, and, save as is provided in this Act, no appeal or application for revision or review shall lie against any such assessment or order.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Certain information to be confidential

**69.** (1) All particulars contained in any statement made, tax return furnished or accounts or documents produced under the provisions of this Act or of the rules made thereunder, or in any evidence given or affidavit or deposition made in the course of any proceedings under this Act or the rules made thereunder, or in any record of any proceedings relating to the recovery of a demand prepared for the purpose of this Act or the rules made thereunder, shall be treated as confidential.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the disclosure of any such particulars-

(a) for the purpose of any investigation of, or prosecution for any offence under this Act or under the Indian Penal Code, 1860, or under any other enactment for the time being in force; or

(b) to any person acting in the execution of this Act or the rules made thereunder where it is necessary to disclose the same to him for the purposes of this Act or the rules made thereunder; or

(c) occasioned by the lawful employment under this Act or the rules made thereunder of any process for the recovery of any demand; or

(d) to a Civil Court in any suit to which the Government or a party, which relates to any matter arising out of any proceedings under this Act or the rules made thereunder; or

(e) occasioned by the lawful exercise by a public servant of his powers under the Indian Stamps Act, 1899, to impound an insufficient stamped document; or

(f) to an officer of Central Government or the Government of any State, for the purpose of enabling that Government to levy or realise any tax imposed by it; or

jections
ating to
sdiction

(g) to an officer of the Central or the State Government for the purposes of making any inquiry against any Government servant; or

(h) for purposes of audit of public accounts.

Allotment of commodity code

**70.** (1) The State Government may, in respect of any entry of any Schedule of this Act, prepare lists of commodities which shall be deemed covered under the said entry of the said Schedule and may, on the basis of Harmonised System of Nomenclature, as adopted by the Government of India under the Central Excise Tariff Act, 1984, allot commodity code to commodities so listed.

idemnity

(2) The State Government may expand any entry of any Schedule of this Act by providing of commodities, prefixed by commodity code, listed under such entry of such Schedule under sub-section (1) of this section.

Facility for sick industrial units

**71.** (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and sub-section (2) of section 33 and section 39, but subject to such conditions, as may be deemed fit to be imposed, the State Government may allow the deferment of payment of any existing or future dues payable by an industrial unit under the provisions of this Act or allow payment of such dues in such number of installments as may be specified, if such industrial unit is declared a sick unit in accordance with the guidelines specified in this behalf by an authorised body constituted by the Central Government or the State Government in connection with the rehabilitation of sick industrial units, and is approved for rehabilitation by an approved agency, appointed by the Central Government or the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in section 32, the State Government may set aside an order of assessment or penalty passed ex-parte against a sick unit and direct fresh disposal of the case in accordance with the law for the time being in force.

Fees in certain cases

**72.** (1) Subject to other provisions of this Act, the fee payable on a memorandum of appeal or other applications under this Act filed or moved shall be as follows:

| | | |
|---|---|---|
| (a) | On a memorandum of appeal under section 55. | Two percent of the amount of tax, fee or penalty in dispute, subject to a minimum of one hundred rupees and a maximum of one thousand rupees. |
| (b) | On a memorandum of appeal under section 57. | Seven and a half per cent of the amount of tax, fee or penalty in dispute, subject to a minimum of five hundred rupees and maximum of two thousand one hundred rupees. |
| (c) | On an application under section- 59 | one hundred rupees. |
| (d) | On any other application- | |
| | (i) When addressed to the Commissioner or the Revising Authority or the Tribunal or the Settlement Commission | Twenty rupees |
| | (ii)When addressed to any other officer or authority. | Ten rupees. |

(2) The fee referred to in this section and in any other provision of this Act shall be payable in the manner prescribed, and proof of deposit of the same shall be attached to the memorandum or application, as the case may be:

Provided that where the amount of fee payable does not exceed one hundred rupees, the same may be paid in court fee stamps.

(3) No fee shall be payable in respect of:-

(a) an application or a memorandum of appeal presented by the Commissioner or any other officer or authority appointed under this Act or the rules made thereunder.

(b) an application in which only information is sought and in which no specific relief is prayed for ; and

(c) an application under section 59, seeking a decision only as to the rate of tax applicable or the point at which the tax is payable.

Transfer to defraud revenue void

**73.** (1) Where, during the pendency of any proceedings under this Act, any person liable to pay any tax or other dues creates a charge on, or transfers any movable or immovable property belonging to him in favour of any other person with the intention of defrauding any such tax or other dues, such charge or transfer shall be void as against any claim in respect of any tax or other dues payable by such person as a result of the completion of the said proceedings:

Provided that nothing in this section shall impair the rights of a transferee in good faith and for consideration.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to a charge or transfer in favour of a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 ( Act X of 1949) or any other financial institution specified by the State Government by notification in this behalf.

Power to issue notifications

**74.** Where the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest, it may issue notification wherever required under the provision of this Act so as to make it effective from a date not earlier than six months from the date of issue of such notification:

Provided that no notification having the effect of increasing the liability to tax of a dealer shall be issued with retrospective effect under this section.

Information to be furnished regarding change of business

**75.** If any dealer to whom the provisions of sections 17 and 18 apply:-

(a) transfers his business or any part thereof by sale, lease, leave, license, hire or in any other manner whatsoever, or otherwise disposes of his business or any part thereof; or

(b) acquires any business, whether by purchase or otherwise; or

(c) effects or comes to know of any other change in the ownership or constitution of his business; or

(d) discontinues his business or changes his place of business or warehouse or opens a new place of business or warehouse; or

(e) changes the name, style or nature of his business or effects any change in the class or description of goods in which he carries on his business, as specified in his certificate of registration; or

(f) enters into partnership or other association in regard to his business; or

(g) starts a new business or joins another business either singly or jointly with other persons; or

(h) in the case of a company incorporated under a statute effects any change in the constitution of Board of Directors; or

(i) effects any change in the particulars furnished in application for grant of registration certificate under section 17,

he shall within thirty days of the occurring of any of the events aforesaid, inform the registering authority in the form and manner, as may be prescribed.

Power to collect statistics

**76.** (1) The Commissioner may, by issuing a circular or by publication in the news paper, direct that statistics be collected relating to any matter under this Act.

(2) Any officer authorised to collect statistics may, call upon all dealers or class of dealers or a particular dealer to furnish such information, returns or statements as may be required relating to any matter in respect of which statistics are to be collected.

(3) Dealer shall be liable to furnish such information within the time allowed.

Tax to be first charge on property

**77.** Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, any amount payable by a dealer or any other person under this Act on account of tax, fee, penalty or interest, shall be the first charge on the property of the dealer or such person.

Board of State Taxes

**78.** (1) The State Government may, by notification, establish with effect from such date as may be specified in the notification, a Board to be known as the Uttar Pradesh State Tax Board to perform the functions conferred on it, by or under this Act or the rules made there under, consisting of the following members:-

| | | |
|---|---|---|
| (a) | The Principal Secretary, Government of Uttar Pradesh in Commercial Tax Department | *Chairperson ex-Officio* |
| (b) | Commissioner Commercial Tax, Uttar Pradesh | *Member ex-Officio* |
| (c) | Additional Commissioner [Vidhi] Commercial Tax, Uttar Pradesh | *Member ex-Officio* |
| (d) | Additional Director [Training], Commercial Tax, Uttar Pradesh | *Member ex-Officio* |
| (e) | a person who has been the member of Higher Judicial Service or a Senior Tax Advocate, appointed by the State Government | *Member* |
| (f) | a person who has been a Professor of Economics of a University, appointed by the State Government | *Member* |
| (g) | a person who has been Member Tribunal or Additional Commissioner, Commercial Taxes, appointed by the State Government | *Member* |
| (h) | two persons from amongst tax payers of recognized category nominated by the State Government | *Members* |

(2) The members mentioned at serial no (e) to (g) of sub-section(1) shall hold office as such for a period of five years or till attaining the age of 65 years whichever is earlier.

(3) The Board shall be the apex advisory body regarding system of tax collections, changes in the rate of tax, rules and procedures, promulgation of schemes, notifications, orders and such other matters as the State Government may from time to time require from it.

(4) The recruitment and conditions of service of the members other than *ex-officio* members shall be such as may be prescribed.

(5) The members referred to in clause (e) to (h) of sub-section (1) shall be entitled to get such remuneration as may be determined from time to time by the State Government.

Power to make rules

**79.** (1) The State Government may make rules to carry out the purpose of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for-

(a) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed;

(b) the registration of persons engaged in the sales or purchase of goods and the imposing of condition in respect of the sale for the purpose of enforcing the provisions of this Act;

(c) the determination of the turnover for the purpose of assessment of tax under this Act;

(d) compelling the submission of tax returns and the production of documents and enforcing the attendance of a person and examining them on oath or affirmation;

(e) the appointment, duties and powers of the officers appointed for the purpose of enforcing the provisions of this Act;

(f) generally regulating the procedure to be followed and the forms to be adopted in proceedings under this Act;

(g) refunds of amounts deposited under sub-section(1) of Section 40 or 41, the procedure for such refunds and the period within which they may be made;

(h) the custody of the goods seized under this Act; and

(i) the matters which are to be or may be prescribed.

(3) The power to make rules conferred by this section shall be subject to condition of the rules being made after previous publication for a period of not less than four weeks:

Provided that if the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary for it to take immediate action, it may make any rule without such previous publication.

(4) All rules made under this section shall be published in the *Gazette* and upon such publication shall have effect immediately as if enacted in this Act.

Power to remove difficulties

**80.** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, or by reason of anything contained in this Act to any other enactment for the time being in force, the State Government may, as occasion requires, by notified order direct that this Act shall have effect subject to such adaptions, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient :

Provided that no order under this sub-section shall be made after the expiration of the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Provisions made by any order under sub-section (1) shall have the effect as if effected in this Act and such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Repeal and saving

**81.** (1) The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 (U.P. Act No. XV of 1948) (hereinafter in this section referred to as the repealed enactment) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, -

(a) any notification, rule, regulation, order or notice issued, or any appointment or declaration made, or confiscation made, or any penalty or fine imposed, any forfeiture, cancellation or any other thing done or any action taken under the repealed enactment, and in force immediately before such commencement shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been issued, made granted, done or taken under the corresponding provisions of this Act.

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Act, shall not be affected and manufacturing units enjoying benefit of exemption from payment of tax under section 4-A of the repealed Act or the units enjoying facility of moratorium for payment of tax under section 8 (2-A) of the said Act shall be entitled to claim moratorium for payment of tax in accordance with provisions of section 42.

(3) Any officer, authorised by the Commissioner under the repealed enactment, to exercise powers under section 10-B and sub-section (6) of section 13-A thereof, shall be deemed to have been authorised by the Commissioner to exercise such powers under section 56 and sub-section (7) of section 48 respectively.

(4) Any order made or direction issued by the State Government or by the Commissioner under the repealed Act, for carrying out purposes thereof, to the extent the same are not inconsistent with the provisions of this Act, shall be deemed to have been issued under the provisions of this Act.

(5) Any security or additional security, furnished under the provisions of the repealed Act, shall be deemed valid for the purposes under this Act only upon furnishing an undertaking from the surety to this effect in the prescribed form and manner within thirty days from the date of the commencement of this Act :

Provided that, in appropriate cases, the assessing authority may extend the time for furnishing undertaking from sureties.

(6)The mention of particular matters in this section shall not be held to prejudice or affect general application of section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, with regard to the effect of repeals.

Repeal and saving

82. (1)The Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007 is hereby repealed . U.P. Ordinance no. 37 of 2007

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

| | SCHEDULE-I |
|---|---|
| | [See clause (b) of section-7 of Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008] |
| | List of Exempted goods |
| Sl. no. | Name and description of goods |
| 1 | 2 |
| 1. | Agricultural implements including sprayers & drip irrigation equipments - manually operated or animal driven or tractor or power driven; spare parts and accessories thereof.<br>(A) Agricultural implements - manually operated or animal driven - hand hoe or khurpa, sickle, spade, baguri, hand-wheel hoe, Budding / grafting knife, secateur, pruning shear or hook, hedge shear, sprinkler, raker, sprayer, duster and sprayer-cum-duster, kudali or kudal, garden fork, garden hatchet, lopper, axe shovel, bill hook (single edge or double edge), soil injector, jandra, wheel barrow, winnowing fan or winnower, dibbler, gandasa, puddler, leveller or scoop, scraper, fertilizer seed broadcaster, sheller, groundnut decorticator, manure or seed screen, flame gun, seed grader, tasla, tangli, yoke, plough, harrow, cultivator or trifali, seed drill, fertilizer drill, seed-cum-fertilizer drill, planter, plank or float, ridger, ditcher, bund former, thresher or palla, transplanter, chaff cutter, Persian wheel and bucket chain or washer chain, crop yield judging hoops, pur or mhot, carts, reaper, mower, sugar cane crusher, cane juice boiling pan and grating roller and crowbar; **animal driven cart, tyre and tube thereof.**<br>(B) Agricultural implements – Tractor or power driven - plough, harrow, cultivator or tiller, seed drill, fertilizer drill or fertilizer-cum-seed drill, fertilizer broadcaster, planter, plank or float, leveller or scoop, bund former, ridger, puddler, ditcher, cage wheel, sprayer, duster or sprayer-cum-duster, roller, hoe, rotary hoe or rotovetor, reaper or mower, potato harvester or spinner, groundnut digger, shaker, thresher, chaff cutter, sheller, groundnut decorticator, seed grader, winnower, seed treater, poultry feed grinder and mixer, and transplanter. |
| 2. | Aids & implements used by handicapped persons. |
| 3. | Animal shoenails, **nalkhuri and nails used in nalkhuri.** |
| 4. | Aquatic feed; poultry feed including balanced poultry feed; cattle feed including balanced cattle feed; and cattle fodder including green fodder, chuni, bhusi, chhilka, choker, javi, gower, de-oiled rice polish, de-oiled rice bran, de-oiled rice husk, de-oiled paddy husk or outer covering of paddy ; aquatic, poultry and cattle feed supplement, concentrate and additives thereof ; wheat bran and deoiled cake but excluding oil cake; rice polish; rice bran and rice husk. ; **sanai and dhaincha.** |
| 5. | **All kinds of bangles except those made of items described in schedule III; ghunghroo and ghanti of brass; Mukut of statue, trishul, gharial, hawan kund, ghanta, majira, aachmani made of copper or brass.** |
| 6. | Betel leaves, **paan both prepared and unprepared.** |
| 7. | Books and periodicals & journals including Braille books; maps; chart & globe. |
| 8. | Coarse grains that is to say jowar, maize (macca), ragi, bajra, kodon, barley and kutu, ramdana, singhara (whether fresh, dried or boiled), kutu flour and singhara flour :**sawan,mandua, kakun and manjhari(ankari).** |
| 9. | Condoms and contraceptives,**oral contraceptive pills.** |
| 10. | Cotton yarn in hanks and cones, silk yarn in hanks and cones; Poly cotton roving (puni) and slibers; **cotton newar, hand spun yarn, handloom newar; baan made of kaans, moonj or sunn.** |
| 11. | Charkha, Amber Charkha, Handlooms (including pitlooms, frame looms, light shuttel looms, and paddle looms); implements used in the production of khadi / khaddar; handloom fabrics and parts thereof; Khadi garments & goods & made-ups to be notified by States. |
| 12. | Curd, Lassi, butter milk, fresh milk, pasteurised milk and separated milk. |
| 13. | Electrical energy. |
| 14. | Earthen pot and all other goods of clay made by kumhars (potters) excluding ceramic pots and articles;**dung and upla made of dung; earthen roofing tiles (khaprail and naali).** |
| 15. | Fire wood except Casurina & Eucalyptus timber. |

| | |
|---|---|
| 16. | Fresh plants, saplings and fresh flowers. |
| 17. | Fried and roasted grams. |
| 18. | Fishnet, fishnet fabrics, fish seeds, prawn / shrimp seeds. |
| 19. | Fresh vegetables and fresh fruits including potato, onion, garlic and ginger;**fresh cane juice and fresh fruit juice other than those sold in sealed or tinned container or in hotels & restaurants.** |
| 20. | Human Blood & blood plasma. |
| 21. | Handloom cloth of all kinds; handloom durries; handloom shawls & lois whether plain, printed, dyed or embroidered. |
| 22. | Indigeneous handmade musical instruments. |
| 23. | Kumkum, Bindi, Alta & Sindur, roli, mahawar, mehndi leaves and its powder, kajal, surma, hairpins, hairband, hair clip, (other than that of precious metal), rubber band , safety pin , chutila, bichhia and rakhi ; **moonga or moti made of glass.** |
| 24. | Meat, fish, prawn & other aquatic products (when not cured or frozen), eggs and livestock. |
| 25. | National Flag, **news paper, newsprint when sold to news paper publishers; flag, poster, banner, token and goods of like nature related with Armed Forces Flag Day celebrated on December seven.** |
| 26. | Organic manure and bio-fertilizers; **Zinc sulphate fertilizer and micro-nutrient mixtures; potash and phosphatic components of the following chemical fertilizers.**<br>**Sl.No. — chemical fertilizer — ratio of components**<br>**1- D.A.P. 18:46:0**<br>**2- M.O.P. --------**<br>**3- S.S.P. --------**<br>**4- N.P.K. 12:32:16**<br>**5- N.P.K. 20:20:0**<br>**6- N.P.K. 15:15:15**<br>**7- N.P.K. 23:23:0**<br>**8- N.P.K. 14:35:14**<br>**9- N.P.K. 20:20:10**<br>**10- N.P.K. 15:15:10**<br>**11- N.P.K. 10:10:10**<br>**12- N.P.K. 12:6:0**<br>**13- N.P.K. 16:9:0**<br>**14- M.A.P. 11:52:0**<br>The percentage of the different components in the chemical fertilizers shall be determined according to guidelines issued by the Department of Agriculture, Uttar Pradesh, from time to time. |
| 27. | Papar, aam papar, kachri, sewaiyan, mungauri except soyabean mungauri, bari except soyabean bari. |
| 28. | Prasad, bhog or mahabhog, panchamrit, misri, batasa, vibhuti sold by religious institutions; **batasha,illaichidana,gatta,kampat.** |
| 29. | Non-judicial stamp paper sold by Govt. Treasuries, Postal items like envelope, postcard etc. sold by Govt., rupee note when sold to the Reserve Bank of India & Cheque, loose or in the book form. |
| 30. | Raw wool including animal hair. |
| 31. | Semen including frozen semen; **bones, horns and hooves.** |
| 32. | Slate and slate pencils; takthi; Chalk stick and chalk powder;**blackboard,jharan(duster).** |
| 33. | Silk worm laying cocoon & raw silk. |
| 34. | All seeds other than oilseed. |
| 35. | Tender green coconut;**coconut containing water.** |
| 36. | **Bun , rusk, bread excluding pizza bread; Atta, Maida, Suji, Besan; Gur, jaggery & edible variety of rab gur.** |
| 37. | Salt (branded or otherwise); Kala namak; sendha namak. |

| | |
|---|---|
| 38. | Water other than aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralised and water sold in sealed container. |
| 39. | Items covered by PDS (except Kerosene). |
| 40. | Sacred thread (commonly known as yagyopavit), **wooden kharaun.** |
| 41. | Incense sticks commonly known as agarbatti, dhupkathi or dhupbatti, hawan samagri including dhoop agarbatti, sambrani or lohbana, **rudraksh , rudraksh mala, tulsikanthi mala.** |
| | **GOODS OF LOCAL IMPORTANCE** |
| 42. | Chikan Products and Benarasi silk sarees, **kalavattu.** |
| 43. | Kite,**manjha** & charkhi used for flying kites. |
| 44. | Kirpan; religious pictures not for use as calendar. |
| 45. | Muddhas made of sarkanda, phool bahari jhadoo and unbranded broomsticks. |
| 46. | Puffed rice, commonly known as Poha, Murmura and lai; Muri; flattened or beaten rice commonly known as Chiwra; parched rice commonly known as khoi; parched paddy or rice coated with sugar or gur commonly known as Murki; and Sattu. |
| 47. | Handmade glass phials of capacity not more than 25 ml. manufactured by himself. |
| 48. | Handloom durries; handwoven tat-patti, gudri. |
| 49. | Handicrafts including wooden handicrafts **and cane** handicrafts but excluding wooden furniture and cane furniture. |
| 50. | Leaf plates and cups excluding pressed or stitched. |
| 51. | Wooden toys. |

| | |
|---|---|
| | **SCHEDULE-II** |
| | **[See clause (a) of sub -section-(1) of section-4 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008]** |
| | **Name and description of goods** |
| | **Part-A** |
| **Sl.no.** | **List of goods taxed at 4%** |
| **1** | **2** |
| 1. | Acids |
| 2. | All equipments for communication such as private branch exchange (PBX) & Elect. Private Automatic Branch Exch.(EPABX), teleprinters, wireless equipments and parts thereof . |
| 3. | All intangible goods like copyright, patent, rep. license etc;**transfer of right to use of goods.** |
| 4. | All metal Castings; **chains made of any metals or alloy other than those made of items described in schedule III.** |
| 5. | Marble goods; **deepak made of brass & copper; statue made of brass; woolen carpet; cup, trophy and shield; scissor, ustra used by barbers; padlock; Rampuri chakoo.** |
| 6. | All types of yarn other than cotton & silk yarn in hank; sewing thread ; cotton waste yarn. |
| 7. | All utensils including pressure cookers / pans except utensils made of precious metals; **Art brass ware and ingots (guilli) and koramal.** |
| 8. | Aluminium conductor steel reinforced (ACSR). |
| 9. | Arecanut powder and betel nut. |
| 10. | Audio & video cassettes. |
| 11. | Articles made of rolled gold and imitation gold; ornaments of kathir, german silver and aluminium. |
| 12. | Bagasse, **sawdust.** |
| 13. | Bamboo,**bans ki tilli(phatti).** |
| 14. | Basic chromium sulphate, sodium bichromate, bleach liquid. |

| | |
|---|---|
| 15. | Bearings including plumnes blocks, housing for bearing locate rings and covers adopter with drawl sleevs locknuts , lock washers clamps and rolling elements. |
| 16. | Bed sheet, pillow cover & other textile made ups excluding those made on handloom. |
| 17. | Beedi leaves and Tendu leaves. |
| 18. | Beltings of all kinds. |
| 19. | Bicycles, tricycles, cycle rickshaws & parts; tyres & tubes thereof. |
| 20. | **Chemical fertilizers, except those which are described in entry no. 26 of the schedule-I;** micro-nutrients and also plant growth promoters & regulators, herbicides, rodenticide, insecticide, weedicide and pesticides. |
| 21. | Bio-mass briquettes. |
| 22. | Bitumen. |
| 23. | Bone meal, **crushed bone, bone sinews, bone grist.** |
| 24. | Buckets made of iron & steel, aluminium, plastic or other materials (except precious materials); **other conveyance articles of plastic.** |
| 25. | Candles |
| 26. | Machinery, equipment, apparatus, tools, moulds, dies and component spare parts, accessories thereof; **earth movers.** |
| 27. | Castor oil. |
| 28. | Centrifugal, monoblock submersible pump sets including hose-collar, hose sockets, hose connector, hose click, hose nipple, foot valve and delta starter for water handling and parts thereof. |
| 29. | Chemicals including caustic soda, caustic potash, soda ash, bleaching powder, sodium bicarbonate, sodium hydro sulphate, sulphate of alumina, sodium nitrate, sodium acetate, sodium sulphate; acid slurry, trisodium phosphate, sodium tripoly phosphate, sodium silicate, sodium meta silicate, carboxymethyle cellulose, sodium sulphide, acetic acid, sodium bisulphite, oxalic acid, sodium thiosulphate, sodium sulphite, sodium alginate, benzene citric acid, diethylene glycol, sodium nitrate, hydrogen peroxide, acetaldehyde, pentaerythritol, sodium alpha olefin, sulphonate, sodium formate, chemical components and mixture and all other chemicals not specified elsewhere in this schedule or any other schedule. |
| 30. | Clay including fire clay, fine china clay and ball clay. |
| 31. | Coal tar, tar coal and charcoal. |
| 32. | Coconut in shell & separated kernel of coconut other than kopra. |
| 33. | Coffee beans & seeds, cocoa pod & beans, green tea leaf & chicory. |
| 34. | Coir & Coir products excluding coir mattresses. |
| 35. | Combs. |
| 36. | Computer stationery. |
| 37. | Cotton & cotton waste. |
| 38. | Crucibles. |
| 39. | Cups and glasses of paper & plastics. |
| 40. | Iron and steel, coal and coke in all its forms, crude oil, hide and skin (excluding animal hair), liquid petroleum gas for domestic use and jute as defined under section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956. |
| 41. | Drugs & Medicines including vaccines, syringes & dressings, medicated ointments, light liquid paraffin of IP grade. |
| 42. | All dyes not specified elsewhere in the schedule. |
| 43. | Edible oils & oilcake. |
| 44. | Electrodes & welding equipments. |
| 45. | Embroidary or Zari articles that is to say:–**lachaka,thapa, gokharu**,imi, zari, Kasab, salma, dabaka, chumki, gota, sitara, nagsi, kora, badia gizai, **including their cutting,waste & garlands of zari;**embroidery machines, embroidery needles. |

| | |
|---|---|
| 46. | Exercise book, graph book, laboratory note book and work books.; **school bag,greeting cards and calendars.** |
| 47. | Feeding bottles & nipples. |
| 48. | Ferrous & non-ferrous metals & alloys, non-metals, such as aluminium, copper, zinc & extrusions of those. |
| 49. | Fibres of all types and fibre waste. |
| 50. | Fireclay, coal ash, coal boiler ash, coal, cinder ash, coal powder, clinker, fly ash. |
| 51. | Omitted |
| 52. | Foodgrains including Paddy, Rice, Wheat. |
| 53. | **Glucose.** |
| 54. | Omitted |
| 55. | Gypsum of all forms & descriptions. |
| 56. | Hand pumps, spare parts & fittings thereof. |
| 57. | Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jari booti and dry flower. |
| 58. | Honey and beehive. |
| 59. | Hose pipes and fittings thereof. |
| 60. | Hosiery goods. |
| 61. | Hurricane lanterns, Kerosene lamp / lantern, petromax, glass chimney, accessories, components and parts thereof. |
| 62. | Rice polish and rice bran. |
| 63. | I.T products (as mentioned in Part-B) including computers, telephones and parts thereof, cell phones, satellite receivers, DVD, CD, teleprinter and wireless equipment and parts thereof. |
| 64. | Ice. |
| 65. | Industrial cables (High voltage cables, XLPE Cables, jelly filled cables, optical fibres). |
| 66. | Insulators. |
| 67. | Inverters. |
| 68. | Kattha. |
| 69. | Kerosene oil sold through PDS. |
| 70. | Knitting wool. |
| 71. | Lac & Shellac **including paseva,mulamma,button lac and kiri.** |
| 72. | Leaf plates and cups - pressed or stitched; **zuna used for cleaning.** |
| 73. | Lignite. |
| 74. | Lime, lime stone, dolomite & other white washing materials not elsewhere mentioned in any other schedule. |
| 75. | Linear alkyl benzene, L.A.B. Sulphonic Acid, Alfa Olefin Sulphonate. |
| 76. | List of industrial inputs and packing materials (as mentioned in the Part–C) |
| 77. | Locks of all kinds, their keys and parts thereof. |
| 78. | Maize starch, maize gluten, maize germ and oil. |
| 79. | Medical equipment /devices & implants, contact lens, spectacle frame, lenses, spectacles excluding sungoggles & sunglasses. |
| 80. | Metal alloys, metal powders, metal pastes of all types & grades & metal scrap other than those falling under declared goods. |
| 81. | Milk food & milk products including skimmed milk powder, tinned, bottled or packed; Flavoured milk; UHT milk; milk powder; baby milk food; khoya/ khoa, paneer, cheese, cream, ghee, butter. |
| 82. | Mixed PVC stabilizer. |
| 83. | **Moulded plastic footwear; hawai chappal and straps thereof; footwear of all kinds with maximum retail price of Rs. 300.00. or less.** |

| | |
|---|---|
| 84. | Napa Slabs (Rough flooring stones) & Shahabad stones. |
| 85. | Newars and tapes **other than cotton and handloom newar.** |
| 86. | Non mechanized boats used by fisherman. |
| 87. | Nuts, bolts, screws and fasteners that is to say – hinges, nails, rivets, cotter, cotter pins, staples, panel pins and tools; **tel ki kuppi; files used by artisans.** |
| 88. | Oilseeds. |
| 89. | Ores and minerals. |
| 90. | Packing cases & packing materials including cork , cork sheets, gunny bags, HDPE/PP woven strips, HDPE/PP circular strips and woven fabrics; Hessian cloth, Hessian based paper, Polythene and Hessian based paper; high density polythene fabric based paper and bituminized water proof paper, jute twine; polythene and plastic bags including LDPE plastic bags for milk pouches; Tin containers, shooks, tea chests, waste paper, wooden boxes, wooden shavings, wooden crates, wooden cable drums, or other materials notified by Govt. in this behalf.<br>Explanation : planks, penals, battens, when assembled will form tea chest or packing cases will come under packing cases for the purpose of this entry. |
| 91. | Palm fatty acid. |
| 92. | Paper of all kinds (including newsprint when sold to person other than news paper publishers), handmade paper and gum tape, whether meant for writing, printing, copying, packing or for any other purpose excluding cellophane, mill board, duplex board and grey board; **plywood, flushdoor and blockboard, hardwares, millstores.** |
| 93. | Paraffin wax of all grade standards other than food grade standard including standard wax and match wax. |
| 94. | Pipes of all varieties including G.I. pipes, C.I. pipes, ductile pipes, PVC etc. and fittings. |
| 95. | Pizza bread. |
| 96. | Plastic granules, plastic powder, master batches and scrap. |
| 97. | Pollution control equipments, instrumental -BOc incubator, COc apparatus, ion analyzer; Air pollution control equipment -filters (fabric filters, bag filters, vaccum filters), electrostatic precipitators, cyclones, wet scrubbers, particle analyzer (SO2, CO, NOx, SOx, hydrocarbons, chlorine, fluorine, etc.), personal samplers, detectors (for grass), high volume sampler, pressure gauges, **timer,** filter head assembly, pitet tube, sampling train (for ambient / stack air quality monitoring), smoke meter, mist eliminator. |
| 98. | Polyester & staple fiber yarn. |
| 99. | Porridge. |
| 100. | Printed materials including diary and calendar. |
| 101. | Printing ink excluding toner and cartridges. |
| 102. | Processed or frozen meat, poultry & fish. |
| 103. | Processed or preserved vegetable & fruits including fruit jams, jelly, pickle, fruit squash, paste, fruit drink & fruit juice (whether in sealed containers or otherwise). |
| 104. | **Pulp of bamboo, pulp of wood or pulp of raddi paper.** |
| 105. | Rail coaches, engines & wagons and parts thereof. |
| 106. | Raw cashew. |
| 107. | Readymade garments ; **unfilled razai.** |
| 108. | Renewable energy devices & spare parts. |
| 109. | River sands and grit. |
| 110. | Rubber, raw rubber, latex, dry ribbed sheet of all RMA Grades, tree lace, earth scrap, ammoniated latex, latex concentrate, centrifugal latex, dry crepe rubber, dry block rubber, crumb rubber, skimmed rubber and all other qualities and grades of latex; Reclaimed rubber, all grades and qualities, synthetic rubber. |
| 111. | Safety matches and Handmade safety matches. |

| | |
|---|---|
| 112. | Sewing machine, its parts & accessories. |
| 113. | Ship & other water vessels. |
| 114. | Silk fabrics excluding handloom silk fabric, not covered under Schedule-1. |
| 115. | Solvent oils other than organic solvent oil; **oil based washing soap other than detergent and toilet soap.** |
| 116. | Spices and condiments of all kinds including cumin seeds, turmeric, ajwain, haldi, dhania, hing, methi, sonth, kalaunji, saunf, khatai, amchur, long-patta, dal-chini, tej-patta, javitri, jaiphal, pepper, elaichi of all kind, dried chillies, kankaul mirch, ararote, mushroom, khumba and guchchi, gola, goley ka burada, selk narial, til, rai, postadana, magaj of all kinds, kesar, **dry fruits, soyabean bari and soyabean mungauri.** |
| 117. | Sports goods excluding apparels and footwear. |
| 118. | Starch, sago and sabudana. |
| 119. | **Narrow woven fabrics, Non-woven fabrics, Cotton Coated fabrics.** |
| 120. | Tamarind seeds and tamarind powder. |
| 121. | Tarpaulin. |
| 122. | Tea. |
| 123. | **Tools, aari and kanni used by carpenter and masons.** |
| 124. | Toys excluding electronic toys. |
| 125. | Tractors, **tractor trolley**, Harvesters & attachments & parts thereof; **tractor tyres and tubes.** |
| 126. | Transformers. |
| 127. | Transmission wire & towers, **telecom tower.** |
| 128. | Umbrella except garden umbrella and parts thereof. |
| 129. | Used motor vehicles. |
| 130. | Vanaspati (Hydrogeneted Vegetable Oil). |
| 131. | Vegetable oil including gingili oil and bran oil. |
| 132. | Wet dates. |
| 133. | Windmill for water pumping and for generation of electricity. |
| 134. | Wooden crates. |
| 135. | Writing ink. |
| 136. | Writing instruments, geometry boxes, colour boxes, crayons & pencils, sharpeners, **scale and eraser; scientific, mathematical survey, mechanical drawing, biological instruments & apparatus.** |
| 137. | Sweetmeat, namkeen and sugar products, **bura, kuliya, rewari and gazak.** |
| 138. | Toddy, Neera and Arak. |
| 139. | Khandsari. |
| 140. | All other declared goods. |

| **PART-B** | |
|---|---|
| **Sl. No.** | **List of IT Products taxed at 4%** |
| 1. | Word processing machines, Electronic typewriters. |
| 2. | Microphones, multimedia speakers, headphones, earphones and combined microphone / speaker sets and their parts. |
| 3. | Telephone answering machines and parts thereof. |
| 4. | Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording or other phenomena including Compact Disc (CD) and Digital Versatile Disc DVD. |
| 5. | IT software or any media. |

| | |
|---|---|
| 6. | Transmission apparatus other than apparatus for radio or T.V. broadcasting, Transmission apparatus incorporating reception apparatus, digital still image video cameras. |
| 7. | Radio communication receivers, Radio Pagers. |
| 8. | Aerials, antennas and parts. |
| 9. | LCD panels, LED panels and parts. |
| 10. | Electrical capacitors, fixed, variable and parts. |
| 11. | Electronic calculators. |
| 12. | Electrical resistors.(including rheostats and potentiometers) other than heating resistors. |
| 13. | **Printed Circuit boards.** |
| 14. | Switches, connectors, Relays, electronic fuses. |
| 15. | **DATA / Graphic display Tubes; TV parts, Picture tubes and parts thereof.** |
| 16. | Diodes, transistors and similar semi-conductor device, photo sensitive semi conductor devices, including photo voltaic cells whether or not assembled in modules or made up in to panels; light emitting diodes; mounted piezo-electric crystals. |
| 17. | Electronic Integrated Circuits and Micro-assemblies. |
| 18. | Signal Generators and parts. |
| 19. | Optical Fibre Cables. |
| 20. | Optical fibre and optical fibre bundles and joining kits and joining materials thereof. |
| 21. | Liquid Crystal Devices, flat panes display devices and parts thereof. |
| 22. | Computer system and peripherals, Electronic Diaries. |
| 23. | Cathode ray oscilloscopes, Spectrum analyzers, Cross talk meters, gain measuring instruments, distortion factor meters, psophometres, network and logic analyzers and Signal analyzers. |
| 24. | D C Micro motors, Stepper Motors. |
| 25. | Uninterrupted Power Supply (UPS) **device** and parts thereof. |
| 26. | Permanent magnets and articles intended to become permanent magnet (ferrites). |
| 27. | Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy including line telephone sets with cordless handsets and tele-communication apparatus for carriage-current line system or for digital line system; video phones. |
| 28. | Cell Phones and its parts. |
| 29. | **Omitted** |

| **PART-C** | |
|---|---|
| **S.No.** | **List of Industrial Inputs taxed at 4%** |
| 1. | Animal (including fish) fats and oils, crude, refined or purified. |
| 2. | Glycerol, Crude, Glycerol Waters and Glycerol lyes. |
| 3. | Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured; degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes. |
| 4. | Animal or vegetable fats boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modfied; inedible mixtures or preparations of fats and oils of this chapter. |
| 5. | Liquid glucose (non medicinal), Dextrose Syrup. |
| 6. | **Omitted** |
| 7. | Sulphur, Barytes. |
| 8. | Manganese ores and concentrates including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight. |
| 9. | Copper ores and concentrates. |
| 10. | Nickel ores and concentrates. |

| | |
|---|---|
| 11. | Cobalt ores and concentrates. |
| 12. | Aluminium ores and concentrates. |
| 13. | Lead ores and concentrates. |
| 14. | Zinc ores and concentrates. |
| 15. | Tin ores and concentrates. |
| 16. | Chromium ores and concentrates. |
| 17. | Tungsten ores and concentrates. |
| 18. | Uranium or Thorium ores and concentrates. |
| 19. | Molybdenum ores and concentrates. |
| 20. | Titanium ores and concentrates. |
| 21. | Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates. |
| 22. | Precious metal ores and concentrates. |
| 23. | Other ores and concentrates. |
| 24. | Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel. |
| 25. | Ground granulated blast-furnace slag (GGBS). |
| 26. | Benzole. |
| 27. | Toluole. |
| 28. | Xylole. |
| 29. | Naphthalene. |
| 30. | Phenols. |
| 31. | Creosote oils. |
| 32. | Mixed Xylene. |
| 33. | Butadene. |
| 34. | Normal Paraffin and paraffin wax. |
| 35. | Fluorine, Chlorine, Bromine and Iodine. |
| 36. | Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur. |
| 37. | Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included). |
| 38. | **Hydrogen, rare gases and oxygen gas.** |
| 39. | Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury. |
| 40. | Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid. |
| 41. | Sulphuric acid and anhydrides thereof; Oleum. |
| 42. | Nitric acid; sulphonitric acids. |
| 43. | Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid and polyphosphoric acids. |
| 44. | Oxides of boron; boric acids. |
| 45. | Other organic acids and other inorganic compounds of non-metal. |
| 46. | Halides and halide oxides of non-metals. |
| 47. | Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide. |
| 48. | Ammonia, anhydrous or in aqueous solution. |
| 49. | Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium. |
| 50. | Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides of strontium or barium. |
| 51. | Zinc oxide, zinc peroxide. |
| 52. | Aluminium hydroxide, aluminium calcides. |
| 53. | Chromium oxides and hydroxides. |
| 54. | Manganese oxides. |
| 55. | Iron oxides and hydroxides. |
| 56. | Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides. |
| 57. | Titanium oxide. |

| | |
|---|---|
| 58. | Lead oxides, Read lead and Orange lead. |
| 59. | Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides. |
| 60. | Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts. |
| 61. | Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides. |
| 62. | Bleach liquid, Bleaching powder, sodium hypochlorides, sodium chloride. |
| 63. | Chlorates and Perchlorates; Bromates and Perbromates; Iodates and periodates. |
| 64. | Sulphides; Polysulphides. |
| 65. | Dithionites and sulphoxylates. |
| 66. | Sulphites; thiosulphates. |
| 67. | Sodium sulphates, alums, Peroxosulphates (Persulphates), Sodium Hydrogen sulphate, Ferrous sulphate, Copper sulphate, Amonium alum, potash alum and ferric alum, Manganese sulphate, Strontium sulphate. |
| 68. | Basic Chromium Sulphate, sodium sulphate, Magnesium sulphate, Ferrous sulphate. |
| 69. | Nitrites; nitrates. |
| 70. | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites); phosphates and polyphosphates, Sodium Tripoliuphosphate, Trisodium phosphate. |
| 71. | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonates containing ammonium carbonate; **polycarbonates.** |
| 72. | Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides. |
| 73. | Fulminates, cyanates and thiocyanates. |
| 74. | Silicates, commercial alkali metal, silicates of sodium, sodium metasilicates, sodium metasilicates of potassium, Magnesium Trisilicate. |
| 75. | Borates; peroxoborates (perborates). |
| 76. | Sodium bichromate. |
| 77. | Sodium dichromate. |
| 78. | Potassium dichromate. |
| 79. | Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products. |
| 80. | Isotopes other than those of heading No. 28.44; compounds, inorganic or organic of such isotopes, whether or not chemically defined. |
| 81. | Compounds, inorganic or organic, of rare earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals. |
| 82. | Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea. |
| 83. | Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus. |
| 84. | Silicon carbide. |
| 85. | Calcium carbides. |
| 86. | Hydrides, azides, cilidides and borides. |
| 87. | Cyclic Hydrocarbons. |
| 88. | Halogenated derivatives of Hydrocarbons. |
| 89. | Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated. |
| 90. | Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |
| 91. | Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |
| 92. | Phenols; Phenol-Alcohols and their derivatives. |
| 93. | Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols. |
| 94. | Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcoholphenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |

| | |
|---|---|
| 95. | Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |
| 96. | Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |
| 97. | Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde. |
| 98. | Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |
| 99. | Acetone, Cyclohexanone, diacetone alcohol and others. |
| 100. | Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |
| 101. | Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |
| 102. | Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |
| 103. | Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |
| 104. | Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |
| 105. | Esters of other inorganic acids (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |
| 106. | Amine-function compounds and derivatives and salts. |
| 107. | Oxygen-function amino-compounds. |
| 108. | Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids. |
| 109. | Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid. |
| 110. | Carboxyamide-function compound (including saccharin and its salts)and imine-function compounds. |
| 111. | Nitrile-function compounds. |
| 112. | Diazo-, Azo- or azoxy-compounds. |
| 113. | Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine. |
| 114. | Compounds with other nitrogenfunction. |
| 115. | Organo-sulphur compounds. |
| 116. | Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid, Nitrillo Triacetic Acid and their Derivatives. |
| 117. | Heterocyclic compounds with oxygen heteroatom(s) only. |
| 118. | Heterocyclic compounds with nitrogen heteroatom(s) only. |
| 119. | Nucleic acids and their salts; other heterocyclic compounds. |
| 120. | Sulphonamides. |
| 121. | Glycosides, natural or reproduced by synthesis and their salts, ethers, esters and other derivatives. |
| 122. | Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives. |
| 123. | Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid, Nitrillo Triacetic Acid and their Derivatives. |
| 124. | Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives excluding catechu or gambiar. |
| 125. | Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for pre-tanning excluding catechu or gambiar. |
| 126. | Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), preparations based on colouring matter of vegetable or animal origin excluding catechu or gambiar. |

| | |
|---|---|
| 127. | Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined. |
| 128. | Colour lakes; preparations based on colour lakes. |
| 129. | Pigments, Inorganic products of kind used as luminophores, Ultramarine and preparations, Lithphone and other pigments and preparations based on zink sulphide. |
| 130. | Red oxide, Bronze powder. |
| 131. | Master Batches, other colouring matter including ultra marine blue. |
| 132. | Prepared pigments and all their derivatives. |
| 133. | Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes. |
| 134. | Prepared driers. |
| 135. | Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms (for example bales). |
| 136. | Silicon surfected, Non-ionic, Sulphonated or sulphated oxide, Chlorine castor oil. |
| 137. | Artificial waxes and prepared waxes. |
| 138. | Casein, caseinates and other Casein derivatives, casein glues. |
| 139. | Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included. |
| 140. | Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives, and similar preparations). |
| 141. | Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures. |
| 142. | Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black. |
| 143. | Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared. or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil. |
| 144. | Gums and turpentine oil. |
| 145. | Resin and resin acids, and derivatives thereof; resin spirit and resin oils; run gums. |
| 146. | Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on resin, resin acids or on vegetable pitch. |
| 147. | Insecticides, fungicides, herbicides, weedicides and pesticides.of technical grade. |
| 148. | Sodium penta chlorophenate. |
| 149. | Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dye-stuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included. |
| 150. | Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics, **upper & lower of shoes,sole,ilet,shoe laces.** |
| 151. | Reducers and blanket wash / roller wash used in the printing industry;**rubber blankets.** |
| 152. | Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included. |
| 153. | Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes. |
| 154. | Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics. |
| 155. | Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols, soap stock. |
| 156. | Retarders used in the printing industry. |
| 157. | Polymers of ethylene in primary forms. |
| 158. | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms. |
| 159. | Polymers of styrene, in primary forms. |
| 160. | Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms. |

| | |
|---|---|
| 161. | Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters in primary forms; other vinyl polymers in primary forms. |
| 162. | Acrylic polymers in primary forms. |
| 163. | Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms, polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms. |
| 164. | Polyamides in primary forms. |
| 165. | Amino-resins, polyphenylene oxide, phenolic resins and polyurethanes in primary forms. |
| 166. | Silicones in primary forms. |
| 167. | Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones. |
| 168. | Cellulose and its chemical derivatives, and cellulose ethers, not elsewhere specified or included in primary forms. |
| 169. | Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms. |
| 170. | Ion-exchangers based on polymers. |
| 171. | Self adhesive plates, sheets, film foil, tape, strip of plastic whether or not in rolls. |
| 172. | Other plates, sheets, film, foil and strips of plastics, non-cellular, whether lacquered or metallised or **laminated**, supported or similarly combined with other materials or not; **pre-sensitised aluminium plate, litho film used in printing.** |
| 173. | Thermocol. |
| 174. | Articles for the packing of goods of plastics, namely , crates, containers, carboys, bottles, jars, jerry canes and their stoppers, lids, caps of plastic but not including insulated wares, natural rubber, balata, gutta percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strips, synthetic rubber and factice derived from oils in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product, reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip, compounded rubber unvulcanized in primary forms or in plates, sheets or strip. |
| 175. | Mechanical wood pulp, chemical wood pulp, semi-chemical wood pulp and pulps of other fibrous cellulosic materials. |
| 176. | Cartons (including flattened or folded cartons), boxes (including flattened or folded boxes), cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard. |
| 177. | Paper printed labels and paperboard printed labels. |
| 178. | Paper self adhesive tape and printed wrappers used for packing. |
| 179. | Polyester texturised yarn. |
| 180. | Yarn of Polyesters, partially oriented. |
| 181. | Sacks and bags of jute or textile. |
| 182. | Carboys, bottles, jars, phials of glass, of a kind, used for the packing goods; stoppers, lids and other closures, of glass. |
| 183. | Glass fibers (including glass wool and glass filaments) and articles thereof (for example: yarn, woven fabrics), whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics or varnish. |
| 184. | Ferro alloys. |
| 185. | Aseptic packaging aluminium foil of thickness less than 0.2 mm and backed by paper and LDPE. |
| 186. | Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers) capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal. |
| 187. | Polymer of Styrene-polystyrene or Expandable Polystyrene. |
| 188. | Textile Finishing agents, Textile Printing Binder-PVA Copolymer, Textile Non-woven binder-PVA copolymer, Lamination emulsion-PVA copolymer, Packaging emulsion-PVA copolymer, Sticker Emulsion-PVA copolymer, Binder for water based paint-PVA copolymer. |
| 189. | Water / Hydraulic / industrial valves. |
| 190. | Copper Clad sheets (PCB Sheets) for Printed circuit boards. |

| | |
|---|---|
| 191. | Strings for Musical Instruments. |
| 192. | Purified Terepthalic acid. |
| 193. | Expandable Polystyrene or Polystyrene of styrene. |
| 194. | Zinc Oxide. |
| 195. | Jute Yarn, Jute Cloth, Jute twine and jute sheets. |
| 196. | LLDPE/LDPE/HDPE, PP/HDPE Woven sacks, PP/HDPE Fabrics; **HDPE masquito net.** |
| 197. | Refractory **monolithic.** |
| 198. | PVA Copolymer. |
| 199. | CNSL, cardanol & Alklyd resins. |
| 200. | Hessian cloth and sheets. |
| 201. | Metal containers. |
| 202. | Sodium sulphate. |
| 203. | Pine Oil, Terepeneol. |
| 204. | Camphor. |
| 205. | Micro cellular sheets, Banwar sheets & Hawai straps. |
| 206. | Woven Label Tapes. |
| 207. | Wooden Crates., Tea chests; **vineer.** |
| 208. | Polymers of Venyl Acetate and Poly Venyl acetate Emulsion. |
| 209. | Empty cylinders of LPG. |
| 210. | Aluminium ingots and aluminium wire, rods. |
| 211. | Butadine. |
| 212. | Caprolactum, DMT, MEG. |
| 213. | Di-ethylene glycol,Mono-ethylene glycol, Tri-ethylene glycol, ethylene glycole, heavy ethylene glycol. |
| 214. | Ethylene oxide. |
| 215. | Ethylene, propylene. |
| 216. | Flexible plain films. |
| 217. | Methanol. |
| 218. | Polyethylene terepthalate chips. |
| 219. | Sheets, circles and ingots of zinc, brass and copper. |
| 220. | Buttons, elastic, zip, zip fastners, foams, nylon tepe, lace and zipper. |
| 221. | Sheets of polyurethene foam. |
| 222. | Railway switches, crossings, switch expansion joints, steel turnout sleepers, fish - plate, steel clips, track bolts and nuts, elastic rail clips and railway signal, signalling equipments and accessories and parts thereof. |
| 223. | Glass shell, lead glass tubes, filaments, moly wire, lead in wire, caps, dumet wires, solder wire,. Crapping cement. |
| 224. | Scrap of plastic, glass and metals, and broken glass. |
| 225. | Flavouring essences, synthetic essential oil. |
| 226. | Red lead, litharge and grey oxide. |
| 227. | Sodium petroleum sulphonate, calcium petroleum sulphonate. |
| 228. | Acids sludge. |
| 229. | Silicon steel stamping, hollow porcelin bushings, grinding wheel. |
| 230. | Insulating papers and boards, insulating fabric tape and sheets. |
| 231. | Petroleum jelly IP. |
| 232. | Lay-flat tube. |
| 233. | Polythene bags, plastic bags, pouches and closures. |
| 234. | Micro cellular sheets and banwar sheets. |
| 235. | Resins, terpene chemicals like pine oil, depentine, DD, Turpentine, terpeneol, Camphor. |

| | |
|---|---|
| 236. | **Electrical goods, i.e. Winding wires and strips, Switches, selector switches, fuse-switches unit up to 15 amps. and not in enclosure, Contactors auxillary contactors, contact block, Control gears and starters, ammeter, Kwh meter, voltmeter, insulating materials, insulator, jointing materials, Circuit breakers, HRC fuse, thermostat, programmable logic controller, timers, switch boards, panel boards, distribution boards, control panels, motor control center, power control center, bus duct, burner control cubicle, control desk, push button station, local control station, kiosk, feeder pillar, SMPS , Electrical relays and single phasing preventor and timers, overhead transmission line materials including components, accessories and spare parts thereof.** |
| 237. | Purified pterepthalic acid. |
| 238. | Articles of metals, namely boxes, cases, crates, containers and their stoppers, caps, lids of metal used for packing of goods (but not including insulated wares). |
| 239. | Atta chakki patthar. |
| 240. | Polyester staple fiber and polyester staple fiber film and polyester fiber waste. |
| 241. | China clay. |
| 242. | Rubber processed oil. |
| 243. | Liquified chlorine. |
| 244. | Petroleum coke. |
| 245. | Laterite. |
| 246. | Silica sand. |
| 247. | Red Ocher. |
| 248. | Felsphar. |
| 249. | Hydrated Lime. |
| 250. | Quartz powder. |
| 251. | Sodium Hypo Chlorite. |
| 252. | Carbon tappin electrode. |
| 253. | Carbon catalyst. |
| 254. | Acetylene Gas. |
| 255. | **Mentha oil, dementhalised oil and menthol.** |
| 256. | Soapstone powder. |
| 257. | Hydro sulphite of soda. |
| 258. | Sodium bi-carbonate. |
| 259. | Dyes & Dyestuffs **excluding following -**<br>**paints, enamels, cement based water colours, dry distempers, oil based distempers, emulsion paints including acrylic and plastic emulsion paints, lacquers including cellulose lacquers, varnishes, all types of synthetic adhesive.** |
| 260. | **Gwar,gwar refined dal or split, gwar gum powder, and punwad.** |
| 261. | Threads including fire resistence thread. |
| 262. | Wooden Heel. |
| 263. | Antisatic Insole. |
| 264. | **Barley Malt,molasses,yeast, gel(cake improver), bread improver,bakerymix, baking powder.** |
| 265. | P.U.Foam sheet. |
| 266. | Stainless steel ingots, billets, blooms, flats, flat bars, patta and circles, mild Steel Sheets,**stainless steelwire,wire rod,round,brightbar,sheet and plate.** |
| 267. | Ketones and Quinones, whether or not with other oxygen function and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. |
| 268. | Buffing goods and polishing materials. |
| 269. | Rubber rolls and polishers. |
| 270. | Such other goods as the State Govt. may by notification specify. |

**SCHEDULE-III**

**[See clause (b) of sub -section-(1) of section-4 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008]**

**List of goods taxed at 1%**

| Sl. no. | Name and description of goods |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | Gold, silver and other precious metals; Articles of gold, silver and precious metals including jewellery made of gold, silver and precious metals. |
| 2. | Precious and semi precious stones such as diamonds, emeralds, rubies, pearls and sapphires whether they are sold loose or as forming part of any article in which they are set. |
| 3. | Bullion and species. |
| 4. | **Pulses (both whole or split).** |

**SCHEDULE-IV**

**[See clause (c) of sub-section-(1) of section-4 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008]**

| | Sl.no. | Name and description of goods | Point of Tax | Rate of Tax % |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1 | Spirits and Spirituous liquors of all kinds including Alcohol, as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939 but excluding country liquors. | M or I | 32.5% |
| | 2 | Omitted | deleted | deleted |
| | 3 | Omitted | deleted | deleted |
| | 4 | Arms & ammunition. | M or I | 20% |
| | 5 | Petrol. | M or I | 26% |
| | 6(a) | Diesel oil as defined in the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act,**1939 when sold to registered dealer for use in the process of manufacture of any taxable goods against certificate prescribed by the Commissioner.** | M or I | 4% |
| | 6(b) | Diesel oil as defined in the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, **1939 in cases other than those described in serial no. 6(a).** | M or I | 21% |
| | 7 | Aviation turbine fuel (Duty paid) or aviation turbine fuel (bonded) | M or I | 20% |
| | 8 | Aviation Gasoline (Duty paid) or Aviation Gasoline (Bonded) | M or I | 20% |
| | 9(a) | Furnace oil including residual furnace oil **when sold to registered dealer for use in the process of manufacture of any taxable goods against certificate prescribed by the Commissioner.** | M or I | 4% |
| | 9(b) | Furnace oil including residual furnace oil **in cases other than those described in serial no. 9(a).** | M or I | 20% |
| | 10(a) | Natural gas **other than Compressed Natural Gas {CNG} when sold to registered dealer for use in the process of manufacture of any taxable goods against certificate prescribed by the Commissioner.** | M or I | 4% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 10(b) | **Natural gas other than Compressed Natural Gas (CNG) in cases other than those described in serial no. 10(a).** | M or I | 20% |
| | 11(a) | **Naptha when sold to registered dealer for use in the process of manufacture of any taxable goods against certificate prescribed by the Commissioner.** | M or I | 4% |
| | 11(b) | **Naptha in cases other than those described in serial no. 11(a).** | M or I | 20% |
| | 12 | Bhang. | M or I | 32.5% |
| | 13 | Opium. | M or I | 32.5% |

**SCHEDULE-V**

**[See clause (d) of sub– section-(1) of section-4 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008]**

**List of goods taxed at 12.5%**

| Sl.No. | Name and description of goods |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | All goods except goods mentioned or described in Schedule-I, Schedule-II, Schedule-III and Schedule-IV of this Act. |

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 tax on sale or purchase of goods other than newspapers was levied and collected under the single point tax levy system. Generally the dealer, who made first sale or purchase of goods inside the State, was liable to pay tax, under the said Act. The scheme provided for levy of tax *ad valorem*. At the first point of sale or purchase, turnover base was low in comparison to turnover base at the last point of sale. This was because of value addition due to labour, services and margin of profits during journey of goods from first point to the last point of sale. During normal course of business there always remained goods with manufacturers or traders as running stocks. In case goods were purchased from within the State, a part of working capital was held up in such stocks. A manufacturer had to pay tax on inputs as well as on outputs. The system brought cascading effect on business. Second and subsequent purchasers of goods who purchased such goods for export or use in manufacture of goods for export out of the country, had to pay tax. Thus the system made our exports incompetitive.

In the Value Added Tax system, tax is collected on turnover of goods at the first point of sale or purchase as well as on turnover due to value addition during chain of sales of goods. Thus turnover base for same goods is widened under the Value Added Tax system. For same amount of revenue, the system reduces the rate of tax. Input tax credit method of levy and collection of tax facilitates dealers to get released their capital share involved as tax element in the running stock. In the system, with the same amount of capital investment, working capital of manufacturers and traders is increased in comparison to system under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948. The system removes the cascading effect on trade and industry. The goods exported can be zero rated by allowing refund amount of tax paid on purchase of goods inside the State.

The Value Added Tax system leads a way for progress or trade and industry in the State and therefore it is in the public interest.

The tax rate war among States and tax based incentive provided by the different States to industries had led to unfair competition and had resulted in revenue loss to States. The practice has also led to diversion of trade and industry. Therefore under the leadership of the Central Government, the States and Union Territories of the country had collectively dicided to do away with such practices. The empowered Committee of honourable Finance Ministers of States, constituted by the Honourable Chief Ministers of States and Union Territories, had taken common policy decisions to be adopted by all States and Union Territories. According to the decision of the empowered Committee, Aviation Turbine Fuel, Diesel Oil and Petrol, Lottery Tickets, Liquour which are produced in organized sectors and sale of goods in special category transactions such as transfer of right to use goods were to be kept outside the Value Added Tax Scheme.

Self assessment by dealers was the need of the hour. Therefore Scheme of deemed assessment on the basis of annual return of turnover and tax was introduced. Discretion leads to corruption. Therefore discretion was minimized. Prevention of evasion of tax is as important as levy of tax. Therefore adequate measures were taken for preventing evasion.

Accordingly it was decided to repeal the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, and to make a law to provide for introducing in the State Value Added System for levy and collection of tax on sale or purchase of goods other than newspapers.

Since the State Legislature was not in session and immediate lelgislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 37 of 2007) was promulgated by the Governor on December 20, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.M.A. ABIDI,
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 1134 राजपत्र(हि०)—(2525)—2008—697 प्रतियां—(कम्प्यू०एन०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 445 सा० विधायी—(2526)—2008—850 प्रतियां—(कम्प्यू०एन०/आफसेट)।

क्रम-सं०-77

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०-91/2008-10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 28 फरवरी, 2009
फाल्गुन 9, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

संख्या 497/79-वि-1-09-1(क)7-2009
लखनऊ, 28 फरवरी, 2009

### अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 27 फरवरी 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

### उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2009

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2009

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) धारा 2 का खण्ड (ध) और (ङ); धारा 3, धारा 5 और धारा 6; धारा 8 का खण्ड (च) (छ) और (ज); धारा 10, धारा 11 का खण्ड (क), धारा 14, धारा 16 द्वारा अन्तःस्थापित मूल अधिनियम की उपधारा (17), धारा 17, धारा 18, धारा 22, धारा 24, धारा 29 और धारा 34, दिनांक 01, जनवरी 2008 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा शेष उपबंध तुरन्त प्रभावी होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 05 सन् 2008 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (ज) में, उप-खण्ड (नौ) और (दस) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(नौ) रेल आधान संविदाकार; वायु जहाजी माल संचालक (एयर कार्गो आपरेटर); कूरियर सर्विस प्रोवाइडर, जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता प्रकट करने में विफल होता है या पारेषक या पारेषिती का ऐसा प्रकटित नाम या पता मिथ्या, कूटरचित या असत्यापनीय पाया जाता है, या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी, जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार -पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्गमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को सौंपने में असफल रहा हो;

(दस) उपखण्ड (नौ) में संदर्भित परिवहन कर्ता से भिन्न, गोदाम, शीतगृह या वेयर हाउस के स्वामी या प्रभारी जो वाणिज्यिक वस्तुओं का भण्डारण करते हों।";

(ख) खण्ड (त) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी वस्तु के उपयोग के अधिकार के अन्तरण के मामले में संदत्त या संदेय कर इनपुट कर का भाग नहीं होगा।"

(ग) खण्ड (क घ) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(पाँच) प्रभारित या प्रभार्य कर, विक्रय मूल्य का अंश नहीं होगा।

(छः) विक्रय के समय नकद या व्यापारिक छूट, जैसा कि बीजक से सुव्यक्त हो, विक्रय मूल्य से घटा दिया जाएगा परन्तु कोई कार्योत्तर प्रदान की गई छूट या प्रोत्साहन या छूट (रिबेट) या पारितोषिक और इसी प्रकार की कोई छूट विक्रय मूल्य से नहीं घटायी जायेगी।"

(घ) खण्ड (क छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(क छ) "कर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन समाचार पत्र को छोड़कर माल की खरीद या बिक्री या दोनों जैसी भी स्थिति हो, पर उदग्रहणीय कर से है और इसमें सम्मिलित रहेगा,—

(एक) बिक्री आवर्त पर देय वास्तविक कर के स्थान पर धारा 6 या धारा 6क के प्रावधानों के अधीन संदेय; यथास्थिति सहमति दर से या एकमुश्त, समाधान राशि;

(दो) उत्क्रगित इनपुट टैक्स की धनराशि"

(ङ) खण्ड (क ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(क ज) "कराधेय व्यवहारी" का तात्पर्य ऐसे व्यवहारी से है जो इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी हो।"

(च) खण्ड (क ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(क ञ) "वेबसाइट" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के वर्ल्ड वाईड वेब से है, जिसमें "यूपी. एनआईसी. आईएन" और "एचटीटीपी ://कागटैक्स. यूपी. एनआईसी. आईएन" पता है अथवा ऐसे अन्य वेबसाइट से है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए;"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (3) की सारिणी के क्रमांक 8 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थात् :—

| क्रम संख्या | व्यापारियों का वर्ग | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | (एक) रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक, कूरियर सर्विस प्रोवाईडर जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता उद्घाटित करने में विफल हो जाए अथवा पारेषक या पारेषिती का ऐसा उद्घाटित नाम या पता मिथ्या, छलपूर्ण या पुष्टनीय न पाया जाय या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्गमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को उसको प्रदान करने में विफल रहा हो.<br>(दो) उपखण्ड (एक) के अधीन आच्छादित परिवहनकर्ता को छोड़कर परिवहनकर्ता से भिन्न गोदाम, शीतगृह या वेयर हाउस के स्वामी या प्रभारी जो ऐसे गोदाम, शीतगृह या भण्डारागार में ऐसी रखी गयी कर योग्य वस्तुओं के स्वामी का नाम और पता उद्घाटित करने में विफल होता है अथवा कर योग्य वस्तुओं के स्वामी का उद्घाटित ऐसा नाम और पता मिथ्या, छलपूर्ण या अपुष्टनीय पाया जाता है। | प्रथम दिनांक जिसको कोई कराधेय माल कब्जा या अभिरक्षा में पाया जाए। |

(ख) उपधारा (4) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :–

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई व्यवहारी कर निर्धारण वर्ष के किसी भाग में कारबार करता है वहां कराधेय मात्रा रूपये पांच लाख की आंशिक धनराशि होगी जिसकी गणना आनुपातिक आधार पर की जाएगी तथा इस हेतु माह के भाग को सम्पूर्ण माह गिना जाएगा।"

(ग) उपधारा (10) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:–

"(11). ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी विहित की जाय, राज्य सरकार किसी विद्युत परियोजना औद्योगिक इकाई, जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, पारेषण और वितरण करती हो तथा जिसकी समुच्चय पूंजी लागत रू० 1000 करोड़ या उससे अधिक हो, को व्यवहारियों द्वारा उस इकाई को की गयी ऐसी बिक्री पर होने वाले कर दायित्व को स्वयं लेने हेतु अनुमति दे सकती है।"

धारा 4 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में शब्द "संग्रह करने का हकदार नहीं है" के स्थान पर शब्द "संग्रह करने का हकदार नहीं हैं या हकदार होने पर संग्रह नहीं किया है" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में,–

(क) शब्द "किसी कराधेय माल" के स्थान पर शब्द "किसी कराधेय" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (एक) में, शब्द "से भिन्न" के स्थान पर शब्द "से भिन्न माल" रख दिये जायेंगे;

(ग) शब्द "कर का भुगतान करने का दायी होगा" के स्थान पर शब्द "उद्ग्रहीत कर का भुगतान करने का दायी होगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 6 में,–

(क) उपधारा (1) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"प्रतिबन्ध यह है कि संकर्म संविदा के निष्पादन करने वाले व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी जो राज्य के भीतर केवल पंजीकृत व्यवहारी से क्रय किये गये माल की प्रान्त में पुनः बिक्री करता है और किसी कर निर्धारण वर्ष में जिसका ऐसे माल के विक्रय का आवर्त 50 लाख रुपये से अधिक न होता हो, या उसका आवर्त कर निर्धारण वर्ष के पूर्वगामी कर निर्धारण वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक न हुआ हो तो राज्य सरकार ऐसे माल के विक्रय पर दर प्रतिशत अधिसूचित कर सकती है। विभिन्न मालों के लिए विभिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती है।"

(ख) उपधारा (2), (3) एवं (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(2) इस धारा के अन्तर्गत समाधान राशि भुगतान करने का विकल्प लेने वाला व्यवहारी माल की खरीद पर समाधान अवधि में पुनः बिक्री करने पर या ऐसी निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु जिसकी बिक्री समाधान अवधि में की गई है, के निर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग या खपत की गई है, धारा 13 के अधीन देय इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रस्तुत करने का पात्र नहीं है और जहाँ व्यवहारी ने ऐसी खरीद पर इनपुट टैक्स का दावा कर लिया है वहाँ व्यवहारी धारा 14 के प्राविधानों के अनुसार उत्क्रमित इनपुट टैक्स की धनराशि का भुगतान करेगा।।

(3) इस धारा के अधीन समाधान राशि भुगतान का विकल्प लेने वाला व्यवहारी कर बीजक जारी नहीं करेगा और भिन्न नाम या रूप में इस हेतु कोई धनराशि क्रेता से वसूल नहीं करेगा।

(4) इस धारा के अधीन समाधान राशि का विकल्प लेने वाले व्यवहारी से माल की खरीद करने वाला व्यवहारी ऐसी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का पात्र नहीं है।"

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"(5) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन समाधान राशि के भुगतान का विकल्प देने वाले व्यवहारी का जहाँ विक्रय आवर्त रुपये पचास लाख से अधिक होता है तो वह उस दिन को और जब से विक्रय आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक हो जाय, उपधारा (4) में प्राविधानित दर से कर के भुगतान का दायी हो जायेगा।

स्पष्टीकरण :– उपधारा (1) एवं (5) के प्रयोजनार्थ जहाँ व्यवहारी किसी कर निर्धारण वर्ष के किसी भाग में व्यवहार करता है तब कराधेय आवर्त की गणना रुपये पचास लाख वार्षिक आवर्त के अनुपातिक आधार पर की जायेगी तथा इस हेतु माह के भाग को सम्पूर्ण माह गिना जायेगा।"

नई धारा 6-क बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:–

शास्तियों का शमन

"6-क (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, परन्तु कमिश्नर के निदेशों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अन्तर्गत सन्देय अथवा अधिरोपणीय कर या शास्ति के बदले में, कर निर्धारक अधिकारी

पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति से करार हुई दर पर या एकमुश्त समाधान धनराशि के रूप में स्वीकार कर सकता है, जहाँ कोई व्यक्ति –

(क) करापवंचन के उद्देश्य से –

(एक) ऐसे माल; या:

(दो) ऐसे माल या का प्रयोग करके विनिर्मित या प्रसंस्कृत या पैक किये माल की बिक्री पर धारा 50 या धारा 51 के प्राविधानों के विपरित आयात, या आयात का प्रयास या आयात का दुष्प्रेरण करता है, या

(ख) किसी कर योग्य माल का इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करके परिवहन करता है, या परिवहन का प्रयास करता है; या

(ग) करयोग्य माल को वाहन या जलयान में ढोता है और ऐसा माल कारबार के सामान्य क्रम में रखे गये लेखों, रजिस्टरों एवं अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है,

इस अधिनियम के किसी भी उपबन्धों के अधीन अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि से कम धनराशि नहीं परन्तु ऐसे कर की धनराशि के तीन गुने या माल के मूल्य का चालीस प्रतिशत से अनधिक, जो भी अधिक हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो वाहन या जलयान में रखे माल को कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष प्रकटित नहीं करते।

(3) कोई व्यक्ति जिसने उपधारा (1) के अन्तर्गत करार पर निर्धारित दर पर या एकमुश्त समाधान धनराशि जमा कर दी है, उसके लिए उसी वस्तु हेतु –

(क) धारा 24 के अन्तर्गत कर अवधि हेतु विवरण पत्र दाखिल करना;

(ख) अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करना;

(ग) अधिनियम के किसी उपबंध के अन्तर्गत कर निर्धारित होना; और

(घ) धारा 3 के अन्तर्गत कर का दायी होना; आवश्यक नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण** :– इस धारा के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 45 और 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत या जांच चौकी पर तैनात वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न स्तर का अधिकारी कर निर्धारक प्राधिकारी में सम्मिलित होगा।

धारा 13 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 13 में,–

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, सारिणी में क्रमांक 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रतम्भवार प्रतिस्थापित कर दी जाएंगी, अर्थात् :–

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| "3 | यदि क्रय किये गये माल–<br>(एक) विक्रय के परिणाम से भिन्न राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए; या<br>(दो) गैर वैट माल के सिवाय किसी करार्धेय माल के विनिर्माण में प्रयोग किये जाएं और ऐसे विनिर्मित माल को, विक्रय के परिणाम से भिन्न, राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए। | इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि जो क्रय मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक है जिस पर व्यवहारी द्वारा पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी या राज्य सरकार को कर दिया गया है। |

(ख) उपधारा (1) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"**स्पष्टीकरण** :– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ,–

(क) माल के पुनः विक्रय में संकर्म संविदा के निष्पादन में माल के स्वामित्व का अंतरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) सम्मिलित है।

(ख) माल के निर्माण हेतु आवश्यक वस्तु में कैप्टिवपावर प्लान्ट को चालू रखने के लिए आवश्यक माल सम्मिलित नहीं है।"

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(3) (क) जहाँ क्रय किये माल का प्रयोग या निस्तारण उपधारा (क) में या अन्यथा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आंशिक रूप से हो, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा और अनुमन्यता उसी सीमा के अनुपात में होगी जिसमें वे ऐसे खण्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग या निस्तारित किए जाते हैं।

(ख) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन जहाँ वैट माल के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान उप-उत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के अतिरिक्त कर मुक्त माल और नान-वैट माल का उत्पादन होता है वहां इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा और अनुमन्यता उस सीमा के अनुपात में होगी जिसमें करमुक्त माल और नान-वैट माल से भिन्न माल के विनिर्माण में प्रयोग या खपत में होती है।

**स्पष्टीकरण** :– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ "करमुक्त माल में, नान-वैट माल से भिन्न, वह करयोग्य माल भी सम्मिलित होगा जिसका राज्य के भीतर की गयी बिक्री, या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गयी बिक्री या भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान की गयी बिक्री या राज्य के बाहर की गयी बिक्री से भिन्न अन्य रीति से निस्तारण किया गया है।"

(घ) उपधारा (4) के अन्त में विद्यमान शब्द "उसके द्वारा देय कर" के स्थान पर शब्द "उसके द्वारा देय कर और वह क्रय के करयोग्य आवर्त पर जमा कर का प्रमाण रखता हो" रख दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (7) में उपखण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(तीन) ऐसा माल ऐसे माल के उपयोग के अन्तरण हेतु है।"

(च) उपधारा (9) को खण्ड (क) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जायगा तथा इस प्रकार पुनः क्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :

"(ख) जहां सरकार संविदा का आंशिक निष्पादन उप संविदाकार द्वारा किया जाता है वहां सरकार संविदा के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त सामग्री के क्रय के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा संविदाकार या उप संविदाकार, जैसी स्थिति हो, द्वारा क्रय किये गये माल, जिसका वास्तव में सरकार संविदा के निष्पादन में प्रयोग किया गया हो, की सीमा तक संविदाकार या उप संविदाकार द्वारा किया जाएगा और अनुज्ञेय होगा।"

(छ) उपधारा (11) के परन्तुक में शब्द "अध्यादेश" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाएगा।

(ज) स्पष्टीकरण में,–

(एक) शब्द और अंक "स्पष्टीकरण (1)" के स्थान पर शब्द "स्पष्टीकरण" रख दिया जाएगा।

(दो) खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(चार) यदि किसी वैट माल की निर्माण की प्रक्रिया में उप-उत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में नॉन वैट माल उत्पादित होता है तो यह माना जाएगा कि क्रय की गई वस्तु का प्रयोग वैट माल के विनिर्माण में हुआ है, इसी प्रकार नॉन वैट वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया में कोई वैट माल उप-उत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पादित होता है तब यह माना जाएगा कि उस वस्तु का प्रयोग नॉन वैट माल के विनिर्माण में हुआ है।"

धारा 15 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 15 में उपधारा (3) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"प्रतिबंध यह है कि व्यवहारी जिनका मुख्य कारबार भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान माल की बिक्री करने का है के मामले में, कर निर्धारक प्राधिकारी, धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कर अवधि की इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक धनराशि का अस्थायी वापसी अनुज्ञात करेगा।"

धारा 17 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 17 में,–

(क) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएगी, अर्थात्:–

"(5) (क) प्रत्येक व्यवहारी जो पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र धारित करता है और इस अधिनियम के अन्तर्गत कर का दायी है, वह पंजीकरण प्राधिकारी या कर निर्धारक प्राधिकारी, जैसी स्थिति हो, को 01 जनवरी, 2008 से पन्द्रह माह की अवधि के भीतर विहित रीति से विहित प्रारूप में ऐसे प्रमाण पत्र की इस अधिनियम में वैधता के सम्बन्ध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन देगा,

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पंजीकरण या कर निर्धारक प्राधिकारी जैसी स्थिति हो, संतुष्ट है कि विहित प्रारूप एवं रीति में उक्त वर्णित अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण विद्यमान है, तो वह रुपये 500/– प्रतिमाह या उसके भाग के हिसाब से विलम्बित अवधि हेतु जमा विलम्ब शुल्क के साथ व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पर एक माह से अनधिक अवधि तक बढ़ा सकता है।

(ख) पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र धारण करने वाला व्यवहारी यदि विहित प्रारूप में विहित रीति से खण्ड (क) में सन्दर्भित अवधि के भीतर कर निर्धारक प्राधिकारी या पंजीकरण प्राधिकारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र के वैधीकरण और जारी करने हेतु आवेदन करने में विफल होता है तो पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रभावहीन हो जायेगा।"

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:

"6 (क) कोई रेल आधान संविदाकार वायु जहाजी माल संचालक, कूरियर सर्विस प्रोवाईडर या ट्रान्सपोर्टर के अतिरिक्त गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या भण्डारगार का कोई स्वामी या प्रभारी जो वाणिज्यिक वस्तुओं का भण्डारण करता है, पंजीकरण प्राधिकारी के यहां ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, बिना पंजीकृत हुए राज्य में करयोग्य माल से संबंधित माल का कारबार नहीं करेगा। ऐसे कारबार का संचालक विहित अवधि के भीतर अपने पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को विहित रीति से आवेदन करेगा।

(ख) ट्रान्सपोर्टर या कैरियर को छोड़कर, रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक, कूरियर सर्विस प्रोवाईडर, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या भण्डारगार का कोई स्वामी या प्रभारी जो वाणिज्यिक वस्तुओं का भण्डारण करता है, ऐसे अभिलेख रखेगा जैसे विहित किये जाए।

(ग) दि कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 से आच्छादित प्रत्येक ट्रान्सपोर्टर या कैरियर ऐसी सूचनाएं और दस्तावेज जैसे विहित किये जायें, कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।"

(ग) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

"(9) उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत जारी और इस अधिनियम के अन्तर्गत वैध रूप से धारित पंजीयन प्रमाण-पत्र इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से प्रभावी होगा।"

(घ) उपधारा (13) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(13) उपधारा (12) के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र के निलम्बन की अवधि में व्यवहारी, अपंजीकृत व्यवहारी माना जायेगा। यदि पंजीकरण अधिकारी पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया को अग्रिलिखित आदेश करते हुये स्वयं समाप्त कर देता है या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पारित निलम्बन का आदेश किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा अपास्त कर दिया जाता है तो व्यवहारी को निलम्बन की उस अवधि के लिये पंजीकृत व्यवहारी व्यवहृत किया जायेगा।"

(ङ) उपधारा (14) में, स्पष्टीकरण (एक) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन अधिरोपणीय" रख दिये जायेंगे।

धारा 21 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (2) के परन्तुक में शब्द "दस लाख" के स्थान पर शब्द "पचीस लाख" रख दिया जायगा।

(ख) उपधारा (13) में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(घ) धारा 6 के अधीन समाधान धनराशि के भुगतान का विकल्प करने वाले व्यवहारी के प्रकरण में,—

(एक) धारा 6 के अधीन प्राविधान लागू होने की तिथि में आरम्भिक रहतिए में धारित माल और

(दो) धारा 6 के प्राविधान निष्प्रभावी होने की तिथि में आरम्भिक रहतिए में धारित माल"

(ग) उपधारा (16) में परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

(घ) उपधारा (17) में स्पष्टीकरण में खण्ड (तीन) को निकाल दिया जायेगा।

धारा 22 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(क) उपधारा (1) में,

(क) शब्द "कर या एक मुश्त" के स्थान पर शब्द "समाधान धनराशि" रख दिये जायेंगे।

(ख) "विहित प्रपत्र में और विहित रीति में एक कर बीजक जारी करेगा जिसमें ऐसे विवरण संलग्न होंगे जो विहित किये जायें" के स्थान पर शब्द "ऐसी कर बीजक जारी करेगा जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होगी जैसी विहित की जायं और इसमें माल क्रय करने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा पता और कर दाता पहचान संख्या, यदि कोई हो, सम्मिलित होगी" रख दिये जायेंगे।

(ग) दोनों परन्तुक निकाल दिये जायेंगे।

(ख) (क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) में प्राविधानित व्यवहारी को छोड़कर सभी व्यवहारी क्रेता को विक्रय बीजक विहित रीति से जारी करेगा और इसमें ऐसी विशिष्टियां जैसी विहित की जाए, निहित होंगी।

**स्पष्टीकरण** :— इस उपधारा में विक्रय बीजक का तात्पर्य बिल बीजक, कैश/क्रेडिट मेमों के प्राकृतिक के बीजक से है, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हो, जैसी निहित की जाय"।

(ख) उपधारा (4) में शब्द "बिल या कैशमेमो" या "कैशमेमो या बिल" जहां कहीं भी आये, के स्थान पर शब्द "विक्रय बीजक" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधाराएं (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यवहारी प्रत्येक कर बीजक पर संदत्त कर की धनराशि अलग से प्रभारित करेगा। उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यवहारी अलग से कर प्रभारित कर सकता है।

(6) विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर बीजक, विक्रय बीजक, जैसी स्थिति हो, की तैयार की गयी कार्यालय प्रति क्रेता व्यवहारी, कर बीजक, विक्रय बीजक की प्राप्त प्रति, जैसी स्थिति हो, उनके द्वारा धारा 21 की उपधारा (3) में प्राविधानित अवधि तक सुरक्षित रखी जाएगी।"

धारा 23 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) (क) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अध्यधीन पंजीकृत व्यवहारी नहीं है,स्वयं या स्वयं के माध्यम से की गई बिक्री अथवा खरीद पर किसी व्यक्ति से कोई धनराशि कर के रूप में या खरीद या बिक्री पर कोई धनराशि कर के स्थान पर अन्य नाम अथवा रंग मे वसूल नहीं करेगा और इस अधिनियम के अध्यधीन कोई पंजीकृत व्यवहारी ऐसे व्यक्ति जिसको बिक्री अथवा जिससे खरीद की गई है के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से खरीद या बिक्री पर कर अथवा खरीद या बिक्री पर कोई अन्य नाम या रंग में वसूल नहीं करेगा।

(ख) जहाँ इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत आढ़ती या धारा 2 के खण्ड (ज) में उल्लिखित व्यक्ति सहित किसी व्यवहारी द्वारा किसी आवर्त पर माल के खरीद या बिक्री पर कर संदेय हो वहां ऐसा व्यवहारी माल के विक्रय या क्रय पर संदेय कर की धनराशि के बराबर धनराशि, ऐसे व्यक्ति, जिसे ऐसा कोई माल उसके द्वारा विक्रीत किया जाय, से या तो उसके निजी उत्तरदायित्व पर या उसके निर्देष्टा से वसूल सकता है।

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) कोई व्यवहारी माल के क्रय पर पहले ही भुगतान की गयी कर की धनराशि को पुनःविक्रीत ऐसे माल, या ऐसे माल के प्रयोग से विनिर्मित माल के विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं करेगा।"

धारा 24 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (9) में जहां कहीं शब्द "विवरणी" आया हो, के स्थान पर शब्द "सूचना और दस्तावेज" रख दिये जायेंगे।

नयी धारा 26-क का बढ़ाया जाना आकस्मिक व्यापारियों के लिए विशेष उपबंध

15—मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 26-क बढ़ा दी जाएगी; अर्थात् :—

26—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी आकस्मिक व्यापारी, —

(क) उत्तर प्रदेश में अपना कारबार प्रारम्भ करने के कम से कम तीन दिन पूर्व अपने कारबार की ऐसी विशिष्टियों को, ऐसे प्रारूप में और रीति से जैसी विहित की जाएं, कर निर्धारक प्राधिकारी को सूचित करेगा;

(ख) ऐसी अवधि, जिसमें आकस्मिक व्यापारी उत्तर प्रदेश में कारबार कर रहा हो, में ऐसी धनराशि की प्रतिभूति नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगा जैसाकि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा नियत की जाय जो कर भुगतान के अनुमानित धनराशि से अधिक नहीं होगी।

(ग) पूर्व दिन के दौरान की गयी बिक्री के आधार पर प्रतिदिन कर भुगतान करेगा ;

(घ) उत्तर प्रदेश में अपने कारबार की समाप्ति के अगले दिन विहित प्रारूप एवं रीति में कर निर्धारक प्राधिकारी को कर विवरणी प्रस्तुत करेगा;

(ङ) कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रस्तुत की गयी सूचना का सत्यापन करने के पश्चात तथा खण्ड (ख) के अधीन प्रतिभूति प्राप्त करने के पश्चात् कर निर्धारक प्राधिकारी आकस्मिक व्यापारी को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(3) आकस्मिक व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात कर निर्धारक प्राधिकारी इस अधिनियम की धारा 50 और 51 में संदर्भित घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री किए जाने हेतु लाने के लिए अपेक्षित रूपपत्र जारी करेगा और आकस्मिक व्यापारी सभी प्रयुक्त प्रपत्र का पूरा लेखा रखेगा और उपधारा (1) के खण्ड (घ) में संदर्भित विवरणी के साथ सभी अप्रयुक्त प्रपत्र अभ्यर्पित करेगा।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (ध) के अधीन आकस्मिक व्यापारी द्वारा प्रस्तुत कर विवरणी, उपधारा (3) में संदर्भित रूपपत्रों और जारी किए गए विक्रय बीजकों के साथ उसके द्वारा रखे गए लेखों का परीक्षण करने के पश्चात एक सप्ताह के भीतर उसका कर निर्धारण कर देगा और उस पर कर निर्धारण और मांग पत्र की नोटिस सामिल करेगा और यदि प्रतिभूति जमा है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत संदेय कर एवं अन्य देयों का समायोजन के बाद अवशेष प्रतिभूति की राशि वापस करेगा।

(5) आकस्मिक व्यापारी कर निर्धारण की नोटिस और मांग पत्र में उल्लिखित धनराशि को तत्काल जमा करेगा।

(6) इस बात पर संतुष्ट हो जाने पर कि देय धनराशि जमा कर दी गयी है, कर निर्धारक प्राधिकारी यथास्थिति प्रतिभूति या अवशेष प्रतिभूति अवमुक्त कर देगा।

(7) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी आकस्मिक व्यापारी के सम्बन्ध में धारा 3 में विनिर्दिष्ट कर योग्य मात्रा शून्य होगी।

**स्पष्टीकरण** :– इस धारा में आकस्मिक व्यापारी का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो चाहे निर्देष्टा, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत से क्रय, विक्रय, माल की आपूर्ति या वितरण या उत्तर प्रदेश में किसी प्रदर्शनी एवं विक्रय चाहे नगद, आस्थगित संदाय, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु आकस्मिक संव्यवहार करता है।

धारा 33 का संशोधन

16–मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (16) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

(17) इस अधिनियम एवं तद्धीन निर्मित नियमावली के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार पावर प्रोजेक्ट औद्योगिक इकाई को स्वीकृत कर के भुगतान से, ऐसी शर्तों जैसी विहित की जाएं, के अध्यधीन अधिस्थगन दे सकता है।

**स्पष्टीकरण** :– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ "स्वीकृत कर" के अन्तर्गत ऐसी इकाई द्वारा धारा 3 की उपधारा (11) के अधीन स्वामित्व प्राप्त अन्य व्यवहारी का कर दायित्व सम्मिलित है।

(18) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर अथवा शास्ति की वसूली के लिए कोई माल किसी राजस्व प्राधिकारी द्वारा अभिग्रहित किया गया है और ऐसा माल ऐसे प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में दिया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति माल को उसी दशा और स्थिति में प्राधिकारी को वापस करने में असफल रहता है, तब माल के मूल्य की समराशि ऐसे व्यक्ति से भूराजस्व बकाया की तरह वसूल की जाएगी।

17—मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :— धारा 34 का संशोधन

"(14) इस धारा के अधीन बिक्री की आवर्त पर कोई कटौती नहीं की जाएगी जहाँ ऐसी बिक्री,—

(एक) अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के प्रक्रम में; या

(दो) राज्य के बाहर; या

(तीन) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात अथवा उसके भीतर आयात के प्रक्रम में की जाय।"

18—मूल अधिनियम की धारा 39 में उपधारा (1) के खण्ड (ख) में हिन्दी रूपान्तर में शब्द "एक लाख" के स्थान पर शब्द "पांच लाख" रख दिये जायेंगे। धारा 39 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (7) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी अर्थात्, — धारा 40 का संशोधन

"(8) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन प्रतिसंदेय धनराशि का सामायोजन इस अधिनियम के अधीन कर या शास्ति या किसी अन्य देयों की धनराशि के विरुद्ध किया जा सकता है।"

20—मूल अधिनियम की धारा 40 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:— नयी धारा 40-क का बढ़ाया जाना कतिपय मामलों में प्रतिसंदाय का रोका जाना.

40—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या किसी न्यायालय अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात कर निर्धारक प्राधिकारी की रिपोर्ट पर कमिश्नर का यह समाधान हो जाय कि,—

(क) व्यवहारी ने आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत की है या अपने आवर्त का विवरण छिपाया है या जानबूझकर ऐसे आवर्त का त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है या कर निर्धारक प्राधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को अनुरक्षित पुस्तकों, लेखों या दस्तावेजों का या ऐसे व्यवहारी द्वारा स्टाक में धारित किये जाने हेतु प्रदर्शित माल का निरीक्षण और परीक्षण करने से रोका है या सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का निष्पादन करने में बाधा उत्पन्न किया है।

(ख) ऐसी खरीद जिसके संबंध में किसी विवरणी में दावा की गयी इनपुट टैक्स क्रेडिट, सत्यापनीय न हो; या

(ग) व्यवहारी ने माल के वास्तविक क्रय के बिना कर बीजक प्राप्त किया हो; या

(घ) व्यवहारी इस अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के किसी उपबंध के अधीन उससे मांगी गयी किसी प्रतिभूति को प्रस्तुत करने में विफल रहा हो; या

(ङ) कपट में संलिप्त परिस्थितियां विद्यमान हैं,

और जहाँ कमिश्नर का यह मत है कि यदि वापसी अनुज्ञात कर दी जाती है तो उद्ग्रहीत किये जाने वाले कर या शास्ति की धनराशि को वसूलना संभव नहीं हो सकेगा तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रतिसंदाय की ऐसी धनराशि जो यथास्थिति कर अथवा शास्ति या दोनों की धनराशि को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, प्रतिभूति के तौर पर उस अवधि तक जैसा कमिश्नर विहित करें, रोके जाने हेतु आदेश पारित करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है।

(2) जहां कर निर्धारक प्राधिकारी यह पाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जैसी उपधारा (1) में उल्लिखित हैं और अभिलेखों में पर्याप्त तथ्य उपलब्ध हैं, वह कमिश्नर को प्रतिसंदाय की धनराशि को रोके जाने के लिए अनुमति देने हेतु सभी तथ्यों सहित रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

(3) कर निर्धारक प्राधिकारी . . निर्धारण या शास्ति या दोनों से संबंधित अपने समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियाँ, ऐसी अवधि, जैसी कमिश्नर द्वारा विहित की जाए, के भीतर पूर्ण कर लेगा,

प्रतिबंध यह है कि यदि कमिश्नर का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो कर निर्धारक प्राधिकारी को विहित अवधि में कर निर्धारण या शास्ति संबंधी कार्यवाई करने से रोकती है तो वह अवधि को बढ़ा कर अधिक 90 दिन कर सकता है।

(4) कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात कर निर्धारण या शास्ति संबंधी कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुई मांग के विरुद्ध रोकी गयी धनराशि का समायोजन किया जाएगा और शेष धनराशि, यदि कोई हो, जिस तिथि से प्रतिसंदाय देय हो उस तिथि से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन यथा उपबंधित रीति से वापस कर दी जाएगी।

**स्पष्टीकरण** :– इस धारा के प्रयोजन हेतु प्रतिसंदाय में इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिसंदाय भी सम्मिलित है।

धारा 41 का संशोधन

21–मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:–

41(1) धारा 40 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यवहारी के मामले में जिसका मुख्य कारबार भारत राज्य क्षेत्र के बाहर मालों के निर्यात के दौरान माल की बिक्री करना है कर निर्धारक प्राधिकारी कर अवधि की विवरणी और निर्यात के साक्ष्य सहित अनन्तिम प्रतिसंदाय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर दावे की सत्यता को स्थापित करने हेतु सम्परीक्षा और जांच तथा परिणामी कर निर्धारण के लंबित रहते हुए भारत राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान की गयी बिक्री के कारण ऐसी कर अवधि के इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि के आधिक्य को ऐसे प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर अनन्तिम प्रतिसंदाय अनुज्ञात करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 या पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत कर, शुल्क या शास्ति या कोई अन्य धनराशि व्यापारी द्वारा देय, है तो प्रतिसंदेय पायी गई धनराशि का पहले यथास्थिति कर या फीस या शास्ति, की ऐसी धनराशि के विरुद्ध समायोजन किया जायेगा और अधिक धनराशि, यदि कोई हो, व्यवहारी को वापस कर दी जायेगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिसंदाय अनुज्ञात किये जाने के पूर्व कर निर्धारक अधिकारी अपने संतोषानुसार व्यवहारी से प्रतिसंदाय की धनराशि के बराबर प्रतिभूति धनराशि प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता जहां :

(क) व्यवहारी इस अधिनियम, या पूर्ववती अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर अपवंचन में लिप्त पाया गया हो; या

(ख) व्यवहारी ने इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को अधिनियम के अन्तर्गत ड्यूटी के निवर्हन से रोका या बाधित किया हो; या

(ग) व्यवहारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 या पूर्ववर्ती अधिनियम या उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन विहित किसी घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र का किसी प्रकार दुरूपयोग किया है; या

(घ) व्यवहारी इस अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 या पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन माल के क्रय या विक्रय पर कर के भुगतान का वितथी रहा हो;

(ङ) व्यवहारी ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके राजस्व क्षति की हो।

स्पष्टीकरण:—किसी व्यवहारी के संबंध में "निर्यात का मुख्य कारबार" का तात्पर्य ऐसे व्यवहारी से है जिसका केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) और (2) के अधीन भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के प्रक्रम में किसी कर अवधि के लिए विक्रय का कुल व्यापारावर्त—

(क) राज्य के भीतर

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के प्रक्रम में; और

(ग) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में रागरत माल के विक्रय के कुल व्यापारवर्त का पचास प्रतिशत से अधिक है।

(दो) जहां कोई प्रार्थना पत्र अपूर्ण हो वहां उस प्रार्थना पत्र के पूर्ण होने के दिनांक को प्रार्थना पत्र का दिनांक समझा जाएगा।

(2) यदि कर निर्धारण किये जाने पर उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत अनन्तिम प्रतिसंदाय अधिक हो गया हो तो अधिक प्रतिसंदाय की गई धनराशि व्यवहारी से अनन्तिम प्रतिसंदाय के दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और धनराशि के संदाय के दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि के लिए व्यवहारी से देय कर के रूप में 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित वसूल किया जाएगा।

(3) यदि प्रार्थना पत्र नियमानुसार नहीं है या अन्तर्विष्ट विशिष्टियां गलत है, तो इसको लिखित सकारण आदेश पारित करते हुए अस्वीकार किया जाएगा और व्यवहारी को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

प्रतिबंध यह है कि व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना प्रार्थना पत्र अस्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई औद्योगिक इकाई तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा रूग्ण घोषित की गयी हो वहाँ इस धारा के अंतर्गत अनन्तिम प्रतिसंदाय अनुज्ञात किया जाएगा, यदि ऐसी औद्योगिक इकाई का यह समाधान हो जाए कि:—

(क) रूग्ण इकाई पुनर्वास पैकेज सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण से अनुमोदित हो,

(ख) अधिनियम की धारा 71 के अध्यधीन राज्य सरकार ने ऐसी इकाई की बकाया को अस्थगित किया हो,

(ग) बकाया आस्थगित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया हो।

धारा 42 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 42 में,—

(क) उपधारा (3) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

(क) ऐसी औद्योगिक इकाई जो पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन विनिर्मित माल के विक्रय के आवर्त पर या माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए अपेक्षित किसी कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री, उपभोज्य स्टोर, पेट्रोल और डीजल से भिन्न ईंधन, स्नेहक सामग्री या ऐसी औद्योगिक इकाई द्वारा विनिर्मित माल की पैकिंग हेतु अपेक्षित माल के क्रय के आवर्त पर या क्रय/विक्रय दोनों के आवर्त पर कर की दर में छूट का लाभ या कर की दर में कमी का लाभ प्राप्त कर रही है या ऐसा लाभ या कमी स्वीकृत की गयी है, और

(एक) जिसकी कर की दर में छूट या कमी की सुविधा पूर्ववर्ती अधिनियम या उसके अधीन जारी अधिसूचना के अधीन यथा उपबंधित स्थिर पूंजी विनिधान पर आधारित है; या

(घ) राज्य सरकार से या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी निगम या उपक्रम से क्रय की गई औद्योगिक इकाई और जिसे पूर्व वर्ती अधिनियम के अधीन कर की दर में कमी या छूट प्रदान की गई है। कमिश्नर को विहित प्रारूप और विहित रीति से हकदारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकती है।"

(ख) उपधारा (4) में शब्द "कर की दर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ ले रही औद्योगिक इकाई" के स्थान पर शब्द "कर की दर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ ले रही या अनुदत्त लाभ वाली औद्योगिक इकाई" रख दिए जायेंगे।

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी अर्थात्:-

"(4-क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक के पहले क्रय के आवर्त पर कर से छूट का लाभ ले रही या अनुदत्त लाभ वाली औद्योगिक इकाई निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने पर विहित रीति से कर अवधि की विवरणी के साथ संदत्त दस्तावेजों में घोषित आंकड़ों के आधार पर संगणित अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट के वापसी के रूप में छूट की हकदार होगी;

(क) औद्योगिक इकाई उपधारा (3) के अधीन यथा उप बन्धित कमिश्नर द्वारा जारी विधि मान्य हकदारी प्रमाण पत्र रखना होगा।

(ख) वापसी की धनराशि सुसंगत कर अवधि के दौरान अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर धनराशि से अधिक नहीं होगी,

(ग) वापसी की धनराशि धारा 40 के उपबंधों के अध्यधीन होगी सिवाय इसके कि उक्त धनराशि स्वीकृत कर दायित्व के विरुद्ध समायोजित नहीं की जाएगी;

(घ) हकदारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित धनराशि या अवधि दोनों में से, जो भी पहले हो, की समाप्ति पर वापसी की सुविधा समाप्त हो जाएगी;

(ङ) वापसी के रूप में कर से छूट की सुविधा कच्चे माल प्रसंस्करण सामग्री, उपभोज्य स्टोर, पेट्रोल या डीजल से भिन्न ईंधन, स्नेहक, हकदारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित या वर्णित माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए या विनिर्मित माल के पैकिंग में अपेक्षित के संबंध में ही उपलब्ध होगी;

(च) माल के क्रय के आवर्त पर कर वापसी के रूप में कर से छूट की धनराशि की हकदारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित या वर्णित कुल धनराशि में से कटौती कर ली जाएगी;

(छ) औद्योगिक इकाई ने किसी भी रूप से कर से छूट की सुविधा का दुरूपयोग नहीं किया है।

**स्पष्टीकरण:-** "अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट" का तात्पर्य कर अवधि की विवरणी में घोषित आंकड़ों के आधार पर संगणित अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि से है जहां औद्योगिक इकाई पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन छूट का लाभ ले रही थी।

(घ) उपधारा (5) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा अर्थात्:-

"(क) ऐसे माह, जिसमें व्यवहारी शुद्ध संदेय कर जमा के साक्ष्य सहित संगत कर अवधि की विवरणी दाखिल करता है, के अंतिम दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर वापसी योग्य पायी गयी धनराशि को वापस कर दिया जाएगा। जहां कर अवधि की विवरणी पूर्ण नहीं है और व्यवहारी विवरणी की अपेक्षाओं को कर अवधि की विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धारित दिनांक से बाद के दिनांक को पूर्ण करता है, तो ऐसे दिनांक को कर अवधि की विवरणी दाखिल करने का दिनांक माना जाएगा।"

(ङ) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी:–

"(8) औद्योगिक इकाई जो उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित कर आस्थगन की सुविधा का लाभ ले रही है या उपधारा (4) के अधीन यथा उपबंधित वापसी की सुविधा का लाभ ले रही है, कर बीजक जारी करने तथा धारा 13 के उपबंधों के अध्यधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र होगी। बिक्री और खरीद दोनों पर वापसी की सुविधा का लाभ ले रही औद्योगिक इकाई इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र होगी जब हकदारी प्रमाण पत्र में वर्णित माल की बिक्री के विक्रय धन पर देय शुद्ध कर की गणना हो रही हो।"

(च) उपधारा (13) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:–

"(14) लेखों की संवीक्षा करने पर या पश्चात्वर्ती अन्वेषण पर यह पाया जाए कि कर अवधि की विवरणी के साथ प्रस्तुत आंकड़े गलत पाए जाएं या विश्वास योग्य न हो या अभिलेख की वास्तविक सामग्री पर आधारित न हों, तो धारा 54 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वापस किए गए अतिरिक्त धनराशि को 15 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज के साथ, वापसी के दिनांक से जमा करने के दिनांक तक, कर निर्धारण प्राधिकारी से प्राप्त नोटिस के 30 दिन के भीतर जमा किया जाएगा, ऐसा करने में विफल होने पर वापस की गई अतिरिक्त धनराशि भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जाएगी।"

धारा 48 का संशोधन

23–मूल अधिनियम की धारा 48 में,–

(क) उपधारा (1) के खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(तीन) जो किसी कारबार स्थल गाड़ी जलयान या अन्य किसी भवन में या स्थान पर पाये जायं और ऐसे रखे गये माल से संबंधित यथास्थिति कर बीजक या विक्रय बीजक या माल के मूल्य से संबंधित अन्य किसी अभिलेख में, स्थानीय बाजार क्षेत्र, जहां पर उक्त सव्यवहार हुआ है में सुसंगत समय पर प्रचलित माल के मूल्य से पचास प्रतिशत से अधिक सीमा तक अवमूल्यन करापवंचन की मंशा से किया गया है।"

(ख) उपधारा (5) में शब्द, "उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है।" के स्थान पर शब्द "उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है या स्थानीय बाजार क्षेत्र, जहां उक्त सव्यवहार हुआ है, में सुसंगत समय पर प्रचलित माल के मूल्य से करापवंचन की मंशा से पचास प्रतिशत की सीमा से अधिक का अवमूल्यन किया गया हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 52 का संशोधन

24–मूल अधिनियम की धारा 52 में शब्द और अंक "धारा 51" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 50" रख दिये जाएंगे।

धारा 54 का संशोधन

25–मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (1) में,–

(क) तालिका में,–

(एक) क्रमांक 5 और 15 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थात्:-

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5 | जहां व्यवहारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार (एक) कर बीजक या विक्रय बीजक जारी करने में विफल हो गया हो या जानबूझ कर जारी न किया हो; या; | माल के मूल्य का 40 प्रतिशत |
| | (दो) इस अधिनियम के अधीन कर योग्य माल का क्रय करते समय जानबूझ कर बीजक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से प्राप्त नहीं किया हो; या | |
| | (तीन) क्रय बीजक जारी नहीं किया है। | |
| 15 | जहां यथास्थिति चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति, | माल के मूल्य का 40 प्रतिशत |
| | (एक) माल के राज्य से होकर गुजरने हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त करने में विफल होता है और यह भी प्रमाणित करने में विफल रहता है कि माल का तात्पर्य राज्य के बाहर व्यवहारियों या व्यक्तियों को परिदान से है; या | |
| | (दो) राज्य से होकर माल के गुजरने हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के दौरान माल को राज्य से बाहर ले जाने के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है किन्तु ऐसे माल को ऐसे वास्तविक व्यक्ति को सौंपने में विफल रहता है; या | |
| | (तीन) ऐसा व्यक्ति होते हुए, जो चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति से माल राज्य से बाहर ले जाने के लिए प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल को नहीं ले जाता है; या | |
| | (चार) परिवाहक या वाहन का भाड़ेदार होते हुए, राज्य के बाहर माल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शाते हुए माल की रसीद तैयार करता हो; | |

(दो) क्रमांक 11, 12 एवं 14 की प्रविष्टियों के स्तम्भ 3 में उपसंजात होने वाले शब्द "प्रकटित मूल्य" के स्थान पर शब्द "मूल्य" रख दिया जाएगा।

(तीन) क्रमांक 21 की प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

| | | |
|---|---|---|
| 21-क | जहां व्यवहारी ने माल के क्रय के आवर्त पर संदत्त या संदेय कर की धनराशि को, माल की पुनः बिक्री पर या ऐसे माल के प्रयोग से निर्गित माल के विक्रय मूल्य में सम्मिलित कर लिया हो। | कर की धनराशि से अन्यून किन्तु कर की तीन गुणा की धनराशि से अनधिक धनराशि जिसे माल के विक्रय मूल्य में जोड़ा गया है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 21-ख | जहां यथास्थिति व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति ने कर के भुगतान का अपवंचन करने के आशय से सुसंगत समय में स्थानीय बाजार क्षेत्र जहाँ सम्व्यहार हुआ है, में प्रचलित माल के मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक की सीमा तक माल का अवमूल्यन करते हुए यथास्थिति कोई कर बीजक या विक्रय बीजक या माल के मूल्य से सम्बन्धित कोई अन्य दस्तावेज जारी या प्राप्त किया हो। | माल के मूल्य का 40 प्रतिशत |

(ख) स्पष्टीकरण के खण्ड (दो) व (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाएंगे, अर्थात्:-

(दो) यदि कर बीजक, विक्रय बीजक या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज में वर्णित या उल्लिखित माल के मूल्य का स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां सम्व्यवहार हुआ हो, में, सुसंगत समय पर प्रचलित माल के मूल्य के पचास प्रतिशत की सीमा से अधिक अवमूल्यन हुआ है तब स्थानीय बाजार क्षेत्र, जहां सम्व्यवहार हुआ है, में सुसंगत समय में प्रचलित अनुमानित मूल्य, ऐसे माल का मूल्य समझा जायेगा।

(तीन) यदि माल मूल्य, कर बीजक, विक्रय बीजक या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज में वर्णित अथवा उल्लिखित नहीं है तो स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां सम्व्यहार हुआ है, में सुसंगत समय पर प्रचलित अनुमानित मूल्य, ऐसे माल का मूल्य समझा जाएगा।

धारा 56 का संशोधन

26-मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) में शब्द "राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना" के स्थान पर शब्द "कमिशनर" रख दिया जाएगा।

धारा 57 का संशोधन

27-मूल अधिनियम की धारा 57 में,-

(क) उपधारा (1) में, शब्द "एक अधिकरण" के स्थान पर "एक अधिकरण, जो वाणिज्य कर अधिकरण के रूप में जाना जाएगा" रख दिये जाएंगे।

(ख) उपधारा (12) में खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाएंगे, अर्थात्; :-

"(ख) धारा 48 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन दिये गये निदेश के विरुद्ध अपील दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनी एवं निरस्तारित की जाएगी।"

(ग) धारा 56 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध अपील दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनी और निरस्तारित की जाएगी।"

धारा 59 का संशोधन

28-मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

"(5) उपधारा (3) मे यथा उपबन्धित को छोड़कर कमिश्नर द्वारा इस धारा के अधीन किया गया विनिश्चय धारा 57 और 58 के उपबन्धों के अध्यधीन अन्तिम होगा और सभी कर निर्धारक प्राधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के लिए बाध्यकारी होगा।"

धारा 60 का संशोधन

29-मूल अधिनियम धारा 60 में शब्द और अंक "उपधारा (1), (2) या(7)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1) या उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे।

धारा 63 का संशोधन

30-मूल अधिनियम धारा 63 में, उपधारा (3) में शब्द "विहित" के स्थान शब्द "राज्य सरकार द्वारा अवधारित" रख दिये जायेंगे।

धारा 64 का संशोधन

31-मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात :-

(2) "याचिका विहित प्रारूप में एवं विहित रीति से पांच हजार रुपये फीस जमा करने के संतोषजनक प्रमाण, एवं कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत न किये गये अपने आवर्त के पूर्ण प्रकटीकरण के साथ उस आवर्त पर संदेय कर की अतिरिक्त धनराशि और ऐसी अन्य विशिष्टियां, व्यवस्थापन आयोग के समक्ष मामले का निपटारा करने के लिए प्रस्तुत की जायेगी:-

प्रतिबंध यह है कि ऐसी याचिका तब तक ग्राह्य नहीं होगी जब तक याचिका में प्रकटित विक्रय या क्रय के आवर्त पर कर की धनराशि का भुगतान न कर दिया जाय और उस निमित्त प्रमाण पत्र संलग्न न कर दिया जाय।"

धारा 65 का संशोधन

32—मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (18) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:—

संशोधन

(18—क) जहां व्यवस्थापन आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान व्यवस्थापन आयोग का यह मत हो कि राजस्व हितों को सुरक्षित रखने के प्रयोजनार्थ ऐसा करना आवश्यक हो वहां आयोग राजस्व क्षति को पूरा करने हेतु नियत समय में आयोग द्वारा निर्धारित रीति से पर्याप्त रूप में अपेक्षित प्रतिभूति जमा करने का आदेश दे सकता है।

(18—ख) व्यवस्थापन आयोग के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 196 के प्रयोजनार्थ और धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

धारा 78 का संशोधन

33-मूल अधिनियम की धारा 78 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

78 (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से पूर्व परिषद का स्थापना करेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य कर परिषद के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाई नियमावली के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त कृत्यों का संपादन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रमुख सचिव, राज्य सरकार, वाणिज्य कर विभाग | पदेन अध्यक्ष |
| (ख) | कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश | पदेन सदस्य |
| (ग) | अपर कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश | पदेन सदस्य |
| (घ) | अपर कमिश्नर (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश | पदेन सदस्य |
| (ङ) | संयुक्त कमिश्नर (सौध) वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ | सदस्य सचिव |
| (च) | राज्य सरकार के प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर विधि परामर्शी | सदस्य |
| (छ) | प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न वित्त विभाग का कोई अधिकारी | सदस्य |
| (ज) | राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, जो किसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का आचार्य रहा हो। | सदस्य |
| (झ) | राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो अधिकरण का सदस्य या वाणिज्य कर विभाग में अपर कमिश्नर रहा है। | सदस्य |
| (ञ) | मान्यता प्राप्त व्यापार संघ के पदधारियों में से दो व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। | सदस्य |

(2) परिषद कर संग्रह प्रणाली, कर की दर में परिवर्तन नियमावली और प्रक्रियाओं और योजनाओं के प्रख्यापन अधिसूचनाओं, देशों और ऐसे अन्य विषयों की घोषणा के संबंध में जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर उसे सौंपे, शीर्ष परामर्शदात्री निकाय होगी।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ज) या (ञ) में सन्दर्भित सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय समय पर तय की जाने वाली सुविधा या लाभ और पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे।

धारा 78 का संशोधन

34-मूल अधिनियम की धारा 80 में, उपधारा (2) में खण्ड (ख) में शब्द "निरसित अधिनियम की धारा 4 के अधीन कर के भुगतान से छूट का दावा करने वाली विनिर्माण इकाइयां" या इकाइयों के स्थान पर शब्द "विनिर्माण इकाइयां" रख दिये जाएंगे।

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 को माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रह के लिए मूल्य संवर्धित व्यवस्था को प्रारम्भ करने हेतु उपबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम को लागू करने में अनुभव की गई कतिपय परेशानियों और कमियों की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय:–

(क) परिवहनकर्ता को व्यवहारी की परिभाषा से निकाला जा रहा है;

(ख) किसी विद्युत प्रोजेक्ट औद्योगिक इकाई, जिसमें सगुच्चय पूंजी विनिधान 1000 करोड़ रुपये या अधिक हो, को ऐसी बिक्री के कर दायित्व का जिम्मा लेने, जो इकाई को की जाती है, अनुमत करने और ऐसी इकाई को स्वीकृत कर के भुगतान से अधिस्थगन देने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जा रहा है;

(ग) कमिश्नर के आदेशों के अध्यधीन रहते हुये राज्य में माल के आयात पर कर या शास्ति के बदले में प्रतिदान धनराशि, पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति से स्वीकार करने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी को प्राधिकृत किया जा रहा है;

(घ) व्यवहारी को इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि का क्रेडिट अनुमन्य किया जा रहा है जो क्रय मूल्य के चार प्रतिशत के अतिरिक्त है जहां उसके द्वारा विक्रय से भिन्न रूप में राज्य के बाहर माल का परेषण या अंतरण किया जा रहा है;

(ङ) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन विधिमान्य पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिनियम के अधीन पंजीकरण का आवेदन देने के लिए समय को बढ़ाया जा रहा है;

(च) आकस्मिक व्यापारी को स्वयं का पंजीकरण करने, प्रारूप प्राप्त करने, कर का भुगतान करने आदि की अनुमति देने के लिए प्रावधान किया जा रहा है;

(छ) जहां विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य या राज्य के बाहर के दौरान हो या भारत के बाहर निर्यात या भारत में आयात के दौरान हो वहां स्रोत पर कर की कटौती समाप्त की जा रही है;

(ज) कमिश्नर की पूर्व अनुमति से कतिपय मामलों में प्रतिसंदाय को रोकने के लिए निर्धारक प्राधिकारी को प्राधिकृत किया जा रहा है;

(झ) अधिनियम के आरम्भ से पूर्व पूंजी विनिधान पर आधारित क्रय के आवर्त पर कर से छूट का लाभ प्राप्त कर रही या ऐसी छूट की स्वीकृत प्राप्त औद्योगिक इकाइयों को कतिपय शर्तों को पूरा करने पर अर्जित इनपुट टैक्स के प्रतिसंदाय के रूप में छूट का हकदार बनाया जा रहा है;

(ञ) माल के मूल्य से पचास प्रतिशत सीमा से अधिक माल के अमूल्यन को अभिग्रहण और शास्ति का दायी बनाया जा रहा है;

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 तद्नुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 497(2)/LXXIX-V-1-09-1(Ka)7/2009
*Dated Lucknow, February 28, 2009*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 338 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 27, 2009.

# THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2009

(U.P. ACT No. 11 OF 2009)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislatur]*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008.*

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2009.

(2) Clauses (d) and (e) of section 2, section 3, section 5 and section 6, clauses (f), (g) and (h) of section 8, section 10, clause (a) of section 11, section 14, sub-section (17), of the principal Act inserted by section 16, section 17, 18, 22, 24, 29 and 34 shall be deemed to have come into force on January 1, 2008 and the remaining provisions shall come into force at once..

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 5 of 2008

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 hereinafter referred to as the principal Act, –

(a) in clause (h) for sub-clauses (ix) and (x) the following sub-clauses shall be *substituted*, namely :–

"(ix) a railway container contractor, an air cargo operator, a courier service provider, who fails to disclose the name and complete address of consigner or consignee or if discloses such name or address of consigner or consignee is found bogus, forged or not verifiable, or the owner or person in-charge of a vehicle who obtained authorization for transit of goods from the officer in-charge of entry check post but failed to deliver the same to the officer in-charge of the exit check post;

(x) an owner or person in-charge of a go down, cold storage or warehouse, who stores commercial goods, other than those of transporters except those referred to in sub-clause (ix):"

(b) in clause (p) the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:–

"Provided that tax paid or payable in respect of transfer of right to use any goods shall not form part of the input tax:"

(c) in clause (ad), in the Explanation after clause (iv) the following clauses shall be *inserted*, namely:–

"(v) Tax charged or chargeable shall not form the part of the sale price;

(vi) Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded from the sale price;"

(d) for clause (ag) the following clause shall be *substituted*, namely:–

"(ag) "tax" means a tax leviable under this Act, on the sale or purchase or both, as the case may be, of goods other than news paper, and shall include.–

(i) Composition money either at an agreed rate or in lump sum, as the case may be, payable, in lieu of actual amount of tax due on turnover of sales, in accordance with provisions of section 6 or section 6A;"

(ii) amount of reverse input tax credit:"

(e) for clause (ah) the following clause shall be *substituted*, namely:

"(ah) "taxable dealer" means a dealer who is liable to pay tax under this Act;"

(f) for clause (at) the following clause shall be *substituted*, namely:

"(at) "Web Site" means World Wide Web of the Department of Commercial Taxes of Uttar Pradesh with such domain "up.nic.in" and with address "http://comtax.up.nic.in" or any other website notified by the State Government."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act,-

(a) in sub-section (3) in the table for the entries appearing at serial 8, the following entries shall column-wise be *substituted*, namely :-

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| "g | (i) A railway container contractor, an air cargo operator, a courier service provider, who fails to disclose the name and complete address of consigner or consignee or if discloses such name or address of consigner or consignee is found bogus, forged or not verifiable; or the owner or person in-charge of a vehicle who obtained authorization for transit of goods from the officer in-charge of entry check post but failed to deliver the same to the officer in-charge of the exit check post, | First date on which any taxable goods are found in the possession or custody. |
| | (ii) an owner or person in-charge, of a godown or cold storage or warehouse other than a transporter except those covered under clause (i) who fails to disclose the name and address of the owner of any taxable goods stored in such godown, cold storage or warehouse other than transporter except those covered under clause (i) or if discloses such name and address of owner of taxable goods is found bogus, forged or not verifiable." | |

(b) in sub-section (4) the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :-

"Provided that where a dealer carries on business during part of an assessment year, taxable quantum shall be partial amount of five lakh rupees which shall be computed on pro rata basis and for this purpose part of the month shall be counted as a full month."

(c) after sub-section (10) the following sub-section shall be *inserted*, namely :

"(11) Subject to such conditions as may be prescribed, the State Government may permit any power project industrial unit engaged in generation, transmission and distribution of electrical energy, having aggregate capital investment of Rs. 1000 crore or more to own the tax liabilities of a dealer of such sales as are made to that unit."

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3) for the words "is not entitled to realize" the words "is not entitled to realize or has not realized if entitled" shall be *substituted*.

Amendment of section 5

5. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1),

(a) for the words "any taxable goods" the words "any taxable" shall be *substituted;*

(b) in clause (i) for the words "other than" the words "goods other than" shall be *substituted;*

(c) for the words "shall be liable to pay tax on" the words "shall be liable to pay tax levied on" shall be *substituted.*

Amendment of section 6

6. In section 6 of the principal Act,--

(a) in sub-section (1) for the first proviso the following proviso shall be *substituted*, namely:

"Provided that in the case of a dealer not being a dealer executing works contract, who carries on exclusive business of re-sale of goods within the State after their purchase from a registered dealer within the State and whose turnover on sale of such goods, for any assessment year, does not exceed fifty lakh rupees or his turnover, for the assessment year preceding that assessment year, has not exceeded fifty lakh rupees, the State Government may notify a rate percent on sale of such goods. Different rates may be notified for different goods;"

(b) For sub-sections (2), (3) and (4) the following sub-sections shall be *substituted*, namely :-

"(2) Any dealer, who opts for payment of composition money under this section, shall not be entitled to claim credit of input tax under section 13 in respect of purchase of goods which are re-sold by him during the period in which he is liable to pay composition money under this section or in respect of purchase of goods which have been used, consumed or utilized in manufacture or processing of goods which are sold by him during such period and where the dealer has claimed credit of input tax in respect of any such goods, the same shall stand reversed and the dealer shall pay such amount of reverse input tax credit in accordance with the provisions of section 14.

(3) Any dealer who opts for payment of composition money under this section shall not issue any tax invoice and shall not realize any amount from the purchaser by way of tax or by giving it a different name or colour.

(4) A dealer who makes purchase of any goods from a dealer, who has opted for payment of composition money under this section , shall not be entitled to claim credit of input tax in respect of goods purchased from such dealer."

(c) After sub-section (4) the following sub-section shall be *inserted*, namely :

"(5) Where the turnover of sales, in case of a dealer who has opted to pay composition money under first proviso of sub-section (1) exceeds Rs. fifty lakh, he shall be liable to pay tax at the rate provided under section 4 on and from the day the turnover exceeds Rs. fifty lakh.

Explanation :--For the purposes of sub-sections (1) and (5) where a dealer carries on business during a part of an assessment year, annual turnover shall be partial amount of fifty lakh rupees which shall be computed on pro rata basis and for this purpose part of a calendar month shall be counted as a full month."

7. After section 6 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely:- Insertion of new section 6-A Compounding of tax and penalties in certain cases

"6-A.(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, but subject to the directions of the Commissioner, the assessing authority may accept from any person other than registered dealer by way of composition money either in lump sum or at an agreed rate in lieu of tax or penalty leviable or imposable under this Act, where any person–

(a) imports or attempts to import or abets the import of any goods, in contravention of the provisions of section 50 or section 51 with a view to evading payment of tax on sale of,–

(i) such goods; or

(ii) goods manufactured, processed or packed by using such goods; or

(b) transports, attempts to transport any taxable goods in contravention of any provision of this Act; or

(c) carries taxable goods in a vehicle or vessel and such goods has not been shown in the accounts, registers and other documents maintained in regular course of business.

a sum not less than the amount of tax involved under any provision of this Act but not more than three times of the amount of such tax or forty percent of the value of goods involved whichever is higher.

(2) The provision of sub-section (1) shall not apply to those persons who do not disclose, before the assessing authority, the goods contained in the vessel or vehicle.

(3) Any person who has paid composition money under sub-section (1) shall not for the same goods be required to,–

(a) furnish the return of the tax period under section 24;

(b) take registration under section 17;

(c) be assessed under any provision of this Act;

(d) be liable to tax under section 3;

Explanation–For the purposes of this section the assessing authority includes an officer not below the rank of Commercial Tax Officer empowered to exercise the powers under sections 45 or section 48 or posted at the check post."

8. In section 13 of the principal Act,– Amendment of section 13

(a) in sub-section (1) in clause (a) in the table for the entries appearing at serial no. 3 the following entries shall column-wise be *substituted*, namely:–

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| "3 | If purchased goods are–<br>(i) transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale; or<br>(ii) used in manufacture of any taxable goods except non-vat goods and such manufactured goods are transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale. | Partial amount of input tax, which is in excess of four percent of the purchase price on which the dealer has paid tax either to the registered selling dealer or to the State Government" |

(b) in sub-section (1) for the Explanation the following Explanation shall be *substituted*, namely : -

"Explanation : For the purposes of this sub-section, -

(a) re-sale of goods includes transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract.

(b) goods required for use in manufacture of any goods shall not include goods required for running of captive power plant."

(c) for sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(3) (a) Where purchased goods are to be used or disposed of partially for the purpose specified in clause (a) of sub-section (1) or otherwise, the input tax credit may be claimed and be allowed proportionate to the extent they are used or disposed of for the purposes specified in such clause.

(b) Subject to the provisions of this section where during process of manufacture of vat goods, exempt goods and non vat goods except as by product or waste product are produced, the amount of input tax credit may be claimed and be allowed in proportion to the extent they are used or consumed in manufacture of taxable goods other than non vat goods and exempt goods.

Explanation :-For the purpose of this sub-section the "exempt goods" shall include taxable goods other than non vat goods, which are disposed of otherwise than by way of sale within the State or in the course of inter State trade or commerce or sale in the course of export of goods out of the territory of India or sale out side the State."

(d) in sub-section (4) for the words "tax payable by him" appearing at the end, the words "tax payable by him and possesses the proof of payment of tax on the turnover of purchase liable to tax" shall be *substituted*.

(e) in sub-section (7) after sub-clause (ii) the following sub-clause shall be *inserted*, namely :-

"(iii) such goods are for transfer of right to use such goods."

(f) sub-section (9) shall be renumbered as clause (a) thereof and after clause (a) as so renumbered the following clause shall be *inserted*, namely:

"(b) Where works contract is partially executed by a sub contractor, the amount of input tax credit, in respect of purchase of goods involved in the execution of works contract shall be claimed by and be allowed to the contractor or such sub contractor to the extent of purchase of goods by them."

(g) in sub-section (11), in the proviso for the word "Ordinance" the word "Act" shall be *substituted*.

(h) in the Explanation,-

(i) for the word and figure "Explanation (1)" the word "Explanation" shall be *substituted*.

(ii) after clause (iii) the following clause shall be *inserted*, namely :-

"(iv) where during the process of manufacture of any vat goods any non-vat goods are produced as by-product or waste-product, it shall be deemed that purchased goods have been used in the manufacture of vat goods. Similarly, where during the process of manufacture of any non vat goods any vat goods are produced as by-product or waste-product, it shall be deemed that purchased goods have been used in the manufacture of non vat goods."

Amendment of section 15

9. In section 15 of the principal Act, in sub-section (3) for the existing proviso the following proviso shall be *substituted*, namely :-

"Provided that in case of a dealer whose main business is to sell goods in the course of the export of the goods out of the territory of India, the assessing authority shall allow provisional refund of excess amount of input tax credit for any tax period in accordance with the provisions of section 41."

Amendment of section 17

10. In section 17 of the principal Act,–

(a) for sub-section (5), the following sub-section shall be *substituted*, namely:–

"(5) (a) Every dealer who holds a valid registration certificate issued under the erstwhile Act and is liable to tax under this Act, shall submit to the registering authority or the assessing authority, as the case may be, an application in the prescribed form and in the prescribed manner, for issue of registration certificate by such authority relating to validity of such certificate under this Act, within a period of fifteen months from January 1, 2008:

Provided that if the assessing authority or the registering authority is satisfied that sufficient reasons exist preventing the dealer to submit the application within the said period, he may extend the period not exceeding one month, as he thinks fit on the application of the dealer who has deposited late fees at the rate of Rs. five hundred per month or part thereof.

(b) If a dealer who holds the registration certificate issued under erstwhile Act, fails to submit the application to the assessing authority or registering authority for validation and issue of registration certificate under this Act, within the period referred to in clause (a) in prescribed form and manner, the registration certificate shall cease to have effect"

(b) for sub-section (6), the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(6) (a) No railway container contractor, air cargo operator, courier service provider, or owner or person in-charge of a godown, cold storage or warehouse other than transporter who stores commercial goods, shall operate its business of taxable goods in the State without being registered with the registering authority in such manner as may be prescribed. Any operator of such business shall apply within prescribed perod for his registration to the registering authority in the prescribed manner;

(b) a railway container contractor, an air cargo operator, a courier service provider, an owner or person in-charge of a godown, cold storage or warehouse other than transporter or carrier, who stores commercial goods shall maintain such records as may be prescribed;

(c) every transporter or carrier who is covered under the Carriage By Road Act, 2007 shall furnish to the assessing authority, such informations and documents as may be prescribed."

(c) for sub-section (9), the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(9) Subject to the provisions of sub-section (5) the registration certificate issued under the erstwhile Act and validly held under this Act shall be valid with effect from the date of commencement of this Act.".

(d) for sub-section (13), the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(13) During the period of suspension of registration certificate under sub-section (12), the dealer shall be treated as unregistered dealer. However if the registering authority himself by an order in writing drops the proceeding of cancellation or the order of suspension passed by the registering authority is set aside by any competent court or authority under this Act, the dealer shall be treated as registered dealer during such period."

(e) in sub-section (14), in Explanation (1) for the words "imposable or any prosecution for an offence under this Act" the words "imposable under this Act", shall be *substituted*.

Amendment of section 21

11. In section 21 of the principal Act,–

(a) in sub-section (2), in the proviso, in Hindi version for the words "पच्चीस लाख" the words "पच्चीस लाख" shall be *substituted*.

(b) in sub-section (13) for clause (d) the following clause shall be *substituted*, namely :–

"(d) in the case of a dealer who has opted for payment of composition money under section 6.

(i) goods held in opening stock on the date on which provisions of section 6 has become applicable and;

(ii) goods held in opening stock on the date on which provisions of section 6 ceases to apply;"

(c) in sub-section (16) the proviso shall be *omitted*.

(d) in sub-section (17) in the Explanation clause (iii) shall be *omitted*.

Amendment of section 22

12. In section 22 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1),–

(a) for the words "tax or a lump sum" the words "composition money" shall be *substituted*.

(b) for the words "a tax invoice in the prescribed form and manner containing such particulars as may be prescribed" the words "tax invoice containing such particulars as may be prescribed including name and complete address and Taxpayer's Identification Number, if any, of the person purchasing the goods" shall be *substituted*.

(c) the provisos shall be *omitted*.

(b) (a) for sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely:

"(3) All dealers except as provided in sub-section (1), shall issue sale invoice to the purchaser in such manner and containing such particulars as may be prescribed.

Explanation– in this sub-section sale invoice means any invoice in the nature of bill, invoice, cash/credit/memo containing such particulars as may be prescribed."

(b) in sub-section (4) for the words "a bill or cash memo" or the words "a cash memo or bill" wherever occurring the words "sale invoice" shall be *substituted*.

(c) for sub-sections (5) and (6) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(5) Every dealer referred to in sub-section (1) shall charge amount of tax payable separately on every tax invoice. However, the dealer referred in sub-section (3) may charge tax separately.

(6) Office copy of tax invoice, sale invoice as the case may be, prepared by the selling dealer and copies of tax invoice, sale invoice, as the case may be, received by the purchasing dealer shall be preserved by them for the period provided under sub-section (3) of section 21."

Amendment of section 23

13. In section 23 of the principal Act,–

(a) for sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(1) (a) No person who is not a dealer registered under this Act, shall in respect of any sale or purchase made by or through him, realize from any person any amount by way of tax on sale or purchase of goods or any amount in lieu of tax on sale or purchase of goods by giving it different name or colour and no dealer registered under this Act, shall in respect of any sale or purchase made by or through him, realize from any person, other than a person to whom goods are sold by him, any amount by way of tax on sale or purchase of goods, or any amount in lieu of tax on sale or purchase of goods by giving it different name or colour;

(b) Where tax is payable on sale or purchase of goods on any turnover by a dealer including a commission agent or any person mentioned in clause (h) of section 2 registered under this Act, such dealer may recover an amount, equivalent to the amount of tax on sale or purchase of goods payable, from the person to whom any such goods is sold by him, whether on his own account or on behalf of his principal."

(b) after sub-section (3) the following sub-section shall be *inserted*, namely:–

"(4) No dealer shall include the amount of tax already paid on the purchase of goods in the sale price of such goods resold or goods manufactured by using such goods."

Amendment of section 24

14. In section 24 of the principal Act, in sub-section (9) for the word "returns" wherever occurs the word "information and documents" shall be *substituted*.

Insertion of new section

15. After section 26 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely :–

26-A Special provision relating to casual traders

"26-A(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, a casual trader shall-

(a) inform the assessing authority at least three days before beginning of his business in Uttar Pradesh, such particulars of his business in Uttar Pradesh, such particulars of his business in such form and in such manner as may be prescribed;

(b) deposit security in cash or in the form of bank draft, of such amount as may be fixed by the assessing authority which shall not exceed estimated liability to pay tax for such period for which the casual trader is conducting the business in Uttar Pradesh;

(c) pay tax daily on sales made during the previous day;

(d) furnish to the assessing authority next day after the conclusion of his business in Uttar Pradesh, a return in the prescribed form and manner, and

(e) not issue any tax invoice.

(2) The assessing authority shall, after verification of information furnished to him under clause (a) and receiving the security under clause (b) of sub-section (1), shall register the casual trader.

(3) After registration of casual trader, the assessing authority shall issue the required forms to him for use as the declaration or certificate referred to in section 50 and 51 of this Act for bringing goods for sale in Uttar Pradesh and the casual trader shall maintain complete account of the used forms and surrender the unused forms along with the return referred to in clause (d) of sub-section (1).

(4) The assessing authority shall, after examining the return furnished by the casual trader under clause (d) of sub-section (1), the forms referred to in sub-section (3) and the accounts maintained by him including the sale invoicesissued, assess him to tax within one week and shall serve upon him a notice of assessment and demand and after adjusting any tax and any other dues payable under this Act, refund the balance amount of security to him in case security is deposited.

(5) The casual trader shall pay immeditely the amount mentioned in the notice of assessment and demand.

(6) On being satisfied that the amount due has been paid the assessing authority shall release the security or balance security, as the case may be.

(7) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the taxable quantum referred to in section 3 in respect of a casual trader shall be nil.

Explanation :– In this section casual trader means a person who, whether as principal, agent or in anyother capacity under takes occasional transactions in the nature of business involving buying, selling, supply or distribution of goods or conducting any exhibition-cum-sale in Uttar Pradesh whether for cash, differed payment, commission, remuneration or other valuable consideration."

Amendment of section 33

16. In section 33 of the principal Act, after sub-section (16) the following sub-sections shall be *inserted*, namely :–

"(17) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act and the rules made thereunder, the State Government, may grant moratorium from payment of admitted tax to a power project industrial unit, subject to such conditions as may be prescribed.

Explanation :–For the puroses of this sub-section "admitted tax" shall include the tax liability of other dealers owned by such unit under sub-section (11) of section 3.

(18) Where any goods has been seized by any competent authority for realization of tax or penalty leviable under this Act and such goods has been given in the custody of any person by such authority. If such person fails to return the goods to the authority in the same form and condition, an amount equal to the value of goods shall be recovered from such person as an arrear of land revenue."

Amendment of Section 34

17. In section 34 of the principal Act, after sub-section (13) the following sub-section shall be *inserted*, namely :–

"(14) No deduction under this section shall be made on the turnover of sale where such sale takes place–

(i) in the course of inter-State trade or commerce; or

(ii) outside the State; or

(iii) in the course of the export out of, or import into, the territory of India."

18. In section 39 of the principal Act, in sub-section (1) in clause (b) in Hindi Version for the words "एक लाख" the words "पांच लाख" shall be *substituted*. section 39

19. In section 40 of the principal Act, after sub-section (7) the following sub-section shall be inserted, namely :– Amendment of section 40

"(8) The amount refundable under the erstwhile Act may be adjusted against the amount of tax or penalty or any other dues under this Act."

20. After section 40 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :– Insertion new section 40-A

"40A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act or in any judgement, decree or order of any Court, Tribunal or other authority, where after giving reasonable opportunity of being heard to the dealer or the person concerned, the Commissioner is satisfied on the report of the assessing authority that,– Withholding of refund in certain cases

*(a)* the dealer has submitted false return of the turnover or has concealed particulars of his turnover or has deliberately furnished inaccurate particulars of such turnover or has prevented the assessing authority or any other competent authority from making inspection and examination of books, accounts or documents maintained or goods shown to be held in stock by such dealer or obstructed any competent authority in performing his functions under this Act; or

*(b)* any purchase in respect of which input tax credit in any return has been claimed, is not verifiable; or

*(c)* the dealer has obtained tax invoices without making actual purchase of goods; or

*(d)* the dealer has failed to furnish any security demanded from him under any provision of this Act or the Central Sales Tax Act, 1956; or

*(e)* the circumstances exist involving fraud,

and where the Commissioner is of the opinion that if refund is allowed, it may not be possible to realize any amount of tax or penalty likely to be levied, he may permit the assessing authority to pass an order for withholding, as a security, such amount of refund as would be sufficient to cover the amount of tax or penalty or both, as the case may be, likely to be levied, for a period as may be determined by the Commissioner.

(2) Where the assessing authority finds that the circumstances menioned in sub-section (1) exist and sufficient material is available on the record, it shall send a report to the Commissioner along with the material for seeking the permission to withhold the amount of refund.

(3) The assessing authority shall complete the proceeding for assessment or penalty or both, pending before him within such period as may be determined by the Commissioner.

Provided that if the Commissioner is satisfied that the circumstances exist which would prevent the assessing authority to complete the assessment or penalty proceeding within the determined period, he may extend the period not exceeding 90 days.

(4) After the completion of the proceeding withheld amount shall be adjusted against demand created due to assessment or penalty proceeding and the balance if any shall be refunded along with interest at the rate of twelve percent per annum from the date on which refund has become due, in the manner provided under this Act and the rules made thereunder.

*Explanation* : For the purposes of this section refund includes the refund of input tax credit."

Amendment of section 41

21. For section 41 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :–

"41 (1) Notwithstanding anything contained in section 40, in the case of a dealer, whose main business is to sell goods in the course of the export of the goods out of the territory of India, the assessing authority, upon receiving the return for a tax period and application for provisional refund along with the proof of export, pending audit and investigation to establish the correctness of the claim and consequent assessment, shall, allow provisional refund of the excess amount of input tax credit for such tax period on account of sale in the course of the export of the goods out of the territory of India, within thirty days from the date of receipt of such application :

Provided that if any amount of tax, fee or penalty or any other amount either under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 or under the erstwhile Act is due against such dealer the amount found refundable first shall be adjusted towards such amount of tax or fee or penalty, as the case may be, and excess, if any, shall be refunded to the dealer :

Provided further that, before granting refund, the assessing authority may require the dealer to furnish security of amount equivalent to amount of refund to its satisfaction where, –

*(a)* the dealer has been involved in tax evasion under this Act or erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act 1956; or

*(b)* the dealer has obstructed or prevented the officers empowered under this Act in performing any of his functions or duties assigned to him under this Act; or

*(c)* the dealer has misused in any way the declaration or the certificate prescribed under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 or under the erstwhile Act or under the Uttar Pradesh Tax on the Entry of Goods into Local Areas Act, 2007; or

*(d)* the dealer is defaulter of the payment of tax on the sale or purchase of goods under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 or under the erstwhile Act; or

*(e)* the dealer has violated any provision of this Act resulting in the loss of revenue.

*Explanation*–For the purpose of this section,–

(i) 'main business of export' in relation to a dealer shall mean the dealer whose aggregate of turnover of sales in the course of export of goods outside the territory of India under sub-sections (1) and (3) of section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956, for any tax period exceeds fifty percent of the aggregate of turnover of sale of all goods–

(a) within the State;

(b) in the course of export of goods out of the territory of India; and

(c) in the course of inter-State trade or commerce.

(ii) where any application is incomplete the date of completion of that application shall be deemed to be the date of application.

(2) If, on assessment, the provisional refund granted under sub-section (1) is found to be in excess, then the excess amount of refund shall be recovered from the dealer along with interest at the rate of fifteen percent per annum and for the period commencing on the date of provisional refund and ending with the date of payment of the amount, as tax due from the dealer.

(3) If the application is not in order or contains wrong particulars it shall be rejected by a speaking order in writing and the dealer shall be informed accordingly :

Provided that no application shall be rejected without affording the dealer an opportunity of being heard.

(4) Notwithstanding any thing contained in the first proviso to sub-section (1) where any industrial unit has been declared sick by any competent court or authority constituted under any law for the time being in force, the provisional refund under this section shall be allowed if such industrial unit satisfied that,–

*(a)* the package for rehabilitation of the sick unit has been approved by a competent court or an authority;

*(b)* the Sate Government has deferred the arrear against such unit under section 71 and

*(c)* the conditions imposed by the State Government for deferment of the arrear has been complied with."

Amendment of section 42

22. In section 42 of th principal Act,–

*(a)* in sub-section (3), for clause (a) th following clause shall be substituted, namely;–

"(a) the industrial unit availabe or granted benefit of exemption from, or reduction in the rate of tax under the erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 on the turnover of sales of manufactured goods or turnover of purchase of any raw material, processing material, consumable stores, fuel other than petrol and diesel, lubricant required for use in manufacture of goods or in th packing of goods manufactured by such industrial unit or both, and

(i) whose facility of exemption or reduction in the rate of tax is base on the fixed capital investment as provided under the erstwhile Act or notification issued thereunder; or

(ii) an industrial unit purchased from the State Government or any corporation or undertaking owned or controlled by the State Government and to whom exemption or reduction in the rate of tax has been granted under the erstwhile Act may apply to the Commissioner for issue of the Certificate of Entitlement in the prescribed form and in prescribed manner."

*(b)* in sub-section (4) for the words "the industrial unit availing benefit of exemption from" the words "the industrial unit availing or granted benefit of exemption from" shall be substituted.

*(c)* after sub-section (4) the following sub-section shall be inserted, namely :–

"(4A) The industrial unit availing or granted benefit of exemption from, tax on the turnover of purchase before the date of commencement of this Act shall be entitled for exemption by way of refund of Earned Input Tax Credit computed on the basis of data declared in the documents submitted along with the return of tax period in prescribed manner and on fulfilling the following conditions that,–

(a) the industrial unit shall hold valid Certificate of Entitlement issued by the Commissioner as provided under sub-section (3);

(b) the amount of refund shall not be more than an amount equal to input tax credit earned during relevant tax period;

(c) the refund shall be subject to the provisions of section 40 except that the amount shall not be adjusted against the admitted tax liability,

(d) the facility of refund shall cease on the day when the amount or the period mentioned in the Certificate of Entitlement, whichever is earlier,

(e) the facility of exemption from, tax by way of refund shall be availabe only in respect of raw material, processing material, consumable stores, fuel other than petrol and diesel, lubricant, required for use in manufacture of goods or in the packing of manufactured goods mantioned or described in the Certificate of Entitlement.

(f) the amount of exemption from the by way of refund on the turnover of purchase of goods, shall be deducted from the total amount mentioned or described in the Certificate of Entitlement.

(g) the industrial unit has not misused the facility of exemption from tax in any manner.

Explanation: "Earned Input Tax Credit" means the amount of admissible Input Tax Credit computed on the basis of data declared in the returns of tax period where industrial unit was availing benefit of exemption under the erstwhile Act.

**(d) In sub-section (5) for clause (a) the following shall be substituted, namely ;–**

***(a)*** **The amount found refundable shall be refuned within a period of 30 days from the last date of the month in which dealer files the return of relevant tax period.** Where the return of tax period is not complete and dealer fulfils the requirement of return on a date later to the due date for filing of return of tax period, such date shall be deemed to be the date of filing of return of tax period."

***(e)*** **for sub-section (8) the following sub-section shall be substituted, namely :–**

**"(8) The industrial unit availing the benefit of tax deferment as provided under sub-section(2) or availing the facility of refund as provided under sub-section (4), shall be**

Data 2 1030 RPH Eng

**eligible to issue tax invoices and to claim input tax credit subject to provisions of section 13.** The industrial unit availing the facility of refund on both sale and purchase, shall be eligible for claiming Input Tax Credit while computing net tax payable on the turnover of sale of goods described in the Certificate of Entitlement."

*(f)* **after sub-section (13) the following sub-section shall be inserted, namely :–**

"(14) On scrutiny of account or subsequent investigation it is found that data furnished along with return of the tax period is found wrong or not reliable or based on no genuine material on record, without prejudice to the provisions of section 54, the excess amount refunded shall be deposited within 30 days of notice received from the assessing authority along with interest at the rate of 15 percent per annum with effect from the date of refund to the date of deposit, failing which the excess amount refunded shall be recovered as an arrears of land revenue."

Amendment of section 48

23. In section 48 of the principal Act.–

*(a)* in sub-section (1) after clause (ii) the following clause shall be inserted, namely :–

"(iii) which are found in any place business, vehicle, vessel or any other building or place, and such goods are accompanied by any tax invoice or sale invoice or any other document pertaining to value of goods, as the case may be, containing value of goods under valued to the extent more than fifty percent of the value of goods prevalent at the relevant time in local market area where the said transaction had taken place, with intention to evade payment of tax."

*(b)* in sub-section (5) for the words "other document referred to in sub-section (1)" the words "other documents referred to in sub-section (1) of the goods are undervalued to the extent of more than fifty percent of the value of goods prevalent at the relevant time in the local market area where the said transaction had taken place, with intention to evade payment of tax," shall be substituted.

Amendment of section 52

24. In section 52 of the principal Act for the word and figure "section 51" the word and figure "section 50" shall be *substituted*.

Amendment of section 54

25. In section 54 of the principal Act, in sub-section (1),–

(a) in the table,–

(i) for the entries at serials 5 and 15 the following entries shall column wise be *substituted* respectively, namely :–

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| "5 | Where the dealer has,–<br>(i) failed to issue or has deliberately not issued a tax invoice or sale invoice; or<br>(ii) deliberately not obtained tax invoice inspite of being a registered dealer while purchasing the goods liable to tax under this Act from a registered dealer; or<br>(iii) not issued purchase invoice: in accordance with the provisions of this Act. | 40% of the value of goods |
| 15 | Where the driver or person in charge of the vehicle, as the case may be,–<br>(i) fails to obtain authorization for transit of goods through the State and also fails to prove that goods are meant for delivery to dealers or persons outside the state; or<br>(ii) while obtaining authorization for transit of goods through the State undertakes responsibility of handing over such goods to a *bona-fide* person inside the State for carrying them outside the State but fails to hand over such goods to such *bona-fide* person; or<br>(iii) being a person, who receives any goods from driver or person in-charge of a vehicle for carrying them outside the State, does not carry such goods outside the State; or<br>(iv) being a transporter or hirer of a vehicle prepares goods-receipt by showing false destination of goods outside the State;" | 40% of the value of goods |

(ii) for the words " disclosed value" appearing in column-3 of the entries at the serial Nos. 11, 12 and 14 the word "value" shall be substitued,

(iii) after entry at serial-21 the following entries shall column wise be inserted, namely :-

| | | |
|---|---|---|
| "21A- | Where the dealer has included the amount of tax paid or payable, on the turnover of purchase of the goods in the sale price of goods resold or goods manufactured by using such goods. | not less than the amount of tax but not more than three times of tax which has been included in the sale price of the goods |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 21 B- | Where the dealer or any other person, as the case may be, has issued or received any tax invoice or sale invoice or any other document pertaining to value of goods, as the case may be, containing value of goods undervalued to the extent more than fifty percent of the value of goods prevalent at the relevant time in the local market area where the transaction has taken place, with intention to evade payment of tax." | 40% of the value of goods |

(b) In the Explanation for caluses (ii) and (iii) the following clauses shall be substituted, namely:-

"(ii) If the value of goods described or mentioned in tax invoice, sale invoice or any such other document is under valued to the extent of more than fifty percent of the value of goods prevalent at the relevant time in the local market area where the transaction has taken place, the estimated value prevalent at the relevant time in such local market area shalll be deemed to be the value of such goods,

(iii) If the value of goods is not described or mentioned in tax invoice, sale invoice or any such other document the estimated value prevalent at the relevant time in the local market area where the transaction has taken place, shall be deemed to be the value of such goods."

Amendment of section 56

26. In section 56 of the principal Act, in sub-section (1) for the words "the State Government by notification" the words "the Commissioner" shall be substituted.

Amendment of section 57

27. In section 57 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1) for the words a Tribunal" the words "a Tribunal to be known as Commercial Taxes Tribunal" shall be substituted,

(b) in sub-section (12), for clauses (b) and (c) following clauses shall be respectively substituted, namely ;-

(b) an appeal against a direction given under the proviso to sub-section (7) of section 48 shall be heard and disposed of by a bench of two members ;-

(c)an appeal against an order under section 56 shall be heard and disposed of by a bench of two members."

Amendment of section 59

28. In section 59 of the principal Act, for sub-section (5) the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(5) Except as provided in sub-section (3), a decision given by the Commissioner under this section shall, subject to the provisions of sections 57 and 58, be final and shall be binding on all the assessing authorities and appellate authorities."

29. In section 60 of the principal Act for the words and figures "sub-section (1), (2) or (7)" the words and figures "sub-section (1) or sub-section (2)" shall be substituted. Amendment of section 60

30. In section 63 of the principal Act, in sub-section (3) for the word "prescribed" the words "determined by the State Government" shall be substituted. Amendment of section 63

31. In section 64 of the principal Act, for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely :- Amendment of section 64

"(2) The petition shall be submitted in such form and in such manner as may be prescribed along with satisfactory proof of deposit of fee of five thousand rupees and full disclosure of his turnover which has not been furnished to the assessing authority with additional amount of tax payable on such turnover and such other particulars to the Settlement Commission to have the case settled :

Provided that no petition shall be entertained unless the amount or tax on the turnover of sale or purchase disclosed in the petition has been paid and proof therefor has been enclosed."

32. In section 65 of the principal Act, After sub section (18) the following sub-section shall be inserted, namely :- Amendment of section 65

"(18-A) Where, during the pendency of any proceeding before it, the Settlement Commission is of the opinion that for the purpose of protecting the interests of the revenue it is necessary so to do, it may order to furnish the security required to be sufficient to cover the revenue loss within the stipulated time in the manner determined by Commission.

(18-B) Any proceeding before the Settlement Commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228, and for the purposes of section 196, of the Indian Penal Code (45 of 1860)"

33. For section 78 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Amendment of section 78

"78-(1) The State Government may, by notification, establish with effect from such date as may be specified in the notification, a Board to be known as the Uttar Pradesh State Tax Board to perform the functions conferred on it, by or under this Act or the rules made there under, consisting of the following members:-

| | |
|---|---|
| (a) The Principal Secretary, Government of Uttar Pradesh in Commercial Tax Department. | *Chairperson ex.Officio* |
| (b) Commissioner Commercial Tax, Uttar Pradesh. | *Member ex. Officio* |

| | |
|---|---|
| (c) Additional Commissioner (vidhi) Commercial Tax, Uttar Pradesh. | *Member Officio* |
| (d) Additional Director (Training), Commercial Tax, Uttar Pradesh. | *Member Officio* |
| (e) Joint Commissioner (sodh) Commercial Taxes Headquarters Lucknow | *Member Secretary* |
| (f) Additional Legal Remembrancer nominated by the Principal Secretary and Legal Remembrancer to the State Government | *Member* |
| (g) An officer of the Finance Department not below the rank of Special secretary to be nominated by the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department | *Member* |
| (H) A person who has been a Professor of Economics of a University, nominated by the State Government | *Member* |
| (i) A person who has been the Member of the Tribunal or the Additional Commissioner, Commercial Taxes, nominated by the State Government | *Member* |
| (j) Two persons from amongst office bearers of the recognized Trade Association nominated by the State Government | *Member* |

(2) The Board shall be the apex advisory body regarding system of tax collections, changes in the rate of tax, rules, and procedures, promulgation of schemes, notifications, orders and such other matters as the State Government may from time to time assigned to it.

(3) The members referred to in clause (h) to (j) of sub-section (1) shall be entitled to get such facility or benefit and remuneration as may be determined from time to time by the State Government."

Amendment of section 81

34. In section 81 of the Principal Act, in sub- section (2) in clause (b) for the words "manufacturing units enjoying benefits of exemption from payment of tax under section 4-A of the repealed Act or units" the words "manufacturing units" shall be substituted.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 has been enacted to provide for introducing Value Added System of taxation for the levy and collection of tax on sale or purchase of goods. With a view to removing certain difficulties and shortcomings experienced in the administration of the said Act it has been decided to amend the said Act mainly to provide as follows:-

(a) The transporter is being excluded form the definition of the dealer ;

(b) The State Government is being empowered to permit and power project industrial unit having aggregate capital investment of rupees one thousand crore or more to own the tax liabilities of a dealer of such sales as are made to the unit and also to grant moratorium from payment of admitted tax to such nuit ;

(c) The assessing authority is being authorised to accept from any person other than registered dealer, composition money in lieu of tax or penalty on import of goods in to the State subject to the directions of the Commissioner ;

(d) A dealer is being allowed credit of the partial amount of input tax which is inexcess of four percent of the purchase price where the goods are being consiganed or transferred by him outside the State other than by way of sale ;

(e) The time for making application for registration under the Act by the dealers holding valid registration certificate under the erstwhile Act is being extended ;

(f) It is being provided for allowing the casual dealers to get themselves registered, receive Forms, pay tax etc. ;

(g) Deduction of Tax at source where sale takes place in the course of inter-State trade or commerce or outside the State or in the course of export out of or import into the territory of India is being abolished ;

(h) The assessing authority is being authorised to withhold the refund in certain cases with the prior permission of the Commissioner ;

(i) The industrial unit availing or granted benefit of exemption from tax on the turnover of purchase based on capital investment before the date of commencement of the Act is being made entitled for exemption by way of refund of earned input tax credit on fulfilling certain conditions ;

(j) Goods undervalued to the extent of more than fifty percent of the value of goods is being made liable to seizure and penalty.

The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2009 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
*Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1030 राजपत्र (हि०)–2009–(2229)–597 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट) :
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 185 सा० वि०–2009–(2230)–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

Data 2 1030 RPH Eng

क्रम-संख्या–249

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2013

आश्विन 4, 1935 शक सम्वत्

## उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1039/79-वि-1–13-1(क)16-2013

लखनऊ, 26 सितम्बर, 2013

### अधिसूचना

### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ]

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 की धारा 13 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 13 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, सारणी में, क्रम संख्या-3 पर दी गयी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात् :–

| क्रम संख्या | शर्तें | इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की सीमा |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 3 | यदि क्रय किये गये माल,–<br>(एक) विक्रय के परिणाम से भिन्न राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किये जाएं; या<br>(दो) गैर-वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में प्रयोग किए जायें और ऐसे विनिर्मित माल को, विक्रय के परिणाम से भिन्न, राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए; | इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि जो केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक है, जिस पर व्यवहारी ने रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी या राज्य सरकार को कर का भुगतान किया है। |

धारा 20 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"(5) प्रत्येक व्यवहारी जिसके पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आवंटित स्थायी खाता संख्या हो, यथास्थिति, आवर्त और कर की प्रत्येक मासिक या त्रैमासिक विवरणी पर ऐसी संख्या का उल्लेख करेगा और इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा जब भी माँग की जाए, ऐसी संख्या को प्रस्तुत करेगा।"

धारा 21 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(7-क) उपधारा (4), (6) तथा (7) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल तथ्य के होते हुये भी, कमिश्नर उस वेबसाइट को विज्ञापित कर सकते हैं जिसमें उपधारा (4) में निर्दिष्ट ट्रांसपोर्ट मेमो में निहित किये जाने वाले विहित विवरण को उनके द्वारा विज्ञापित की जाने वाली किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के व्यवहारियों या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के संव्यवहारों के प्रतिफलन के परिप्रेक्ष्य में प्रविष्ट किया जायेगा। यदि कमिश्नर ऐसी वेबसाइट को विज्ञापित करता है, तो पंजीकृत व्यापारी, जो कमिश्नर द्वारा यथा विज्ञापित किसी वस्तु या किसी श्रेणी, की वस्तुओं का पारेषण या वितरण करता है, विहित विवरण की विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट करेगा और वेबसाइट में ऐसे विवरणों के प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण कमिश्नर द्वारा विहित रीति से ऐसी वस्तुओं के परिवहन के समय ऐसी वस्तुओं के साथ ले जाया जायेगा।"

धारा 24 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"(7) कर भुगतान के लिये ऐसा दायी व्यवहारी जिसने किसी आंशिक निर्धारण वर्ष के दौरान कारोबार किया हो सहित प्रत्येक व्यवहारी, यथास्थिति, ऐसे निर्धारण वर्ष या ऐसे आंशिक निर्धारण वर्ष के लिये, समेकित विवरणों के अनुलग्नक ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रपत्र और रीति में, जैसा कि निर्धारित किया जाएं, प्रस्तुत करेगा।

**स्पष्टीकरण** :–इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शब्द "समेकित विवरणों के अनुलग्नक" का तात्पर्य ऐसे अनुलग्नक से होगा जिसमें क्रय और विक्रय तथा करदेयता की गणना व्यवहारी द्वारा संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिये स्वीकार की गयी क्रय और विक्रय के विवरणों में समाहित हो तथा जिसमें व्यवहारी द्वारा उस कर निर्धारण वर्ष के लिये किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे तथा ऐसे व्यवहारी द्वारा स्वयं या उसके लिये जमा किये गये कर के विवरण एवं ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायं समाहित हों।"

धारा 25 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 25 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) व्यवहारी द्वारा समेकित विवरणों के अनुलग्नक प्रस्तुत करने के पश्चात् और जहाँ व्यवहारी द्वारा ऐसे अनुलग्नक कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या बढ़ाए गये समय के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, वहाँ ऐसे समय की समाप्ति के पश्चात् किसी कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के लिये उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण का कोई अनन्तिम आदेश नहीं दिया जाएगा।"

धारा 27 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"27(1) धारा 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक ऐसे व्यवहारी, जिसने अंतिम कर अवधि की विवरणी तथा समेकित विवरणों के अनुलग्नक विहित प्रपत्र और रीति में दाखिल कर दी है, के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसका स्व कर निर्धारण कर की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जो, यथास्थिति, प्रकटित क्रय या विक्रय या दोनों के आवर्त पर स्वीकृत रूप से देय हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जिसे ऐसे अनुलग्नकों में अनुमन्य प्रदर्शित किया गया है।

(2) इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सभी प्रयोजनों के लिये,—

(क) व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये समेकित विवरणों के अनुलग्नक को कर निर्धारण आदेश समझा जायेगा और ऐसे अनुलग्नक में प्रकटित तथ्यों या उल्लिखित अंकों को ऐसे कर निर्धारण आदेश का भाग समझा जाएगा, और

(ख) कर निर्धारण वर्ष, जिसमें समेकित विवरणों के अनुलग्नक दाखिल करने का निर्धारित दिनांक पड़ता है, के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिनांक को ऐसे कर निर्धारण आदेश का दिनांक समझा जाएगा।"

धारा 28 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 28 में,—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में,—

(एक) उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(एक) ऐसा व्यवहारी जिसने आवर्त और कर के समेकित विवरणों के अनुलग्नक या संशोधित समेकित विवरणों के अनुलग्नक को निर्धारित या बढ़ायी गयी अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया हो; या ऐसे समेकित विवरणों के अनुलग्नक में दोषपूर्ण या गलत विवरण निहित है या करमुक्त अथवा कर की दर में कमी के लिये संबंधित घोषणापत्र या प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं, या"

(दो) उपखण्ड (चार) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(चार) ऐसा व्यवहारी जिसके मामले में अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यदि कर निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि समेकित विवरणों के अनुलग्नक में व्यवहारी द्वारा प्रदर्शित देय कर की धनराशि प्रत्यय योग्य नहीं है अथवा इन अनुलग्नकों में देय कर व्यवहारी द्वारा जमा नहीं किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की दावाकृत धनराशि दोषपूर्ण है या देय कर की प्रदर्शित धनराशि गलत है, या"

(ख) उपधारा (3) में खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(एक) से अपेक्षा की जाएगी कि वह समेकित विवरणों के अनुलग्नक, यदि उसने ऐसे अनुलग्नक प्रस्तुत नहीं किये हैं, प्रस्तुत कर दें,"

(ग) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"(11) उपधारा (9) के अधीन व्यवहारियों से समेकित विवरणों के अनुलग्नक प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसे व्यवहारियों के मामलों में, कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही उपधारा (9) के अधीन कर निर्धारण किया जा सकता है।"

धारा 40 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (5) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(क) ने न तो समस्त कर अवधियों के लिये आवर्त और कर की विवरणी प्रस्तुत की हो और न ही निर्धारण वर्ष, जिसमें विक्रय किया गया, के लिये समेकित विवरणों के अनुलग्नक प्रस्तुत किये हों, और"

धारा 44 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 44 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा दाखिल किये गये विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों तथा समेकित विवरणों के अनुलग्नक की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से तथा व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित विभिन्न दावों की स्वीकृति की सत्यता प्रमाणित करने हेतु उतनी संख्या के व्यवहारियों, जितना विहित किया जाये, की कर सम्परीक्षा की जायेगी।"

(ख) उपधारा (3) में, शब्द तथा अंक "उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे।

धारा 50 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(क) उपधारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर उस वेबसाइट को विज्ञापित कर सकते हैं जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा पत्र में निहित किये जाने वाले विहित विवरण को उनके द्वारा विज्ञापित की जाने वाली किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के व्यवहारियों या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के संव्यवहारों के प्रतिफलन के परिप्रेक्ष्य में प्रविष्ट किया जाएगा। यदि कमिश्नर ऐसी वेबसाइट को विज्ञापित करता है तो उन वस्तुओं, जिनका परिवहन किसी वाहन के द्वारा किया जाता है, का स्वामी या प्रभारी विहित विवरण को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट करेगा और ऐसे वेबसाइट में विवरणों के प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण कमिश्नर द्वारा विहित रीति से इस धारा के अन्तर्गत तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।"

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"(3-क) उपधारा (2) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल तथ्य के होते हुए भी, जहाँ किसी वाहन द्वारा परिवहन की जा रही वस्तुओं का स्वामी या प्रभारी उपर्युक्त विवरणों को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट कर देता है तथा ऐसे वेबसाइट में इस प्रकार प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण इस धारा के अधीन तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष कमिश्नर द्वारा विहित रीति से प्रस्तुत कर देता है, वहाँ ऐसा अधिकारी, उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन ऐसे वाहन को जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।"

धारा 51 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 51 में,—

(क) उपधारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर उस वेबसाइट को विज्ञापित कर सकते हैं जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणापत्र में निहित किये जाने वाले विहित विवरण को उनके द्वारा विज्ञापित की जाने वाली किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के व्यवहारियों या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के संव्यवहारों के प्रतिफलन के परिप्रेक्ष्य में प्रविष्ट किया जाएगा। यदि कमिश्नर ऐसी वेबसाइट को विज्ञापित करता है, तो उन वस्तुओं जिनका परिवहन रेल, वायुमार्ग, डाक, नदी या रज्जु मार्ग के द्वारा किया जाता है, का स्वामी या प्रभारी उपर्युक्त विवरण को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट करेगा और ऐसे वेबसाइट में विवरणों के प्रविष्ट किए जाने का प्रमाण कमिश्नर द्वारा विहित रीति से इस धारा के अन्तर्गत तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।"

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"(3-क) उपधारा (2) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल तथ्य के होते हुए भी, जहाँ रेल, वायुमार्ग, डाक, नदी या रज्जु मार्ग के द्वारा परिवहन की जा रही वस्तुओं का स्वामी या प्रभारी उपर्युक्त विवरणों को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट कर देता है तथा ऐसे वेबसाइट में विवरणों के प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण इस धारा के अधीन तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष कमिश्नर द्वारा विहित रीति से प्रस्तुत कर देता है वहाँ ऐसा अधिकारी उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे वाहन को जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।"

नई धारा 58-क का बढ़ाया जाना

13—मूल अधिनियम में धारा 58 के उपरान्त निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"58—क (1) कमिश्नर राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन वाणिज्य कर प्राधिकारियों द्वारा धारा 57 के अधीन अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण दायर करने को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ मौद्रिक सीमा नियत करने के सम्बन्ध में आदेश, अनुदेश या निर्देश इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को निर्गत कर सकते हैं।

अपील या पुनरीक्षण दायर किये जाने की मौद्रिक सीमा

(2) जहाँ किसी वाणिज्य कर प्राधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन निर्गत आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये किसी निर्धारिती के मामले में किसी बिन्दु पर धारा 57 के अधीन कोई अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण दायर नहीं किया है वहाँ यह ऐसे प्राधिकारी को उक्त बिन्दु पर धारा 57 के अधीन कोई अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण हेतु निम्नलिखित के मामले में बाधित नहीं करेगा:—

(क) किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष हेतु उसी निर्धारिती के मामले में, या

(ख) उसी अथवा अन्य कर निर्धारण वर्ष हेतु किसी अन्य निर्धारिती के मामले में।

(3) इस तथ्य के होते हुये भी कि किसी वाणिज्य कर प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निर्गत आदेशों या अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में धारा 57 के अधीन कोई अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण दायर नहीं किया गया है, किसी निर्धारिती, जो ऐसी धारा 57 के अधीन किसी अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण की पार्टी है, के लिए विधिसम्मत नहीं होगा कि वह यह प्रतिवाद कर सके कि वाणिज्य कर प्राधिकारी ने धारा 57 के अधीन कोई अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण दायर न करने के कारण निर्णय में विवादित बिन्दु को स्वीकार कर लिया है।

(4) ऐसी अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई करने वाला अधिकरण या उच्च न्यायालय उपधारा(1) के अधीन निर्गत आदेश, अनुदेश या निर्देश तथा उन परिस्थितियों का, जिनके अन्तर्गत किसी वाद के संबंध में धारा 57 के अधीन ऐसी अपील या धारा 58 के अधीन ऐसा पुनरीक्षण दायर किया गया है अथवा दायर नहीं किया गया है, का ध्यान रखेंगे।"

---

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) को राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रह के लिये मूल्य सवंर्धित कर प्रणाली प्रारम्भ करने हेतु उपबंधित करने के लिये अधिनियमित किया गया है। औद्योगिक विकास विभाग ने वर्ष 2012 में प्रदेश की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति घोषित की थी। उक्त नीति के प्रस्तर 5.2.4 एवं 3.1.4.1 उक्त अधिनियम से सम्बन्धित हैं तथा उनके क्रियान्वयन के लिये उक्त अधिनियम में उनके संशोधन की आवश्यकता है। उक्त नीति के क्रियान्वयन के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 13, 20, 24, 25, 27, 28, 40 एवं 44 को संशोधित किया जाय। यह भी विनिश्चय किया गया कि राज्य के भीतर परिवहन मेमो के साथ माल का परिवहन एवं घोषणा प्रपत्र के साथ राज्य में माल का आयात और सुगम बनाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 21, 50 एवं 51 को संशोधित किया जाय तथा अपील या पुनरीक्षण दायर किये जाने के लिये मौद्रिक सीमा नियत करने का प्राविधान करने के लिये नई धारा 58-क बढ़ा दी जाय।

2—उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० के० पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 1039(2)/LXXIX-V-1-13-1(ka)16-2013
*Dated Lucknow, September* 26, 2013

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Sansodhan) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 25, 2013.

## THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2013

(U.P. ACT NO. 18 OF 2013)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008.*

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax ( Amendment) Act, 2013.

Amendment of section 13 of U.P. Act no. 5 of 2008

2. In section 13 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), in the Table for the entries at serial no. 3 the following entries shall columnwise be *substituted*, namely:–

"

| Serial No. | Conditions | Extent of amount of input tax credit |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 3 | If purchased goods are, –<br>(i) transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale; or<br>(ii) used in manufacture of any taxable goods except non-vat goods and such manufactured goods are transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale. | Partial amount of input tax, which is in excess of rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 of the purchase price on which the dealer has paid tax either to the registered selling dealer or to the State Government. |

"

Amendment of section 20

3. In section 20 of the principal Act, *for* sub-section (5) the following sub-section shall be *substituted*, namely : –

"(5) Every dealer who possesses Permanent Account Number allotted under the Income Tax Act, 1961, shall mention such number on every monthly or quarterly return as the case may be, of turnover and tax and shall furnish such number whenever required by any authority under this Act."

Amendment of section 21

4. In section 21 of the principal Act, *after* sub-section (7) the following sub-section shall be *inserted*, namely:–

"(7-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-sections (4), (6) and (7) the Commissioner may notify the website in which the particulars prescribed to be contained in the transport memo referred to in sub-section (4) shall be entered in respect of any specified class of goods or any specified class of dealers or as a result of any specified class of transaction to be notified by him. If the commissioner notifies the website, the registered dealer who consigns or delivers any goods or class of goods as notified by the Commissioner, shall enter the prescribed particulars in the notified website and the proof of entering such particulars in the website shall accompany the goods during journey of goods, in the manner prescribed by the Commissioner."

Amendment of section 24

5. In section 24 of the principal Act *for* sub-section (7) the following sub-section shall be *substituted*, namely : —

"(7) Every taxable dealer, including a dealer who has carried on business during part of an assessment year, shall, for such assessment year or part thereof as the case may be, submit Annexures of Consolidated Details within such time and in such form and manner as may be prescribed.

*Explanation:-* For the purposes of this Act the words "Annexures of Consolidated Details" shall mean the Annexures containing the details of purchases and sales and computation of liability of tax in respect of such purchases and sales as admitted by the dealer for the related assessment year and shall also embody the details of input tax credit claimed by the dealer and amount deposited as tax by and on behalf of such dealer during the corresponding assessment year and such other particulars as may be prescribed."

Amendment of section 25

6. In section 25 of the principal Act *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely : -

"(2) No provisional order of assessment under sub-section (1) for any tax period of an assessment year, shall be made after the dealer has submitted Annexures of Consolidated Details and where such Annexures have not been submitted by the dealer after expiration of the time prescribed or extended by the assessing authority, for submission of such Annexures."

Amendment of section 27

7. *For* section 27 of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely : -

"27(1) Subject to provisions of section 28, every dealer, who has submitted the return of last tax period as well as the prescribed Annexures of Consolidated Details in the prescribed form and manner, shall be deemed to have been assessed to an amount of tax admittedly payable on the turnover of purchase or sale or both, as the case may be, disclosed in such Annexures and to an amount of input tax credit shown admissible in such Annexures.

(2) For all purposes under this Act and rules made thereunder,-

*(a)* Annexures of Consolidated Details submitted by a dealer, shall be deemed to be an assessment order and facts disclosed or figures mentioned in such Annexures shall be deemed part of such assessment order; and

*(b)* last date of the assessment year succeeding the assessment year in which the date prescribed for submission of such Annexures of Consolidated Details falls, shall be deemed to be the date of such assessment order."

Amendment of section 28

8. In section 28 of the principal Act,-

*(a)* in sub-section (1), in clause (b),-

(i) *for* sub-clause (i) the following sub-clause shall be *substituted*, namely : -

"(i) dealer who has not submitted Annexures of Consolidated Details or revised Annexures of Consolidated Details of turnover and tax, within the time prescribed or extended; or such Annexures of Consolidated Details contain wrong or incorrect particulars or do not accompany declaration or certificate for exemption or reduction in the rate of tax, or"

(ii) *for* sub-clause (iv) the following sub-clause shall be *substituted*, namely : -

"(iv) dealer in whose case, on the basis of material available on records, if the assessing authority is satisfied that the turnover of sales or purchases or both, as the case may be, and amount of tax shown payable as disclosed by the dealer in Annexures of Consolidated Details are not worthy of credence or tax shown payable in these Annexures has not been deposited by the dealer, or the amount of input tax credit claimed is wrong or the amount of tax payable shown is incorrect; or"

*(b)* in sub-section (3) *for* clause (i) the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(i) be required to furnish Annexures of Consolidated Details if he has not already submitted such Annexures."

*(c) for* sub-section (11) the following sub-section shall be *substituted*, namely: -

"(11) Dealers under sub-section (9) shall not be required to furnish Annexures of Consolidated Details and in cases of such dealers assessment under sub-section (9) may be made even before the expiry of the assessment year."

Amendment of section 40

9. In section 40 of the principal Act, in sub-section (5) *for* clause (a) the following clause shall be *substituted*, namely : -

"*(a)* has neither submitted returns of turnover and tax for all tax periods nor has submitted Annexures of Consolidated Details for the assessment year in which sales are made; and"

Amendment of section 44

10. In section 44 of the principal Act,-

*(a) for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(1) For the purpose of examining the correctness of tax return or returns and Annexures of Consolidated Details filed by a dealer or class of dealers and to verify admissibility of various claims including claim of input tax credit made by a dealer or class of dealers, tax audit shall be made of such number of dealers as may be prescribed."

*(b)* In sub-section (3) *for* the words and figure "sub-section (1)" the words and figure "sub-section (2)" shall be *substituted*.

Amendment of section 50

11. In section 50 of the principal Act,-

*(a)* in sub-section (1) *after* the existing proviso the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided further that the Commissioner may notify the website in which the particulars prescribed to be contained in the declaration referred to in sub-section (1) shall be entered in respect of any specified class of goods or any specified class of dealers or as a result of any specified class of transaction to be notified by him. If the Commissioner notifies the website, the owner or the person in-charge of the goods which are carried by a vehicle, shall enter the prescribed particulars in the notified website and shall produce the proof of entering the particulars in such website, before the officer making search or inspection under this section, in the manner prescribed by the Commissioner."

*(b) after* sub-section (3) the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(3-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (2) or sub-section (3),where the owner or the person in-charge of the goods which are carried by a vehicle has entered the above particulars in the notified website and produced the proof of entering the particulars in such website before the officer making search or inspection under this section, in the manner prescribed by the Commissioner, such officer may subject to the provisions contained in sub-section (4) allow the vehicle to pass through."

Amendment of section 51

12. In section 51 of the principal Act,-

*(a)* in sub-section (1) *after* the existing proviso the following proviso shall be *inserted*, namely:-

" Provided further that the Commissioner may notify the website in which the particulars prescribed to be contained in the declaration referred to in sub-section (1) shall be entered in respect of any specified class of goods or any specified class of dealers or as a result of any specified class of transaction to be notified by him. If the Commissioner notifies the website, the owner or the person in-charge of the goods which are carried by rail, air, post, river or ropeway shall enter the above particulars in the specified website and shall produce the proof of entering the particulars in such website, before the officer making search or inspection under this section, in the manner prescribed by the Commissioner."

*(b) after* sub-section (3) the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(3-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (2) or sub-section (3), where the owner or the person in-charge of the goods which are carried by rail, air, post, river or ropeway has entered the above particulars in the notified website and produced the proof of entering the particulars in such website, before the officer making search or inspection under this section in the manner prescribed by the Commissioner, such officer may subject to the provisions contained in sub-section (4) allow the vehicle to pass through."

Insertion of new section 58-A

13. *After* section 58 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely : -

"58-A (1) The Commissioner with the approval of the State Government may, from time to time, issue orders, instructions or directions to the authorities under this Act fixing the monetary limits for the purpose of regulating the filing of appeal under section 57 or revision under section 58 by the commercial tax authority under this Act.

Monetary limits for filing of appeal or revision

(2) Where a commercial tax authority in pursuance of the orders, instructions or directions issued under sub-section(1), has not filed any appeal under section 57 or revision under section 58 on any issue in the case of an assessee for any assessment year, it shall not preclude such authority from filing an appeal under section 57 or revision under section 58 on the same issue in the case of,-

*(a)* the same assessee for any other assessment year, or

*(b)* any other assessee for the same or any other assessment year.

(3) Notwithstanding that no appeal under section 57 or revision under section 58 has been filed by a commercial tax authority pursuant to the orders or instructions or directions issued under sub-section (1), it shall not be lawful for an assessee, being a party in any appeal under section 57 or revision under section 58 to contend that the Commercial tax authority has acquiesced in the decision on the disputed issue by not filing an appeal under section 57 or a revision under section 58 in any case.

(4) The Tribunal or High Court hearing such appeal or revision, shall have regard to the orders, instructions or directions, issued under sub-section (1) and the circumstances under which such appeal under section 57 or revision under section 58 has been filed or not filed in respect of any case."

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P. Act no. 5 of 2008) has been enacte provide for introducing Value Added System of taxation for the levy and collection of tax on sale purchase of goods in the State. In the year 2012 the Industrial Development Department had declared Infrastructure and Industrial Investment Policy of the State. Paras 5.2.4 and 3.1.4.1 of the said Policy related to the said Act and require amendment in the said Act for the implementation thereof. With a vi to implementing the said Policy it has been decided to amend sections 13, 20, 24, 25, 27, 28, 40 and 44 the said Act. It has also been decided to amend sections 21, 50 and 51 of the said Act to ma transportation of goods within the State alongwith Transport Memo and import of goods into the Su alongwith Form of Declaration more easy and to insert a new section 58-A to provide for fixing monetary limit for filing appeal and revision.

2. The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2013 is introduced accordingly.

By order,
S. K. PANDEY,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 445 राजपत्र (हि0)–2013–(953)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 76 सा0विधायी–2013–(954)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।

क्र०सं०–388

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2008

भाद्रपद 7, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1722/79-वि-1–08-1(क)16-2008

लखनऊ, 29 अगस्त, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 27 अगस्त, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2008

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन 2008

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 4 दिनांक 1 जनवरी, 2008 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और शेष उपबन्ध 16 जुलाई, 2008 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (च) में, अन्त में आये हुए उपखण्ड (छः) को निकाल दिया जाएगा।

धारा 13 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में,–

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ख) इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट कर के भुगतान के दायी प्रत्येक व्यवहारी को, ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात जब व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी होता है, क्रय किये गये पूंजी माल के संबंध में अनुमन्य होगा, यदि ऐसे माल का प्रयोग,–

(एक) गैर-वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में किया जाना हो और जहां ऐसे विनिर्मित माल का,–

क–राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के दौरान या भारत की सीमा के बाहर माल का निर्यात करने के दौरान विक्रय किया जाय; या

ख–विक्रय के परिणाम के सिवाय राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए; या

(दो) गैर–वैट माल के सिवाय छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में हो और जहां ऐसे विनिर्मित माल का विक्रय भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान किया जाये; या

(तीन) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में हो, जहां ऐसी ऊर्जा का प्रयोग गैर–वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में किया जाय और इस प्रकार उत्पादित माल को,–

क–राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के दौरान या भारत की सीमा के बाहर माल का निर्यात करने के दौरान विक्रय किया जाय; या

ख–विक्रय के परिणाम के सिवाय राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए; या

(चार) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में हो, जहां पर ऐसी ऊर्जा का प्रयोग किसी छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में किया जाये और ऐसे छूट प्राप्त माल का विक्रय भारत की सीमा के बाहर वस्तु के निर्यात के दौरान किया जाय;

और इनपुट टैक्स की गणना तथा दावा विहित रीति से किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड के प्रयोजन के लिए,–

(क) यदि उत्पादित विद्युत उर्जा का 90 प्रतिशत उपभोग उपखण्ड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है तो इनपुट टैक्स का शत प्रतिशत दावा किया जा सकेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में अनुमन्य किया जा सकेगा।

(ख) पद 'विद्युत ऊर्जा का उत्पादन' का तात्पर्य कैप्टिव पावर प्लान्ट द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से होगा जिसके अन्तर्गत उसका मरम्मत और अनुरक्षण सम्मिलित होगा।"

(ख) अन्त में आये हुए स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण :–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, खण्ड–(क) के अधीन, सारणी की क्रम संख्या 1 के सामने प्रविष्टि में, माल के पुनर्विक्रय में संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल में (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति का अन्तरण सम्मिलित है।"

धारा 42 का प्रतिस्थापन

4–मूल अधिनियम की धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:–

"42–(1) किसी भी औद्योगिक इकाई को,–

पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत कर से छूट या कर की दर में कमी का लाभ ले रही औद्योगिक इकाइयों के लिए उपाय

(क) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले, पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन यथास्थिति, खरीद या बिक्री या दोनों के, आवर्त पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ ले रही हो ; या

(ख) जिसे पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन, यथास्थिति, खरीद या बिक्री या दोनों, के आवर्त पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा प्राप्त हो;

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके बाद, यथास्थिति, खरीद या बिक्री या दोनों के आवर्त पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले, पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर आस्थगन की सुविधा का लाभ उठा रही औद्योगिक इकाई या ऐसी इकाई जिसे पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आस्थगन की सुविधा का लाभ स्वीकृत किया गया हो, को इस अधिनियम और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन शुद्ध देय कर को कर आस्थगन की सुविधा ऐसे निर्बन्धनों के अध्याधीन जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, जारी रहेगी।

(3) (क) पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पादित माल की बिक्री के विक्रय धन पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ ले रही इकाई; और

(एक) जिसकी कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन या उसके अधीन जारी अधिसूचना में यथा उपबन्धित स्थिर पूंजी विनिधान पर आधारित हो ; या

(दो) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन किसी निगम या उपक्रम से खरीदी गयी कोई औद्योगिक इकाई जिसे पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा स्वीकृत हो;

हकदारी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित रीति से कमिश्नर को आवेदन कर सकती है।

(ख) कमिश्नर सुसंगत अभिलेखों एवं कर निर्धारक प्राधिकारी की रिपोर्ट का परीक्षण करने के पश्चात् और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि दी गयी सूचना सही एवम् पूर्ण है तो प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के 60 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित रीति से वैधता अवधि तथा हकदारी धनराशि सहित यथा-निर्धारित विवरण वाला हकदारी प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

(ग) यदि कमिश्नर का यह समाधान हो जाय कि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में विवरण गलत या अपूर्ण है या विश्वास करने योग्य नहीं है, तो वह आवेदक को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करेंगे और उसकी सूचना औद्योगिक इकाई को तदनुसार देंगे।

(घ) धारा 57 के अधीन अधिकरण को की गयी अपील के अधीन रहते हुए कमिश्नर द्वारा इस निमित्त पारित आदेश अन्तिम होगा।

**(4) पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन बिक्री के आवर्त पर इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले कर की दर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ ले रही औद्योगिक इकाई या ऐसे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् कर की दर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा प्राप्त औद्योगिक इकाई विहित रीति से और निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने पर, कर अवधि की विवरणी सहित संदत्त शुद्ध कर की वापसी के रूप में छूट की हकदार होगी :–**

(क) उक्त इकाई, इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन जारी किया गया विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र रखेगी,

(ख) उक्त इकाई को कमिश्नर द्वारा जारी किया गया विधिमान्य हकदारी प्रमाण-पत्र रखना होगा,

(ग) वापसी की धनराशि सुसंगत कर अवधि के लिए संदत्त शुद्ध कर के बराबर की धनराशि से अधिक नहीं होगी,

(घ) संदेय शुद्ध कर, कर अवधि की विवरणी के साथ विहित रीति से जमा किया गया हो,

(ङ) वापसी की धनराशि धारा 40 के उपबंधों के अध्यधीन होगी सिवाय इसके कि उक्त धनराशि स्वीकृत कर दायित्व के विरूद्ध समायोजित नहीं होगी,

(च) हकदारी प्रमाण–पत्र में उल्लिखित धनराशि या अवधि दोनों में से, जो भी पहले हो, की समाप्ति पर, वापसी की सुविधा समाप्त हो जायेगी,

(छ) हकदारी प्रमाण–पत्र में उल्लिखित माल जिसे औद्योगिक इकाई में विनिर्मित किया जाता है, के विक्रय के आवर्त पर संदेय कर को हकदारी प्रमाण–पत्र में उल्लिखित या वर्णित कुल धनराशि में से घटा दिया जाएगा,

(ज) औद्योगिक इकाई ने किसी भी रीति से कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का दुरूपयोग नहीं किया है।

**स्पष्टीकरण** :–पद "संदेय शुद्ध कर धनराशि" का तात्पर्य है–

(एक) पूर्ववर्ती अधिनियम और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर से छूट की सुविधा ले रही औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई में निर्मित गैर-वैट वस्तुओं से भिन्न कराधेय वस्तुओं की बिक्री पर इस अधिनियम के अधीन संदेय कर और विक्रीत गैर-वैट वस्तुओं से भिन्न कराधेय वस्तुओं की सीमा तक या उसके अनुपात में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि के अन्तर की धनराशि से है।

(दो) कर की दर में कमी की सुविधा ले रही औद्योगिक इकाई के मामले में पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन संदेय कर की दर के सापेक्ष छूट के लिए उपलब्ध कर की दर के अनुपात में ऊपर खंड (एक) के अधीन संगणित शुद्ध कर की आंशिक धनराशि से है।

(5) (क) ऐसे माह, जिसमें व्यवहारी शुद्ध संदेय कर जमा के साक्ष्य सहित संगत कर अवधि की विवरणी दाखिल करता है, के अन्तिम दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर वापसी योग्य पायी गयी धनराशि को वापस कर दिया जाएगा।

(ख) धनराशि की वापसी ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(ग) यदि औद्योगिक इकाई, जो स्वीकृत रूप में संदेय शुद्ध कर जमा करने में विफल रहती है या नियत तिथि के बाद जमा करती है, तो उद्ग्रहणीय ब्याज और अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, की धनराशि समायोजित की जाएगी और केवल शेष धनराशि वापस की जायेगी।

(6) (क) छूट के लिए या कर की दर में कमी के लिए उपलब्ध कुल पात्र समस्त धनराशि तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व कर से छूट या कर की दर में कमी में उपभोग की गयी धनराशि के अन्तर की धनराशि की सीमा तक वापसी की कुल धनराशि सीमित होगी।

(ख) वापसी की कुल अवधि कर से छूट या कर की दर में कमी के लिए उपलब्ध कुल अवधि तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हुई अवधि के अन्तर की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(7) यदि कोई धनराशि वापस करने योग्य पायी जाती है और उसे विहित समय में वापस नहीं किया जाता है तो औद्योगिक इकाई वापसी के लिए विहित अन्तिम दिनांक से बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की हकदार होगी। ब्याज के धनराशि की वापसी ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(8) औद्योगिक इकाई, जो उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित कर आस्थगन की सुविधा का लाभ ले रही है या उपधारा (4) के अधीन यथा उपबंधित वापसी की सुविधा का लाभ ले रही है, कर बीजक जारी करने तथा धारा 13 के उपबंधों के अध्यधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र होगी।

(9) जहां किसी विधि मान्य कारण से या अन्यथा कर की धनराशि या छूट की अवधि या कर की दर में कमी की अवधि में परिवर्तन होता है वहां कमिश्नर स्वप्रेरणा से या औद्योगिक इकाई के प्रार्थना-पत्र पर हकदारी प्रमाण-पत्र में तदनुसार संशोधन करेगा।

(10) वापसी की सुविधा इस अधिनियम तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन उपलब्ध होगी।

(11) इस धारा के अधीन वापसी का दावा करने वाली औद्योगिक इकाई को उसके द्वारा दाखिल की गयी विवरणी के आधार पर कर निर्धारित किया गया नही समझा जाएगा और वापस की गयी कोई धनराशि दाखिल की गयी विवरणी के समर्थन में लेखों को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कर निर्धारण के अध्यधीन होगी।

(12) इस धारा के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित उन इकाईयों, जो 09 नवम्बर, 2000 (उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की तिथि) के पूर्व स्थापित की गयी थीं और अब उत्तराखण्ड के राज्यक्षेत्र की सीमा में स्थित हैं, पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन लागू होंगे:–

(क) माल उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित किसी ऐसी इकाई में निर्मित किये जाते हैं जिसके पास ऐसे माल के निर्माण के लिए पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 4–क के अधीन जारी किया गया पात्रता प्रमाण-पत्र (दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व से जिनकी वैधता प्रारम्भ हुई हो), हो,

(ख) राज्य में बिक्री से भिन्न अन्तरण के माध्यम से लाये जाने के पश्चात्, विनिर्माता जिसका उत्तराखण्ड राज्य में व्यापार स्थल स्थित है, द्वारा विनिर्माण के पश्चात ऐसे माल की कर से छूट अथवा कर की दर में कमी की सुविधा की अवधि के भीतर प्रथम बार बिक्री की गयी हो।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य के कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष उत्तराखण्ड राज्य के कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य और वास्तविक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें विनिर्माता को उपलब्ध कर से छूट या कर की दर में कमी की समग्र सीमा में कम की गयी धनराशि इंगित की गयी हो।

(13) उपधारा (12) के अधीन कर वापसी की सुविधा वापस ले ली जायेगी, यदि उपधारा (12) के खण्ड (ग) में संदर्भित प्रमाण-पत्र मिथ्या, या फर्जी पाया जाय और उत्तराखण्ड के सुसंगत कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया हो।

धारा 57 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 57 में,–

(क) उपधारा (4) में शब्द एवं अंक "धारा 55, धारा 56 के अधीन पारित किसी आदेश" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 42, धारा 55, धारा 56 के अधीन पारित किसी आदेश" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (12) में खण्ड (घ) में, शब्द और अंक "धारा 59 के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 42 के अधीन पारित आदेश या धारा 59 के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

6–(1) उत्तर प्रदेश मूल्यसंवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन 2008

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारनाम समय पर प्रवृत्त थे।

---

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अधीन कतिपय औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश के आधार पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा नियत मौद्रिक सीमा एवं नियत अवधि के लिये अनुमन्य थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम लिमिटेड की डाला तथा चुनार स्थित इकाइयों की आस्तियों के क्रेता को माननीय उच्च न्यायालय के अनुमोदन के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिये व्यापार कर के भुगतान से छूट प्रदान की गयी थी। ऐसी इकाइयों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में समुचित प्रावधान किये जाने तथा औद्योगिक इकाइयों को कैप्टिव पावर प्लान्ट के क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट दिये जाने के सम्बन्धित प्रश्न पर विचार करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक में की गयी संस्तुतियों पर विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि सन् 2008 के उक्त अधिनियम को संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था की जाये,–

(क) सन् 2008 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व कर से छूट या कर की दर में कमी के लिये पात्र उक्त औद्योगिक इकाइयों के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2008 से कर अवधि की विवरणी के साथ भुगतान किये गये नेट टैक्स की वापसी छूट के लिये प्रावधान किया जाय;

(ख) औद्योगिक इकाइयों को केवल निर्माण प्रक्रिया में उपयोग के लिये कैप्टिव पावर प्लान्ट को पूंजी माल में सम्मिलित करने के पश्चात् उसके क्रय के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिये विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था; अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2008) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 1724(2)/LXXIX-V-1-1(ka)14-2008

*Dated Lucknow, August* 29, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 2008:-

# THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. Act no. 19 of 2008)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2008.

(2) Section 4 shall be deemed to have come into force on January 1, 2008 and the remaining provisions shall be deemed to have come into force on July 16, 2008.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 5 of 2008

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 hereinafter referred to as the principal Act, in clause (f), sub clause (vi) appearing at the end shall be *omitted*.

Amendment of section 13

3. In section 13 of the principal Act, in sub section (1),-

(a) for clause (b) the following clause shall *be substituted*, namely :-

"(b) Input tax credit of full amount of input tax shall be allowed to every dealer, liable to pay tax, in respect of capital goods purchased on or after the date on which dealer becomes liable for payment of tax under this Act, if such goods are to be used in,-

(i) manufacture of any taxable goods except non-vat goods and where such manufactured goods is,-

A. Sold within the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of the export of the goods out of the territory of India; or

B. transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale; or

(ii) manufacture of any exempt goods except non-vat goods and where such manufactured goods are sold in the course of export of the goods out of the territory of India; or

(iii) generation of electrical energy, where such energy is used for the manufacture of any taxable goods other than non-vat goods and such manufactured goods is, -

A. Sold within the State or in the course of interstate trade or commerce or in the course of the export of the goods out of the territory of India; or

B. transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale; or

(iv) generation of electrical energy where such energy is used for the manufacture of any exempt goods and such exempt goods is sold in the course of export of the goods out of territory of India;

and the amount of input tax shall be computed and be claimed in prescribed manner.

Explanation:–For the purposes of this clause, -

(a) if 90% of electrical energy generated in consumed for the purposes refereed to in sub clauses (iii) and (iv), 100% Input Tax may be claimed and be allowed as Input Tax Credit.

(b) the expression 'generation of electrical energy' shall mean generation of electrical energy by using captive power plant including repairing and maintenance there of."

(b) for the Explanation appearing at the end, the following Explanation shall be *substituted* namely :–

"Explanation :– For the purposes of this sub section, for entry against serial no. 1 of the table under clause (a), re-sale of goods includes transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract."

Substitution of section 42

4. For section 42 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :–

Treatment of industrial units availing exemption or reduction in the rate of tax under erstwhile Act

"42 (1) No industrial unit,–

(a) availing benefit of exemption from or reduction in the rate of tax under the erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 on the turnover of sales or purchase or both as the case may be, before the commencement of this Act; or

(b) which is granted the benefit of exemption from or reduction in the rate of tax on the turnover of sale or purchase or both as the case may be, under the erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act, 1956;

shall be permitted to avail the benefit of exemption from, or reduction in the rate of, tax on the turnover of sale or purchase or both as the case may be, on or after the commencement of this Act.

(2) The industrial unit availing the benefit of tax deferment under the erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 before the commencement of this Act or a unit which is granted facility of tax deferment under the erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 shall continue to avail the facility of deferment for net tax payable under this Act and the Central Sales Tax Act, 1956 subject to such conditions and restriction as may be prescribed.

(3) (a) The industrial unit availing benefit of exemption from, or reduction in the rate of, tax under the erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 on the turnover of sales of manufactured goods; and

(i) whose facility of exemption or reduction in the rate of tax is based on the fixed capital investment as provided under the erstwhile Act or notification issued there under; or

(ii) an industrial unit purchased from the State Government or any corporation or undertaking owned or controlled by the State Government and to whom exemption or reduction in the rate of tax has been granted under the erstwhile Act may apply to the Commissioner for issue of the Certificate of entitlement in the prescribed from and in prescribed manner.

(b) The Commissioner after examining the relevant records and report from the assessing authority and if he is satisfied that the information furnished is correct and complete, shall issue within 60 days from the date of receipt of the application, the Certificate of entitlement in prescribed from and in prescribed manner containing such particulars as may be prescribed including period of validity of certificate and amount of entitlement if any.

(c) If the Commissioner is satisfied that particulars furnished by an industrial unit in the application is wrong or incomplete or is not worthy of credence, he shall after giving the applicant the opportunity of being heard, reject the application and inform the industrial unit accordingly.

(d) Subject to an appeal to the Tribunal under section 57 the order passed by the Commissioner in this behalf, shall be final.

(4) The industrial unit availing benefit of exemption from, or reduction in the rate of, tax on the turnover of sales before the date of commencement of this Act or an industrial unit which is granted the facility of exemption from, or reduction in the rate of, tax on or after such commencement, on the turnover of sales under the erstwhile Act or the Central Sales Tax Act, 1956 shall be entitled for exemption by way of refund of net tax paid along with the return of tax period in prescribed manner and on fulfilling the conditions that, –

(a) the unit shall hold valid registration certificate issued under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956,

(b) the unit shall have a valid Certificate of Entitlement issued by the Commissioner,

(c) the amount of refund shall not be more than an amount equal to net tax paid for relevant tax period,

(d) the net tax payable has been deposited along with return of tax period in prescribed manner,

(e) the refund shall be subject to the provisions of section 40 except that the amount shall not be adjusted against the admitted tax liability,

(f) the facility of refund shall cease on the day when the amount or the period mentioned in the Certificate of Entitlement, whichever is earlier,

(g) the tax payable on the turnover of sales of goods mentioned in the Certificate of Entitlement and which is manufactured in the industrial unit shall be deducted from the total amount mentioned or described in the Certificate of entitlement,

(h) the industrial unit has not misused the facility of exemption from or reduction in the rate of tax in any manner.

Explanation:–The expression 'net amount of tax payable' means–

(i) the differential amount of tax payable under this Act on the sale of taxable goods other than non-vat goods, manufactured in the unit and input tax credit available to the extent or proportionate to taxable goods other than non-vat goods sold, in case of an industrial unit availing facility of exemption from tax under the erstwhile Act and the Central Sales Tax Act, 1956

(ii) the partial amount of net tax computed under clause (i) above, in proportion to the rate of tax available for exemption to the rate of tax payable under the erstwhile Act, in case of an industrial unit availing benefit of reduction in the rate of tax.

(5)(a) The amount found refundable shall be refunded within a period of 30 days from the last date of the month in which dealer files the return of relevant tax period along with the proof of deposit of net tax payable.

(b) The amount of refund shall be made in such manner as may be prescribed.

(c) The Industrial unit failing to deposit the net tax admittedly payable within prescribed time and in prescribed manner or deposits it after due date, the amount of interest leviable and penalty imposed if any, shall be adjusted and only the balance amount shall be refunded.

(6) (a) The total amount of the refund shall be limited to the extent of the differential amount of the total eligible amount available for exemption or reduction in the rate of tax and the amount availed in exemption or reduction in the rate of tax before the commencement of this Act.

(b) The total period of the refund shall not exceed difference of the total period available for exemption or reduction in the rate of tax and the period exhausted before the commencement of this Act.

(7) If any amount is found refundable and is not refunded with in the prescribed time, the industrial unit shall be entitled to simple interest at the rate of twelve percent per annum from the last date prescribed for refund. The amount of interest shall be refunded in such manner as may be prescribed.

(8) The industrial unit availing the benefit of tax deferment as provided under sub-section (2) or availing the facility of refund as provided under sub-section (4), shall be eligible to issue tax invoices and to claim input tax credit subject to provisions of section 13.

(9) Where the amount or the period for exemption or reduction in the rate of tax changes on account of any valid reason or otherwise, the Commissioner shall suo motu or on an application of the industrial unit, amend the certificate of entitlement accordingly.

(10) The facility of refund shall be available under this Act and under the Central Sales Tax Act, 1956.

(11) An industrial unit claiming the refund under this section shall not be deemed to have been assessed based on the returns filed by it and any refund made shall be subject to assessment requiring production of accounts in support of the return filed.

(12) The provisions of this section shall mutatis mutandis apply to those units which were established before 9th November, 2000 (the date of re-organisation of Uttar Pradesh ) and now situated within the territory of Uttarakhand subject to the following conditions,–

(a) the goods are manufactured in a unit established in the State of Uttarakhand having eligibility certificate (validity commencing prior to 9th November 2000) issued under section 4-A of the erstwhile Act for the manufacture of such goods.

(b) such goods are sold for the first time after their manufacture within the period of facility of exemption or reduction in the rate of tax, after brining them into the State by way of transfer other than sales, by manufacturer having his place of business in the State of Uttarakhand.

(c) valid and genuine certificate issued by the assessing Authority of the State of Uttarakhand is produced before the assessing authority of the State of Uttar Pradesh indicating therein that the amount has been reduced in the overall limit of exemption or reduction in the rate of tax available to the manufacturer.

Amendment of Section 57

(13) Facility of refund of tax under sub-section (12) shall be withdrawn, if the certificate referrd to in clause (c) of sub-section (12) is found false or fake and not issued by the relevant assessing authority of Uttarakhand."

5. In section 57 of the principal Act.-

(a) in sub-section (4) for the words and figure "an order passed under section 55" the words and figures "an order passed under section 42, section 55" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (12), in clause (d) for the words and figure "a decision given under section 59" the words and figures "an order passed under section 42 or a decision given under section 59" shall be *substituted.*

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 3 of 2008

6. (1) The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2008 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The facility of exemption from or reduction in the rate of, tax was admissible on the basis of capital investment upto a fixed monetary limit and for a fixed period to certain industrial units under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948. Besides, exemption from payment of trade tax was granted to the purchaser of the units situated at Dalla and Chunar of the Uttar Pradesh State Cement Corporation Limited for a period of ten years from the date of approval of the Hon'ble High Court. A meeting was organized under the chairmanship of the Chief Secretary for considering the question of making proper provisions in the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 with respect to such units and of giving input tax credit to the industrial unit on the purchase of captive power plant. After considering the recommendations made in the said meeting it was decided to amend the said Act of 2008 to provide for,—

(a) making provision for exemption by way of refund of net tax paid along with the return of tax period with effect from January 01, 2008 for the said industrial units eligible for exemption from or reduction in the rate of tax prior to the commencement of the said Act of 2008;

(b) the input tax credit should be made admissible to the industrial units for the purchase of captive power plant after including in the capital goods only for use in the process of manufacture.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2008 (U.P. Ordinance no. 3 of 2008) was promulgated by the Governor on July 16, 2008.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.M.A. ABIDI,
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-470 राजपत्र (हि०)-2008-(1039)-597 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-101 सा० विधायी-2008-(1040)-850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

क्रम-संख्या–256

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू0/एन0पी0–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 अगस्त, 2010

श्रावण 29, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1101/79–वि–1-10–1(क)-18-10

लखनऊ, 20 अगस्त, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पर दिनांक 19 अगस्त, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2010)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

(2) धारा 4 के खण्ड (ख) को दिनांक एक जनवरी, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा तथा शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 की धारा 6-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6—क में, स्पष्टीकरण में से शब्द "या जांच चौकी पर तैनात" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में खण्ड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात :—

"(च) इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया जाता है या ऐसे क्रय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके निर्मित या प्रसंस्कृत माल का उस दर पर विक्रय किया जाता है, जो

(एक) पुनर्विक्रय की स्थिति में ऐसे माल के क्रय मूल्य से, या

(दो) निर्माण की स्थिति में लागत मूल्य से,

कम हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा और उसकी अनुमति, माल या निर्मित माल के विक्रय मूल्य पर संदेय कर की सीमा तक होगी।

धारा 17 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 17 में,

(क) उपधारा (3) में शब्द "प्रत्येक व्यवहारी" के स्थान पर शब्द "उपधारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन प्रत्येक व्यवहारी" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (5) में खण्ड (क) में, विद्यमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिसम्भाग में तैनात अपर कमिश्नर का यह समाधान हो जाता है कि व्यवहारी को निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से निवारित करने वाली ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वह विलम्ब को माफ कर सकता है और यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अथवा करनिर्धारक प्राधिकारी को निदेश दे सकता है कि वह इस अधिनियम तथा तदधीन बनाई गयी नियमावली के उपबंधों के अनुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही करें।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि विलम्ब क्षमा का आवेदन—पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि इसके साथ निम्नलिखित का प्रमाण—पत्र संलग्न न हो:—

(एक) विलम्ब अवधि के लिए 31 दिसम्बर, 2010 तक विलम्ब शुल्क प्रतिमाह पांच सौ रुपये अथवा इसके आंशिक भाग तथा 31 दिसम्बर, 2010 के पश्चात् प्रतिमाह एक हजार रुपये अथवा उसके आंशिक भाग का भुगतान;

(दो) प्रार्थना—पत्र जमा करने के दिनांक तक समस्त कर अवधियों की कर विवरणी का भरा जाना;

(तीन) इस अधिनियम के अधीन देय ब्याज के साथ—साथ खण्ड (दो) के अधीन कर विवरणी में शुद्ध कर का भुगतान;

परन्तु यह और भी कि इस खण्ड के अधीन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी आवेदन—पत्र को अस्वीकार नहीं किया जायेगा।"

धारा 24 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (7) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा।

धारा 26 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 26 में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी होते हुये यदि कोई व्यक्ति राज्य के बाहर से कोई कराधेय माल लाता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी व्यवहारी के ऐसे माल की प्रत्येक प्राप्ति का पृथक—पृथक कर निर्धारण कर सकता है।

धारा 28 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 28 में,

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में से उपखण्ड (छह) निकाल दिया जायेगा,

(ख) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(9) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, जहां कोई गैर रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, राज्य के बाहर से कोई करार्धेय माल किसी कर निर्धारण वर्ष में एक से अधिक बार लाता है वहां प्रत्येक अवसर पर लाये गये माल के संबंध में उसी वर्ष के लिए पृथक—पृथक कर निर्धारण किया जा सकता है।"

धारा 48 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 48 में—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

"(2) जहां उपधारा (1) में संदर्भित किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी गाडी, जलवाहन, भवन या स्थान में पाये गये माल, किसी वास्तविक व्यवहारी के नहीं हैं अथवा माल ले जाने के संबंध में किसी वास्तविक व्यवहारी द्वारा जारी दस्तावेजों में मिथ्या विवरण है या यह कि यह संदेह हो कि ऐसे माल को किसी व्यवहारी ने अपने सामान्य व्यवसाय के क्रम में अनुरक्षित अपने लेखों, रजिस्टरों, व अन्य दस्तावेजों में उचित रूप से लेखाबद्ध नही किया है, वहां उसे ऐसे माल को अभिग्रहीत करने की शक्ति होगी और इस धारा के अवशेष उपबन्ध ऐसे अभिग्रहण के संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(5) यदि ऐसे प्राधिकारी का, यथा स्थिति, व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि उक्त माल को उपधारा (1) में संदर्भित लेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नही दर्शाया गया है या उक्त माल किसी वास्तविक व्यवहारी का नहीं है या किसी व्यवहारी द्वारा समुचित रूप से लेखाबद्ध नहीं किया गया है या माल ले जाने के संबंध में किसी वास्तविक व्यवहारी द्वारा जारी दस्तावेजों में मिथ्या विवरण है या स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां उक्त संव्यवहार हुआ है, में सुसंगत समय पर प्रचलित माल के मूल्य से करापवंचन के आशय से पचास प्रतिशत की सीमा से अधिक के माल का अवमूल्यन हुआ है तो वह ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक, जैसा वह उचित समझे, का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये आदेश पारित करेगा।"

धारा 54 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 54 में उपधारा (1) की तालिका में क्रमांक 1 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1 | व्यवहारी युक्तियुक्त कारण के बिना निम्नलिखित के लिए विफल हो गया है :— | |
| | (क) किसी कर अवधि के लिए देय कर को विहित या बढायी गयी अवधि के अन्तर्गत जमा करना; | शुद्ध संदेय कर का 20 प्रतिशत |
| | (ख) किसी कर अवधि के लिए विहित रीति से कर विवरणी जमा करना; | दो हजार रुपये |

धारा 57 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 57 में, उपधारा (12) के खण्ड (क) में उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा अर्थात्:—

"(एक) जहां ऐसे आदेश में, जो स्थगन के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना पर पारित आदेश न हो, विवादित कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि दो लाख रुपये या समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित ऐसी धनराशि तीन लाख रुपये से अनधिक हो, से अधिक हो, दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा।"

## उद्देश्य और कारण

माल के विक्रय अथवा क्रय पर कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया गया है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 2009) द्वारा जांच चौकियों तथा नाकों की स्थापना से सम्बन्धित उपबन्धों को समाप्त करने के सम्बन्ध में अनुवर्ती संशोधन करने और व्यवहारियों द्वारा राज्य सरकार के संज्ञान में लायी गयी कतिपय कठिनाइयों को दूर करने और राज्य के राजस्व के हित में कतिपय उपबन्ध करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्यतः निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय:–

(क) जाँच चौकियों को समाप्त करने से सम्बन्धित अनुवर्ती संशोधन करना;

(ख) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के विधिमान्यकरण और निर्गमन के लिये आवेदन करने में विलम्ब को माफ करने के लिए अपर कमिश्नर को सशक्त करना;

(ग) एकल पीठ द्वारा किसी अपर कमिश्नर (अपील) के आदेश के विरुद्ध दो लाख रुपये तक की विवादग्रस्त धनराशि की अपील की सुनवायी किया जाना;

(घ) ऐसे मामलों में जहाँ क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया जाता है या ऐसे क्रय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल का विक्रय, क्रय मूल्य अथवा लागत मूल्य से निम्नतर मूल्य पर किया जाता है, वहाँ माल अथवा विनिर्मित माल के विक्रय मूल्य पर संदेय कर की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीमित करना;

(ङ) मिथ्या विवरण युक्त माल को साथ–साथ ले जाने के सम्बन्ध में अभिग्रहण और शास्ति।

तदनुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
के0के0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

---

No. 1101(2)/LXXIX-V-1–10-1(Ka)18-10
*Dated Lucknow, August 20, 2010*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010** (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 19, 2010 :–

## THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2010

(U.P. ACT NO. 19 OF 2010)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008.*

IT IS HEREBY enacted in Sixty-first Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2010.

(2) Clause (b) of section 4 shall be deemed to have come into force on January 1, 2008 and remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of section 6-A of U.P. Act no. 5 of 2008

2. In section 6-A of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 hereinafter referred to as the principal Act, in the Explanation the words "or posted at the check post" shall be omitted.

Amendment of section 13

3. In section 13 of the principal Act, in sub-section (1) after clause (c) the following clause shall be inserted, namely:–

"*(f)* Notwithstanding anything to the contrary contained in this sub-section where goods purchased are resold or goods manufactured or processed by using or utilizing such purchased goods are sold, at the price which is lower than

*(i)* purchase price of such goods in case of resale; or

*(ii)* cost price in case of manufacture,

the amount of input tax credit shall be claimed and be allowed to the extent of tax payable on the sale value of goods or manufactured goods"

Amendment of section 17

4. In section 17 of the principal Act,

*(a)* in sub-section (3) for the words "Every dealer" the words "Subject to the provisions of sub-section (5), every dealer" shall be substituted;

*(b)* in sub-section (5) in clause (a), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:–

"Provided that if the Additional Commisssioner posted in zone is satisfied that circumstances exist preventing the dealer to submit the Application within the stipulated period, he may condone the delay and direct the registering authority or assessing authority, as the case may be, to process the application in accordance with the provisions of this Act and rules framed thereunder:

Provided further that no application for condoning the delay shall be entertained unless it is accompanied with the proof of –

(i) payment of late fees of rupees five hundred per month or part thereof up to December 31, 2010 and rupees one thousand per month or part thereof after December 31, 2010, for the period of delay;

(ii) filing of tax returns of all tax periods upto the date of submitting application; and

(iii) payment of net tax along with interest due under this Act in tax return under clause (ii):

Provided also that no application under this clause shall be rejected without giving opportunity to the applicant of being heard."

Amendment of section 24

5. In section 24 of the principal Act, in sub-section (7) the proviso shall be *omitted*

Amendment of section 26

6. In section 26 of the principal Act *for* second proviso the following proviso shall be *substituted*, namely :–

"Provided further that in case of person who being a dealer other than a registered dealer brings any taxable goods from outside the State, the assessing authority may make separate assessments for each receipt of such goods by the dealer.".

Amendment of section 28

7. In section 28 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1), in clause (b) sub-clause (vi) shall be omitted;

(b) for sub-section (9) the following seb-section shall be *substituted*, namely :

"(9) Notwithstanding anything to the contrary in any other provision of this Act, where an unregistered dealer brings any taxable goods from outside the State more than once during an assessment year, separate assessment relating to goods brought on each occasion may be the same assessment year."

Amendment of section 48

8. In section 48 of the principal Act,–

(a) for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely :–

"(2) Where any officer referred to in sub-section (1) has reason to believe that the goods found in any vehicle, vessel, building or place are not traced to any bonafide dealer or the documents issued by a bonafide dealer with respect to the accompanying goods contains wrong particulars or that it is doubtful if such goods are properly accounted for by any dealer in his accounts, registers or other documents, maintained in the ordinary course of his business, he shall have power to seize such goods and the remaining provisions of this section shall mutatis mutandis apply in relation to such seizure."

(b) for sub-section (5) following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(5) If such authority, after taking into consideration the explanation, if any, of the dealer or, as the case may be, the person in charge and after giving him an opportunity of being heard, is satisfied that the said goods were omitted from being shown in the accounts, registers and other documents referred to in sub-section (1) or not traced to any bonafide dealer or not properly accounted for by any dealer or the documents issued by a bonafide dealer with respect to the accompanying goods contained wrong particulars or the goods are undervalued to the extent of more than fifty percent of the value of goods prevalent at the relevant time in the local market area where the said transaction had taken place, with intention to evade payment of tax, it shall pass an order imposing a penalty not exceeding forty per cent of the value of such goods as it deems fit."

Amendment of section 54

9. In section 54 of the principal Act, in sub-section (1), in the table for entries at serial no. 1 the following entries shall columnwise be *substituted*, namely :–

| 1 | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1. | The dealer has without reasonable cause failed,– | |
| | (a) to deposit the tax due for any tax period within the prescribed or extended time; | 20% of net tax payable |
| | ( ) to submit the tax return for any tax period in the prescribed manner. | rupees Two thousand |

10. In section 57 of the principal Act, in sub-section (12), in clause (a) for the sub-section(i) the following sub-clause shall be *substituted*, namely :– Amendment of section 57

"(i) by a bench of two members, where in such Order, not being an Order passed on the application of the appellant for stay, the amount of tax, fee or penalty in dispute exceeds two lakh rupees or such amount not exceeding three lakh rupees as may be determined by the State Government from time to time."

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 has been enacted to provide for levy and colection of tax on sale or purchase of goods. With a view to making a consequential amendment with respect to the omission of the provisions relating to the establishment of check-posts and barriers by the Uttar Pradesh Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 22 of 2009) and for removing certain difficulties brought to the notice of the State Government by the dealers and making certain provisions in the interest of revenue of the State, it has been decided to amend the said Act mainly to provide for,-

(a) making consequential amendments relating to the abolition of check-posts;

(b) empowering the Additional Commissioner to condone the delay in making an application for validation and issue of registration certificate by the dealer registered under the erstwhile Act;

(c) hearing of appeal against the Order of an Additional Commissioner (Appeal) by a single bench upto the disputed amount of two lakh rupees;

(d) limiting the input tax credit to the extent of tax payable on the sale value of goods or manufactured goods in cases where goods purchased are resold or goods manufactured or processed by using or utilising such purchased goods are sold at the price lower than purchase price or cost price;

(e) seizure and penalty with respect to the accompanying goods containing wrong particulars.

The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2010 is introduced accordingly.

By order,
K.K. SHARMA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 393 राजपत्र (हि0)-2010-(889)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 96 सा0 विधायी-2010-(890)-850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

क्रम-संख्या-304

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी० / एल०-
डब्लू० / एन०पी०-91 / 2008-10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 अगस्त, 2009

भाद्रपद 5, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1225 / 79-वि-1-09-1(क)11-2009

लखनऊ, 27 अगस्त, 2009

## अधिसूचना

### विविध

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 26 अगस्त, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इसे अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 27 अगस्त, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संख्या 5 सन् 2008 की धारा 2 का संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2008 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (क छ) में उपखण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(तीन) धारा 3-क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर की धनराशि।"

नई धारा 3-क का बढ़ाया जाना।

3—मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण।

"3-क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, किन्तु उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन वांछेय कर के अतिरिक्त माल के विक्रय या क्रय या दोनों के करार्हेय आवर्त पर राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर जो 5 प्रतिशत से अधिक न हो, अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा। विभिन्न माल अथवा विभिन्न श्रेणियों के माल के सम्बन्ध में अलग-अलग दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण एवं भुगतान निम्नलिखित पर नहीं किया जाएगा,—

(क) अनुसूची-एक एवं अनुसूची-तीन के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट माल के यथास्थिति विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त पर;

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिये विशेष महत्व के रूप में घोषित माल के यथास्थिति विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त पर,

(ग) राज्य सरकार द्वारा धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट व्यवहारी वर्ग द्वारा ऐसा विक्रय या क्रय या ऐसे माल का विक्रय या क्रय।

(3) उपधारा (1) के अधीन भुगतान की गयी धनराशि, धारा 13 के उपबंधों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिये पात्र होगी।

(4) कोई व्यवहारी जो धारा 6 के अधीन कर समाधान की सुविधा का उपभोग कर रहा है, अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में भी कर समाधान की सुविधा का उपभोग करने का पात्र होगा।

(5) इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात् समाप्त हो जाएगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

4- (1) उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2009) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान रूप से प्रवृत्त थे।

---

## उद्देश्य और कारण

राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) को संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था की जाय :—

(क) अतिरिक्त कर को 'कर' की परिभाषा में सम्मिलित किया जाय;

(ख) अधिनियम के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त माल के विक्रय या क्रय के कारबार के आवर्त पर ऐसी दर पर, जो 5 प्रतिशत से अधिक न हो, जिसके भुगतान का उपबन्ध होगा है, अतिरिक्त कर की दर को गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिये राज्य सरकार को सशक्त किया जाय;

(ग) अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण एवं भुगतान निम्नलिखित पर न किया जाय :–

(एक) अनुसूची–एक एवं अनुसूची–तीन के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट माल के, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त;

(दो) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिये विशेष महत्व के रूप में घोषित माल के, यथास्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट व्यतहारी वर्ग द्वारा ऐसा विक्रय या क्रय या ऐसे माल का विक्रय या क्रय;

(घ) अतिरिक्त कर की धनराशि को इनपुट क्रेडिट के लिये पात्र किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिये किसी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 मई, 2009 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2009) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

---

No. 1225 (2)/LXXIX-V-1-09-1(Ka)-11-2009
*Dated Lucknow, August* 27, 2009

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 26, 2009.

## THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2009

(U.P. ACT NO. 21 OF 2009)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act,* 2008.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 27, 2009.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 5 of 2008.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (hereinafter referred to as the principle Act), in clause (ag) *after* sub-clause (ii) the following sub-clause shall be *inserted*, namely :-

"(iii) the amount of additional tax leviable under section 3-A;".

Insertion of new section 3-A.

3. *After* section 3 of the principle Act, the following section shall be *inserted*, namely :-

"3-A (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, but subject to the provisions of sub-section (2), every dealer liable to pay tax under this Act shall be liable to pay in addition to the tax payable under any other provision of this Act, an additional tax on the taxable turnover of sale or purchase of goods or both, at such rate not exceeding five percent, as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette*. Different rates may be specified in respect of different goods or different classes of goods.

Levy of Additional Tax

(2) No additional tax under sub-section (1) shall be levied and paid on,-

*(a)* the turnover of sale or purchase or both as the case may be, of goods specified in column 2 of Schedule I and Schedule III;

*(b)* the turnover of sale or purchase or both as the case may be, of goods declared to be of special importance in the interstate trade or commerce under section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956;

*(c)* such sale or purchase, or sale or purchase of such goods by such class of dealers, as may be specified in the notification issued by the State Government under clause (c) of section 7.

(3) The amount paid under sub-section (1) shall be eligible for input tax credit in accordance with the provisions of section 13.

(4) Any dealer who avails the facility of composition of tax under section 6 shall also be eligible for availing the facility of composition with respect to additional tax.

(5) The Additional tax leviable under this section shall cease to be levied after a period of five years from the date of publication of the notification issued by the State Government under sub-section (1).

Repeal and Saving

4. (1) The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2009 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 1 of 2009.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principle Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principle Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

---

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to augmenting revenues of the State it was decided to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P. Act no. 5 of 2008) to provide for,-

*(a)* inclusion of the additional tax in the definition of the tax;

*(b)* empowering the State Government to specify by notification in the *Gazette*, the rate of additional tax not exceeding 5% on the taxable turnover of sale or purchase of goods or both which the dealers liable to pay in addition to the tax payable under the Act;

*(c)* exemption from levy and payment of additional tax on,

(i) the turnover of sale or purchase or both as the case may be, of goods specified in column 2 of Schedule I and Schedule III;

(ii) the turnover of sale or purchase or both as the case may be, of goods declared to be of special importance in the interstate trade or commerce under section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956;

(iii) such sale or purchase, or sale or purchase of such goods by such class of dealers, as may be specified in the notification issued by the State Government under clause (e) of section 7;

*(d)* making the amount of additional tax eligible for input credit.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2009 (U.P. Ordinance no. 1 of 2009) was promulgated by the Governor on May 27, 2009.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
*Sachiv*.

पी0एस0यू0पी0-ग0 पी0-522 राजपत्र-(हिन्दी)-2009-(1067)-597-(कण्यू0-टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ग0 पी0-134 सा0 विधायी-2009-(1068)-850(कण्यू0-टी/आफसेट)।

क्रम-संख्या-307

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2008-10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग-1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 अगस्त, 2009**

**भाद्रपद 5, 1931 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1230/79-वि-1-09-1(क)21-2009

लखनऊ, 27 अगस्त, 2009

### अधिसूचना

**विविध**

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 26 अगस्त, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह अधिनियम ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 की धारा 49 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 49 को निकाल दिया जायेगा।

धारा 50 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(1) कोई व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे आयातकर्ता कहा गया है), जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर कारबार के सम्बन्ध में अनुसूची–1 में वर्णित एवं वर्णित वस्तुओं से भिन्न ऐसी मात्रा या माप या मूल्य का माल जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक हो या तो निर्धारक अधिकारी से जिसकी अधिकारिता इस क्षेत्र पर हो जहाँ इस व्यक्ति के कारबार का मुख्य स्थान स्थित है या यदि ऐसा कोई स्थान नहीं है तो जहाँ पर साधारणतया वह निवास करता है यथानिहित रीति से निर्धारित घोषणा पत्र प्राप्त करेगा या यथानिहित रीति से विभागीय वेब साईट से डाउनलोड करेगा।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजनों के लिए ऐसे माल को लाने आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक हो तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है।"

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई माल ले जाने वाली किसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी को धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर रोकेगा और उसे तब तक रोक रखेगा जब तक कि यथास्थिति धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और उसे गाड़ी की तलाशी लेने देगा और माल का तथा पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट सभी लेख पत्रों का निरीक्षण करने देगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाय तो उसे अपना नाम और पता और गाड़ी के स्वामी और माल के प्रापक और प्रापेषती का नाम और पता देगा।"

धारा 52 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 52 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

राज्य से होकर गुजरने वाले माल के लिए आदेश

"52—जब राज्य से बाहर किसी स्थान से आने वाली और राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने वाली और धारा 50 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाली कोई गाड़ी राज्य से होकर गुजरे तब ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति राज्य में ऐसे दस्तावेजों को रखना जैसा कि विहित किया जाय और ऐसा न करने पर उस पर लगा लिया जायेगा कि उसके द्वारा ले जाया जा रहा माल गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बेचने के लिए है।"

धारा 54 का संशोधन

5 मूल अधिनियम की [illegible] में उपधारा (1) के [illegible] के क्रमांक 9 और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः प्रतिस्थापित रख दी जायेंगी, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| "9 | यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति धारा 45 या धारा 48 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निष्पादन करने में व्यवधान डालता है या उसे रोकता है। | रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के मामले में पांच हजार रुपये और अन्य के मामले में उसकी पांच गुना धनराशि। |
| 15. | जहाँ, यथास्थिति, चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति,– (एक) धारा 52 के अधीन निर्दिष्ट दस्तावेजों को साथ में रखने में विफल होता है और यह भी प्रमाणित करने में विफल रहता है कि वाहन में रखा माल राज्य के बाहर के व्यवहारियों या व्यक्तियों को परिदत्त करने के लिए है; या (दो) राज्य से होकर माल के गुजरने हेतु ऐसे दस्तावेजों के रहते हुए माल को राज्य से बाहर ले जाने के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है किन्तु ऐसे माल को ऐसे वास्तविक व्यक्ति को सौंपने में विफल रहता है; या | माल के मूल्य का 40 प्रतिशत। |
| | (तीन) ऐसा व्यक्ति होते हुए, जो चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति से माल राज्य से बाहर ले जाने के लिए प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल को नहीं ले जाता है; या | |
| | (चार) परिवाहक या वाहन या भाड़ेदार होते हुये, राज्य के बाहर माल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शाते हुए माल की रसीद तैयार करता हो;" | |

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रह के लिए मूल्य संवर्धित व्यवस्था को प्रारम्भ करने हेतु उपबन्धित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। जाँच चौकियों और नाकों के कारण व्यक्तियों, जिनमें व्यापारी एवं उद्यमी सम्मिलित हैं, को होने वाली असुविधा को दूर करने तथा अबाध व्यापार एवं वाणिज्य को सुगम बनाने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय,

(क) जाँच चौकियों और नाकों की स्थापना के प्रावधान को निकाल दिया जाए,

(ख) व्यापारी को विभागीय वेबसाइट से आयात हेतु घोषणा का प्रपत्र डाउन लोड करना अनुमन्य किया जाय,

(ग) राज्य से बाहर किसी स्थान से आने वाली और राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने वाली और धारा 50 की उपधारा (1) में उल्लिखित माल ले जाने वाली गाड़ी के चालक या वाहन प्रभारी अन्य व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों को रखने की अपेक्षा करना जैसे विहित किये जाँय।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है ।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

---

No. 1230 (2)/LXXIX-V-1-09-1(Ka)-21-2009
*Dated Lucknow, August 27, 2009*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 26, 2009.

# THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (THIRD AMENDMENT) ACT, 2009.

(U.P. ACT NO. 22 OF 2009)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008.*

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth year of the Republic of India as follows:-

short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2009.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of section 49 of U.P. Act no. 5 of 2008

2. Section 49 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 *hereinafter* referred to as the principle Act, shall be *omitted.*

Amendment of section 50

3. In section 50 of the principle Act,–

(a) *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(1) Any person (hereinafter in this section referred to as the importer) who intends to bring, import or otherwise receive, into the State from any place outside the State any goods other than the goods named and described in Schedule-I in such quantity or measure or of such value, as may be notified by the State Government in this behalf, in connection with business, shall either obtain the prescribed form of declaration in such manner as may be prescribed from the assessing authority having jurisdiction over the area, where his principle place of business is situated or, in case there is no such place, where he ordinarily resides or shall download from official web site of the department in such manner as may be prescribed:

Provided that where the importer intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, in the like manner obtain the prescribed form of certificate."

(b) *for* sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely:–

"(3) The driver or other person-in-charge of any vehicle carrying any goods referred to in the preceding sub-sections shall stop the vehicle when so required by an officer authorised under sub-section (1) of section 45 or sub-section (1) of section 48 and keep it stationary for so long as may be considered necessary by the officer authorised under sub-section (1) of section 45 of sub-section (1) of section 48, as the case may be, and allow him to search the vehicle and inspect the goods and all documents referred to in the preceding sub-sections and shall, if so required, give his name and address and the names and addresses of the owner of the vehicle and of the consignor and the consignee of the goods."

Amendment of section 52

4. *For* section 52 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :

Provision for goods passing through the State

"52. When a vehicle coming from any place outside the State and bound for any other place outside the State and carrying goods referred to in sub-section (1) of section 50, passes through the State, the driver or other person in charge of such vehicle shall carry such documents as may be prescribed failing which it shall be presumed that the goods carried thereby are meant for sale within the State by the owner or person in charge of the vehicle."

Amendment of section 54

5. In section 54 of the principle Act, in sub-section (1), in the table *for* the entries at serials 9 and 15 the following entries shall *column-wise* be *substituted*, respectively, namely :-

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| "9 | The dealer or other person, as the case may be, obstructs or prevents an officer empowered under section 45 or section 48 from performing any of his functions under this Act; | A sum of rupees five thousand in case of registered dealer and five times thereof in case of others |
| 15. | Where the driver or person in charge of the vehicle, as the case may be,- | 40% of the value of goods |
| | (i) fails to carry documents referred to in section 52 and also fails to prove that goods carried in his vehicle are meant for delivery to dealers or persons outside the State; or | |
| | (ii) while carrying such documents for transit of goods through the State undertakes responsibility of handing over such goods to a bonafide person inside the State for carrying them outside the State but fails to hand over such goods to such bonafide person; or | |
| | (iii) being a person, who receives any goods from driver or person in charge of a vehicle for carrying them outside the State, dose not carry such goods outside the State; or | |
| | (iv) being a transporter or hirer of a vehicle prepares goods-receipt by showing false destination of goods outside the State;" | |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 has been enacted to provide for introducing Value Added System of taxation for levy and collection of tax on sale or purchase of goods. With a view to removing inconvenience to persons including traders and entrepreneurs due to check-posts and barriers established under the said Act and for facilitating free trade and commerce, it has been decided to amend the said Act mainly to provide for,-

(d) omitting the provisions for the establishment of check-post and barriers;

(e) allowing the dealer to download the Form of declaration for import, from the official website of the department;

(f) requiring the driver or other person in charge of the vehicle coming from any place outside the State and bound for any other place outside the State and carrying goods mentioned in sub-section (1) of section 50, to carry such documents as may be prescribed.

The Uttar Pradesh Value Added Tax (Third Amendment) Bill, 2009 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
*Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0-525 राजपत्र-(हिन्दी)-2009-(1073)-597-(कम्प्यू0/टी/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0-137 सा0 विधायी-2009-(1074)-850 (कम्प्यू0/टी/आफसेट)।

क्रम-संख्या–138

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

COURT BO
EMPOWERING LEGAL C

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

### भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020**

**भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**विधायी अनुभाग–1**

संख्या 1565/79-वि-1–20-1(क)-26-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे राज्य कर अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा;

(2) यह दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 में नई धारा 29क को बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

विशेष परिस्थितियों में समय बढ़ाने की सरकार की शक्ति

"29क—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनायी गयी नियमावली में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित समय सीमा में वृद्धि कर सकती है।

2—इस धारा की शक्ति में ऐसे दिनांक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व का न हो, से ऐसी अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

**स्पष्टीकरण** :— इस धारा के प्रयोजन के लिए पद 'अपरिहार्य घटना' का तात्पर्य युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकम्प अथवा प्रकृति के कारण या, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन को अन्यथा रूप में प्रभावित करने वाली किसी अन्य आपदा से है।"

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2020) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

---

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन्, 2008) माल के अंतः राज्यीय विक्रय पर कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण का उपबन्ध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

2—कोविड—19 के कारण लाक—डॉउन के फलस्वरूप करदाताओं के समक्ष उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को नियंत्रित करने हेतु सरकार को, भूतलक्षी प्रभाव से (अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से अपूर्वतर) ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा तद्धीन अधिसूचित समय—सीमा में वृद्धि करने की शक्ति प्रदान करने के लिये, उक्त अधिनियम में एक नई धारा बढ़ाये जाने का विनिश्चय किया गया।

3—चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन्, 2020) प्रख्यापित किया गया।

4—यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1565(2)/LXXIX-V-1-20-1(ka)-26-20

*Dated Lucknow, August* 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Rajya Kar Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

## THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 23 OF 2020)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2020;

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 31st March, 2020.

Insertion of new section 29A in U.P. Act no. 5 of 2008

2. *After* section 29 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

"29A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, by notification extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act or rules made there under in respect of actions which can not be completed or complied with due to *force majeure*.

Power of Government to Extend time in Special circumstances

(2) The power of this section shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

*Explanation*-For the purpose of this section the expression *force majeure* means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 14 of 2020

3. (1) The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2020. is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act (U.P. Act no. 5 of 2008) has been enacted to make a provision for levy and collection of tax on *intra-state* sale of goods by the State of Uttar Pradesh.

2. To overcome the difficulties faced by tax payers, arising by reason of Lockdown due to COVID-19, it had been decided to inset a new Section in the said Act to empower the Government to extend the time limit retrospectively (not earlier than the date of commencement of the Act), specified in or prescribed or notified under this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure*.

3. Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 14 of 2020) was promulgated by the Governor on July 06, 2020.

4. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 191 राजपत्र–2020–(564)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 149 सा0 विधायी–2020–(565)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

क्रम–संख्या–277

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

COURT BOOK
EMPOWERING LEGALSCHOLARITY

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2014

पौष 5, 1936 शक सम्वत्

**उत्तर प्रदेश सरकार**

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1527/79-वि-1–14-1(क)-9-2014

लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2014

## अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) धारा 2 के खण्ड (ग) का उपखण्ड (एक), धारा 7 एवं धारा 10 दिनांक 01 जनवरी, 2008 से प्रभावी मानी जायेगी एवं अवशेष उपबन्ध दिनांक 26 मई, 2014 से प्रभावी होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा, की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (ङ) में, उपखण्ड (तीन) के पश्चात् निम्न उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(चार) कारबार बन्द होने के पश्चात् किया गया संव्यवहार, यदि ऐसे माल के विक्रय से संबंधित है, जिन्हें उस अवधि में अर्जित किया गया हो जबकि कारबार चल रहा था।"

(ख) खण्ड (ज) के उपखण्ड (नौ) के स्थान पर निम्न उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(नौ) रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक (एयर कार्गो आपरेटर), कूरियर सर्विस प्रोवाइडर, जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता प्रकट करने में विफल होता है या पारेषक या पारेषिती का ऐसा प्रकटित नाम या पता मिथ्या, कूटरचित या असत्यापनीय पाया जाता है, या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी, जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार-पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्गमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को सौंपने में असफल रहा हो या धारा 52 के अधीन यथा उपबन्धित दस्तावेज रखने में और यथाविहित प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहता है।"

(ग) खण्ड (छह) में,—

(एक) उप खण्ड (एक) में शब्द "विक्रय आवर्त" के स्थान पर शब्द "विक्रय या क्रय या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के आवर्त" रख दिए जायेंगे।

(दो) उप खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(चार) धारा 3-ख के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर की धनराशि।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) सारिणी में, क्रमांक 8 में, स्तम्भ—2 में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(एक) रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक, कूरियर सर्विस प्रोवाइडर जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता उद्घाटित करने में विफल हो जाए अथवा पारेषक या पारेषिती का ऐसा उद्घाटित नाम या पता मिथ्या, छलपूर्ण या पुष्टनीय न पाया जाए या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्गमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को उसको प्रदान करने में विफल रहा हो, या धारा 52 के अधीन यथा उपबन्धित दस्तावेज रखने में और यथाविहित प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहता है।"

(ख) स्पष्टीकरण (1) में शब्द और अंक "उपधारा (5)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (4)" रख दिये जायेंगे।

धारा 3-क का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3-क में,—

(क) उपधारा (2) के खण्ड (ख) को निकाल दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (5) को निकाल दिया जायेगा।

5—धारा 3—क के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :— नई धारा 3—ख का बढ़ाया जाना

उपकर का उद्ग्रहण

"3—ख (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किन्तु उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त पेट्रोल या डीजल या दोनों की बिक्री पर पाँच रुपये प्रति लीटर से अनधिक दर पर तथा बिक्री के ऐसे बिन्दु पर जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, उपकर के भुगतान का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उपकर का उद्ग्रहण एवं भुगतान केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए या ऐसी रीति से किया जाएगा जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो।"

धारा 4 का संशोधन 6—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक हटा दिया जायेगा।

धारा 6 का संशोधन 7—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :—

"(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी लेकिन इस धारा के अन्य उपबन्धों और राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे कर के बदले में जो व्यवहारी द्वारा ऐसे माल के या माल के वर्ग के संबंध में और ऐसी अवधि के लिए जिस पर सहमति हुई हो, इस अधिनियम के अधीन देय हो सकती है, या तो एक मुश्त या बिक्रय या क्रय या दोनों जैसी भी स्थिति हो, के आवर्त पर सहमत दर पर समाधान राशि स्वीकार करने के लिए सहमत हो सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि संकर्म संविदा का निष्पादन करने वाले व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी जो राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारी से माल क्रय करने के पश्चात् राज्य के भीतर माल के पुनः विक्रय का एकमात्र कारबार करता है और किसी कर निर्धारण वर्ष में जिसका ऐसे माल के विक्रय का आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक न होता हो, या उसका आवर्त कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक न हुआ है, तो राज्य सरकार ऐसे माल के विक्रय पर दर प्रतिशत अधिसूचित कर सकती है। विभिन्न मालों के लिए विभिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती हैं :

प्रतिबन्ध यह और भी है कि कर की दर में कोई परिवर्तन, जो ऐसी सहमति के दिनांक के पश्चात् प्रवृत्त हो सकता है, एकमुश्त या कर निर्धारण की अवधि के उस भाग के संबंध में, जबकि परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, सहमत दर से समानुपाती परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप होगा।"

नई धारा 8—क का बढ़ाया जाना 8—मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात:—

प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र के गलत या मिथ्या उपयोग पर दायित्व

"8—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी और धारा 54 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या नियमों या उसके अधीन निर्गत अधिसूचना के अधीन निर्धारित मिथ्या या गलत प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र दूसरे व्यक्ति को ज़ारी करता है जिसके कारण इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति, क्रय या विक्रय पर उद्ग्रहणीय कर उद्ग्रहणीय नहीं रह जाता हैं या रियायती दर पर उद्ग्रहणीय रह जाता है, उस धनराशि के भुगतान करने का दायी होगा जो यथास्थिति, ऐसे क्रय या विक्रय पर कर के रूप में देय होती, यदि ऐसा प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी नहीं किया गया होता :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन देय धनराशि के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जायेगा और न ही अनुमन्य होगा।

स्पष्टीकरण : जहाँ प्रमाण–पत्र या घोषणा–पत्र जारी करने वाला व्यक्ति क्रय किए गए माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए कोई कर देय न होगा या रियायती दर से देय होगा, से भिन्न प्रयोजन के लिए करे तो प्रमाण–पत्र या घोषणा–पत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिए गलत समझा जाएगा।"

धारा 13 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 13 में,–

(क) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(11) जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि इनपुट टैक्स की धनराशि या इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि असत्य है या विश्वास के योग्य नहीं है, वहाँ ऐसे व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् और ऐसी जाँच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् वह लिखित रूप से आदेश करके यथास्थिति, इनपुट टैक्स की धनराशि या इनपुट, टैक्स क्रेडिट की धनराशि का अवधारण कर सकता है।"

(ख) उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

"(12) जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के कारण या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किये गये कर निर्धारण सम्बन्धी सर्वोत्तम न्याय की दशा में खरीद के बढ़ाये गये आवर्त पर उदग्रहीत कर के जमा किए जाने से या अन्यथा, इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि परिवर्तित हो जाती है, वहां इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब को तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा।"

धारा 17 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (14) में, स्पष्टीकरण (दो) में,–

(क) उपखण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(च) कारबार का स्वामी है और ऐसा कारबार ऐसे स्वामी के अक्षम होने या मृत्यु हो जाने के कारण उसके मालिक के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों द्वारा चलाया जाता है।"

(ख) शब्द "ऐसे साझेदारी कारबार के भागीदार" के स्थान पर शब्द "ऐसे साझेदारी कारबार के भागीदार या उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारीगण, जैसी भी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी व्यापारी का सकल आवर्त पच्चीस लाख रुपये से या ऐसी अधिक धनराशि जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, से अधिक नहीं है, वहां कमिश्नर ऐसे व्यापारियों की लेखाबहियों या अभिलेखों का परीक्षण करके वार्षिक कर निर्धारण के लिए व्यापारियों को चयनित करने के लिए मानक एवं रूपात्मकता अवधारित करेंगे:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि धारा 26 में निहित किसी बात के होते हुए भी प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन चयनित न किए गए व्यापारी कर निर्धारण वर्ष, जिसमें समेकित विवरणों के अनुलग्नक को दाखिल करने का निर्धारित दिनांक पड़ता है, के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिनांक को कर निर्धारित किये गये माने जायेंगे।"

धारा 29 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (12) में, शब्द एवं अंक "धारा 28 में यथाविहित" के स्थान पर शब्द "इस धारा में यथा उपबन्धित" रख दिये जायेंगे।

धारा 33 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 33 में उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात्:–

"स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, किसी कर अवधि या कर निर्धारण वर्ष के लिए स्वीकृत रूप से देय कर की गणना धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी और उसमें धारा 8–क के अधीन देय धनराशि सम्मिलित होगी।"

धारा 42 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 42 में, उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"(15) (क) कमिश्नर हकदारी प्रमाण पत्र को आदेश द्वारा, करमुक्ति या कर की दर में कमी की अवधि के समाप्त होने के पूर्व अथवा पश्चात, संशोधित या निरस्त कर सकता है, यदि यह पाया जाता है कि—

(1) कर की छूट अथवा कर की दर में कमी के स्थान पर वापसी की सुविधा का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया गया है जिसके फलस्वरूप गलत धनराशि की वापसी हो गयी हो;

(2) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन कर की छूट अथवा कर की दर में कमी के परिप्रेक्ष्य में जारी पात्रता प्रमाण पत्र को सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा रद्द अथवा संशोधित कर दिया गया हो;

(3) हकदारी प्रमाण पत्र को दुर्व्यपदेशन के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि हकदारी प्रमाण-पत्र को व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना संशोधित अथवा रद्द नहीं किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन पारित आदेश इसमें विनिर्दिष्ट दिनांक से प्रभावी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन पारित कोई आदेश उन घटनाओं के घटित होने के पूर्व के दिनांक से प्रभावी नहीं होगा जिनके कारण हकदारी प्रमाण-पत्र को संशोधित या निरस्त किया गया है।

(ग) धारा 57 एवं धारा 58 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खण्ड (क) में पारित आदेश अन्तिम होगा।"

धारा 48 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (5) में शब्द "ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक" के स्थान पर शब्द "ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक अथवा ऐसे माल के मूल्य पर इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, जो भी अधिक हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 50 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "ऐसे घोषणा पत्र या दस्तावेज, जैसे विहित किये जाय, अपने साथ रखेगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे सम्यक रूप से भरे हुए घोषणापत्र या दस्तावेज, जैसे विहित किये जायें, अपने साथ रखेगा" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "ऐसे प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों, जिन्हें विहित किया जाय, को इसी तरह अपने साथ रखेगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे सम्यक रूप से भरे हुए प्रमाण-पत्रों, दस्तावेजों, जिन्हें विहित किया जाय, को इसी तरह अपने साथ रखेगा" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) में शब्द "रोकने" के स्थान पर शब्द "अभिग्रहण" रख दिया जायेगा।

धारा 54 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (1) में, तालिका में,—

(क) क्रम संख्या 5 एवं 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:—

| क्रम सं0 | त्रुटि | शास्ति की धनराशि |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 5 | जहां व्यवहारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार—<br>(एक) कर बीजक या विक्रय बीजक जारी करने में विफल हो गया हो या जानबूझकर जारी न किया हो; या | माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो। |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | (दो) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होते हुए इस अधिनियम के अधीन कर योग्य माल का क्रय करते समय जानबूझकर कर बीजक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से प्राप्त नहीं किया हो;<br>(तीन) क्रय बीजक जारी नहीं किया है ; | |
| 6 | व्यवहारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार माल के सम्प्रेषण या परिदान के संबंध में चालान, अन्तरण बीजक या परिवहन मेमों जारी करने में विफल हो गया हो; | माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो। |

(ख) क्रम संख्या 14 एवं 15 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात:–

| क्रम सं0 | त्रुटि | शास्ति की धनराशि |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 14 | जहां, यथास्थिति व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति–<br>(एक) (क) ऐसा माल; या<br>(ख) ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित प्रसंस्कृत या पैक किये गये माल;<br>के विक्रय पर कर संदाय के अपवंचन की दृष्टि से धारा 50 या धारा 51 के अधीन उपबंधों के उल्लंघन में किसी माल का आयात करता है या आयात करने का प्रयास करता है या उसके आयात का दुष्प्रेरण करता है; या<br>(दो) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कराधेय माल का परिवहन करता है, परिवहन करने का प्रयास करता है; | (क) पंजीकृत व्यवहारी के मामले में–<br>(एक) माल के मूल्य का 15 प्रतिशत, यदि माल अनुसूची-दो अथवा अनुसूची-तीन में वर्णित प्रकार का है;<br>(दो) माल पर उद्ग्रहणीय कर की दर का दोगुना, यदि माल अनुसूची-पाँच में वर्णित प्रकार का है;<br>(तीन) माल के मूल्य पर संदेय कर के बराबर की धनराशि, यदि माल पर कर की दर 40 प्रतिशत से अधिक है;<br>(चार) किसी अन्य मामले में माल के मूल्य का 40 प्रतिशत।<br>(ख) पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति के मामले में, माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो। |
| 15 | जहां यथास्थिति चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति–<br>(एक) धारा 52 के अधीन निर्दिष्ट दस्तावेजों को साथ रखने में विफल होता है और यह भी प्रमाणित करने में विफल रहता है कि वाहन में रखा माल राज्य के बाहर के व्यवहारियों या व्यक्तियों को परिदत्त करने के लिए है; | माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | (दो) राज्य से होकर माल के गुजरने हेतु ऐसे दस्तावेजों के रहते हुए माल को राज्य से बाहर ले जाने के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है किन्तु ऐसे माल को ऐसे वास्तविक व्यक्ति को सौंपने में विफल रहता है, या<br>(तीन) ऐसा व्यक्ति होते हुए, जो चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति से माल राज्य से बाहर ले जाने के लिए प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल को नहीं ले जाता है, या<br>(चार) परिवाहक या वाहन का भाड़ेदार होते हुए,राज्य के बाहर माल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शाते हुए माल की रसीद तैयार करता हो : | |

(ग) क्रमांक 21–ख की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

| क्र0सं0 | त्रुटि | शास्ति की धनराशि |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 21–ख | जहां यथास्थिति, व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति ने कर के भुगतान का अपवंचन करने के आशय से सुसंगत समय में स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां संव्यवहार हुआ है, में प्रचलित माल के मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक की सीमा तक माल का अवमूल्यन करते हुए यथास्थिति, कोई कर बीजक या विक्रय बीजक या माल मूल्य से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज जारी या प्राप्त किया हो। | माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो। |

धारा 57 का संशोधन

18–मूल अधिनियम की धारा 57 में,–

(क) उपधारा (4) में शब्द और अंक "धारा 42" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 42 की उपधारा (3) और उपधारा (15)" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (12) में, खण्ड (घ) में, शब्द और अंक "धारा 42 के अधीन पारित आदेश" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 42 के अधीन कमिश्नर द्वारा पारित आदेश" रख दिये जायेंगे।

धारा 70 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 70 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :—

"70—राज्य सरकार इस अधिनियम की किसी अनुसूची की किसी प्रविष्टि में वर्णित वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी या अनुसूची-पाँच में समाहित वस्तुओं के लिए वस्तु कोड समनुदेशित कर सकती है।"

निरसन और अपवाद

20—(1) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2014

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

---

## उद्देश्य और कारण

माल के विक्रय या क्रय पर कर उदग्रहण और संग्रहण के लिये मूल्य संवर्धिक कराधान प्रणाली लागू करने के लिये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया गया है। कमिश्नर, वाणिज्य कर की संस्तुतियों पर यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके मुख्यतः निम्नलिखित की व्यवस्था की जाय :—

(क) कारबार बन्द होने के पश्चात् भी किये गये संव्यवहार को कारबार की परिभाषा में सम्मिलित करना, यदि वह ऐसे माल के विक्रय से संबंधित है, जिन्हें उस अवधि में अर्जित किया गया हो, जबकि कारबार चल रहा था;

(ख) धारा 52 के अधीन यथा उपबन्धित दस्तावेज रखने में और यथाविहित प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहने वाले व्यक्ति को व्यवहारी की परिभाषा में सम्मिलित करना;

(ग) कर की परिभाषा को सुस्पष्ट करना तथा उसमें उपकर को भी सम्मिलित करना;

(घ) अतिरिक्त कर का उदग्रहण दिनांक 28 मई, 2014 के पश्चात भी जारी रखना;

(ङ) पेट्रोल अथवा डीजल अथवा दोनों पर उपकर का उदग्रहण;

(च) किसी व्यवहारी द्वारा प्रमाण–पत्र या घोषणा पत्र के गलत या मिथ्या उपयोग से होने वाली क्षति का निर्धारण/वसूली करना;

(छ) इनपुट टैक्स क्रेडिट को सरल एवं तर्कपरक बनाना;

(ज) किसी कारबार के स्वामी, जिसका कारबार मृत्यु अथवा अक्षम हो जाने के कारण बंद हो गया हो, के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारीगण द्वारा पंजीकरण कराये जाने की आवश्यकता को समाप्त करना;

(झ) किसी व्यापारी के मामले में जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त पच्चीस लाख रूपये से या ऐसी अधिक धनराशि से, जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय, अधिक नहीं है, वहाँ कमिश्नर को ऐसे व्यापारियों की लेखा बहियों या अभिलेखों का परीक्षण करके वार्षिक कर निर्धारित के लिये व्यापारियों को चयनित करने के लिये और मानक एवं रूपात्मकता अवधारित करने के लिये सशक्त करना;

(ञ) कतिपय मामलों में हकदारी प्रमाण–पत्र को संशोधित/निरस्त करने के लिये कमिश्नर को सशक्त करना;

(ट) कतिपय मामलों में अर्थदण्ड के प्राविधानों को तर्कसंगत बनाना;

(ठ) जैसा भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1984 के अधीन अंगीकरण किया गया है, नाम–पद्धति की सुमेलित प्रणाली के आधार पर वस्तु कोड के आवंटन के उपबन्ध को समाप्त करना;

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 मई, 2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2014) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश, को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

---

No. 1527(2)/LXXIX-V-1–14-1(ka)-9-2014
*Dated Lucknow, December* 26, 2014

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 01, 2014.

# THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2014

(U. P. Act no. 23 of 2014)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008.*

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2014.

(2) Sub-clause (i) of clause (c) of section 2, section 7 and section 10 shall be deemed to have come into force on January 01, 2008 and the remaining provisions shall come into force on May 26, 2014.

Amendment of section 2 of U.P. Act no.5 of 2008

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008, hereinafter referred to as the principal Act,-

*(a)* in clause (e) *after* sub-clause (iii) the following sub-clause shall be *inserted*, namely:-

"(iv) any transaction, even after the closure of business, if it relates to sale of goods acquired during the period in which business was carried out."

*(b)* in clause (h) *for* sub-clause (ix) the following sub-clause shall be *substituted*, namely:-

"(ix) a railway container contractor, an air cargo operator, a courier service provider, who fails to disclose the name and complete address of consigner or consignee or if discloses such name or address of consigner or consignee is found bogus, forged or not verifiable; or the owner or person in-charge of a vehicle who obtained authorization for transit of goods from the officer in-charge of entry check post but failed to deliver the same to the officer in-charge of the exit check post or fails to carry such documents as provided under section 52 and follow such procedure as prescribed;"

*(c)* in clause (ag),-

(i) in sub-clause (i) *for* the words "turnover of sales" the words "turnover of sales or purchases or both, as the case may be" shall be *substituted*,

(ii) *after* sub-clause(iii) the following sub-clause shall be *inserted*, namely:-

" (iv) the amount of cess leviable under section 3-B."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),-

*(a)* in the table in serial no.8 in column (2) *for* sub-clause (i), the following sub-clause shall be *substituted*, namely:-

"(i) A railway container contractor, an air cargo operator, a courier service provider, who fails to disclose the name and complete address of consigner or consignee or if discloses such name or address of consigner or consignee is found bogus, forged or not verifiable; or the owner or person in-charge of a vehicle who obtained authorization for transit of goods from the officer in-charge of entry check post but failed to deliver the same to the officer in-charge of the exit check post or fails to carry such documents as provided under section 52 and follow such procedure as may be prescribed."

*(b)* in Explanation (I) *for* the word and figure "sub-section (5) "the word and figure "sub-section (4)" shall be *substituted.*

Amendment of section 3-A

4. In section 3-A of the principal Act,-

*(a)* in sub-section (2) clause (b) shall be *omitted.*

*(b)* sub-section (5) shall be *omitted.*

Insertion of new section 3-B

5. *After* section 3-A the following section shall be *inserted*, namely :-

Levy of Cess

"3-B (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act but subject to the provisions of sub-section (2), every dealer liable to pay tax under this Act shall also be liable to pay in addition to the tax payable under any other provision of this Act, a cess on sale of petrol or diesel or both , at such rate not exceeding five rupees per litre and at such point of sale, as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette.*

(2) Cess under sub-section (1) shall be levied and paid only for such purposes as may be notified by the State Government and in the manner specified in such notification."

Amendment of section 4

6. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1) the second proviso shall be *omitted*.

Amendment of section 6

7. In section 6 of the principal Act *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, but subject to other provisions of this section and the directions of the State Government, the assessing authority may agree to accept a composition money either in lump sum or at an agreed rate on his turnover of sale or purchase or both as the case may be, in lieu of tax that may be payable under this Act by a dealer in respect of such goods or class of goods and for such period as may be agreed upon:

Provided that in the case of a dealer not being a dealer executing works contract, who carries on exclusive business of re-sale of goods within the State after their purchase from a registered dealer within the State and whose turnover of sale of such goods, for any assessment year, does not exceed fifty lakh rupees or his turnover, for the assessment year preceding that assessment year, has not exceeded fifty lakh rupees, the State Government may notify a rate percent on sale of such goods. Different rates may be notified for different goods:

Provided further that any change in the rate of tax which may come into force after the date of such agreement shall have the effect of making a proportionate change in the lump sum or the rate agreed upon in relation to that part of the period of assessment during which the changed rate remains in force.

Insertion of new section 8-A

8. *After* section 8 of the principal Act the following section shall *be inserted*, namely:-

Liability on wrong or false use of certificate or declaration

"8-A (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act and without prejudice to the provisions of section 54, a person who issues a false or wrong certificate or declaration, prescribed under any provision of this Act or the rules or the notification issued thereunder, to another person by reason of which a tax leviable under this Act on the purchase or sale as the case may be, ceases to be leviable or becomes leviable at the concessional rate, shall be liable to pay an amount which would have been payable as tax on such purchase or sale as the case may be, had such certificate or declaration not been issued:

Provided that before taking any action under this section the person concerned shall be given an opportunity of being heard.

(2) No input tax credit shall be claimed or allowed in respect of the amount payable under this section.

**Explanation:** Where a person issuing a certificate or declaration to use the goods purchased for such purpose as will make the tax not leviable or leviable at a concessional rate,but uses the same for a purpose other than such purpose, the certificate or declaration shall, for the purposes of this section, be deemed to be wrong."

Amendment of section 13

9. In section 13 of the principal Act,-

*(a) for* sub-section (11) the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(11) Where it appears to the assessing authority that the amount of input tax or amount of input tax credit is incorrect or is not worthy of credence, it may, after giving reasonable opportunity of being heard to such dealer and after making such inquiry as it may deem fit, determine the amount of input tax or amount of input tax credit, as the case may be, by making an order in writing."

*(b)* *after* sub-section (11) the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(12) Where on account of any order passed under this Act or by depositing tax levied on enhanced turnover of purchase in case of best judgement assessment by the assessing authourity or otherwise, the amount of input tax credit varies, the account of input tax credit shall be amended accordingly."

Amendment of section 17

10. In section 17 of the principal Act, in sub-section (14), in Explanation (II),-

*(a)* *after* sub-clause (e) the following sub-clause shall be *inserted*, namely:-

"(f) is proprietor of a business and such business is succeeded by successor or successors of its proprietor on account of disability or death of such proprietor. "

*(b)* *for* the words "as the case may be, the partners of such partnership business." the words "the partners of such partnership business or successor or successors, as the case may be," shall be *substituted*.

Amendment of section 28

11. In section 28 of the principal Act, in sub-section (1) the following provisos shall be *inserted* at the end, namely:-

"Provided that where the aggregate turnover of any dealer, does not exceed rupees twenty five lakhs or such larger amount as may be determined by the State Government from time to time, in any assessment year, the commissioner shall determine the parameters and modalities to select the dealers for the annual assessment after examining the books of accounts or records of such dealers:

Provided further that notwithstanding anything contained in section 26, the dealer not selected under the first proviso shall be deemed to have been assessed, on the last date of assessment year succeeding the assessment year in which the date of filing of annexures of consolidated details of the assessment year falls."

Amendment of section 29

12. In section 29 of the principal Act, in sub-section (12) *for* the words and figures "as prescribed in section 28" the words "as provided in this section" shall be *substituted*.

Amendment of section 33

13. In section 33 of the principal Act *for* the Explanation to sub-section(2), the following Explanation shall be *substituted*, namely:-

" **Explanation** : For the purposes of this sub-section, the tax admittedly payable for a tax period or an assessment year , as the case may be , shall be computed in accordance with provisions of section 15 and shall include the amount payable under section 8-A. "

Amendment of section 42

14. In section 42 of the principal Act *after* sub-section (14) the following sub-section shall *be inserted*, namely:-

"(15) (a) The Commissioner may by order amend or cancel the Certificate of Entitlement before or after expiration of period of exemption or reduction in the rate of tax, where it is found that-

(i) facility for refund in lieu of exemption or the reduction in rate of tax has been misused in any manner resulting in wrong amount of refund;

(ii) the eligibility certificate issued or facility of exemption or reduction in rate of tax granted under the erstwhile Act has been cancelled or amended by a competent court or an authority;

(iii) the Certificate of Entitlement has been obtained on the basis of mis-representation or concealment of fact;

Provided that no Certificate of Entitlement shall be amended or cancelled without affording opportunity of being heard to the dealer.

(b) The order passed under clause (a) shall take effect from the date mentioned in the order:

Provided that no order passed under this sub-section shall take effect before the date of incidence warranting amendment or cancellation of the Certificate of Entitlement.

(c) Subject to the provisions of sections 57 and 58, the order passed under use (a), shall be final."

Amendment of section 48

15. In section 48 of the principal Act, in sub-section (5) *for* the words "not ceeding forty percent of the value of such goods "the words "not exceeding forty rcent of the value of such goods or tax payable under this Act on the value of such ods, whichever is higher" shall be *substituted*.

Amendment of section 50

16. (1) In section 50 of the principal Act,-

*(a)* in sub-section (2),-

(i) in clause (a) *for* the words "carry such declarations or documents as may be prescribed" the words "carry duly filled such declarations or documents as may be prescribed" shall be *substituted;*

(ii) in clause (b) *for* the words "likewise carry such certificates and documents as may be prescribed" the words "likewise carry duly filled such certificates and documents as may be prescribed" shall be substituted;

*(b)* in sub-section (4) *for* the word "detention" the word "seizure" shall be *substituted*.

Amendment of section 54

17. In section 54 of the principal Act, in sub-section (1), in the table,-

*(a) for* entries at serial nos. 5 and 6 the following entries shall columnwise be *substituted*, namely:-

| Sl. No. | Wrong | Amount of Penalty |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 5 | Where the dealer has,-<br>(i) failed to issue or has deliberately not issued a tax invoice or sale invoice; or<br>(ii) deliberately not obtained tax invoice inspite of being a registered dealer while purchasing the goods liable to tax under this Act from a registered dealer; or<br>(iii) not issued purchase invoice;<br>in accordance with the provisions of this Act. | Tax payable on the value of goods or 40% of the value of goods whichever is higher |
| 6 | The dealer has failed to issue a challan, transfer invoice or transport memo in respect of dispatch or delivery of goods in accordance with the provisions of this Act. | Tax payable on the value of goods or 40% of the value of goods whichever is higher |

*(b) for* the entries at serial nos. 14 and 15 the following entries shall columnwise be *substituted*, namely:-

| Sl. No. | Wrong | Amount of Penalty |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 14 | Where the dealer or any other person, as the case may be, -<br>(i) imports or attempts to import or abets the import of any goods, in contravention of the provisions under section 50 or section 51 with a view to evading payment of tax on sale of-<br>(a) such goods; or<br>(b) goods manufactured, processed or packed by using such goods; or<br>(ii) transports, attempts to transport any taxable goods in contravention of any provisions of this Act. | (a) In case of registered dealer,-<br>(i) 15% of the value of goods if goods are of the description as embodied in Schedule-II or Schedule-III ;<br>(ii) twice the rate of tax leviable on the goods if goods are of the description as embodied in Schedule -V ;<br>(iii) an amount equal to tax payable on the value of the goods if the rate of tax on goods exceeds forty percent;<br>(iv) in any other case 40% of the value of the goods.<br>(b) In case of a person other than the registered dealer tax payable on the value of goods or 40% of the value of goods whichever is higher; |
| 15 | Where the driver or person in charge of the vehicle, as the case may be,-<br>(i) fails to carry documents referred to in section 52 and also fails to prove that goods carried in his vehicle are meant for delivery to dealers or persons outside the State; or<br>(ii) while carrying such documents for transit of goods through the State undertakes responsibility of handing over such goods to a bona-fide person inside the State for carrying them outside the State but fails to hand over such goods to such bona-fide person; or<br>(iii) being a person, who receives any goods from driver or person in charge of a vehicle for carrying them outside the State, does not carry such goods outside the State; or<br>(iv) being a transporter or hirer of a vehicle prepares goods-receipt by showing false destination of goods outside the State. | Tax payable on the value of goods or 40% of the value of goods whichever is higher |

*(c) for* entries at serial no. 21B the following entries shall columnwise be *substituted*, namely:-

| Sl. no. | Wrong | Amount of Penalty |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 21B | Where the dealer or any other person, as the case may be, has issued or received any tax invoice or sale invoice or any other document pertaining to value of goods, as the case may be , containing value of goods undervalued to the extent more than fifty percent of the value of goods prevalent at the relevant time in the local market area where the transaction has taken place, with intention to evade payment of tax; | Tax payable on the value of goods or 40% of the value of goods whichever is higher |

Amendment of section 57

18. In section57 of the principal Act.-

(a) in sub-section (4) *for* the words and figures "section 42" the words and figures "sub-section(3) and sub-section(15) of section42" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (12), in clause (d) *for* the words and figures " an order passed under section 42" the words and figures " an order passed by the Commissioner under section 42" shall be *substituted.*

Amendment of section 70

19. *For* section 70 of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely:-

"70. The State Government may assign commodity code to each category of commodities whether described in any entry of any Schedule of this Act or embodied in Schedule-V."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 4 of 2014

20. (1) The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2014 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action is taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 has been enacted to provide for introducing Value Added System of Taxation for the levy and collection of tax on sale or purchase of goods. On the recommendations of the Commissioner Commercial Taxes it has been decided to amend the said Act, mainly to provide for,-

(a) inclusion in the definition of 'business' any transaction, even after the closure of business, if it relates to sale of goods acquired during the period in which business was carried out;

(b) inclusion of such person in the definition of 'dealer' as has failed to carry such documents as provided under section 52 and follow such procedure as prescribed;

(c) clarifying the definition of 'tax' and inclusion of Cess therein;

(d) continuation of levy of Additional Tax even after May 28, 2014;

(e) levy of Cess on petrol or Diesel or on both;

(f) assessment/realisation of loss caused by wrong or false use of certificate or declaration by any dealer;

(g) simplifying and rationalising the input tax credit;

(h) abolishing the requirement of registration by the successor or successors of a properietor of a business, whose business had been discontinued due to his death or diability;

(i) empowering the Commissioner to determine the parameters and modalitiesd to select the dealers for the annual assessment after examining the books of account or records of such dealers, in case of a dealer whose aggregate turnover in any assessment year does not exceed rupees twenty five lakhs or such larger amount as may be determined by the State Government from time to time;

(j) empowering the Commissioner to amend or cancel the Certificate of Entitlement in certain cases;

(k) rationalising in certain cases the provision of pecuniary penalty;

(l) abolishing the provision of allotment of commodity code on the basis of Harmonised System of Nomenclature as adopted by the Government of India under the Central Excise Tariff Act, 1984.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2014 (U.P. Ordinance no. 4 of 2014) was promulgated by the Governor on May 26, 2014.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S. B. SINGH.
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 772 राजपत्र (हि0)–2014–(1630)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 102 सा0 विधा0–2014–(1631)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।